



HO/Finance/Share/58/2022-23

Date: 01.06.2022

National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Plot no. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
NSE Scrip Symbol: UCOBANK

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001
BSE Scrip Code: 532505

Madam/ Dear Sir,

Sub : Notice of 19th Annual General Meeting and Annual Report 2021-22

Pursuant to SEBI (LODR) Regulations, 2015, we inform that 19th Annual General Meeting (AGM) of our Bank is scheduled to be held on Friday, 24th June, 2022 at 11:00 A.M. through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM). We enclose the notice of 19th AGM together with Annual Report 2021-22.

The agenda and other details of 19th AGM are as under:

1	Agenda	Item no. 1 (Ordinary Business) To discuss, approve and adopt the Balance Sheet together with of Profit & Loss and Cash flow of the Bank made upto 31st March 2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period ended 31st March, 2022 and Auditors' report on Balance sheet and statement of Profit & Loss and Cash flow. Item no. 2 (Special Business) Raising of equity capital through issue of upto 100,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through various capital raising options viz. QIP/FPO or by any other means during the financial year 2022-23.
2	Book Closure	From 18 th June, 2022 (Saturday) to 24 th June, 2022 (Friday) (both days inclusive)
3	Cut-off date	17 th June, 2022 (for remote e-voting and to participate in the AGM)
4	Remote e-voting	From 9:00 A.M. on 21 st June, 2022 to 5.00 P.M. on 23 rd June, 2022

No dividend is recommended by the Board for the financial year 2021-22.

Yours faithfully,


(N Purna Chandra Rao)
Company Secretary



UCO Bank, Finance Department, Head Office, 3rd Floor, 02, India Exchange Place, Kolkata – 700 001
Phone: 033 - 44557227, E-mail: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

Follow UCO Bank on Twitter: [UCOBANKOfficial](#); Facebook: [Official.UCOBank](#); Instagram: [Official.ucobank](#);

LinkedIn: [UCO BANK](#); You Tube: [UCO Bank Official](#)



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2021-2022



एक टीम, एक स्वप्न ONE TEAM, ONE DREAM

www.ucobank.com Toll Free No. 1800 103 0123

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

वार्षिक प्रतिवेदन - 2021-22

Annual Report - 2021-22

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.	मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
● सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02	● सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	129
● निदेशक मंडल Board of Directors	03	● तुलन-पत्र 2021-22 Balance Sheet 2021-22	133
● वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04	● लाभ-हानि लेखा Profit & Loss A/c	135
● प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message	19	● लेखों से संबंधित अनुसूची Schedule to Accounts	137
● निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण Directors' Report & Management Discussion and Analysis	23	● स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	210
● महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक Key Performance Indicators	72	● नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	224
● व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	73	● समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements	227
● कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	93	● लाभांश वितरण दिशानिर्देश Dividend Distribution Guidelines	318
● कारपोरेट अभिशासन का अनुलग्नक Annexures to Corporate Governance	123	● बासेल-III प्रकटीकरण Basel-III Disclosures	319
● सीवीओ एवं महाप्रबन्धकों का विवरण Details of CVO & General Managers	127		

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
KHANDELWAL KAKANI & CO.
Chartered Accountants

आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants

घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार
GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट / REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
(इकाई: यूको बैंक)
सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500032

फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001
फैक्स : 040 23420814
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

M/s. KFin Technologies Limited
(Unit : UCO Bank)
Selenium Tower B, Plot No. 31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001
Fax: 040 23420814
e-mail: einward.ris@kfintech.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्रा.लि. के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar, M/s KFin Technologies Pvt. Ltd.
in case of need.

मुंबई	:	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023 फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai	:	Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023 Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै	:	22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017 फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai	:	22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017 Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली	:	305, नई दिल्ली हाउस, 27 बारखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001, फोन : 011-43681700
At New Delhi	:	305, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001 Phone: 011-43681700
कोलकाता	:	एपीजे हाउस, 15 पार्क स्ट्रीट, सी ब्लॉक 3रा तल, कोलकाता - 700 016 फोन : 033-66285900
At Kolkata	:	Apeejay House, 15, Park Street, C Block, 3rd Floor, Kolkata - 700 016 Phone : 033-66285900

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS



श्री सोमा शंकर प्रसाद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
SHRI SOMA SANKARA PRASAD
Managing Director & CEO



श्री इशराक अली खान
कार्यपालक अधिकारी
SHRI ISHRAQ ALI KHAN
Executive Director



डॉ. संजय कुमार
निदेशक
DR. SANJAY KUMAR
Director



श्री राजेश कुमार
निदेशक
SHRI RAJESH KUMAR
Director



श्री अंजन तालुकदार
निदेशक
SHRI ANJAN TALUKDAR
Director



श्री रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
SHRI RAVI KUMAR AGRAWAL
Director



श्री के राजीवन नायर
निदेशक
SHRI K. RAJIVAN NAIR
Director



प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 24 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कंफरेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम) माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:-

मद संख्या 1

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, साथ ही लाभ-हानि लेखा एवं बैंक का नकदी प्रवाह, 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए बैंक के कार्यों और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, उसे अनुमोदित करना एवं अपनाना।"

मद संख्या 2

इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2022-2023

निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो संशोधन सहित या रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

'संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970(योजना) और यूको बैंक (शेयर एवं बैंडके) विनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा किसी संशोधन या पुनरधिनियमन सहित लागू अन्य सभी अधिनियम/कानून तथा भारत सरकार (जी ओ आई), भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई'), भारत सरकार ('जीओआई'), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') और/ या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (आई सी डी आर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (सेबी अल ओ डी आर विनियम), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 तथा लिस्टिंग समझौते के अधीन स्टॉक एक्सचेंजो के

Notice

NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held through Video Conference (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, the 24th June, 2022 at 11.00 AM to transact the following business:-

Item no.1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet together with statement of Profit & Loss and cash flow of the Bank made upto 31.03.2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period ended 31.03.2022 and Auditors report on Balance sheet and statement of Profit & Loss and Cash flow.

Item no.2

Equity Capital Raising Plan 2022-2023

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following **Special Resolution** :

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules / Notifications / Circulars /Regulations / Guidelines, if any prescribed by the Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), or any other relevant authority, from time to time, to the extent applicable and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the RBI, GOI, SEBI and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations,

साथ प्रवेश किया, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद 'निदेशक मंडल' कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारी सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल) को दी जाती है कि वह प्रत्येक ₹10/- के 100,00,00,000 तक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करे (निर्गम के ऐसे हिस्से को पक्का और/या प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए विधिसम्मत प्रकार से आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज/नियमावली, भले ही बाज़ार मूल्य या निर्गम मूल्य या फ्लोर मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर हो अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ('एनआरआई') कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हक संस्थागत खरीदारों ('क्यू आई बी') जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ('एफआईआई') या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, जैसा कि बैंक द्वारा फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू, निजी प्लेसमेंट/अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति से अधि-आबंटन के विकल्प सहित या रहित ठीक हो।

"आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, निजी प्लेसमेंट/अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए, अधिक-आबंटन या ग्रीन शू आप्शन के साथ या उसके बिना और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली 2018 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा-लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जहां आवश्यक हो, लीड प्रबंधक और/या हामीदार और अन्य सलहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आईसीडीआर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो, के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आईसीडीआर विनियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में

ए) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अर्थ के दायरे में

2000, and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 100,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity shares shall be by way of Follow on public issue, Private Placement/Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of qualified Institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the

होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर या अन्य समय जिसकी अनुमति समय-समय पर आई सी डी आर विनियम में दी जा सकती है।"

बी) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हों, पर शेयर आवंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

सी) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

"आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए इक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों को जारी और आवंटित करना,यदि कोई हो,विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए इक्विटी शेयर यथा संशोधित यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2003 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी वुक रनर्स, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी, अधिमान्य शेयरों, प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हो, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्गमित इक्विटी शेयरों का सूचीकरण करते हो, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैंक द्वारा यथा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति को निवेशकों के वर्ग सहित ईश्यू की प्रकृति एवं शर्तों, प्रत्येक ट्रांच में आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, जारी मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य के निर्धारण करने, रिकार्ड तारीख या लेखा-बंदी एवं अन्य संबंधित या अनुषंगी मामले निर्धारित करने, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्ध करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे

ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid up and the allotment of such securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.

b) The Bank pursuant to provisions of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer at a discount not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for determination of the floor price of securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including rules and regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies and to seek the listing of such Equity Shares issued on the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, fixing of record date or book closure and related or incidental matter, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute

तरीके से निपाटन किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव, योग्य संस्थागत नियोजन की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक शृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और किसी बात और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने हेतु वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम में प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorised to determine the terms of the public offer, Qualified Institutional Placement including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alternations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & CEO or to the Executive Director(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(सोमा शंकर प्रसाद)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 30.05.2022

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

By order of the Board of Directors

sd/-

(Soma Sankara Prasad)

Place: Kolkata
Date: 30.05.2022

Managing Director &
Chief Executive Officer

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2 इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2022-2023

31 मार्च, 2022 तक बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.74% है। बैंक की मौजूदा प्राधिकृत पूंजी रु. 15000 करोड़ है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 11955.96 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की भावी योजना तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बासेल III दिशानिर्देश के तहत न्यूनतम पूंजी एवं लीवरेज अनुपात की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक सेबी (पूंजी का निर्गमन और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2018 और आज की तारीख तक संशोधित तथा इस संबंध में अन्य प्रयोज्य विनियमों/ आरबीआई/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार अहर्ता-प्राप्त संस्थागत नियोजन क्यूआईपी/निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम का अनुसरण या किसी अन्य तरीके या संयोजन के द्वारा इक्विटी पूंजी को जुटाने का संकल्प करता है। अहर्ता-प्राप्त संस्थागत नियोजन से पूंजी जुटाने के क्रम में, यही पूंजी सेबी (पूंजी का निर्गमन और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2018) के अध्याय VI के अनुसार होगी।

उपर्युक्त के अलावा, इक्विटी शेयर के माध्यम से पूंजी जुटाने से बैंक में पब्लिक हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो कि वर्तमान में प्रतिभूति करार (विनियम) नियम, 1957 में दिये गए नियम 19ए के अनुसार 25% की न्यूनतम आवश्यक पब्लिक हिस्सेदारी से कम है।

बैंक अपनी प्रदत्त पूंजी में वृद्धि करने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

सेबी (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 का विनियमन 41(4) प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा जब भी कोई नया शेयर जारी किया जाता है या नई पेशकश की जाती है, तो मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा आधार पर उसी के साथ पेश किया जाना चाहिए जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक इसके अतिरिक्त तय न कर लें। यदि उक्त संकल्प पारित हो जाता है, तो बोर्ड को बैंक की तरफ से मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा आधार पर उसके अलावा कुछ प्रतिभूति जारी करने तथा आबंटित करने का अधिकार होगा।

संकल्प के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों (अंडरराइटर्स) और ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकरणों के परामर्श से, मौजूदा बाजार की स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को देखते हुए, जो आवश्यक हो, निर्धारित की जा सकती है।

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उचित समय, माध्यम, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है।

आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का दर्जा सभी मायनों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर होंगे। इस

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 2 - Equity Capital Raising Plan 2022-2023

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2022 is 13.74%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, Rs.15000 crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2022 is Rs. 11955.96 crore.

Based on the projection for FY 2022-23 and in order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under BASEL III guidelines for expansion of business, as approved by the Board of Directors of the Bank, the Bank proposes to raise equity capital by way of Qualified Institutional Placement (QIP)/ Private Placement/ Follow on Public Issue or any other mode(s) or combination(s) thereof, in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations/Guidelines of SEBI/ RBI in this regard. In the event of raising of capital undertaken through Qualified Institution Placement (QIP), the same will be in accordance with chapter VI of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

Besides the above, raising of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

The Bank will obtain the requisite approval of the Government of India and the Reserve Bank of India in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for increasing the paid up capital of the Bank.

The Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered with the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

The Present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. For this purpose the

प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए उपर्युक्त संकल्प के लिए आपकी सहमति हेतु अनुरोध किया जाता है।

बैंक के निदेशकों में से किसी को भी अपने शेयर होल्डिंग, बैंक में यदि कोई है, की सीमा को छोड़कर उपर्युक्त संकल्पों में इच्छा या अपेक्षा नहीं है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्पों को पारित करने की अनुशंसा करता है।

Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

The Board of Directors recommends passing of the proposed Special Resolutions.

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(सोमा शंकर प्रसाद)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 30.05.2022

By order of the Board of Directors

sd/-

(Soma Sankara Prasad)

Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 30.05.2022

वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पहुंच एवं वोटिंग करने के लिए सामान्य निर्देश

1. कोविड-19 के कारण विनियामक निर्देश

कोविड-19 महामारी की निरंतरता को मद्देनजर रखते हुए, साथ ही कारपोरेट मामलों का मंत्रालय(एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05.05.2020, परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13.01.2021, परिपत्र सं. 19/2021 दिनांक 08.12.2021, इनके बाद जारी परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 14.12.2021 एवं परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 05.05.2022 ("एमसीए परिपत्रों के रूप में संयुक्त रूप से संदर्भित") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13.05.2022 के अनुसरण में, बैंक की वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने के संबंध में एमसीए एवं सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन करते हुए, किसी एक आयोजन स्थल पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना वार्षिक साधारण बैठक वीडियो संगोष्ठी(वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी।

वार्षिक आम बैठक को अब आगे से 'ई-एजीएम' कहा जाएगा। बैठक के लिए माना गया स्थान यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700 001 होगा।

2. वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होना

बैंक ने वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ई-एजीएम के संचालन के लिए उपस्थिति समर्थ करने हेतु मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है।

सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक वीसी मोड में वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी की सुविधा पहले आए पहले पाएं के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आए पहले पाएं के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

3. उपस्थिति

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

4. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

चूंकि यह वार्षिक साधारण बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में एमसीए वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जा रही है, सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की व्यवस्था हटा दी गई है। तदनुसार, वार्षिक साधारण बैठक के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। अतः इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी आवेदन पत्र और उपस्थिति पत्रक संलग्न नहीं किए गए हैं।

GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

1. Regulatory Instructions Due to COVID-19

In view of the continuing Covid-19 pandemic and pursuant to circular no. 20/2020 dated 05.05.2020, circular no.02/2021 dated 13.01.2021, circular no.19/2021 dated 08.12.2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) followed by circular no. 21/2021 dated 14.12.2021 and circular no.2/2022 dated 05.05.2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13.05.2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Annual General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue duly following guidelines issued by MCA and SEBI in conducting Annual General Meeting of the Bank.

The Annual General Meeting hereinafter is called as "e-AGM". The deemed venue for the meeting shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001.

2. Joining of Meeting through VC

Bank has appointed M/s. KFin Technologies Limited, Registrars & Transfers Agents, to provide Video Conferencing facility for Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of e-AGM.

The Members can join the Annual General Meeting in the VC mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

The facility of participation at the Annual General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

3. Attendance

The attendance of the Members attending the Annual General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. Appointment of Proxy and Authorised Representative

Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

तथापि, निगमित निकाय वीसी के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसके बाद ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के हकदार हैं। इस संबंध में, संबंधित बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रति तथा मत करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से savitajyotiassociates05@gmail.com पर भेज दी जाये और इसकी प्रति evoting@kfintech.com और hosgr.calcutta@ucobank.co.in बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् 15 जून, 2022, को सायं 5:00 बजे से पहले जमा करा दी जाये।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. बही समापन

वार्षिक साधारण बैठक के प्रयोजन से, दिनांक 18 जून, 2022 (शनिवार) से 24 जून, 2022(शुक्रवार) की अवधि तक, जिसमें दोनों उल्लिखित दिन शामिल हैं, बैंक सदस्यों के पंजीकरण तथा शेयर अंतरण/संचरण बहियों का काम बंद रहेगा।

6. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य को ई-एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य <https://emeetings.kfintech.com> पर जाकर 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' पर क्लिक कर दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों पर लॉग-इन कर सकते हैं।
 - ई-एजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहां ईवेंट और यूको बैंक को चुना जाना है।
 - कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
 - सदस्य बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
 - इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा।
 - कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
7. ई-एजीएम से पहले वक्ता के पंजीकरण और प्रश्नों की रिकॉर्डिंग की सुविधा:
- जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और <https://emeetings.kfintech.com> पर लॉग इन कर सकते हैं और नाम, डी मेट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी,

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the Annual General Meeting through VC and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection, scanned copy of relevant Board Resolution are required to be sent along with attested signature of the Authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the scrutinizer by email to savitajyotiassociates05@gmail.com with a copy marked to evoting@kfintech.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in, not less than four days before the date of the meeting on or before 5:00 PM of 18th June, 2022.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2003.

5. Book Closure

The Register of Members and Share Transfer/Transmission Books of the Bank shall remain closed from 18th June, 2022 (Saturday) to 24th June, 2022 (Friday) both days inclusive for the purpose of AGM.

6. Instructions for shareholders for attending e-AGM through Video conference

- Member will be provided with a facility to attend e-AGM through Video conferencing platform provided by M/s. KFin Technologies Private Limited. Members may access the same at <https://emeetings.kfintech.com> and click on the "Video Conference" and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.
 - The link for e-AGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.
 - Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
 - Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.
 - Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
 - Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Facility for Speaker registration & Recording of questions prior to e-AGM:
- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker and may log into <https://emeetings.kfintech.com> and click on "post your questions" to post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name,

मोबाइल नंबर का उल्लेख करके उपलब्ध कराई गई विंडो 'अपने प्रश्न पोस्ट करें' पर क्लिक करके अपने सवाल/विचार/प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जाएगा, जब निर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के पास शेयर रहते हैं। प्रश्नों की पोस्टिंग दिनांक 20 जून, 2022 (10.00 बजे प्रातः) से शुरू होगी और दिनांक 22 जून, 2022 (5.00 बजे साय) को बंद होगी।

- जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हीं वक्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक द्वारा प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
- ई-एजीएम के दौरान, जो सदस्य पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में बोलने की अनुमति दी जाएगी और फिर ई-एजीएम के दौरान पंजीकरण करने वालों को बोलने का विकल्प दिया जाएगा।
- ई-एजीएम के दिन प्रश्न और उत्तर के दौरान वक्ताओं का पंजीकरण ट्रांसमिशन और तकनीकी समन्वय की बाधाओं के कारण समाप्त किया जा सकता है।

8. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के अनुसार पठित एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख दिनांक 17 जून, 2022 को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ई-एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह वार्षिक आम बैठक में मत देने का हकदार होगा, बशर्ते कि दूरस्थ ई-मतदान के जरिए मत पहले ही न डाल दिए गए हों।

9. डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी(एनएसडीएल/सीडीएसएल) के जरिए दूरस्थ ई-मतदान हेतु अनुदेश

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-मतदान सुविधा पर सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, प्रतिभूतियों को डीमैट स्वरूप में रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों को, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी सहभागियों द्वारा संचालित अपने डीमैट खातों के जरिए मतदान करने की अनुमति है। ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए शेयरधारक अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान और वर्चुअल बैठकों में शामिल होने की प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार है:

demat account number/folio number, email id, mobile number. Please note that members questions will be answered only, the shareholder continue to hold the shares as per the benpos as on cut off date. The posting of questions shall commence on 20th June, 2022 (10.00 AM) and closed on 22th June, 2022 (5.00 PM) .

- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.
- During e-AGM, the members who have already registered will be allowed to speak in the chronological order and then the option will be given for those who registered during the e-AGM.
- Speaker Registration during Question & Answers on the day of e-AGM may be dispensed with due to limitations of transmission and technical coordination.

8. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Annual General Meeting.

The members who are holding shares as on 17th June, 2022 being the cut off date fixed for determining voting rights of members, entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Limited or to vote at the e-AGM. Person who is not a member as on cut off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Annual General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

9. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORIES (NSDL/CDSL) FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

एनएसडीएल/NSDL	सीडीएसएल/CDSL
<p>1. आईडीईएस सुविधा के लिए पूर्व पंजीकृत उपयोगकर्ता User already registered for IDeAS facility:</p> <p>I. यूआरएल/URL: https://eservices.nsdl.com</p> <p>II. आईडीईएस' खंड के अंतर्गत "लाभार्जक मालिक बेनेफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section.</p> <p>III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालें। सफल प्रमाणीकरण के बाद 'ई-मतदान तक पहुँच(एक्सेस टू ई-वोटिंग)' पर क्लिक करें। On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting"</p> <p>IV. कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवाप्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं। Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.</p>	<p>1. वर्तमान उपयोगकर्ता जिन्होंने ईएसआई/ ईएसआईईएसटी का विकल्प लिया है Existing user who have opted for Easi / Easiest</p> <p>I. यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या यूआरएल : www.cdslindia.com URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com</p> <p>II. न्यू सिस्टम मायइजी पर क्लिक करें। Click on New System Myeasi</p> <p>III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से प्रवेश करें। Login with user id and password.</p> <p>IV. आगे किसी और प्रमाणीकरण बिना ई-मतदान पेज तक पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.</p> <p>V. अपना मत देने के लिए ई-मतदान सेवाप्रदाता का नाम क्लिक करें। Click on e-Voting service provider name to cast your vote.</p>
<p>2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है User not registered for IDeAS e-Services</p> <p>I. पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें: To register click on link : https://eservices.nsdl.com</p> <p>II. 'रजिस्टर ऑनलाइन फॉर आईडीईएस' का चयन करें। Select "Register Online for IDeAS"</p> <p>III. आवश्यक फ़िल्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। Proceed with completing the required fields.</p> <p>वैकल्पिक रूप से/Alternatively,</p> <p>I. पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें:https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>II. आवश्यक फ़िल्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। Proceed with completing the required fields.</p>	<p>2. उपयोगकर्ता ईएसआई/ईएसआईईएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है User not registered for Easi/Easiest</p> <p>I. पंजीकरण का विकल्प यहाँ उपलब्ध है:https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>II. आवश्यक फ़िल्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। Proceed with completing the required fields.</p>
<p>3. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर By visiting the e-Voting website of NSDL</p> <p>I. यूआरएल/URL: https://www.evoting.nsdl.com/</p> <p>II. 'शेयरधारक/सदस्य' खंड के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉग-इन' आइकन पर क्लिक करें। Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.</p>	<p>3. सीडीएसएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर By visiting the e-Voting website of CDSL</p> <p>I. यूआरएल/URL: www.cdslindia.com</p> <p>II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें। Provide demat Account Number and PAN No.</p> <p>III. सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगा। System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.</p>

<p>III. उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के पास स्थित 16-अंकीय डीमैट खाता), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई देनेवाला एक सत्यापन कोड दर्ज करें।</p> <p>Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं।</p> <p>Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.</p> <p>V. कंपनी या ई-मतदान सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं।</p> <p>Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.</p>	<p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहाँ ई-मतदान प्रक्रिया चल रही है।</p> <p>After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.</p>
---	---

10. डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी सहभागी के जरिए दूरस्थ ई-मतदान किए जाने हेतु अनुदेश

वैयक्तिक सदस्य एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के जरिए अपने डीमैट खाते के लॉग-इन ब्योरों का इस्तेमाल करके भी ई-मतदान सुविधा के लिए लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार लॉग-इन करने पर सदस्य को ई-मतदान विकल्प दिखाई देने लगेगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर सदस्य सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट पर ले जाया जाएगा। कंपनी का नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता का नाम क्लिक करने पर सदस्य को ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, ताकि वह दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मत दे सके या वर्चुअल बैठक में शामिल हो सके तथा बैठक के दौरान मतदान कर सके।

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं वे उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी भूल गए(फॉरगेट यूजर आईडी) और पासवर्ड भूल गए(फॉरगेट पासवर्ड) विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी, यथा सीडीएसएल एवं एनएसडीएल के जरिए लॉग-इन करने से जुड़े किन्हीं तकनीकी मुद्दों के लिए हेल्पडेस्क

10. INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORY PARTICIPANT FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

Individual Member can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, the member will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option the member will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and the member will be redirected to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

सदस्यों को पेश आ रहे किन्हीं तकनीकी मुद्दे - एनएसडीएल Members facing any technical issue - NSDL	सदस्यों को पेश आ रहे किन्हीं तकनीकी मुद्दे- सीडीएसएल Members facing any technical issue - CDSL
<p>लॉग-इन में कोई तकनीकी समस्या आने पर सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।</p> <p>Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30</p>	<p>लॉग-इन में कोई तकनीकी समस्या आने पर सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं।</p> <p>Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 22-23058542-43.</p>

11. भौतिक शेयरधारकों, और डीमैट फार्म में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक से इतर शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-मतदान हेतु अनुदेश:

दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है।

प्रारंभिक पासवर्ड ई-मेल में दिया गया है।

- i. रिमोट ई-वोटिंग के लिए <https://evoting.kfintech.com> पर लॉग-इन करें
- ii. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही अंतिम तारीख अर्थात् 17 जून 2022 को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।
- iii. लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।
- iv. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
- v. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
- vi. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
- vii. सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको ईवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और 'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर क्लिक करें लेकिन 'पक्ष' और/या 'विपक्ष' की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप अनुपस्थित विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।
- viii. एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।
- ix. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्रायित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल पर savitajyotiassociates05@gmail.com भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि का नामकरण प्रारूप 'यूको बैंक इवेंट सं.' होगा।
- x. निर्दिष्ट तारीख यानी 17 जून, 2022 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।

11. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING FOR PHYSICAL SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDERS OTHER THAN INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

The details of the process and manner for remote e-voting are given below.

The initial pass word is provided in the body of the e-mail.

- i. Log-in-to for Remote e-voting portal at <https://evoting.kfintech.com>
- ii. Shareholders of the Bank holding shares as on the cut off date i.e. 17th June, 2022 may cast their vote electronically.
- iii. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the notice of AGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
- iv. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- v. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi. You need to login again with the new credentials.
- vii. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- viii. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.
- ix. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at savitajyotiassociates05@gmail.com and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK_EVENT No.'
- x. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e. 17th June, 2022 can cast their vote in favour of or against the resolution.

- xi. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनः संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
- xii. कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- xiii. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने के बाद उसे पुनः संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
- xiv. पोर्टल 21 जून, 2022 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 23 जून, 2022 के शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।
- xv. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर फोन कर सकते हैं।

12. ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:

ई-एजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग 'थंब साइन' अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें 'इंस्टापोल' पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे।

सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए 'इंस्टापोल' आइकन पर क्लिक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ई-एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।

13. मतदान का परिणाम

बैंक ने मेसर्स सविता ज्योति, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप से नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम में ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देखरेख करेंगे।

संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, वार्षिक आम बैठक के दौरान पहली बार डाले गए वोटों की गिनती करेगा तथा उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हो, पर समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उसपर अपने प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर तुरंत प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को परिणामों को अग्रेषित करेगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

14. अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक

- xi. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
- xii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
- xiii. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- xiv. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 21st June, 2022 to 5 p.m. on 23rd June, 2022.
- xv. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact M/s KFin Technologies Pvt. Ltd. on 1800 345 4001 (Toll free)

12. INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR E-VOTING DURING THE E-AGM:

The e-voting "Thumb Sign" on the left hand corner of the video screen shall be activated upon instructions of the chairman during the e-AGM proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.

The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the e-AGM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the e-AGM.

13. VOTING RESULTS:

The Bank has appointed Ms. Savita Jyoti, Practising Company Secretary, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.ucobank.com immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

14. Unpaid/Unclaimed Dividend

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/

अदत्त/अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205ग(1)/125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतिम) तथा 2014-15 तक लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें। जिन शेयरधारकों का लाभांश का अभी तक दावा नहीं किया गया है उनका विवरण बैंक की वेबसाइट के निवेशक खण्ड में उपलब्ध है।

15. शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनिवार्य अमूर्तीकरण

अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 के साथ पठित गजट अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (विनियमन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण), विनियमन, 2015 के विनियमन 40 के संशोधन के अनुसरण में सभी शेयरों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से ही अनिवार्य रूप से अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित करना है।

तदनुसार, दिनांक 01.04.2019 से, कोई भी शेयर भौतिक रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तथापि, उक्त प्रतिबंध प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के अनुरोधों पर लागू नहीं होता है।

उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, यूको बैंक के भौतिक शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारकों से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को अमूर्तीकरणरूप में हस्तांतरित करें। शेयरधारक दोनों डिपॉजिटरी यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डीमैट खाता खोल सकते हैं।

16. डाक पता/बैंक अधिदेश/अन्य विवरण में परिवर्तन

i मूर्त रूप में धारित शेयर

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीआरटीएमबी/पी/सीआईआर/ 2021/655 दिनांक 03.11.2021 के अनुसार, भौतिक स्वरूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को अनिवार्य रूप से पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण बैंक/बैंक के शेयर अंतरण एजेंटों को प्रदान करना होगा।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र को देखते हुए, भौतिक प्रतिभूतियाँ रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत निम्नांकित फार्मों में आरटीए को प्रदान करें।

unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1)/125 of the Companies Act 1956/2013.

Shareholders who have not claimed their dividend for the financial year 2014-15 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s KFin Technologies Limited. The details of the shareholders whose dividend remained unclaimed are available on our Bank's website under Investors Section.

15. Mandatory Dematerialisation For Transfer of Shares

Pursuant to amendment to Regulation 40 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, vide gazette notification dated June 8, 2018 read with notification dated 01.04.2019, all the transfer of shares shall be mandatorily carried out in dematerialised form only w.e.f. April 1st, 2019

Accordingly, with effect from 01.04.2019, no shares can be transferred in physical form. However, above restriction do not apply for the requests for transmission or transposition of securities.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of UCO Bank, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

16. CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE/OTHER DETAILS

i. Holding of shares in Physical Form

As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 03.11.2021, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details to the Bank/Share Transfer Agents of the Bank.

In view of the above SEBI circular, the shareholders holding physical securities are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA.

क्र.सं. S No.	फार्म Form	उद्देश्य Purpose
1.	फार्म आईएसआर-1 Form ISR-1	पैन/केवाईसी विवरण पंजीकरण/अद्यतन के लिए To register/update PAN, KYC details
2.	फार्म आईएसआर-2 Form ISR-2	बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए To Confirm Signature of securities holder by the Banker
3.	फार्म आईएसआर-3 Form ISR-3	नामांकन का विकल्प छोड़ने का घोषणा पत्र Declaration Form for opting-out of Nomination
4.	फार्म एसएच-13 Form SH-13	नामांकन फार्म Nomination Form
5.	फार्म एसएच-14 Form SH-14	नामांकन का रद्द या बदलाव करना (यदि हो) Cancellation or Variation of Nomination (if any)

उपर्युक्त सभी फार्म बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com एवं आरटीए की वेबसाइट <https://www.kfintech.com> पर उपलब्ध हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे गए अपने फार्म नीचे दिए गए पते पर भेजें:

All the above forms are available on the website of the Bank www.ucobank.com and RTA website <https://www.kfintech.com>. Shareholders are requested to submit duly filled in forms to the address mentioned below:

<p>मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (यूनिट यूको बैंक) सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032. टोल फ्री: 1800-3094-001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com</p>	<p>M/s. KFin Technologies Limited (Unit UCO Bank) Selenium Tower B, Plot No. 31& 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 Toll Free: 1800-3094-001 e-mail: einward.ris@kfintech.com</p>
--	--

कृपया नोट करें कि जिन फोलियो से संबंधित उपर्युक्त दस्तावेज/विवरण उपलब्ध/पंजीकृत नहीं हैं वे 01 अप्रैल, 2023 या उसके बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।

Please note that Folios wherein the above documents/details are not available/registered, the same shall be frozen on or after April 01, 2023.

ii. शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारण करना

ii. Holding of shares in Electronic Form

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले लाभार्जक मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपने पते, बैंक विवरण, यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदा, ई-मेले पते आदि अद्यतन करवा लें।

Beneficial owners holding shares in electronic form, are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc. with their Depository Participant.

18. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

18. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड,
यूनिट: यूको बैंक,
कार्वा सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032
फैक्स: (040) 23420814

M/s KFin Technologies Limited,
Unit : UCO BANK,
Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Toll Free No.1800-3094-001

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.kfintech.com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s KFinTechnologies Private Limited i.e., www.kfintech.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

19. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

19. SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

श्री एन. पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल), कोलकाता - 700 001 दूरभाष: 033-44557227

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227

निदेशक मंडल के आदेश से

By order of the Board of Directors

ह/-

sd/-

(सोमा शंकर प्रसाद)

(Soma Sankara Prasad)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 30.05.2022

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Place: Kolkata
Date: 30.05.2022

Managing Director &
Chief Executive Officer

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message



प्रिय शेयरधारकों,

मुझे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक की वार्षिक प्रतिवेदन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए और इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन और शुरु की गई पहलों की मुख्य विशेषताओं को साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हालांकि इस वर्ष के दौरान कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरियंट और भू-राजनैतिक तनाव के कारण अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल आर्थिक स्थिति देखी गई, बैंक ने अपना आघात-सहनीयता दिखाया और सभी तिमाहियों में लगातार लाभ अर्जित करना जारी रखा। मैं, इस कठिन समय के दौरान लोगों को सेवाएं देने में बैंक कर्मचारियों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करता हूँ।

आर्थिक अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से सामान्य स्थिति की ओर लौटने के कगार पर थी, हालांकि रूस-यूकेन के संघर्ष और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने न सिर्फ अनिश्चितताओं को वापस ला दिया बल्कि संभावना को भी धूमिल कर दिया। आवश्यक वस्तुओं और प्रमुख औद्योगिक निवेश-वस्तुओं में नवीनतम मूल्य वृद्धि, निरंतर आपूर्ति शृंखलाबद्ध बाधाओं के साथ मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख अनुकूल परिस्थिति जोखिम और वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती है। उन्नत देशों में वैश्विक वित्तीय बाजार अत्यधिक अस्थिर हैं। कई केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के स्ख को सामान्य बनाने और सख्त करने की राह पर हैं। अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण पूंजी बहिर्गमन देखा जा रहा है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास 2021 में अनुमानित 6.1 प्रतिशत से 2022 और 2023 में 3.6 प्रतिशत हो जाएगा।

वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में उभर रही विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने विवेकपूर्ण और अनुकूल नीतियों द्वारा समर्थित अपने मजबूत अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों के साथ आघात-सहनीयता को दर्शाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों

Dear Shareholders,

I have immense pleasure to place before you the Annual Report of your Bank for the Financial Year (FY) 2021-22 with the highlights of performance and initiatives taken up by the Bank during this FY. Though the economy witnessed unfavorable economic conditions during the year with onset of the Omicron variant of COVID-19 and geo-political tensions, Bank showed its resilience and continued to post profits consistently in all the quarters. I appreciate the role played by bank employees in giving services to people during these difficult times.

Economic overview

During FY 2021-22, the global economy seemed to be on the cusp of returning to normalcy from the Covid-19 pandemic, however Russia-Ukraine conflict and subsequent sanctions imposed by United States of America and other countries not only brought back uncertainties globally but also clouded the outlook. Latest price spikes in essential commodities and key industrial inputs, coupled with continued supply chain bottlenecks, pose major upside risks to inflation and downside risks to global growth. Global financial markets in advanced countries are highly volatile. Several central banks continue to be on the path of normalisation and tightening of monetary policy stances. Most emerging market economies are witnessing significant capital outflows. The IMF has projected global growth to slow from an estimated 6.1 percent in 2021 to 3.6 percent in 2022 and 2023.

Despite headwinds emerging in the global economic arena, Indian economy has shown resilience with its strong underlying fundamentals backed by prudent and favorable policies. As per provisional estimates released by National Statistical Office,

के अनुसार, 2021-22 के दौरान भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में 6.6 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 8.7 प्रतिशत अनुमानित है।

चुनौतीपूर्ण समय में, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संविदागत और गैर-संविदागत उपकरणों का उपयोग किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मौद्रिक नीति में भारतीय रिज़र्व बैंक के उदार रुख ने विकास को समर्थन देने और भू-राजनैतिक संकट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बढ़ावा दिया। वसूली एवं विकास में गति लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नीतिगत दरों को कम रखा गया था।

बैंक का कार्य-निष्पादन

बैंक का वैश्विक कारोबार 31.03.2021 को 3,24,324.20 करोड़ रुपये में 9.10% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2022 को 3,53,850.24 करोड़ रुपये रहा।

बैंक की कुल जमा राशि दिनांक 31.03.2021 को 2,05,919.39 करोड़ रुपये में 8.82% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2022 को बढ़कर 2,24,072.90 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक का कासा (घरेलू) दिनांक 31.03.2022 को बैंक की घरेलू जमा राशियों का 40.26% है। बैंक की बचत जमा (घरेलू) दिनांक 31.03.2021 के 70713.06 करोड़ रुपये में 8.94% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2022 को बढ़कर 77,036.91 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक का कुल अग्रिम दिनांक 31.03.2021 के 1,18,404.81 करोड़ रुपये में 9.60% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2022 को 1,29,777.34 करोड़ रुपये हो गया है।

बैंक ने दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 929.76 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया है, जो कि दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के 167.03 करोड़ रुपये में 456.63% की वृद्धि है।

बैंक का परिचालन लाभ दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 4149.07 करोड़ रुपये में 15.63% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए 4797.43 करोड़ रुपये रहा है।

बैंक की निवल ब्याज आय दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 5479.70 करोड़ रुपये में 18.13% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़कर 6472.95 करोड़ रुपये हो गया है।

बैंक का सकल एनपीए दिनांक 31.03.2022 को घटकर 10,237.43 करोड़ (7.89%) हो गया, जो दिनांक 31.03.2021 को 11,351.97 करोड़ (9.59%) था। बैंक का निवल एनपीए दिनांक 31.03.2022 को घटकर 3,315.78 करोड़ (2.70%) हो गया, जो दिनांक 31.03.2022 को 4,389.50 करोड़ (3.94%) था। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात दिनांक 31.03.2021 के 88.40% से बढ़कर दिनांक 31.03.2022 को 91.44% हो गया है। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिनांक 31.03.2022 को 13.74% और सीईटी-1 (CET-1) अनुपात 10.97% है, जबकि दिनांक 31.03.2021 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.74% और सीईटी-1 (CET-1) अनुपात 11.14% था।

बैंक ने परिचालन लाभ में वृद्धि के मानदंडों को पूरा किया है जो आपके बैंक के कर्मचारियों को 15 दिनों का कार्यनिष्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) दिये जाने हेतु सक्षम बनाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू की गई पहल

प्रौद्योगिकीय उन्नति

बैंक, ग्राहकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और प्रणालियों को लगातार उन्नत कर रहा है। बैंक ने नई सुविधाओं के साथ बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए बैंक के कोर बैंकिंग समाधान

India's real GDP during 2021-22 is estimated at 8.7 percent as compared to the contraction of 6.6 percent in 2020-21.

In challenging times, the Government and RBI have utilized conventional and non-conventional tools to support the economy. RBI's accommodative stance in the monetary policy during the FY 2021-22 fostered congenial financial conditions to support growth and helped in mitigating the adverse effects of the geo-political crisis. During the FY 2021-22, policy rates were kept low to facilitate recovery and growth.

Bank's performance:

Global Business of the Bank has stood at Rs. 3,53,850.24 Crore as on 31.03.2022 as against Rs. 3,24,324.20 Crore as on 31.03.2021 registering a growth of 9.10%.

Total Deposits of the Bank increased to Rs. 2,24,072.90 Crore as on 31.03.2022 from Rs. 2,05,919.39 Crore as on 31.03.2021 registering a growth of 8.82%. CASA of the Bank (Domestic) stood at 40.26% to domestic deposits of the Bank as on 31.03.2022. Savings Deposits (Domestic) of the Bank has increased to Rs 77,036.91 Crore as on 31.03.2022 from Rs. 70713.06 Crore as on 31.03.2021 registering a growth of 8.94%. Total Advances of the Bank stood at Rs 1,29,777.34 Crore as on 31.03.2022 as against Rs 1,18,404.81 Crore as on 31.03.2021 registering a growth of 9.60%.

Bank has made Net Profit of Rs. 929.76 Crore during the year ended 31.03.2022 as against Rs 167.03 Crore for the year ended 31.03.2021 registering a growth of 456.63%.

Operating Profit of the Bank for the Year ended 31.03.2022 stood at Rs 4797.43 Crore as against Rs 4149.07 Crore for the year ended 31.03.2021 registering a growth of 15.63%.

Net Interest Income of the Bank for the year ended 31.03.2022 has increased to Rs.6472.95 Crore from Rs 5479.70 Crore for the year ended 31.03.2021 registering a growth of 18.13%.

Gross NPA of the Bank has reduced to Rs. 10,237.43 Crore (7.89 %) as on 31.03.2022 from Rs. 11,351.97 Crore (9.59%) as on 31.03.2021. Net NPA of the Bank has reduced to Rs. 3,315.78 Crore (2.70%) as on 31.03.2022 from Rs. 4,389.50 Crore (3.94%) as on 31.03.2021. Provision Coverage Ratio of the Bank has increased to 91.44% as on 31.03.2022 from 88.40% as on 31.03.2021. Capital Adequacy Ratio of the Bank stood at 13.74 % and CET-1 Ratio at 10.97% as on 31.03.2022 vis-à-vis Capital Adequacy Ratio at 13.74 % and CET-1 Ratio at 11.14% as on 31.03.2021.

Bank has met the criteria of growth in operating profit which enables your Bank to make 15 days Performance Linked Incentive (PLI) to employees.

Initiatives taken up in FY 2021-22

Technological advancement

In meeting growing aspirations of customers, Bank is constantly upgrading its products, systems. Bank has successfully migrated Bank's Core Banking solution Finacle 7.x to Finacle

फिनेकल 7.x को फिनेकल 10.x में सफलतापूर्वक विस्थापित किया है। बैंक ने उन्नत सुविधाओं के साथ नया ई-बैंकिंग एप्लिकेशन एफईबीए (फिनाकल ई-बैंकिंग एप्लिकेशन) प्रारंभ किया है।

अनुकूल गठजोड़/ तालमेल

बैंक के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए गृह ऋण के सह-उधार के लिए बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया है। बैंक ने म्यूचुअल फंड के वितरण, टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग, एनपीएस खाता खोलने, सीडीएसएल के साथ ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए फिसडम के साथ गठजोड़ किया है।

ऋण प्रक्रिया स्वचालन

बैंक ने ऋण आवेदनों के संपूर्ण डिजिटल प्रसंस्करण के लिए ऋण हामीदारी अंकन में सुधार के लिए एलपीएस लागू किया है। एलपीएस को एनएसडीएल विद्या लक्ष्मी पोर्टल और उदयमित्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि क्रमशः शिक्षा ऋण और पीएम स्वनिधि प्रस्ताव प्राप्त किए जा सकें। एलपीएस को 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी सब्सिडी योजनाओं के साथ उपलब्ध कराया गया है। ऋण प्रसंस्करण प्रणाली 33 फिनटेक सेवाओं से सुसज्जित है जिसमें केवाईसी सत्यापन, व्यवसाय जांच, आईटीआर/जीएसटी/खाता विवरण विश्लेषण सेवाएं आदि शामिल हैं। एलपीएस ग्राहकों को उनके ऋण प्रस्ताव की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए स्वचालित ई-मेल और एसएमएस भेजने की सुविधा के साथ भी सक्षम है।

ग्राहक सुविधा

बैंक, ग्राहकों की अधिमान्यता को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों की विशेषताओं में लगातार सुधार करते आ रहा है। बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए नए अभिनव उत्पादों के कार्यान्वयन के लिए फिनटेक कंपनियों को सूचीबद्ध किया है। ग्राहक सुविधा को बढ़ाने के लिए बैंक के पास यूको एम-बैंकिंग प्लस के साथ एकीकृत ऋण प्रसंस्करण प्रणाली (एलपीएस) है।

खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा देना

बैंक ने सीधी प्रक्रिया के अधीन (एसटीपी) मुद्रा शिशु ऋण (50,000 रुपये तक) की शुरुआत की है। एसटीपी के तहत, आवेदन की स्रोत (सोर्सिंग) से लेकर संस्वीकृति और संवितरण तक की प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के डिजिटल रूप से की जाएगी।

स्वर्ण ऋण के प्रसंस्करण में टर्न अराउंड टाइम को कम करने और इस तरह स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में सुधार करने के उद्देश्य से, बैंक ने देश भर में 8 अंचलों में फैली 13 चिन्हित शाखाओं में गोल्ड लोन बुटीक की अवधारणा पेश की है। शीघ्र संस्वीकृति और सुलभ प्रसंस्करण स्वर्ण ऋण बुटीक की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। बैंक ने खुदरा और एमएसएमई ऋणों के ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान विभिन्न खुदरा और एमएसएमई ऋण अभियानों को शुरू किया था।

सरकार की पहल का समर्थन

कोविड-19 संकट के दौरान, भारत सरकार ने बैंकों और एनबीएफसीज को समर्थित करते हुए 100% गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) योजनाएं शुरू कीं ताकि वे व्यावसायिक उद्यमों और एमएसएमई को अतिरिक्त सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में आपातकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान कर सकें। आपके बैंक द्वारा सभी जीईसीएल योजनाओं के तहत 2,688 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया गया।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि (दूसरा भाग), कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस), कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्रों (एलएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ को भी बढ़ाया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कम लागत पर शिक्षा ऋण प्राप्त करके छात्रों को कक्षा 10 से आगे की पढ़ाई करने में सक्षम बनाने के लिए छात्र

10.x for enhanced customer experience with added new features. Bank has launched new e-banking application FEBA (Finacle E-banking Application) with enhanced features.

Strategic tie ups

Bank has entered into arrangement with M/s. Aadhaar Housing Finance Limited for Co-lending of Home Loans, to augment the retail loan portfolio of the Bank. Bank has collaborated with FISDOM for distribution of Mutual Funds, e-filing of tax returns, NPS Account opening, insta demat and trading account opening with CDSL.

Loan Process Automation

Bank has implemented Loan Processing Systems (LPS) to improve credit underwriting for end-to-end digital processing of loan applications. LPS is integrated with NSDL Vidya Lakshmi Portal and Udyamitra portal to receive education loan and PM SVANIDHI proposals respectively. LPS is made available through 13 credit linked Govt. Subsidy Schemes. Loan Processing System is equipped with 33 fintech services including KYC Verification, Business Check, ITR/GST/Account statement analysis services etc. LPS is also enabled with the facility of sending automated email and SMS to the customers informing about the status of their loan proposal.

Customer Convenience

The Bank has been constantly improving the features of its products based on customer preferences. Bank has empanelled FinTech companies for implementation of new innovative products for enhancing the customer experience. Bank has Integrated Loan Processing System (LPS) with UCO M-Banking Plus to enhance customer convenience.

Boosting Retail Segment

Bank introduced Straight Through Processing (STP) Mudra Shishu Loans (upto Rs.50,000). Under STP, end-to-end process, from sourcing of application to sanction and disbursement will be done digitally without manual intervention.

With an aim to reduce Turn Around Time in Processing Gold Loans and thereby to improve Gold Loan Portfolio, Bank has introduced the concept of Gold Loan Boutique at 13 identified Branches spread across 8 Zones across the country. Quick sanction and easy processing are some of the salient features of Gold Loan Boutique. Bank has launched various Retail & MSME Loan Campaigns during FY 2021-2022 to increase credit flow to retail & MSME loans.

Supporting Government Initiatives

During COVID 19 crisis Government of India launched Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) Schemes, to provide 100% guarantee coverage. It has enabled Banks & NBFCs to extend emergency credit facilities to Business enterprises and MSMEs in the form of additional term loan/working capital facilities. Total business of Rs. 2,688 Crores has been mobilized under all GECL Schemes by your bank.

Bank has also extended benefits of various Government Schemes like PM SVANidhi (Second Tranche), Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors (LGSCAS), Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Tourism Service Sectors (LSCATSS) introduced in FY 2021-22.

Government of West Bengal has introduced Student Credit Card Scheme to enable students to pursue studies from Class

केडिट कार्ड योजना शुरू की है। बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरूप योजना को अपनाया है और इस योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक संचयी स्वीकृतियां 1731 खातों में 53.72 करोड़ रुपये की हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

यूको बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार-प्रथम पुरस्कार" जीता है जो भारत सरकार द्वारा बैंक में राजभाषा नीति के सर्वोत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।

आगे का मार्ग

वित्तीय वर्ष 2021-22 सबसे ज्यादा अनियंत्रित वर्ष होने के कारण, कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरियंट की शुरुआत और भू-राजनैतिक तनाव के बावजूद भी बैंक ने सभी तिमाहियों में लगातार मुनाफा अर्जित करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से बाहर आया और गुणवत्तापरक ऋण के माध्यम से व्यवसाय के पैमाने में सुधार के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनाईं।

आने वाले वर्षों में संवृद्धि की गति को बनाए रखना बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तकनीकी प्रगति और डिजिटलीकरण को अपनाने के साथ, बैंक ने उत्पादों को अधिक ग्राहक-केंद्रित बनाया और कासा एवं खुदरा क्षेत्र-जमा में सुधार के लिए उत्पादों को अपने समकक्षों के सममूल्य पर रखा।

बैंक डिजिटल अवसरों और उत्पादों की प्रति-विक्रय (क्रॉस सेलिंग) का लाभ उठाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ गठजोड़ करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत हमारे बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर संभाव्य केंद्रों में 200 नई शाखाएँ खोलने की योजना तैयार की है।

अनर्जक आस्तियों को धारणीय स्तर तक नियंत्रित किए जाने की गंभीरता को समझते हुए ऋण जोखिम प्रबंधन उपकरण और रणनीतियों को सुदृढ़ किया जा रहा है। ऋण जोखिम (हामीदारी) अंकन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं संग्रह तथा वसूली को सुगठित किया जा रहा है।

संक्षेप में, हमारे बैंक का भविष्य में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं, संग्रहण दक्षता, जोखिम समायोजित ऋण विस्तार और वसूली पर ध्यान रहेगा।

आभार

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और प्रबंधन के निविष्टियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने निष्ठावान ग्राहकों, हमारे समर्पित कार्यबल, हमारे मूल्यवान हितधारकों के अटूट विश्वास और बैंक के सभी प्रयासों में सहयोग के लिए उनके निरंतर समर्थन को भी स्वीकार करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

(सोमा शंकर प्रसाद)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

10 onwards by availing Education Loans at lower cost. Bank has adopted the scheme in line with Government of West Bengal and cumulative sanctions under this scheme as on 31st March, 2022 were amounting to Rs. 53.72 crore in 1731 accounts.

Official Language Implementation

UCO Bank has won the "Rajbhasha Kirti Puraskar"- First Prize for the year 2020-21, which is the highest award given by Govt. of India in the field of Official Language for excellent implementation of Official Language Policy in the Bank.

Way forward

Despite FY 2021-22 being the most turbulent year with onset of the Omicron variant of COVID-19 and geopolitical tensions, Bank continued to post profits consistently in all the quarters. During the year, Bank came out of Prompt Corrective Action framework and made suitable plans for improving scale of business through quality lending.

Maintaining momentum of growth in the coming years is the top most priority of the Bank. With the technological advancement and adoption of digitalization, Bank made the products more customer-centric and priced the products at par with the peers to improve CASA and retail segment deposits.

Bank will explore possibilities to tie up with Fintech companies to tap digital opportunities and cross selling of its products. Going forward for FY 2022-23, our bank has planned to open 200 new branches in the potential centers on a Pan-India basis.

Recognizing the critical importance of controlling NPAs to a sustainable level, the credit risk management tools and strategies are being strengthened. The credit underwriting and administration processes and collection and recovery are being tightened.

In a nutshell, future focus of our Bank will remain on digital services, collection efficiency, risk adjusted credit expansion and recovery.

Acknowledgments

I thank all members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the Management. I would also like to acknowledge the unwavering support of our loyal customers, our dedicated workforce, our valuable stakeholders for their continued confidence and support to the bank in all its endeavors.

With best wishes,

(Soma Sankara Prasad)

Managing Director & CEO

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2021-22

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2021-22

निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट 2021-22 के साथ 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा को सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान बेहतरीन कार्यनिष्पादन किया है। बैंक ने 456.63% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के रु.167.03 करोड़ के बदले में 31.03.2022 समाप्त वर्ष के लिए रु.929.76 करोड़ का निवल लाभ कमाया है। 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन लाभ 15.63% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 4,149/- करोड़ से बढ़कर रु. 4,797/- करोड़ हो गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुपालन में बैंक ने चालू वर्ष के लाभ का 25%, रु.232.44 करोड़ सांविधिक रिजर्व निधि में अंतरण किया है।

सकल एनपीए 31.03.2021 तक के रु. 11,351.97 करोड़ (9.59%) से घटकर 31.03.2022 को रु.10,237.43/- करोड़ (7.89%) हो गया है। कुल आय विगत वर्ष 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के मुकाबले 1.19% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.18,082.15 करोड़ हो गया है। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2021 तक के 88.40% से बढ़कर 31.03.2022 तक 91.44% हो गया है। 31.03.2022 को वित्तीय कार्यनिष्पादन संकेतकों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

The Board of Directors have pleasure in presenting the Directors Report-2021-22 together with the Balance Sheet as on 31st March, 2022 and Profit & Loss Account for the financial year ended 31st March, 2022.

FINANCIAL PERFORMANCE

Your Bank has shown excellent performance during the year. Bank has made net profit of Rs.929.76 crore during the year ended 31.03.2022 as against Net Profit of Rs.167.03 crore for the year ended 31.03.2021 registering growth of 456.63%. Operating Profit for the year ended 31.03.2022 has increased to Rs. 4,797 Crore from Rs. 4,149 Crore registering a growth of 15.63%. Bank has transferred Rs. 232.44 crore, 25% of current year profit to statutory reserve fund in compliance with Banking Regulation Act 1949.

Gross NPA has reduced to Rs. 10,237.43 Crore (7.89 %) as on 31.03.2022 from Rs. 11,351.97crore (9.59%) as on 31.03.2021. Total income stood at Rs. 18,082.15 Crore for the year ended 31.03.2022 registered a growth of 1.19% over the previous year ended 31.03.2021. Provision Coverage Ratio of the Bank has increased to 91.44 % as on 31.03.2022 from 88.40 % as on 31.03.2021.

Following are the highlights of financial performance indicators as on 31.03.2022.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022
जमा/ Deposits	2,05,919.39	2,24,072.90
उसमें से अंतरराष्ट्रीय जमा Of which International Deposits	4,391.39	6,353.21
घरेलू जमा/ Domestic Deposits	2,01,528.00	2,17,719.69
उसमें से चालू खाता जमा / Of which - Current Account Deposits	9,208.56	10,624.33
बचत खाता जमा/ Savings Bank Deposits	70,713.06	77,036.91
कासा जमा (घरेलू)/CASA Deposits (Domestic)	79,921.63	87,661.24
घरेलू कासा से घरेलू जमा (%) Domestic CASA to Domestic Deposits(%)	39.66	40.26
अग्रिम/Advances	1,18,404.81	1,29,777.34
उसमें से घरेलू अग्रिम Of which - Domestic Advances	1,06,920.19	115598.38

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022
अंतरराष्ट्रीय अग्रिम/International Advances	11484.62	14178.96
निवल ब्याज आय (एनआईआई)/ Net Interest Income (NII)	5480	6473
अन्य आय / Other Income	3424	3101
उसमें से व्यवसायिक लाभ/Of which - Trading gains	2008	875
निवल ब्याज आय अअन्य आय/NII + Other Income	8904	9574
परिचालन लाभ/Operating Profit	4149	4797
कर के अलावा प्रावधान/Provisions other than tax	4224.55	3047.07
एनपीए और ओघ्य ऋणों का बट्टे खाते में डालने का प्रावधान Provision for NPAs and Bad debts written off	2759.80	3800.06
कर पूर्व लाभ/Profit before Tax	(-)75.48	1750.37
कर हेतु प्रावधान/Provision for Tax	(-)242.52	820.60
कुल लाभ/Net Profit	167.03	929.76

प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक Key Performance Indicators	वित्तीय वर्ष 2021 FY 2021	वित्तीय वर्ष 2022 FY 2022
निधि की लागत/Cost of Funds	4.35%	3.78%
अग्रिम से आय/Yield on advances	7.01%	7.03%
निवल ब्याज मार्जिन/Net Interest Margin	2.58%	2.87%
लागत-आय अनुपात/Cost-Income Ratio	55.13	49.89
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)/Capital Adequacy Ratio (CAR)		
विवरण/Particulars	As on 31.03.2021/तक	As on 31.03.2022/तक
पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio-		
बेसल/Basel III	13.74	13.74
सीईटी/CET-I	11.14	10.97
टियर/Tier I	11.14	10.97
टियर/Tier II	2.60	2.77

प्रबंधन और विमर्श विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक विकास के, 2021 में अनुमानित 6.1% से गिरकर 2022-23 में 3.6% होने का अनुमान है। जैसे ही 2022 शुरू हुआ, ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से प्रसार अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मंदी के रूप में दिखाई दिया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2021 में 5.2% की वृद्धि हुई और 2022 में इसके 3.3% और 2023 में 2.4% क्रमः बढ़ने का अनुमान है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए जीडीपी में 2021 में 6.8% की वृद्धि हुई और 2022 और 2023 में क्रमः 3.8% और 4.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यूकेन में युद्ध के प्रभाव और कीमतों के दबाव के विस्तार के साथ, 2022 के लिए, उन्नत अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 5.7% और उभरते बाजार में 8.7% और विकासशील अर्थतंत्र में क्रमः 1.8% और 2.8% पर अनुमानित है। 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आने का अनुमान है। युद्ध के कारण वस्तुओं की वैश्विक मांग कम होने का अनुमान है। समग्र वैश्विक व्यापार वृद्धि 2021 में अनुमानित 10.1% से कम होकर 2022 में 5% और 2023 में 4.4% होने का अनुमान है। युद्ध से पहले भी, मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और कई केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को कड़ा कर दिया था। इसने उन्नत अर्थव्यवस्था में सामान्य ब्याज दरों में रेपो वृद्धि की। आगामी महीनों में, नीतिगत दरों में आम तौर पर और वृद्धि होने की उम्मीद है। फेड ने मार्च 2022 की अपनी बैठक में, फेडरल फंड्स दर के लिए लक्ष्य सीमा को 25 बीपीएस से 0.25-0.5% तक बढ़ा दिया, यह 2018 के बाद पहली बार दरों में की गई वृद्धि है। मार्च 2022 में, बीओई ने बैंक दर को 25 बीपीएस से बढ़ाकर 0.75% कर दिया। अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने 2022 की प्रथम तिमाही में नीति को कड़ा करना जारी रखा। वैश्विक वित्तीय बाजारों में काफी तेज़ी रही। अधिकांश एई और कुछ ईएमई में इक्विटी बाजार ने चौथी तिमाही में लचीलापन खो दिया। परिपक्वता अवधि के दौरान बॉन्ड आय कठिन हो गई। फेड स्टेटमेंट और सेफ हेवन मांग पर अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जबकि ईएमई मुद्राएं मार्च के मध्य तक व्यापक रूप से कमजोर हुईं। एई के बीच, अमेरिकी इक्विटी अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में बढ़ीं। मार्च के दूसरे सप्ताह से यूरोपीय सूचकांक आंशिक रूप से ठीक हुए। ईएमई शेयर बाजारों का प्रदर्शन कमजोर रहा, ट्रेजरी बाजारों में, प्रमुख एई में बॉन्ड प्रतिफल में 2021 की चौथी तिमाही में व्यापक रूप से वृद्धि हुई। दिसंबर के मध्य तक बॉन्ड प्रतिफल में महत्वपूर्ण कठिनाई रही, हालांकि, फरवरी के अंत में और मार्च के प्रारंभ में संतोषजनक वृद्धि के साथ यह स्थिति विपरीत हो गई। इसके बाद यूएस फेड के तीव्र संकेतों के प्रत्युत्तर में बॉन्ड प्रतिफल अधिक हो गया। फरवरी की शुरुआत में यूएस 10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 2.0% से अधिक हो गया। प्रमुख ईएमई में बॉन्ड प्रतिफल अत्यधिक अस्थिर रहे और एक कठोर पूर्वाग्रह के साथ कारोबार किया गया। प्रमुख ईएमई में 10 वर्षीय बांड प्रतिफल यूएस 10 वार्षिक ट्रेजरी प्रतिफल के साथ मजबूत सामंजस्य दर्शाता है। मुद्रा बाजार में, अमेरिकी डॉलर में फेड नीति धुरी पर 2021 की चौथी तिमाही में ज़ोरदार तेज़ी आई। बाजार के रुझानों में उतार-चढ़ाव के कारण अस्थिरता प्रदान करते हुए मार्च में यह ऊंचा बना रहा। ईएमई मुद्राएं विपरीत अग्रानुक्रम में चली गईं और उनमें व्यापक रूप से मूल्यहास हुआ।

भारतीय अर्थव्यवस्था

रूस और यूकेन से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा दी। भारत भी इन घटनाओं के परिणाम अनुभव कर रहा है। युद्ध का परिणाम और प्रतिरोधी प्रतिबंधों का नतीजा मुद्रास्फीति के चिह्नों और भुगतान संतुलन के विकास में पहले से ही प्रत्यक्ष है।

कोविड-19 संक्रमण में तीव्र कमी और सामान्य रूप में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ घरेलू व्यापक आर्थिक स्थितियों में सुधार होना प्रारंभ हो गया है। मार्च 2022 में कुल

MANAGEMENT AND DISCUSSION ANALYSIS :

Global Economy

Global growth is projected to decline from an estimated 6.1% in 2021 to 3.6% in 2022-23. As 2022 began, the rapid spread of the Omicron Variant appeared to be slowdown in some sector of the economy. The advanced Economies grew by 5.2% in 2021 and projected to grow at 3.3% in 2022 and 2.4% in 2023 respectively. Moving to Emerging Market and Developing Economics GDP grew by 6.8% in 2021 and expected to grow at 3.8% and 4.4% in 2022 and 2023 respectively. With the impact of war in Ukraine and broadening of price pressure, for 2022, inflation is projected at 5.7% in advanced economics and 8.7% in Emerging Market and Developing Economics at 1.8% and 2.8% respectively. Global trade growth is expected to decline notably in 2022. Global goods demand is expected to moderate because of War. Overall global trade growth is projected to slow from an estimate 10.1% in 2021 to 5% in 2022 and further to 4.4% in 2023. Even before the war, inflation had risen significantly and many central banks tightened Monetary Policy. This contributed to a repo increase in normal interest rates across advanced economy. In the months ahead, policy rates are generally expected to rise further. In its March 2022 meeting, Fed raised the target range for Federal Funds rate by 25 bps to 0.25-0.5%, the first rate hike since 2018. In March 2022, the BOE raised the bank rate by 25 bps to 0.75%. Most of EME Central Banks continued with policy tightening in Q1 of 2022. Global financial markets remained largely buoyant. Equity market in most AEs and a few EMEs, shed the resilience in Q4. Bond yields had hardened across maturities. The US dollar strengthened on hawkish Fed statements and safe haven demand, While EME currencies broadly weakened until mid-March. Among AEs, US equities rallied in October and early November. From second week of March European Indices recovered partly. EME stock markets underperformed, in treasury markets, bonds yields across major AEs broadly rose in Q4 2021. The significant hardening in bond yields since mid-December, however, reversed briefly in end February and early March on flight to safety. Bond yields shifted higher thereafter in response to hawkish signals from the US Fed. The US 10 year bond yields raced up above 2.0% in early Feb. Bond yields in major EMEs remaining highly volatile and traded with a hardening bias. 10 year bond yields in major EMEs show strong co-movement with the US 10 yearly treasury yield. In the currency market, the US dollar rallied strongly in Q4 of 2021 on Fed policy pivot. It remained elevated in March with fluctuations in market sentiments imparting volatility. EME currencies moved in reverse tandem and broadly depreciated.

Indian Economy:

The geopolitical tensions involving Russia and Ukraine triggered a massive turbulence in the global economy. India too is experiencing tremors from these developments. The fallout of the war and retaliatory sanctions is already evident in inflation prints and balance of payments developments.

The domestic macroeconomic conditions have begun to improve with the rapid retreat in COVID-19 infections and resumption of economic activity in normal modes. Indicators of aggregate

मांग में वृद्धि के संकेतक लिए गए। ई-वे बिल 48 महीने के उच्च स्तर और 37% टोल संग्रह से पूर्व-महामारी के स्तर को रिकॉर्ड करते हुए मार्च में तेज़ रहे। 2021-22 में भारत का माल निर्यात 417.8 अरब डॉलर रहा, जो 2020-21 की तुलना में 43.2% अधिक है। 2021-22 में माल आयात भी तेजी से बढ़कर 610.22 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2020-21 की तुलना में 54.7% अधिक है। व्यापार घाटा 2021-22 के दौरान एक साल पहले के 102.6 अरब डॉलर के मुकाबले अब तक के उच्चतम स्तर 192.4 अरब डॉलर दर्ज किया गया। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 8.9% बढ़ा।

अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान केंद्र के राजस्व और पूंजीगत व्यय में क्रमा: 10.2% और 19.7% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय बजट को 6.8% के स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। 2021-22 के लिए केंद्र की बाजार उधारी लगातार दूसरे वर्ष ऊंचे स्तर पर रही। पर्याप्त अधिशेष तरलता, खुले बाज़ार में संचालन जिसमें द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शामिल है, ने गैर विघटनकारी तरीके से उधार कैलेण्डर को पूरा करने की सुविधा प्रदान की। केंद्रीय बजट 2021-22 में सकल बाजार उधारी 14.95 लाख करोड़ रुपये रखी गई है। 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान पूंजी प्रवाह में कमी आई। उच्च बाह्य एफडीआई प्रवाह और एफडीआई कंपनियों द्वारा प्रत्यावर्तन के कारण शुद्ध एफडीआई प्रवाह 2021-22 की दूसरी छमाही में गिरकर 11.0 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 18.9 अरब डॉलर था। दूसरी छमाही के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारी के अंतर्गत शुद्ध अंतर्वाह 2.5 बिलियन डॉलर रहा। 31 मार्च, 2022 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2021-22 में 12 महीने के व्यापारिक आयात के बराबर 607.3 बिलियन डॉलर था। खरीफ और रबी दोनों के उत्पादन के साथ खाद्यान्न उत्पादन ने 2021-22 में एक नया रिकॉर्ड बनाया। अप्रैल-मार्च 22 के दौरान औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 11.3% रही। वित्तीय वर्ष 22 के लिए हेडलाइंस खुदरा मुद्रास्फीति 6.95% रही।

वित्तीय बाज़ार

अधिशेष तरलता की स्थिति के बीच 2021-22 की दूसरी छमाही में घरेलू वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत स्थिर हैं। मुद्रा बाजार की दरें रिवर्स रेपो दर के साथ निकट संरेखण में मजबूत हुईं। एनबीएफसी द्वारा 3 महीने के टी-बिल, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र जारी करने की दरें अधिक हो गईं। वैश्विक और घरेलू कारकों को दर्शाते हुए, 10 साल की जी-सेक उपज कठोर हो गई। यह तीसरी तिमाही में बढ़ा जो कि कच्चे तेल के ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, घरेलू स्फीति और प्रमुख अर्थव्यवस्था में सरकारी बाण्ड के बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण था। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रकोप से भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच भारतीय इक्विटी बाजारों में मामूली सुधार हुआ। मार्च 2022 की शुरुआत में घरेलू इक्विटी में तेज बिकवाली देखी गई, लेकिन मार्च की दूसरी छमाही में इसमें सुधार हुआ। कुल मिलाकर बीएसई सूचकांक दूसरी छमाही में 0.9% की गिरावट के साथ 58,569 पर बंद हुआ। स्टॉक की कीमतों में सुधार के साथ उच्च कॉर्पोरेट आय के परिणामस्वरूप मार्च 2022 के अंत में मूल्य आय अनुपात गिरकर 25.1 हो गया। भारतीय रुपये ने दो तरह से संचालन का प्रदर्शन किया और औसत आधार पर इसका मूल्यहास हुआ। भारतीय रूपए ने अक्टूबर मध्य और नवंबर मध्य 2021 के बीच एक सराहनीय पूर्वाग्रह के साथ कारोबार किया। बाद के महीनों में, एफपीआई के बहिर्वाह के बीच, इसने भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाते हुए, 7 मार्च, 2022 को 76.92 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर को छूकर मूल्यहास किया। भारतीय रूपए ने इनमें से कुछ नुकसानों को उलट दिया और 31 मार्च, 2022 को यह 75.81 रुपये पर था। 40 मुद्रा नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में भारतीय रूपए में सितंबर 21 एवं 31 मार्च 2022 के मध्य 1.1% और 2.1% की गिरावट आई।

demand pick up in March 2022. The E-way bills recording a 48 month high and exceeding pre-pandemic levels by 37% toll collection remained upbeat in March. India's merchandise exports at \$ 417.8 billion in 2021-22 an increase of 43.2% over 2020-21. Merchandise imports in 2021-22 also rose steeply to \$610.22 billion, an increase of 54.7% over 2020-21. Trade deficit recorded an all-time high of \$ 192.4 billion during 2021-22 as against \$102.6 billion a year ago. The real gross domestic product rose by 8.9% in 2021-22.

Centre revenue and capital expenditure rose Y-O-Y by 10.2% and 19.7% respectively during April- Feb 2021-22. In the Union Budget 2021-22, fiscal deficit has been decided to maintain at the 6.8% level. The Centre's market borrowing for 2021-22 remained at elevated levels for the second successive year. Ample surplus liquidity, open market operation (OMO), including the secondary market Government securities acquisition programme, facilitated the completion of the borrowing calendar in a non-disruptive manner. The Union Budget 2021-22 has placed gross market borrowing at Rs 14.95 lakhs crore. Capital flows moderated during H2 2021-22. Net FDI flows fell to \$11.0 billion in H2 2021-22 from \$ 18.9 billion a year ago on the back of higher outward FDI flows and repatriations by FDI companies. Net inflows under external commercial borrowings remained at \$ 2.5 billion during H2. As on March 31, 2022, India's foreign exchange reserve stood at \$ 607.3 billion equivalent to 12 months of merchandise import in 2021-22. Food grain production touched a new record 2021-22 with both Kharif and rabi output. Industrial Production growth stood at 11.3% during April - March 22. Headlines retail inflation for FY22 stood at 6.95%.

Financial Markets

Domestic financial markets relatively stable in H2 of 2021-22 amidst surplus liquidity condition. Money market rates firmed up in closer alignment with the reverse repo rate. The rates on 3 month T-bill, certificates of deposit and commercial Paper issuances by NBFC moved higher. The 10 year G-Sec yield hardened, reflecting global and domestic factors. It rose during Q3 driven by higher international crude oil prices, domestic inflation and increasing government bond yields in major economies. Indian equity markets corrected marginally amidst high volatility triggered by outbreak of Omicron Variant escalating geopolitical tension and elevated crude oil prices. Domestic equities witnessed sharp selloffs in early March 2022 but recovered in the second half of March. Overall, the BSE Sensex lost 0.9% in H2 to close at 58,569. The correction in the stock prices, coupled with higher corporate earning led to the price earnings ratio falling to 25.1 at the end March 2022. The Indian rupee exhibited two ways movements and depreciated on an average basis. The INR traded with an appreciating bias between mid Oct and mid Nov. 2021. In the following months, it depreciated amidst FPI outflows, escalating geopolitical tensions, touching a low of Rs 76.92 per \$ on March 7, 2022. The INR reversed some of these losses and was at Rs 75.81 on March 31, 2022. In terms of the 40 currency nominal effective exchange rate (NEER) and real effective exchange rate (REER) the INR depreciated by 1.1% and 2.1% between September 21 and March 31, 2022.

बैंकिंग क्षेत्र का विकास

महामारी के बाद धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौटने के साथ, 2021-22 के दौरान क्रेडिट उछाल में वृद्धि हुई। 25 मार्च, 2022 तक एससीबी द्वारा गैर-खाद्य ऋण में 9.7% की वृद्धि और कुल जमा में 8.9% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई। केंद्रीय बजट 2021-22 ने ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है, जिसमें गारंटी आच्छादन 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ा दिया गया है अब कुल आच्छादन 5 करोड़ रूपए हो गया है। 2021-22 के दौरान एससीबी की संपत्ति की गुणवत्ता में और सुधार हुआ, कुल एनपीए अनुपात 21 दिसंबर में घटकर 6.5% हो गया, जो एक साल पहले 6.8% था। 2021-22 में अधिकांश क्षेत्रों में उधार दरों में कमी देखी गई, जो 2020-21 में दर्ज कमी के क्रम में है। आर्थिक सुधार के समर्थन में मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों को कम करने के लिए कोविड -19 के प्रकोप के बाद कई केंद्रीय बैंकों द्वारा संपत्ति खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया है। आरबीआई ने 2021-22 की पहली छमाही में जी-सैप के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तरोत्तर 14 दिनों की परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो कार्रवाई के आकार को एक मुख्य तरलता प्रबंधन संचालन को फिर से स्थापित करने के लिए बढ़ाया। तरलता अधिशेष को बदलने की दिशा में एक कदम के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च-अप्रैल 2020 के दौरान लक्षित दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन टीएलटीआरओ का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने तनावग्रस्त क्षेत्रों की जरूरतों के लिए तरलता सुविधाओं का विस्तार किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी घोषणा की कि अलग-अलग अवधि के वीआरआर संचालन जब भी आवश्यक होंगे, आयोजित किए जाएंगे। मुद्रा आपूर्ति 3 8.7% की दर से बढ़ी।

I. बैंक का 2021-22 के दौरान कार्यनिष्पादन:

1. यूको का कारोबार वितरण चैनल:

1.1 पारंपरिक नेटवर्क:


भारत में बैंक का भौगोलिक रूप से व्यापक शाखा नेटवर्क है और विदेशों में भी इसकी उपस्थिति है। 31.03.2022 तक, बैंक के 42 अंचल और 3072 घरेलू शाखाएं और 2 विदेशी शाखाएं (सिंगापुर और हांगकांग में एक-एक) हैं। बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय तेहरान, ईरान में स्थापित किया गया है जो दिनांक 25.03.2017 से कार्य कर रहा है।

5 वर्षों में वैश्विक शाखा नेटवर्क इस प्रकार है:- (वैश्विक)

मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22
3108	3088	3088	3089	3074

1.2 शाखाएं और कार्यालय नेटवर्क:

31.03.2021 और 31.03.2022 तक घरेलू शाखाओं का जनसंख्या श्रेणी-वार विवरण नीचे दिया गया है:



Banking Sector Development:

Credit offtake picked up during 2021-22, with gradual return of normalcy after the pandemic. Non-food credit extended by SCBs by 9.7% and aggregate deposits grew by 8.9% on Y-O-Y as on March 25, 2022. The Union Budget 2022-23 has extended the ECLGS to March 2023, with the guarantee cover increasing by Rs 50,000 cr to a total cover of Rs 5 lakh crore. The asset quality of SCBs improved further during 2021-22, with the overall NPA ratio decline to 6.5% in December 21 from 6.8% a year ago. The reduction in lending rates was seen across most sectors in 2021-22, adding to the softening recorded in 2020-21. Asset purchase programme have been undertaken by several central bank following the Covid-19 outbreak to ease monetary and financial conditions in support of economic recovery. RBI purchase G-Sec of Rs 2.2 lakh crore under G-SAP in H1 2021-22. The RBI progressively enhanced the size of the 14 day VRRR action to re-establish them a main liquidity management operation. As a step towards replacing the liquidity surplus, RBI conducted targeted long term repo operation TLTRO during March - April 2020. RBI extended liquidity facilities to the needs of the stressed sectors. RBI also announced VRR operations of varying tenors would be conducted as and when warranted. Money supply M3 grew at 8.7%.

I. PERFORMANCE OF THE BANK DURING 2021-22:

1. UCO's Delivery Channels:

1.1 BRICK AND MORTAR NETWORK:


Bank has a geographically well-spread branch network in India and also has presence abroad. As of 31.03.2022, Bank has 42 Zones and 3072 domestic branches and 2 overseas branches (one each in Singapore and Hong-Kong). Bank's representative office has been established in Tehran, Iran which is functional w.e.f. 25.03.2017.

The Global branch network over 5 years is as under:- (Global)

March' 18	March' 19	March'20	March'21	March'22
3108	3088	3088	3089	3074

1.2 BRANCHES & OFFICES NETWORK:

The population category-wise break-up of domestic branches as of 31.03.2021 & 31.03.2022 is given below:



देशी शाखाओं में 6 फ्लैगशिप कॉर्पोरेट शाखाएं, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएं, 4 सेवा शाखाएं तथा 1 केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र तथा 1 एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा शामिल है। इसके अलावा देश भर में 23 एमसीयू शाखाएं, 31 रिटेल लोन हब, 10 एसएमई हब और 72 करेंसी चेस्ट भी विभिन्न केंद्रों की प्रमुख शहर शाखाओं से जुड़े हुए हैं।

The domestic branches include 6 Flagship corporate branches, 7 Asset Management branches, 4 service branches, 1 central processing centre and 1 integrated treasury branch. Further 23 MCU branches, 31 Retail loan Hubs, 10 SME Hub and 72 currency chests are also functioning across the country attached to the major city branches of various centres.

2. कारोबार प्रोफाइल:

2. BUSINESS PROFILE:


2.1. वैश्विक

2.1. GLOBAL:

- बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च 2021 की 3,24,324 करोड़ की तुलना में 9.10% की वृद्धि के साथ 31.03.2022 तक 3,53,850 करोड़ रुपये रहा।
- वैश्विक जमा में 31.03.2022 तक 8.82% की वृद्धि हुई है और यह रु. 2,24,073 करोड़ हो गया है। वैश्विक अग्रिमों में 9.60% की वृद्धि हुई और दिनांक 31.03.2021 के रु.1,18,405 करोड़ की तुलना में 1,29,77 करोड़ हो गया।

- Global business of the Bank stood at Rs. 3,53,850 crore as of 31.03.2022 compared to Rs. 3,24,324 crore showing an increase of 9.10% over March 2021.
- Global Deposits has increased by 8.82% as of 31.03.2022 and stood at Rs. 2,24,073 crore. Global advances increase by 9.60% and stood at Rs. 1,29,778 crore compared to 1,18,405 crore as of 31.03.2021.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)



2.2. घरेलू:


2.2. DOMESTIC:

- बैंक के समग्र देशी कारोबार में 8.06% की वृद्धि हुई है जो 31.03.2021 तक के रु.3,08,448/-करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 तक रु.3,33,318/- करोड़ पहुँच गया है।
- कुल जमा 8.03% की वृद्धि के साथ रु. 2,17,720/- करोड़ हो गई है।
- अग्रिम में 8.12% की वृद्धि हुई और यह 31.03.2021 तक के रु. 1,06,920/- करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 तक रु. 1,15,598/- करोड़ हो गई है।
- कासा जमा में वर्ष-दर-वर्ष 9.68% की वृद्धि के साथ रु. 87,661 करोड़ है, बचत जमा में 8.94% की वृद्धि हुई है और यह रु. 77,037/- करोड़ हो गया है। चालू जमा वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 15.37% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2021 तक के रु.9,209/-करोड़ की तुलना में रु.10,624/-करोड़ है।

- Overall domestic business of the Bank has increased by 8.06% reached at Rs. 3,33,318 crore as of 31.03.2022 from Rs.3,08,448 crore as of 31.03.2021.
- Total deposits increased by 8.03% and stood at Rs. 2,17,720 crore.
- Advances shown increase growth by 8.12 % to Rs. 1,15,598 crore as of 31.03.2022 from Rs. 1,06,920 crore as of 31.03.2021.
- CASA deposits increased by 9.68% on Y-o-Y and stood at Rs. 87,661 crore, SB deposits grew by 8.94% and stood at Rs. 77,037 crore. Current deposits stood at Rs. 10,624 crore compared to Rs. 9,209 crore as of 31.03.2021, showing a growth of 15.37% on Y-o-Y basis.

➤ घरेलू जमा में कम लागत वाले जमा(कासा) 31.03.2021 तक के 39.66% से बढ़कर 31.03.2022 तक 40.26% हो गया है।

➤ Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits increased from 39.66% as of 31.03.2021 to 40.26% as of 31.03.2022.



3. कोष एवं अंतरराष्ट्रीय

सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के घरेलू निवेश में 3.55% की वृद्धि हुई जो दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार रु.93501.10 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2022 को रु.96817.76 करोड़ हो गया।

बैंक का एसएलआर निवेश मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण 7.53% की वृद्धि हुई जो 31.03.2021 तक के रु. 64326.59 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 तक रु. 69170.90 करोड़ हो गया। गैर-एसएलआर निवेश (घरेलू) 31.03.2021 को 25052.95 करोड़ रुपये से 5.20% घटकर 31.03.2022 को 23477.86 करोड़ रुपये हो गया, जो मुख्य रूप से पीसीजीएस निवेश और गैर एसएलआर सरकारी बॉन्ड के मोचन के कारण हुआ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने निवेशों की बिक्री से लाभ सहित कोषागार परिचालन से रु. 7165.99 करोड़ रुपये के आय अर्जित की है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने घरेलू निवेशों से ब्याज आय दर्ज की है जो 31.03.2022 तक रु.6061.98 करोड़ रुपये है।

इक्विटी में कोषागार लाभ 29.45% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2021 के रु.20.07 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 तक रु.25.98 करोड़ हो गया है। बैंक ने विदेशी मुद्रा में लाभ में 34.73% की वृद्धि दर्ज की है जो 31.03.2021 तक के रु.234.72 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 तक रु.316.24 करोड़ हो गया।

3.1 विदेशी कारोबार

31 मार्च, 2022 तक, बैंक की विदेशी शाखाओं यथा सिंगापुर और हॉंगकॉंग से कुल कारबार रु.20,532 करोड़ का था जो वैश्विक कारबार का 5.80% दर्ज किया गया। विदेशी व्यापार के तहत कुल जमा राशि रु.6353 करोड़ और कुल अग्रिम रु.14179 करोड़ दर्ज किया गया।

3. TREASURY & INTERNATIONAL

Domestic Investment of the Bank during the year 2021-22 increased by 3.55% from Rs 93501.10 crores as on 31.03.2021 to Rs 96817.76 crores as on 31.03.2022 largely due to purchase of Government securities.

The SLR investment of the Bank increased by 7.53% from Rs 64326.59 crore as on 31.03.2021 to Rs 69170.90 crores as on 31.03.2022 mainly due to purchase of Govt. Securities. The Non-SLR Investment (Domestic) decreased by 5.20% from Rs 25052.95 crores as on 31.03.2021 to Rs 23477.86 crores as on 31.03.2022 mainly due to redemptions of PCGS investment and Non SLR govt bonds.

During the year 2021-22, the bank has earned income from Treasury operations including profit from sale of investments amounting to Rs 7165.99 crores.

During the year 2021-22, the bank has registered interest income from domestic investments which stands at Rs 6061.98 crore as on 31.03.2022.

Treasury Profit in equity rose by 29.45% from Rs. 20.07 crores as on 31.03.2021 to Rs. 25.98 crores as on 31.03.2022. Bank reported a growth of 34.73% in Profit in forex from Rs. 234.72 crores as on 31.03.2021 to Rs. 316.24 crores as on 31.03.2022.

3.1 International Business

As on March 31,2022, the Bank's total business from Overseas Branches at Singapore and Hongkong was Rs 20,532 Crores and constituted 5.80% of the global business. The Overseas Business constituted of total deposits of Rs 6353 Crores and total advances of Rs 14179 Crores.

भारत वर्ष में स्थित 69 बी-श्रेणी की शाखाओं के साथ हमारा बैंक सक्रिय रूप से निर्यातकों/आयातकों की समुदाय तथा अनिवासी भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल व्यापारी कारबार रु38,254 करोड़ रहा।

हमारा बैंक फरवरी, 2012 से भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार 'समया भुगतान प्रणाली के अंतर्गत ईरान के साथ द्विपक्षीय बैंकिंग व्यापार लेन-देन सुलभ करा रहा है जिससे भारतीय निर्यातकों को ईरान को अनुमत वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में सुविधा होती है।

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

बैंक कुछ वर्षों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन करता रहा है और अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सेवाएँ प्रदान करता रहा है।

31.03.2022 तक बैंक का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम इस प्रकार हैं:

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम	रु. 59,806.29 करोड़
निवेश	रु. 3,330.00 करोड़*
कुल	रु. 63,136.29 करोड़

* आरआईडीएफ, पीएलएससी और अन्य निधियों में निवल निवेश। बैंक का कुल प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम रु63,136.29 करोड़ है जिसे निवल बैंक वृद्धि (एएनबीसी) में समायोजित किया गया जो 45.07% है।

4.1.1 कृषि अग्रिम :

दिनांक 31.03.2022 तक बैंक का कृषि अग्रिम इस प्रकार है :

कृषि अग्रिम	रु.19,947.12 करोड़
निवेश	रु. 6,549.50 करोड़
कुल	रु. 26,496.62 करोड़

बैंक का कुल कृषि अग्रिम रु. 26,496.62/- करोड़ (अपरीक्षित) है निवल बैंक वृद्धि (एएनबीसी) में समायोजित किया गया जो 18.91% है।

4.1.2 कमजोर वर्गों को अग्रिम:

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को रु.17,924.37 करोड़ प्रदान किया गया जिसे निवल बैंक वृद्धि (एएनबीसी) में समायोजित किया गया जो 12.80% रहा।

4.1.3 कमजोर वर्गों को अग्रिम:

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान किया गया कुल ऋण रु.9861.89 करोड़ रहा जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम ऋण का 15.62% रहा।

4.2 विकास के लिए पहल:

मिशन खरीफ 2021: बैंक ने कृषि में निवेश ऋण और उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दिनांक 03.08.2021 से 15.09.2021 तक विशेष अभियान शुरू किया था। इस अभियान में बैंक ने कुल शामिल 35458 खातों के तहत रु.689 करोड़ की राशि संस्वीकृत किया।

Our Bank with 69 B-category Branches across India is committed to actively cater to the needs of Exporters/Importers Community and also serve our NRI Customers. The Total Merchant Turnover of the Bank during the Financial Year ended on 31st March, 2022 stood at Rs 38,254 Crores.

Our Bank has also been facilitating Bi-lateral Banking Trade transaction with Iran under "Rupee Payment Mechanism" since Feb, 2012 as mandated by Govt. of India/RBI, thereby facilitating Indian Exporters/Importers exporting/importing permissible goods and services to/from Iran.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Advances:

The Bank has been showing significant performance in lending to Priority Sector over the years and has been effectively servicing the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

As on 31.03.2022, the Priority Sector Advances of the Bank stood at as under:

Priority Sector advance	Rs. 59,806.29 Crore
Investment/PSLC	Rs. 3,330.00 Crore*
Total	Rs. 63,136.29 Crore

*Net of investment in RIDF and other funds and PSLCs.

Total Priority Sector Advances of the Bank of Rs. 63,136.29 Crore which constitutes 45.07% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

4.1.1 Agriculture Advances:

As on 31.03.2022, the Agriculture Advances of the Bank stood at as under:

Agriculture Advance	Rs.19,947.12 Crore
Investment	Rs. 6,549.50 Crore
Total	Rs. 26,496.62 Crore

Total Agriculture Advances of the Bank of Rs. 26,496.62 Crore which constitutes 18.91% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

4.1.2 Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Section stood at Rs.17,924.37 crore as of 31st March 2022 consisting 12.80% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

4.1.3 Minority Community Advances:

Total Minority Community Advances of the Bank as on 31.03.2022 stood at Rs.9,861.89 Crore constituting 15.62 % of Priority Sector Advances.

4.2 Initiatives for growth:

MISSION KHARIF 2021: Bank has launched special campaign from 03.08.2021 to 15.09.2021 focusing Investment credit & production credit in Agriculture. Bank has achieved Rs.689 Crore sanctions in this campaign involving 35458 numbers of accounts.

मिशन 20000: इस पहल के तहत, बैंक ने दिनांक 19.01.2022 से 19.03.2022 तक कृषि अग्रिम के लिए रु.855 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसमें हमने 35583 खातों के साथ रु.1070.95 करोड़ प्राप्त किया।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय बैंक का नाम पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है तथा दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएँ हैं 230

5.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी की स्थिति

दिनांक 31.03.2022 को पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल शेयर पूंजी 567.31 करोड़ रुपये है। कुल शेयर पूंजी में से, वित्त पोषित पूंजी 489.82 करोड़ रुपये थी, जिसमें भारत सरकार से 244.91 करोड़ रुपये, यूको बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में) से 198.56 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 46.35 करोड़ रुपये शामिल थे।

कुल गैर-वित्त पोषित पूंजी 77.49 करोड़ रुपये है जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 38.75 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 38.74 करोड़ रुपये है।

5.1.1 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यनिष्पादन

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक:

गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल जमा राशि रु. 6252.47 करोड़ रही जो 5.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 7.77 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि के साथ कुल अग्रिम रु.3439.51 करोड़ तक पहुँच गया। दिनांक 31.03.2022 को सीडी अनुपात 55.01% था जबकि दिनांक 31.03.2021 को सीडी अनुपात 54.09% था।

दिनांक 31.03.2022 को सकल एनपीए 358.24 करोड़ रुपये था, जबकि 31.03.2021 को यह 412.77 करोड़ रुपये था। 31.03.2022 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम 10.42% रहा, जबकि 31.03.2021 को यह 12.93% था। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2022 को 4.46% रहा, जबकि 31.03.2021 को यह 8.09% था।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने 31.03.2021 को 133 करोड़ रुपये के परिचालन लाभ की तुलना में 31.03.2022 को 26.62 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया है।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने 31.03.2021 को 61 करोड़ रुपये की निवल हानि की तुलना में 31.03.2022 को 99.55 करोड़ रुपये का निवल हानि दर्ज किया है, जिससे 31.03.2021 को 304.90 करोड़ रुपये से संचित हानि बढ़कर 31.03.2022 में रु. 404.45 करोड़ हो गया है। आरआरबी के माध्यम से पेंशन के प्रावधान के कारण निवल हानि परिचालन लाभ दर्ज किया गया है। परिचालन लाभ में गिरावट काफ़ी हद तक सितंबर, 2021 से कार्य व्यय के लिए जिम्मेदार पेंशन देयता कॉर्पस निधि प्रावधानों के कारण है। आरबीआई और नाबार्ड द्वारा निर्धारित नई लेखा प्रक्रिया के अनुसार, पेंशन देयता कॉर्पस निधि जिसे सितंबर 2021 तक प्रावधान के रूप में दिखाया गया था, को कार्य व्यय शीर्ष में लिया गया जिससे परिचालन लाभ में 106.31 करोड़ रुपये की कमी आई।

6. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत बैंक ने विविध कार्यक्रम बनाए हैं/पहल की हैं, इनमें से कुछ कार्यक्रम/पहल इस प्रकार से हैं :

ए) हमारे बैंक ने 7 राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। ये 27 संस्थान समर्पित बुनियादी

MISSION 20000: Under this initiative, Bank had set a target of Rs.855 Crore in Agriculture advance from 19.01.2022 to 19.03.2022. The achievement was Rs.1070.95 crore involving 36340 accounts.

5. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2022.

5.1 Capital position of RRB

The total Share capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2022 is Rs. 567.31 crore. Out of the total share capital funded capital stood at Rs. 489.82 Crores comprising Rs. 244.91 Crore from Govt. of India, Rs.198.56 Crore from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs.46.35 crore from West Bengal State Govt.

Total un-funded capital is Rs 77.49 crore out of which Central Government share is Rs 38.75 crore and state government is Rs 38.74 crore.

5.1.1 Performance of RRBs as under during 2021-22

Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.6252.47 crore as on 31.03.2022, registering growth of 5.96 percent. Total advance reached a level of Rs.3439.51 crore with an annual growth of 7.77 percent as on 31.03.2022. CD ratio stood at 55.01% on 31.03.2022as against 54.09% on 31.03.2021.

The gross NPA stood at Rs.358.24 crore as on 31.03.2022 vis-a-vis Rs. 412.77 crore as on 31.03.2021. Gross NPA to Gross Advance stood at 10.42% as on 31.03.2022 as against 12.93% as of 31.03.2021. The net NPA ratio of the RRB stood at 4.46% as on 31.03.2022 as against 8.09% as of 31.03.2021.

Paschim Banga Gramin Bank has earned an operating profit of Rs.26.62 crore as on 31.03.2022 as compared to operating profit of Rs. 133 Crore as on 31.03.2021.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net loss of Rs.99.55 crore as on 31.03.2022 as compared to net loss of Rs.61 Crore as on 31.03.2021, thereby increasing accumulated loss from Rs.304.90 crore as on 31.03.2021 to Rs. 404.45 Crore as on 31.03.2022. The net loss is on account of provision for pension, through the RRB has recorded operating Profit. The dip in operating profit is largely due to pension liability corpus fund provisions accounted for working expenses from September, 2021 onwards. As per the new accounting process prescribed by RBI and NABARD, the pension liability corpus fund which was shown as provision till September, 2021 was taken in working expenses head which reduced the operating profit by Rs. 106.31 Crore.

6. Corporate Social Responsibility

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/initiatives are as under:

a) Our Bank has set up 27 Rural Self Employment Training Institutes in 7 states namely Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan and West Bengal.

संरचना के साथ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा उनके कौशल को उन्नयन प्रदान करने एवं उनकी बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्याओं को कम करने हेतु समर्पित है। ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता कौशल के विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत ये संस्थाएं स्थापित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इन आर-सेटी ने 14574 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए 500 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 4815 हिताधिकारियों को 16.21 करोड़ रुपये की ऋण सहबद्धता उपलब्ध कराई गयी। वर्ष 2021-22 के दौरान, ग्रामीण प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए तीन (3) नवनिर्मित आर का - भवनों सेटी उद्घाटन कर जिलों की जनता को समर्पित किया गया

- बी) भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के तहत, यूको बैंक द्वारा ओडिशा के भद्रक और डेंकनाल जिले में 10 ब्लॉकों में 10 सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) की स्थापना की गई थी, जो नवंबर 2021 तक चालू रहा। बैंक और नाबार्ड इन सीएफएल के परिचालन व्यय 40:60 के अनुपात में वहन करते हैं। इसके अलावा, बैंक ने 22 जिलों में असम, बिहार, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल नाम के 6 राज्यों को शामिल करते हुए 50 सीएफएल स्थापित किए हैं, जो आरबीआई द्वारा पहचाने गए एनजीओ मैसर्स स्वाधार फाइनेंस, क्रिसिल फाउंडेशन और धन फाउंडेशन के सहयोग से या तो डीईएफए/एफआईएक्स के लिए निधि सहयोग के साथ हैं। इस व्यवस्था में ओपीईएक्स के 90% और सीएपीईएक्स के 100% की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- सी) सम्पूर्ण देश में बैंक के 35 वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं तथा वित्तीय साक्षरता अभियान के आयोजन के लिए 22 वित्तीय साक्षरता सलाहकारों की भर्ती की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, वित्तीय साक्षरता सलाहकारों ने 3086 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, और 31 मार्च 2022 तक इसके द्वारा 90453 प्रतिभागियों के बीच वित्तीय जागरूकता फैलाई गई है।

7. वित्तीय समावेशन

7.1 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंक रहित/कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूरे देश में बैंक को 16281 ग्राम आवंटित किए गए हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुरूप इन ग्रामों को 4122 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) में वर्गीकृत किया गया है। सर्वभौमिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और समग्र आबादी को सुनियोजित बैंकिंग सेवा के दायरे में लाने के लिए 4122 उपसेवा क्षेत्रों में से 3656 सेवा क्षेत्र बीसी एजेंटों द्वारा तथा टियर 5 ग्रामों (5000 से अधिक आबादी वाले) के बाकी 466 उप सेवा क्षेत्र शाखाओं द्वारा कवर किए जाते हैं।

बैंक ने गैर-एसएसए क्षेत्रों में 850 बैंक मित्र नियोजित किए हैं, जिससे कुल बीसी की नियोजन 4753 हो गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बीसी एजेंटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रो एटीएम के माध्यम से 4.29% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ कुल 245.80 लाख लेनदेन 24% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (हर महीने लगभग 20.48 लाख लेनदेन की राशि 891.33 करोड़ रुपये) के साथ 10695.95 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

बैंक ने 22 मार्च के अंत तक 113.57 लाख पीएमजेडीवाई खातों में 4306.04 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिसमें पीएमजेडीवाई बचत जमा में 17.30% और पीएमजेडीवाई खाता खोलने में 12.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। पीएमजेडीवाई खातों के तहत औसत प्रति खाता शेष

These 27 institutes with dedicated infrastructure are devoted to impart training and skill up gradation and to mitigate the unemployment and under employment problems of rural youths. These institutes are set up by the Bank as a part of initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training Institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth, under Corporate Social Responsibility (CSR). All RSETIs conducted 500 training programmes involving 14574 candidates and 4815 beneficiaries have been provided Credit Linkage of Rs.16.21 Crore during the Financial Year 2021-22. During the year 2021-22, three (3) newly constructed RSETI Buildings were inaugurated and dedicated to the people of the districts for conducting rural training.

- b) Under the initiative of Reserve Bank of India, 10 CFLs (Centres for Financial Literacy) in 10 Blocks, 5 each in Bhadrak and Dhenkanal district of Odisha was set up by UCO Bank which remained operational till November 2021. The Bank and NABARD bear the cost of operationalisation of these CFLs in 40:60 ratios. Further, Bank has set up 50 CFLs involving 6 states namely Assam, Bihar, Odisha, Punjab, Rajasthan and West Bengal in 22 Districts with collaboration of NGO identified by RBI namely M/s Swadhar Finassess, CRISIL foundation and Dhan foundation with support for fund either from DEAF/FIF. In this arrangement 90% of OPEX and 100% of CAPEX will be reimbursed.
- c) Bank has 35 Financial Literacy Centres across the country and has recruited 22 Financial Literacy Counsellors for conducting Financial Literacy Camps. During Financial Year 2021-22, the Financial Literacy Counsellors have conducted 3086 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 90453 participants as of 31st March 2022.

7. FINANCIAL INCLUSION

7.1 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)

Bank has been allotted with 16281 villages across the country to provide inclusive Banking Facility in unbanked / under banked areas. In line with DFS directives these villages were categorized into 4122 Sub Service Areas (SSAs). Out of these 4122 SSAs, 3656 SSAs are covered though BC agents and 466 SSAs in tier 5 villages (Population above 5000) are covered through Branches for ensuring universal Financial Inclusion and to bring the entire population under ambit of structured Banking facility.

Bank has deployed 850 Bank Mitras in non-SSA areas making the total BC deployment to 4753. During FY 2021-22 total 245.80 lacs transactions with 4.29% y-o-y growth amounting Rs.10695.95 Crores with 24% y-o-y growth (averaging every month about 20.48 lacs transactions amounting Rs.891.33 Crores) carried out through Micro ATMs used by BC Agents.

Bank has garnered deposit of Rs 4306.04 Cr at the end of March 22 in 113.57 lakhs PMJDY accounts registering 17.30% growth in PMJDY saving deposit and 12.55% growth in PMJDY account opening. The average per account balance under PMJDY accounts increased from Rs 3642.68 to Rs 3791.66.

3642.68 रुपये से बढ़कर 3791.66 रुपये हो गया। बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 12.58 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं।

बैंक ने पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को लगभग 23.43 लाख रुपये कार्ड वितरित किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बीसी एजेंटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रो एटीएम पर रुपये कार्ड के माध्यम से प्रति माह 3.18 लाख के औसत लेनदेन का मासिक औसत 169.37 रुपये था।

7.2 आधार को जोड़ना एवं प्रमाणीकरण

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राहक खाते खोलने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार संख्या ऐच्छिक रूप से दी जा सकती है। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। 31 मार्च 2022 तक, लगभग 84.81% सक्रिय बचत खातों को आधार संख्या के साथ जोड़ा गया है और 45.15% सक्रिय बचत खातों में आधार प्रमाणीकरण किया गया है। आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेवा के माध्यम से रु. 8031.83 करोड़ की राशि हिताधिकारियों के खातों में अंतरित किए गए।

7.3 माइक्रो क्रेडिट ओवरड्राफ्ट सुविधा

मार्च 2022 तक बैंक में ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करने वाले पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 3.71 लाख है जिसकी कुल संस्वीकृत राशि 74.68 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री की बजट घोषणा (वित्त वर्ष 2020-21) के अनुसार, सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य को उनके पीएमजेडीवाई खातों में 5000/- रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति है।

7.4 सामाजिक सुरक्षा योजना

अब तक बैंक रहित जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार की योजना के अंतर्गत, बैंक ने बीमा और पेंशन उत्पादों यथा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का कार्यान्वयन शाखा तथा बीसी नेटवर्क के माध्यम से किया है। पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत 14.58 लाख तथा पीएमएसबीवाई योजना के अंतर्गत 29.95 लाख सब्सक्राइवर बीमित हुए हैं। पीएमजेजेबीवाई के तहत अब तक कुल 8099 दावों का तथा पीएमएसबीवाई के तहत 1309 दावों का निपटारा किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 21-22 के अंत तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल सब्सक्राइवर का आंकड़ा 5.65 लाख को पार कर गया। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान एपीवाई फोल्ड में 41% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 1.63 लाख ग्राहक जोड़े गए हैं। 102.73% लक्ष्य की उपलब्धि के साथ एपीवाई बिग बिलिवर्स (एबीबी) 4 अभियान में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए बैंकिस ने अर्हता प्राप्त की।

7.5 एसएमएस के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई नामांकन की शुरुआत

यूको ई-बैंकिंग और यूको एम बैंकिंग ऐप में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के नामांकन का इलेक्ट्रॉनिक मोड उपलब्ध कराया गया था। एसएमएस संदेशों के माध्यम से नामांकन का एक नया तरीका शुरू किया गया। इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजकर स्वयं नामांकन कर सकते हैं। कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल सेल्फ एनरोलमेंट के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

7.6 प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाएं

पीएमएसएस (प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाएं, यानी पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई) के तहत परिपूर्णता अभियान:

माननीय प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2021 के भाषण में घोषणा की है 'हमें परिपूर्णता प्राप्त करनी है — सभी घरों में बैंक खाते होने चाहिए।

Bank has opened 12.58 lakhs PMJDY accounts during FY 2021-22.

Bank distributed around 23.43 lacs RuPay Cards to the eligible PMJDY account holders. During the FY 2021-22 average transactions per month to the order of 3.18 lacs took place through RuPay Cards on Micro ATMs used by BC agents amounting monthly average of Rs.169.37.

7.2 Aadhaar Seeding & Authentication

As per revised guidelines, Aadhaar number can be given voluntarily as identity proof for opening customer accounts. Aadhaar is required for availing benefits under various government welfare schemes. By 31st March 2022, around 84.81% operative saving accounts have been seeded with Aadhaar number and Aadhaar authentication has been done in 45.15% of operative saving accounts. Aadhaar based Direct Benefit Transfer worth Rs 8031.83 crore was transferred to the accounts of beneficiaries.

7.3 Micro credit-Overdraft facility

Number of PMJDY accounts using the OD facility in the bank as on March 2022 is 3.71 Lakhs aggregating sanctioned amount of Rs.74.68 Crores. As per Finance Minister's budget announcement (FY 2020-21), an overdraft of Rs 5000/- is allowed to verified women SHG member in their PMJDY Accounts

7.4 Social Security Schemes

Working on the government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJJBY scheme, 14.58 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 29.95 lakh customers are insured. So far a total of 8099 claims are settled under PMJJBY and 1309 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 5.65 lac till end of FY 21-22. During FY 21-22 1.63 lakh customers have been added to APY fold with Y-o-Y growth of 41%. Bank is qualified for Award of Excellence in APY BIG BELIEVERS (ABB) 4.0 campaign with achievement of 102.73% target.

7.5 PMJJBY and PMSBY enrolment through SMS introduced:

Electronic mode of enrolment of PMJJBY and PMSBY was made available in UCO E-Banking and UCO m banking app. A new mode of enrolment through SMS message was introduced. Through the facility, customers can self enrol by sending SMS from his registered mobile number. Incentive for digital self enrolment is being passed on to the customers by the way of reduced premium

7.6 Pradhan Mantri Jan Surakshya Schemes

Saturation Drive under PMJSS (Pradhan Mantri Jan Surakshya Schemes, i.e PMJJBY, PMSBY, APY):

Hon'ble Prime Minister, on Independence Day 2021 speech, has announced "We have to achieve saturation --- all the households should have Bank accounts.

इस पृष्ठभूमि में, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बैंकों को पीएमजेडीवाई खाता खोलने और जन सुरक्षा योजनाओं के लिए संतुष्टि अभियान को लागू करने का निर्देश दिया, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की बीमा और पेंशन योजना से जोड़ा जा सके, और 30-09-2022 तक शत-प्रतिशत (100%) उपलब्धि हासिल की जा सके।

डीएफएस ने बैंकों को पीएमजेएसएस योजनाओं के तहत नामांकन में 100% परिपूर्णता के लिए व्यक्तियों के निम्नलिखित पात्र लक्ष्य समूह को लक्षित करने का निर्देश दिया:

7.7 पीएमजेएसएस योजनाओं में परिपूर्णता अभियान

ग्राहकों के निम्नलिखित तीन समूहों को 30-09-2022 तक पीएमजेएसएस में 100% परिपूर्णता के लिए लक्षित किया जाना है।

- मौजूदा पीएमजेडीवाई खाताधारक जिनके पास 2021-22 की दूसरी तिमाही में त्रैमासिक औसत शेष राशि 1000/- और अधिक है।
- सभी पात्र मानक पीएमएमवाई खाताधारक ।
- सभी पात्र खाताधारक जिन्हें डीबीटी में पर्याप्त राशि मिल रही है।
- डीएफएस द्वारा प्रति शाखा 250 पीएमजेडीवाई खातों का लक्ष्य नवंबर 2021 और सितंबर 2022 के बीच हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है। हमारे बैंक ने 140 प्रति शाखा (आरआरबी सहित) हासिल किया है जो पीएसबी में दूसरा सबसे बड़ा है।

नाबार्ड द्वारा शुरू की गई 117 आकांक्षी जिलों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एसएसएस) के तहत पात्र सक्रिय पीएमजेडीवाई खाताधारकों के नामांकन हेतु परिपूर्णता अभियान की विशेष योजना - आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) भारत सरकार की एक पहल है जिसे नीति आयोग ने विभिन्न हितधारकों की मदद से आकांक्षी जिले के जनसमूह के जीवन स्तर में सुधार हेतु लागू किया है। इसे जनवरी 2018 में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह विशिष्ट विकास मानकों पर पिछड़े जिलों के त्वरित उत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परिवर्तनकारी नीतिगत पहल है। कार्यक्रम के तहत 5 विषयगत क्षेत्रों की पहचान की गई है। वित्तीय समावेशन और कोशल विकास इनमें एक विषयगत क्षेत्र है। वित्तीय समावेशन में 6 डेल्टा बिंदुओं (81 में से) को समाहित करते हुए 5% का अधिभार है। 6 डेल्टा बिंदुओं में पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, संस्थागत बैंकिंग की पहुंच (पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों की संख्या) और छोटे व्यवसाय के लिए संस्थागत वित्तपशेषण की सुलभता (मुद्रा ऋणों का वितरण) जैसी महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति शामिल है।

नाबार्ड ने 28 राज्यों के 117 आकांक्षी जिलों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एसएसएस) के तहत पात्र कार्यालय पीएमजेडीवाई खाताधारकों के नामांकन की परिपूर्णता के लिए विशेष योजना शुरू की है, परिपूर्णता के लिए विशेष योजना 10/02/2022 से 31/05/2022 तक जारी रहेगी। 101 आकांक्षी जिलों में बैंक की 389 शाखाएं हैं जहां पीएमजेडीवाई और पीएमएसबीवाई व्यापित (कवरेज) हेतु पीएमजेडीवाई ग्राहकों के नामांकन के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं।

7.9 गैर-एसएसएस बीसी की स्थापना- बैंक ने ग्रामीण, अर्ध-हरी, शहरी क्षेत्रों में बैंक की उपस्थिति बढ़ाने के लिए गैर-उप सेवा क्षेत्रों में 1154 नए बीसी स्थानों की पहचान की। स्थापना के पीछे अन्य लक्ष्य बैंक रहित क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना, बैंक रहित लोगों को सरकार के सामाजिक सुरक्षा परिक्षेत्र में शामिल करना है। 1154 चिन्हित केन्द्रों में से 757 केंद्र कार्यशील हैं।

In this backdrop, Department of Financial Services (DFS) directed Banks to implement Saturation Drive for PMJDY account opening & Jansuraksha Schemes to connect every entitled person with the Government's Insurance and Pension scheme to have cent percent (100%) achievement by 30-09-2022.

DFS directed Banks to target the following eligible target group of individuals for 100% saturation in enrolment under PMJSS schemes:

7.7 Saturation Drive in PMJSS Schemes:

The following three groups of customers are to be targeted for 100% saturation in PMJSS by 30-09-2022.

- Existing PMJDY account holders having quarterly average balance of Rs 1000/- and more in Q2 of 2021-22.
- All eligible Standard PMMY account holders.
- All eligible account holders who are receiving substantial amount in DBT.
- The target of 250 PMJDY accounts per branch has been given by DFS to be achieved between Nov 2021 and Sep 2022. Our Bank has achieved 140 per branch (including RRB) which is 2nd highest amongst PSBs.

7.8 Special Scheme of saturation drive for enrolment of eligible operative PMJDY account holders under Social Security Schemes(SSS) launched by NABARD in 117 Aspirational Districts- The Aspirational District Programme(ADP) is an initiative by Government of India implemented by NITI Aayog with help of various stakeholders to improve the living standards of people in Aspirational District. It was launched in Jan 2018 by honourable Prime Minister Sri Narendra Modi. It is a major transformative policy initiative by Government of India for rapid transformation of districts that are lagging on specific development parameters. 5 thematic areas have been identified under the programme. Financial Inclusion and Skill Development is one the thematic area. Financial Inclusion has weightage of 5% with covering 6 delta points(out of 81). 6 delta points include progress in important central government schemes as PMJJBY, PMSBY, APY, reach of institutional banking no of accounts opened under PMJDY and ease of institutional financing for small business disbursement of Mudra loans.

NABARD has launched special scheme for saturation of enrolment of eligible operative PMJDY A/C holders under Social Security Schemes (SSS) in 117 Aspirational districts of 28 States Special Scheme for saturation will be operational from 10/02/2022 to 31/05/2022. Bank has 389 of branches in 101 identified Aspirational districts where in village & block level Special Camps are conducted for enrolment of PMJDY customers for PMJJBY and PMSBY coverage.

7.9. Establishment of non-SSA BCs- Bank identified 1154 new BC locations in non SSA Areas to increase Bank's presence in rural, semi-urban, urban areas. The other goals behind the establishment are to cater banking services in unbanked area, to include the unbanked people into Government's Social Security Arena. Out of 1154 identified points, 757 centres are operational.

7.10 बीसी कमीशन का युक्तिकरण: वित्तीय संस्था नीति की समीक्षा द्वारा बीसी आयोग के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है। नई सेवाएँ जैसे बीबीपीएस और चालू खाता खोलने, नई चेक बुक के लिए अनुरोध, और कई अन्य सेवाओं को बीसी कमीशन की संरचना में जोड़ा गया है।

7.11 इज़ 4.0- नई सेवाओं की शुरुआत - ईज 4.0 में, बैंकों को बीसी एजेंटों के माध्यम से 4 और सेवाएँ प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिससे सेवाओं की संख्या 35 हो गई है। विभाग ने बीसी एजेंटों के माध्यम से अतिरिक्त सेवाओं को सक्षम करने के लिए प्रस्तावित पथ पर काम किया है। अब बैंक ने बीसी के एमएटीएम उपकरणों के माध्यम से नई सेवाएँ प्रदान की हैं ताकि व्यक्तिगत ऋण के लिए ऋण अनुरोध का सूत्रपात, वाहन ऋण और गृह ऋण और चालू खाते के लिए लीड जनरेशन जैसे नए व्यावसायिक आयामों का पता लगाया जा सके।

7.12 आधार इनरोलमेंट केंद्र

यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक में 10% शाखाओं को कवर करते हुए अब तक कुल 300 आधार इनरोलमेंट केंद्र स्थापित किए गए हैं। एईसी के कुशल संचालन और बैंक के कर्मचारियों के इष्टतम उपयोग के लिए बैंक ने आधार ऑपरेटर गतिविधि हेतु कॉर्पोरेट बीसी को आउटसोर्स किया है।

7.13 वित्तीय समावेशन परिकल्प के माध्यम से राजस्व प्राप्ति

वित्तीय समावेशन के तहत लगातार किए गए प्रयासों ने अच्छे परिणाम दिए हैं और बैंक ने इन गतिविधियों से मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है। शाखाओं की भीड़भाड़ कम करना, लेन-देन की लागत में कमी और कासा आधार में वृद्धि एफ़आई परियोजना के अमूर्त लाभ हैं। विभिन्न उत्पादों के तहत अर्जित कमीशन के रूप में मूर्त लाभ प्राप्त हुए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने पीएमजेजेबीवाई में 445.41 लाख रुपये, पीएमएसबीवाई में 54.52 लाख रुपये और एपीवाई के कमीशन में 196.06 लाख रुपये अर्जित किए हैं।

8. सरकारी व्यवसाय

सरकारी व्यवसाय कक्ष भारत सरकार की लघु बचत जमा योजनाओं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संग्रह, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करना, फ्लोटिंग रेट बचत बांड, केंद्र और राज्य सरकार की पेंशन और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना-अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को नियंत्रित करता है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) योजनाओं की पैठ बढ़ाने की परिकल्पना की है। वित्त वर्ष 2021-22 में पीपीएफ- 19275 (21.30%), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खातों 14187 (18%) के तहत खोले गए खातों में वृद्धि हुई।

एपीवाई योजना के तहत खोले गए खाते में वित्त वर्ष 21 में वर्ष-दर-वर्ष 38% वृद्धि दर्ज करते हुए 429117 से बढ़कर 592515 हो गई। एपीवाई 'बिग बिलीवर्स' और 'एपीवाई अमेज़िंग अचीवर्स' और 'पावर टू परसिस्ट' अभियानों के तहत बैंक को सराहना मिली है।

बैंक ने शुल्क आधार आय बढ़ाने के लिए सरकारी व्यापार चैनल को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वित्त वर्ष 22 में विभिन्न सरकारी व्यावसायिक उत्पादों यानी कर संग्रह, पेंशन योजनाओं, लघु बचत योजनाओं, बांड जारी करने आदि से कुल कारोबार कमीशन के रूप में 30.37 करोड़ रुपये की कमाई की। बैंक ने सरकारी कारोबार के तहत प्रदर्शन में काफी सुधार किया है।

7.10 Rationalization of BC Commission: BC Commission Structure has been rationalized by review of FI policy. BC commission for new services like BBPS and current account opening, request for new cheque book and many other services has been added to commission structure.

7.11 EASE 4.0- launching of new services- In EASE 4.0, Banks have been asked to provide 4 more services through BC agents bringing the number of services to 35. Department has worked on the suggested line to enable the additional services through BC agents. Now Bank provided new services through MATM devices of BCs to explore new business dimensions such as loan request initiation for personal loan, vehicle loan, and home loan and lead generation for Current Account.

7.12 Aadhaar Enrolment Centre

A total no of 300 Aadhaar Enrolment centers has been set up covering 10% of the branches as per UIDAI guidelines in our Bank. Bank has outsourced the Aadhaar Operator activity to Corporate BCs in order to create efficient operation of AECs and optimum use of Bank's staff.

7.13 Revenue generated through Financial Inclusion Project

Consistent, efforts under Financial Inclusion have given good results and Bank has started gaining both tangible and intangible benefit out of these activities. While decongestion of branches, reduction of transaction cost and increase in CASA base are intangible benefits of FI Project. Tangible benefits have come in the form of commission earned under various products. Bank has earned Rs.445.41 lacs in PMJJBY, Rs.54.52 lacs in PMSBY and Rs.196.06 lacs in APY as commission during FY-2021-22.

8. Government Business

Government Business Cell handles Small Savings Deposit Schemes of GOI, collection of Direct and Indirect Taxes, issuance of Sovereign Gold Bond, Floating Rate Savings Bonds, Central and State Government Pension and National Social Security Scheme-Atal Pension Yojna(APY) & National Pension Scheme (NPS).

During the year 2021-22 bank envisages to increase penetration of Public Provident Fund (PPF) and Sukanya Samridhi Yojna (SSY) schemes. There was an increase in accounts opened under PPF 19275(21.30%), Sukanya Samridhi Yojan(SSY) accounts 14187(18%)in FY 2021-22.

There was an increase in account opened under APY scheme from 429117 in FY 21 to 592515 in registering 38% Y-o-Y growth. Bank has received appreciation under APY "Big Believers" and "APY Amazing Achievers" and "Power to Persist" campaigns.

Bank emphases to promote Govt. business channel to increase fee base income. Turnover Commission earned to the tune of Rs 30.37 crores in FY 22 from various Government Business products i.e. Tax collection ,Pension Schemes, Small Savings Schemes, Bond issuance etc. Bank has improved performance under Govt. Business Substantially.

9. एमएसएमई

- सरकार ने जीईसीएल (विस्तार) के माध्यम से 01/10/2021 को जीईसीएल योजना का कार्यक्षेत्र बढ़ाया है तथा जीईसीएल (विस्तार) के तहत बैंक ने 1,105 करोड़ रुपये का व्यवसाय संग्रहित किया है। सभी जीईसीएल स्कीमों के तहत कुल 2,688 करोड़ रुपये का कारोबार संग्रहीत किया गया है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि (दूसरी किस्त), कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस), कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलएससीएटीएसएस) का लाभ दिया है।
- एमएसएमई को कम दर पर सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए एमएसएमई के लिए ब्याज दर में काफी कमी की गई है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए रुपये 2,500 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रुपये 2,877 करोड़ (115% उपलब्धि) के मुद्रा ऋण संस्वीकृत किए हैं।
- बैंक ने 50,000 रुपये तक के ऋण हेतु एसटीपी मुद्रा शिशु ऋण की शुरुआत की है। आवेदन के आरंभ से लेकर मंजूरी और संवितरण तक की आद्योपान्त (एंड-टू-एंड) प्रक्रिया बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के डिजिटल रूप से की जाती है।
- टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पर 256 करोड़ रुपये की राशि के कुल 4,132 बिलों को बढ़ा दिया गया तथा बैंक ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान 80 लाख रुपये की आय अर्जित की थी।
- बैंक की ऋण प्रसंस्करण प्रणाली को कम (टीएटी) के साथ ऋण जोखिम अंकन में सुधार हेतु लागू किया गया। वित्त वर्ष 21-22 में, बैंक ने एलपीएस पर एमएसएमई योजनाओं की कुल संख्या को 18 तक पहुंचाने हेतु एलपीएस में 14 एमएसएमई योजनाओं को शामिल किया गया।
- कई राज्य सरकारों ने एमएसएमई की सहायता के लिए नई ऋण योजनाएं शुरू कीं जैसे कि जगन्नाथोडू योजना- आन्ध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-राजस्थान राज्य, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना-मध्य प्रदेश राज्य। बैंक ने सभी स्थानीय लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संबंधित राज्यों में ये योजनाएं शुरू की हैं।
- सरकार ने 31/08/2022 को समाप्त हुई 'मुद्रा-शिशु ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना' शुरू की। बैंक ने दावा प्रस्तुत कर योजना के तहत 3.36 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त किया। तदनुसार लगभग 1 लाख एमएसएमई इकाइयों को अनुदान वितरित किया गया था।
- बैंक ने एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 21-22 के दौरान 2 अभियान शुरू किए हैं और इन अभियानों के तहत प्रदर्शन इस प्रकार है:

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	अभियान अवधि	एमएसएमई कारोबार
1	02/08/2021 से 15/09/2021	675
2	19/01/2022 से 25/03/2022	1,457

9. MSME

- Government extended the scope of GECL Scheme on 01/10/2021 through GECL (Extension) and Bank mobilised business of Rs. 1,105 Crores under GECL (Extension). Total business of Rs. 2,688 Crores has been mobilised under all GECL Schemes.
- Bank has extended benefits of various Government Schemes like PM SVANidhi (Second Tranche), Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors (LGSCAS), Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Tourism Service Sectors (LSCATSS) introduced in FY 2021-22.
- Rate of Interest for MSMEs reduced substantially to help MSMEs get assistance at a lower rate.
- Bank sanctioned Mudra loans of Rs. 2,877 Crores (115% achievement) against the target of Rs. 2,500 Crores for FY 21-22.
- Bank introduced STP Mudra Shishu Loans for loans up to Rs. 50,000. The end-to-end process from sourcing of application to sanction and disbursement is done digitally without any manual intervention.
- Total 4,132 bills amounting to Rs. 256 Crores were discounted on TReDS platform and Bank earned an income of Rs. 80 Lacs during FY 21-22.
- Bank's Loan Processing System was implemented to improve credit underwriting with reduced TAT. In FY 21-22, Bank onboarded 14 MSME Schemes in LPS to take the total tally of MSME Schemes on LPS to 18.
- Several State Governments launched new loan Schemes to help MSMEs namely, JagannaThodu Scheme - Andhra Pradesh, Mukhya Mantri Swavalamban Yojana - Himachal Pradesh, Indira Gandhi Sahari Credit Card Yojana - Rajasthan State, Mukhya Mantri Udyam Kranti Yojana - Madhya Pradesh State. Bank has introduced these Schemes in respective States to extend the benefit to all the local people.
- Government introduced "Interest Subvention Scheme for Mudra-Shishu Loans" ended on 31/08/2022. Bank claimed and received subvention of Rs. 3.36 Crores under the Scheme. Subvention was accordingly distributed to nearly 1 lac MSMEs.
- Bank has launched 2 campaign during FY 21-22 for increasing MSME loan portfolio and the performance in these campaigns are hereunder:

(Amount in ₹ Crore)

SL	Campaign Period	MSME Business
1	02/08/2021 to 15/09/2021	675
2	19/01/2022 to 25/03/2022	1,457

10. रिटेल

- बैंक ने जोखिम अंकन के मानकों में सुधार करने और ऋण वितरण को आद्योपान्त डिजिटलीकृत करने हेतु ऋण प्रसंस्करण प्रणाली (एलपीएस) की शुरुआत की है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 7 और रिटेल ऋण उत्पाद एलपीएस पर शामिल किए गए हैं। 31/03/22 तक, कुल 12 खुदरा ऋण उत्पाद एलपीएस पर प्रयोज्य हैं।
- पश्चिम बंगाल राज्य के छात्रों को कम लागत पर शिक्षा ऋण प्राप्त करके कक्षा 10 के बाद से अध्ययन में सक्षम बनाने हेतु, पश्चिम बंगाल सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। बैंक ने इस योजना को अंगीकार किया है तथा इस योजना के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य की शाखाओं/कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 31/03/22 तक 1731 खातों के माध्यम से रुपये 53.72 करोड़ की पुंजीभूत स्वीकृतियां थीं।
- बैंक के रिटेल ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने हेतु बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ के सह- गृह ऋण हेतु समझौता किया है।
- शाखा के कार्मिकों (फील्ड पदाधिकारियों) की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए यूको गृह, यूको स्वर्ण, यूको शिक्षा ऋण और यूको प्रॉपर्टी ऋण योजनाओं में उपयुक्त सुधार किया गया है।
- समकक्ष बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा पेश किए जा रहे प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों (आरओआई) को ध्यान में रखते हुए, हमारे बैंक ने सीमित अवधि के लिए, गृह, कार और स्वर्ण ऋण योजनाओं में कम ब्याज दर (आरओआई) की अनुमति दी है।
- कोविड से प्रभावित लोगों को चिकित्सा व्यय आदि जैसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक ने यूको कवच योजना शुरू की है जिसमें उधारकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक के प्रतिभूति-रहित ऋण की पेशकश की गई है। 31-03-22 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 555 उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।
- स्वर्ण ऋणों के प्रसंस्करण में प्रतिवर्तन काल(टीएटी) को कम करने और इस प्रकार स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में सुधार करने के उद्देश्य से, बैंक ने देश भर के 8 अंचलों में विस्तारित 13 चयनित शाखाओं में स्वर्ण ऋण बुटीक की अवधारणा शुरू की है। एक से अधिक संस्वीकृति प्राधिकारी और पूरे दिन मूल्यांकक की उपलब्धता स्वर्ण ऋण बुटीक की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान दो खुदरा ऋण अभियान शुरू किए। अभियानों के दौरान प्रदर्शन इस प्रकार था।

10. Retail

- Bank has introduced Loan Processing System (LPS) to improve underwriting standards and also for end to end digitalisation of Credit dispensation. During this fiscal 7 more Retail Loan Products have been on-boarded on LPS. As of 31/03/22, total 12 Retail Loan Products are live on LPS.
- To enable students of West Bengal State to pursue studies from Class 10 onwards by availing Education Loans at lower cost, West Bengal Government has introduced Student Credit Card Scheme. Bank has adopted the Scheme and guidelines on the Scheme have been issued to Branches/Offices of West Bengal State. Cumulative sanctions under the Scheme till 31/03/22 were 1,731 A/Cs amounting to Rs.53.72 Crs.
- Bank has entered into arrangement with Aadhar Housing Finance Limited for Co-lending of Home Loans, to augment retail loan portfolio of the Bank.
- Keeping the feedback of field functionaries in mind, UCO Home, UCO Gold, UCO Education Loan and UCO Property Loan Schemes have been suitably improved.
- Considering the competitive ROI being offered by peer Banks/FIs, our Bank, for a limited period, has allowed reduced ROI in Home, Car and Gold Loan Schemes.
- To provide financial assistance to people affected by COVID for purposes such as medical expenses etc., Bank has introduced UCO Kavach Scheme wherein Borrowers have been offered unsecured Loans up to Rs.5 Lacs. As on 31/03/22, 555 Borrowers have been catered under the Scheme.
- With an aim to reduce TAT in Processing Gold Loans and thereby to improve Gold Loan Portfolio, Bank has introduced the concept of Gold Loan Boutique at 13 identified Branches spread across 8 Zones across the country. More than one Sanctioning Authority and Availability of appraiser throughout the day are some of the salient features of Gold Loan Boutique.
- Bank had launched two Retail Loan Campaigns during FY 2021-2022. The performance during the campaigns were as under -

क्र. सं. SL No	अभियान अवधि Campaign Period	स्वीकृति (करोड़ में) Sanctions (in crore)	% लक्ष्य प्राप्ति % Target Achieved
1	02-08-2021 से/to 15-09-2021	1,600	84%
2	19-01-2022 से/to 25-03-2022	3,063	99%

11. बैंकाशरेंस

- बैंक इंश्योरेंस कारबार जैसे जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंट है। बैंक एक एएमएफआई पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक भी है।
- बैंक के बीमा के प्रत्येक खंड में 2 चैनल भागीदार हैं, अर्थात्, जीवन बीमा - भारतीय जीवन बीमा निगम और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
सामान्य बीमा: - ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और फ्यूचर जेनेरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
स्वास्थ्य बीमा: - स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड।
बैंक ने समूह ऋण जीवन बीमा के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है ताकि गृह, शिक्षा और खुदरा ऋण उधारकर्ताओं के जीवन जोखिम को कवर किया जा सके।
- बैंक ने अपने सम्मानित ग्राहकों के लिए निम्नलिखित नई समूह/खुदरा बीमा योजनाएं शुरू की हैं:
 - 1) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का समूह स्वास्थ्य बीमा उत्पाद 'ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक साथी' - समूह मेडिकलेम पॉलिसी की पेशकश करने वाले बैंक के खाताधारकों के लिए एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जिसमें चिकित्सकीय रूप से आवश्यक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती और/या डोमिसिलियरी अस्पतालीकरण में भर्ती के संबंध में किए गए उचित और प्रथागत खर्च शामिल हैं।
 - 2) हमारे चैनल पार्टनर के खुदरा स्वास्थ्य बीमा उत्पाद - फ्यूचर जेनेरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये सभी उत्पाद व्यक्तिगत/परिवार के लिए क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं जो अस्पताल के खर्च, आपातकालीन चिकित्सा निकासी, डे केयर इलाज, घरेलू अस्पताल के खर्च आदि को कवर करती हैं।
 - 3) हमारे चैनल पार्टनर मेसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस की ओर से बैंक के कासा ग्राहकों के लिए ई-परामर्श और अस्पताल नकदी लाभ के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा वेलनेस योजना, एक उत्पाद में दैनिक अस्पताल नकदी और जनरल फिजिशियन के साथ असीमित ई-परामर्श का दोहरा लाभ प्रदान करता है।
 - 4) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ से यूको सुविधा सैलरी खातों में अतिरिक्त सुविधा के रूप में 20.00 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर।
- बैंक ने प्रस्ताव की सोर्सिंग और प्रीमियम के भुगतान के एंड-टू-एंड निर्बाध डिजिटल मोड के लिए चैनल पार्टनर्स के साथ आईटी एकीकरण के लिए पहल की है जिसके परिणामस्वरूप पॉलिसी जारी करने वाले टीएटी में कमी आई है। बैंक बीमा पॉलिसी की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एमबैंकिंग समाधान लागू करने की प्रक्रिया में है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) की संख्या में वृद्धि की। ये विनिर्दिष्ट व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित हैं और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा प्रमाणिकृत है। मार्च 2021 तक बैंक में 391 विनिर्दिष्ट व्यक्ति थे और मार्च 2022 में इसकी संख्या बढ़कर 667 कर दी गई। बैंक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1500 नए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को जोड़ने की प्रक्रिया में है।

11. BANCASSURANCE

- Bank is a Corporate Agent for Soliciting Insurance Business for Life, General and Health Segment. Bank is also an AMFI registered Mutual Fund Distributor.
- Bank is having 2 channel partners in each segment of insurance viz.,
Life insurance - Life Insurance Corporation of India and SBI Life Insurance Co. Ltd
General Insurance: - The Oriental Insurance Co. Ltd and Future Generali India Insurance Co. Ltd.
Health Insurance: - Star Health & Allied Insurance Co. Ltd & Care Health Insurance Ltd.
For Group Credit Life Insurance Bank is having tie up with Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd to cover life risk of Home, Education and Retail Loan borrowers.
- Bank has launched the following new Group/Retail Insurance Schemes for its esteemed customers:
 - 1) Group Health Insurance Product of Oriental Insurance Co Ltd. "**Oriental Insurance Bank Saathi**" - a Group Health Insurance Policy for Bank's Account Holders offering Group Medically Necessary Policy which covers reasonable and customary expenses incurred in respect of **Hospitalization and/or Domiciliary Hospitalisation for medically necessary treatment.**
 - 2) **Retail Health Insurance Products of our Channel Partner - Future Generali India Insurance Co. Ltd.** All these products are Indemnity based Health Insurance Plans for the Individual/Family covering Hospitalisation Expenses, Emergency Medical Evacuation, Day Care Treatment, Domiciliary Hospitalisation Expenses, etc.
 - 3) Group Health Insurance **Wellness Plan for E-Consultation and Hospital Cash Benefit** for Bank's CASA Customers from our Channel Partner **M/s Care Health Insurance** offering Dual Benefit of daily Hospital Cash and Unlimited E-Consultations with General Physician in a Single Product.
 - 4) Group Personal Accidental Death Insurance cover up to Rs 20.00 Lakhs as additional feature in UCO Suvidha Salary Accounts in tie up with Oriental Insurance Co Ltd.
- Bank has taken initiative for IT Integration with Channel Partners for end-to-end seamless digital mode of sourcing of proposal and payment of premium resulting in reducing policy issuance TAT. Bank is in process to implement to mBanking solution for online booking of insurance policy.
- Bank increased the number of Specified Persons (SPs) during the fiscal year 2021-22 for augmenting Bancassurance Business. These Specified Persons are duly trained and certified by insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI). Bank had 391 Specified Persons as on March 2021 and increased the strength to 667 in March 2022. Bank is in the process of adding 1500 new Specified Persons during FY 2022-23.

- बैंक ने निम्नलिखित नौ आरित प्रबंधन कंपनियों के साथ समझौता किया है:
 1. कोटक महिंद्रा एएमसी लिमिटेड
 2. एसबीआई निधि प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड
 3. निप्पोन जीवन इंडिया आरित प्रबंधन लिमिटेड
 4. यूटीआई एएमसी लिमिटेड
 5. एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड
 6. बड़ौदा आरित प्रबंधन इंडिया लिमिटेड
 7. आईसीआईसी प्रूडेंसियल एएमसी लिमिटेड
 8. फ्रैंकलिन टेम्प्लेसन आरित प्रबंधन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 9. आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड
- एम-बैंकिंग प्लस ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड के वितरण के लिए अगस्त, 2021 में मेसर्स फिनविजार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (फिसडम) के साथ एक व्यावसायिक साझेदारी की है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राहकों को उनकी पसंद के किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सुविधा देता है, 100% डिजिटल ऑनबोर्डिंग, लेनदेन और खोज तंत्र, प्रतिदान सहायता और कई भुगतान साधन प्रदान करते हुए सभी कागजी कार्रवाई को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देता है।
- Bank has tie-up with the following Nine Asset Management Companies:-
 1. Kotak Mahindra AMC Ltd.
 2. SBI Funds Management Pvt Ltd.
 3. Nippon Life IndiaAsset Management Ltd.
 4. UTI AMC LTD.
 5. HDFC AMC LTD.
 6. Baroda Asset Management India Ltd.
 7. ICICI Prudential AMC Ltd.
 8. Franklin TempletonAssetManagement (India) Pvt. Ltd.
 9. Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.
- Bank has entered into a Business Partnership with M/s Finwizard Technology Pvt Ltd (Fisdome) in August, 2021 for distribution of Mutual Funds through M-Banking Plus App. This digital platform allows customers to invest in any mutual fund of their choice, offers 100% digital onboarding, transacting and tracking mechanism, redemption assist and multiple payment modes, thus effectively eliminating all paperwork.

जीवन, सामान्य बैंकश्योरेंस एवं म्यूचुअल निधि व्यवसाय के अंतर्गत कार्य निष्पादन/

Business Performance under bancassurance Life, Non-life & Mutual fund Business; (01/04/2021 to 31/03/2022)

क्रमांक SI	कंपनी का नाम Name of the Company	संगृहीत प्रीमियम (लाख ₹ में) Premium Collected (₹ in Lakhs)	अर्जित कमीशन (लाख ₹ में) Commission Earned (₹ in Lakhs)	पॉलिसी/फोलियो की सं. No of Policy/ Folio
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	843.31	189.56	1,466
2.	एसबीआई जीवन बीमा कं लिमिटेड SBI Life Insurance Co. Ltd.	17426.45	1357.54	36,022
3.	भारतीय फ्यूचर सामान्य बीमा कं लिमिटेड Future Generali India Insurance Co. Ltd.	4024.72	471.28	1,79,579
4.	द ओरियेंटल बीमा कं लिमिटेड The Oriental Insurance Co. Ltd.	303.88	42.26	14,576
5.	स्टार स्वास्थ्य एवं संबद्ध बीमा कं लिमिटेड Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	684.02	94.28	9,611
6.	केयर स्वास्थ्य बीमा लिमिटेड Care Health Insurance Ltd.	1737.07	260.28	48,733
7.	कोटक महिंद्रा जीवन बीमा बीमा कं लिमिटेड Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	2061.29	लागू नहीं NA	10,434
8.	म्यूचुअल निधि व्यवसाय Mutual Fund Business	लागू नहीं NA	14.81	लागू नहीं NA
9.	फिसडम से आय/Income from Fisdome	लागू नहीं NA	12.75	लागू नहीं NA

12. विधिक मामले

प्रथम दृष्टया, विधि विभाग की रक्षात्मक भूमिका होती है, जो दावों, मुकदमों और आपराधिक आरोपों के वित्तीय और प्रतिष्ठित परिणामों से बैंक की सुरक्षा पर केंद्रित होती है। इसके अलावा, विभाग बैंक के खिलाफ मुकदमों को रोकने का प्रयास करता है और मौजूदा मुकदमों का प्रबंधन करने का प्रयास करता है ताकि बैंक के हितों की रक्षा हो सके। एक कॉर्पोरेट इन-हाउस वकील के रूप में, विधि विभाग अतिरिक्त लागत बचत भी सुनिश्चित करता है क्योंकि कोई व्यक्ति बाहरी वकील को प्रति घंटा की दर से भुगतान नहीं कर रहा है। यह अनावयक विलंब को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है, क्योंकि विभाग विशेष रूप से उन्हें नियोजित करने वाले व्यवसाय के लिए काम करता है, न कि किसी तीसरे पक्ष के लिए जिसमें कई अलग-अलग ग्राहक होते हैं। बैंक के लिए एक संस्था के रूप में एक विधि विभाग होने का एक अतिरिक्त लाभ है क्योंकि विभाग द्वारा संस्थान द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय से परिचित होने के साथ, बैंक के कार्य वातावरण, इसके सिद्धांतों और इसके सामान्य लोकाचार का ज्ञान किसी भी संभावित कानूनी जोखिम से बचने में सक्षम है। सहायक के रूप में, बैंक के कर्मचारियों के रूप में, उनके दिल में बैंक के सर्वोत्तम हित भी होंगे, जो बाहरी वकील के मामले में नहीं हो सकता है।

हालांकि, बैंक में विधि विभाग का कार्य केवल कानूनी सलाह देने या कानून के विभिन्न मंचों के समक्ष बैंकों के मुकदमों को संभालने तक ही सीमित नहीं है; हमें बहुमुखी कानूनी कार्य सौंपा गया है। विधि विभाग दिन-प्रति-दिन बैंकिंग में कानूनी कौशल के विभिन्न डोमेन को प्रभावित करने वाले दस्तावेजों, नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा करने में शीट एंकर की भूमिका निभाता है। विधि विभाग उन नीतियों/दिशानिर्देशों को क्रम में रखता है जो अधिवक्ताओं के पैनेल में शामिल हैं, अधिवक्ता शुल्क का भुगतान, मृत खाताधारकों और लापता व्यक्तियों आदि के दावों का निपटान, और कानून के विभिन्न विषयों पर हैंडबुक तैयार करना, परिपत्र जारी करना, अनुवर्ती कार्रवाई करना कानून के विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित मुकदमों की निगरानी और प्रशिक्षण आदि प्रदान करना। विधि विभाग वसूली विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, खुदरा विभाग, क्रेडिट विभाग, तनावग्रस्त संपत्ति कार्यक्षेत्र विभाग, कार्यनीति योजना विभाग, वित्त विभाग, अंतर्राष्ट्रीय विभाग आदि जैसे विशिष्ट विभागों की अनुबंध/सेवा स्तर समझौते (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्था/नए उत्पाद इत्यादि विशिष्ट आवयकताओं को भी पूरा करता है। ।

इसके अलावा, शाखा के कार्मिकों के बीच जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से, वित्त वर्ष 2021-22 में विधि विभाग ने 13 परिपत्र और 47 सामान्य पत्र जारी किए हैं, जो कि विधियों और नए विधानों पर विभिन्न संशोधनों के संबंध में हैं। इसके अलावा बैंक के ऋण दस्तावेजों को कानूनी गतिशीलता की बदलती गति के साथ संरेखित करने के लिए, विभाग ने विभिन्न योजनाओं जैसे गृह ऋण, कार ऋण, सावधि ऋण, दृष्टिबंधक आदि से संबंधित ऋण दस्तावेजों की जांच की है और प्रधान कार्यालय में संबंधित विभागों को आशोधन/संशोधन का सुझाव दिया। हमने इस वित्तीय वर्ष में काफी राशि की वसूली में अपना प्रत्यक्ष समर्थन भी दिया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विधि विभाग ने निम्नलिखित को भी पूरा किया है:

- बैंक द्वारा 3.00 करोड़ रुपये से 50.00 करोड़ रुपये के बीच की राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों में दर्ज की गई शिकायतों/एफआईआर की कानूनी जांच और सभी शिकायतों/एफआईआर का पुनरीक्षण करना, चाहे अंचल कार्यालयों में कोई भी विधि अधिकारी पदस्थापित न हो।

12. LEGAL MATTERS

Law Department, in a first instance, has a defensive role, focused on protection of the Bank from financial and reputational consequences of claims, litigations and criminal charges. Further, the Department endeavors to prevent litigations against the Bank and tries to manage the existing litigations so that the interest of the Bank is protected. As a corporate in-house counsel, Law Department also ensures inherent cost saving, since one is not paying an external counsel at an hourly rate. It significantly reduces unnecessary delays, as the Department works exclusively for the business employing them, rather than for a third party with a number of different clients. For the Bank as an Organization has an added advantage of having a Law Department since the Department while being familiar with the business carried by the institution, knowledge of Bank's working environment, its principles and its general ethos is able to obviate any possible legal risk. In auxiliary, as employees of the Bank, they will also have the best interests of the Bank at heart, which may not be the case for an external counsel.

However, the task of Law Department in the Bank is not only confined to furnishing legal advice or handling lawsuits of Banks before various fora of Law; we are entrusted with versatile legal works. Law Department plays a role of sheet anchor in drafting, vetting, reviewing of documents, policies & guidelines effecting various domain of legal acumen in day to day Banking. Law Department puts in order the policies/guidelines that enfold the empanelment of Advocates, payment of Advocate Fees, settlement of claims of deceased account holders and missing persons etc., and preparing Handbooks on various topics of law, issuance of Circulars, follow-up & monitoring of litigations pending before various fora of law and to impart training etc. The Law Department also caters to the specific needs of specialized Departments like Recovery Department, Information Technology Department, Retail Department, Credit Department, Stressed Asset Vertical Department, Strategic Planning Department, Finance Department, International Department etc., by Drafting/Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

Besides, with a view to create awareness amongst the Field Functionaries, in the FY 2021-22 the Law Department has issued 13 Circulars and 47 Common letters regarding various amendments on Statutes and new Legislations. Further to align the Bank's loan documents with changing pace of legal dynamics, Department has examined the loan documents related to various Schemes viz., Home Loan, Car Loan, Term Loan, Hypothecation etc., & suggested modifications/ amendments to the respective Departments at Head Office. We have also extended our direct support in recovery of a considerable amount in this FY.

In addition to the above, Law Department has also catered to:

- Legal vetting of Complaints/FIRs filed by Bank in the fraud cases involving amount between Rs. 3.00 Crores and Rs. 50.00 Crores and also vetting of all Complaints/FIRs irrespective of amount involved of Zonal Offices where no Law Officer is posted.

- बैंक द्वारा दायर की गई आरटीआई अपीलों की कानूनी जांच और विभिन्न कॉर्पोरेट विभागों के अनुरोध और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दस्तावेजों की जांच करना।
- जब भी आवश्यक हो, विभिन्न जटिल कानूनी मुद्दों पर विभिन्न कॉर्पोरेट विभागों को कानूनी राय प्रदान करना।
- किसी भी कानून/अधिनियम में नए कानून/संशोधन सहित विभिन्न मामलों पर वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के पत्राचार में भाग लेना;
- विधि के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने में सेंट्रल स्टाफ कॉलेज को सकाया के रूप में अपना सहयोग देना;
- Legal vetting of RTI Appeals filed by the Bank and also vetting of various documents as per the request and requirement of different corporate departments.
- Providing legal opinion to different Corporate Departments on complex legal issues involved, whenever requisitioned for.
- Attending to correspondences of the Ministry of Finance, Reserve Bank of India and Indian Banks' Association on different matters including new legislation/amendments in any Statute/Act;
- Extend its support to the Central Staff College as faculty in imparting training on varied topics of law;

कॉरपोरेट नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में, कानून विभाग, एक कारोबारी माहौल के भीतर किसी भी कथित मुकदमेबाजी की संभावना को कम करने का प्रयास करता है जो उत्पन्न हो सकता है। विधि विभाग बैंक की लाभप्रदता के साथ-साथ वसूली में वृद्धि करने के लिए अपने तरीके से योगदान देता है।

As a part of the corporate network, Law Department, within a business environment tends to make an endeavour to obviate the chances of any purported litigation that could arise. Law Department contributes in its own way to augment recovery in corollary with Bank's profitability.

13. वसूली

13. RECOVERY

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण/Particulars	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
नकद वसूली/Cash Recovery	2991.52	2716.28	1168.30	1298.85
कोटि उन्नयन/Up gradation	2332.20	1592.39	453.35	2087.08
कुल /Total	5323.72	4308.67	1621.65	3385.93
तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली Recovery in Technical Written off accountss	440.46	886.03	1087.37	1278.48
सकल अनर्जक आस्ति/Gross NPA	29888.33	19281.95	11351.97	10237.43
सकल अनर्जक आस्ति%/Gross NPA %	25.00%	16.77%	9.59%	7.89%
निवल अनर्जक आस्ति/Net NPA	9649.92	5510.66	4389.51	3315.78
निवल अनर्जक आस्ति%/Net NPA %	9.72%	5.45%	3.94%	2.70%

बैंक के वसूली तंत्र द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर त्वरित वसूली का लाभ उठाने के लिए संशोधित समझौता निपटारा योजना, एनडीएनडी योजना, सरफेसी अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), लोक अदालत, एनसीएलटी, देशव्यापी मेगा वसूली शिविर, विशिष्ट स्थानों पर माइकिंग, एमएओ अभियान, इरादतन चूककर्ताओं की घोषणा, एलओसी जारी करना आदि आयोजित किए गए। पिछले तीन वर्षों के लिए जीएनपीए, एनएनपीए, नकद वसूली और उन्नयन का विवरण निम्नानुसार है:-

31 मार्च, 2021 को कुल नकद वसूली तथा उन्नयन की राशि ₹.1621.65 करोड़ के एवज में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 3385.93 करोड़ रुपये हैं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में नकद वसूली पिछले वर्ष के 1087.37 करोड़ रुपये की तुलना में 1278.48 करोड़ रुपये है। हानि और बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की वसूली का लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव पड़ता है इसलिए बैंक ऐसे खातों में वसूली के लिए निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई में प्राथमिकता दे रहा है।

कुछ वसूली पहल :

- बैंक के पास एनपीए और एमएल खातों के लिए 5.00 करोड़ रुपये

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of the organization to take advantage of modified compromise settlement scheme, NDND Scheme, SARFAESI Act, DRTs, LokAdalats, NCLT, Country wide Mega Recovery Camps, Miking in specific locations, MAO campaigns, declaration of wilful defaulters, issuance of LOCs etc. were organized for speedy recovery. The details of GNPA, NNPA, Cash Recovery and upgradation for the last three years are as under.

The total cash recovery plus upgradation for the year ended 31st March, 2022 is Rs. 3385.93 Crore as against Rs. 1621.65 Crore for the year ended 31st March, 2021.

The cash recovery in technically written-off accounts is Rs. 1278.48 Crore for the year ended 31st March, 2022 compared to Rs 1087.37 Crore for the previous year. Recovery in Loss and Written Off assets has a direct impact upon the profitability hence Bank giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts.

Some Recovery initiatives:

- Bank had liberal Compromise Settlement Scheme for NPA

तक की शेष राशि के लिए उदार समझौता निपटान योजना थी, जिसके तहत शाखा प्रमुखों को गैर-विवेकाधीन / गैर-भेदभावपूर्ण ओटीएस योजना के तहत अधिक एनपीए खातों को कवर करने के लिए समझौता प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था।

- बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई के प्रभावी और समयबद्ध प्रवर्तन और एनपीए खातों के शीघ्र समाधान के लिए प्रवर्तन और वसूली एजेंटों और व्यापार संवाददाताओं (बीसी) की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।
- बैंक ने प्रभावी निगरानी और खातों के शीघ्र समाधान के लिए सरफेसी कार्यों, कानूनी मामलों आदि की स्थिति की निगरानी के लिए प्रधान कार्यालय और अंचल कार्यालयों में विभिन्न विभागों की सुविधा के उद्देश्य से विधि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया है।
- एमएओ (एक के खिलाफ कई) दृष्टिकोण को नियमित आधार पर अडिजल उधारकर्ताओं के खिलाफ अपनाया जाता है।
- एनपीए खातों में वसूली बढ़ाने के लिए मेगा रिकवरी कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। एनपीए खातों में संपत्तियों को अपलोड किया जाता है और आईबीए (<https://ibapi.in>) (भारतीय बैंकों की नीलामी आस्तियों की जानकारी) के एक सामान्य वेब पोर्टल 'ई-बिक्रय' पर नीलामी के लिए रखा जाता है।
- सरफेसी के तहत आस्तियों की मेगा ई-नीलामी मासिक आधार पर आयोजित की जा रही है।
- एनसीएलटी के लिए पात्र खातों की गहन खोज की जा रही है। एनसीएलटी मामलों के संबंध में आगे के रास्ते पर विचार करने के लिए बैंक नियमित आधार पर अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संपर्क में है। एनसीएलटी के तहत अधिकांश खाते कंसोर्टियम / बहु बैंकिंग खाते हैं, जिनकी निगरानी कंसोर्टियम के लीडर आदि के परामर्श से मामले के आधार पर समाधान के लिए की जा रही है। जहां बैंक कंसोर्टियम का लीडर है, वहां समाधान के उद्देश्य से प्रत्येक खाते में अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। जहां हमारा बैंक कंसोर्टियम/जेएलएफ का सदस्य है, बैंक नियमित आधार पर संबंधित लीडर बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ विशेष रूप से लगातार अंतराल पर जेएलएफ की बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में उपयुक्त स्तरों पर हमारे बैंक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहा है।

14. ऋण निगरानी

देश ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दूसरी लहर के रूप में कोविड के पुनरुत्थान को देखा था और वेतनभोगी वर्ग, दैनिक वेतन भोगी और व्यवसायी वर्ग आदि सहित समाज का हर वर्ग देनदारियों को पूरा करने के लिए प्रभावित हुआ है।

कोविड -19 प्रभाव का न्यूनीकरण:

कोविड -19 के कारण प्रभावित उधारकर्ताओं द्वारा सामना किए गए तनाव को कम करने के लिए, आरबीआई ने नियामक उपायों की घोषणा की थी और कोविड प्रभावित दबावग्रस्त आस्तियों के लिए 5 मई, 2021 को एक संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा की थी। तदनुसार, कोविड -19 संबंधित दबाव (आरएफ 1.0 और आरएफ 2.0) के लिए आरबीआई के संकल्प ढांचे के अनुसार, बैंक ने आवेदन से लेकर संस्वीकृति स्तर तक निर्बाध ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दोनों समाधान ढांचे को लागू किया है। बैंक इन पुनःसंरचित खातों को प्रत्येक स्तर पर निगरानी कर रहा है।

भारत सरकार और आरबीआई की समय पर कार्रवाई ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है और पिछले कुछ महीनों के दौरान, उपभोक्ता मांग में

and ML accounts having O/s Balance up to Rs. 5.00 Crore under which the branch heads were empowered to approve compromise proposal to ensure more NPA accounts are covered under the non-discretionary/ non-discriminatory OTS Scheme.

- Bank is utilizing services of Enforcement & Recovery Agents and Business Correspondents (BCs) for effective and timebound enforcement of action under SARFAESI Act and early resolution of NPA accounts.
- Bank has strengthened the Legal Management System with the objective to facilitate different departments at Head Office & Zonal Offices for monitoring status of SARFAESI actions, legal matters etc. for effective monitoring and early resolution of accounts.
- MAO (Many against One) approach is adopted against recalcitrant borrowers on a regular basis.
- Mega Recovery Camps are being organized to augment recovery in NPA accounts. Properties in NPA accounts are uploaded and put for auction on 'e-Bikray' a common web portal of IBA (<https://ibapi.in>) (Indian Banks Auction Properties Information).
- Mega e-auction of properties under SARFAESI is being conducted on monthly basis.
- Accounts eligible for NCLT are being explored vigorously. Bank is in liaison with other financial creditors on regular basis, for considering the way forward in respect of NCLT cases. Most of the accounts under NCLT are Consortium / Multiple Banking accounts which are being monitored for resolution on case to case basis in consultation with leader of consortium etc. Where Bank is the leader of the consortium, follow up was made in each and every account for the purpose of resolution. Where our Bank is a member of Consortium / JLF, Bank is taking up the critical issues with the top management of the respective Leader Banks on regular basis, specifically to convene meeting of JLF at frequent intervals and ensuring our Bank's participation at suitable levels in such meetings.

14. CREDIT MONITORING

The country had witnessed the resurgence of COVID as second wave during FY 2021-22 and every section of the society including salaried class, daily wagers and business class etc. have been affected to meet out liabilities.

Mitigation of COVID-19 impact:

To ease out the stress encountered by the borrowers affected on account of COVID-19, RBI had announced regulatory measures and announced a Resolution Framework 2.0 on 5th May, 2021 for COVID affected stressed assets. Accordingly, as per the RBI's Resolution Framework for COVID-19 Related Stress (RF 1.0 and RF 2.0), Bank has implemented both the resolution frameworks through seamless online process starting from Application to Sanction Level. Bank is also monitoring these restructured accounts at all level.

The timely action of Govt of India and RBI have led to revival of the economy and during last few months, consumer demand

सुधार हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में व्यापार पुनर्जीवित हो रहा है और पूर्व-कोविड स्तरों के लगभग 70-80% पर वापस आ रहा है।

बैंक ने निम्न प्रकार से उन्नत निगरानी के माध्यम से ऋण निगरानी तंत्र को मजबूत किया है :

- शीघ्र चेतावनी संकेत प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) - ईडब्ल्यूएस प्रणाली को पांच लाख रुपये और उससे अधिक के खातों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है जिसमें बैंक के मानक अग्रिमों का 90.02% शामिल है। ईडब्ल्यूएस की सिस्टम पहचान के संबंध में, एक सॉफ्टवेयर पैकेज लागू किया गया है जो ईएएसई (एन्हांसड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) एजेंडा के तहत सुझाए गए 84 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स के साथ आरबीआई द्वारा सुझाए गए 42 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर उत्पन्न करने में सक्षम है।
- डैशबोर्ड : बैंक ने सभी स्तरों पर बेहतर क्रेडिट निगरानी के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड लॉन्च किया है।
- क) दैनिक एनपीए रन से निपटने के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में एक नई रिपोर्ट 'मॉनीटरिंग डेली एनपीए' उपलब्ध कराई गई है।
- ख) डैशबोर्ड नीचे उल्लिखित रिपोर्टों के साथ बैंक के खुदरा पोर्टफोलियो की एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है:
 - क) भौगोलिक वितरण
 - ख) बकेट-वार अग्रिम
 - ग) अग्रिम के संचलन का रुझान
 - घ) अग्रिम में वृद्धि
 - ङ) बारंबार टीओडी की संस्वीकृति
 - च) एनएसीएच/ स्थायी अनुदेा विफल

➤ आईटी संग्रह प्रणाली:

आईटी संग्रह प्रणाली मॉड्यूल के माध्यम से, खाते के जोखिम श्रेणीकरण को 'निम्न और 'उच्च के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वसूली कार्रवाई, खाते के जोखिम वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। विभिन्न संग्रह कार्रवाई जैसे स्वतः ई-मेल/एसएमएस, आईवीआर कॉलों, कॉल सेंटर कॉलों, शाखा कॉलों और शाखा के अधिकारियों के दौरे जोखिम श्रेणी और खातों के पिछले दिनों के बकाए के आधार पर किए जा रहे हैं।

- जैसे कि दबाव ग्रस्त संपत्ति प्रबंधन का एक भाग है जिसमें 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की चूक आस्ति को साप्ताहिक आधार पर आरबीआई के सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (CRILC) के प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग और प्रतिदिन के आधार पर निगरानी की जाती है।
- एनपीए और दबाव खातों को एनपीए ट्रैकर जो की मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से निगरानी की जाती है।

उपर्युक्त निगरानी तंत्र के अलावा, बैंक रिटेल, कृषि और एमएसएमई उधारकर्ताओं की निगरानी के लिए व्यापक रूप से एक समर्पित समाधान पर बोर्डिंग/कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जो बैंक को रैम सेगमेंट (चूक की भविष्यवाणी) के तहत अग्रिम रूप से दबाव की पहचान करने में सक्षम करेगा।

मूल स्तर पर कार्य में सुधार हेतु बैंक ने निम्नलिखित कार्यनीति और दिशानिर्देश बनाया है :

has been recovered and business across most of sectors is reviving and coming back to almost 70-80% of the pre-covid levels.

Bank has strengthened Credit Monitoring mechanism through Enhanced Monitoring as under:

- Early Warning Signal System (EWS) - EWS system has been extended to cover accounts of Rs. 5 Lac and above which covers 90.02% of Bank's standard advances. Regarding System identification of EWS, a software package has been implemented which is capable of generating 42 EWS triggers as suggested by RBI along with 84 EWS triggers as suggested under EASE (Enhanced Access and Service Excellence) Agenda.
- Dashboard: Bank has launched one Dedicated Dashboard for better Credit Monitoring at all level.
- a) A new report "Monitoring Daily NPA" at Credit Monitoring Dash Board has been made available to tackle daily NPA run.
- b) The Dashboard provides a detailed picture of the Retail portfolio of the Bank with below mentioned reports :
 - a. Geographical distribution
 - b. Bucket-wise Advance
 - c. Trend in movement of Advance
 - d. Spurt In Advance
 - e. Sanctioning of Frequent TODs
 - f. NACH/ SI failed

➤ IT Collection System:

Through IT collection system module, risk gradation of the account is categorised under 'Low' and 'High'. The recovery action is made based on the risk categorization of the account. Various collection action viz. Auto E-mail/SMS, IVR Calls, Call Centre Calls, Branch Calls and Branch officials visits are being made based on the risk category and day past due of the accounts.

- As a part of stressed asset management, default assets of Rs. 5 crore and above weekly reporting done to RBI at Central Repository of Information on Large Credit (CRILC) platform and monitored on daily basis.
- NPA Tracker through mobile application has been introduced for monitoring stressed and NPA accounts at base level.

In addition to the above mentioned monitoring mechanism, Bank is in process of on boarding/implementing a dedicated solution extensively for the monitoring of Retail, Agriculture and MSME borrowers that will enable Bank to identify the stress in advance under RAM segment (predicting default).

To improve upon functioning at the grass root level, bank has devised following strategic policy and guidelines:

- क) ऋण निगरानी 2021-22 के परिचालन दिशानिर्देश का अद्यतन तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद जारी कर दिया गया है।
- ख) टीईवी परामर्शदाताओं के एमपनेलमेंट पॉलिसी को संशोधित कर उसे 01.04.2022 को जारी कर दिया गया है।
- ग) स्टॉक और बुक डेट ऑडिटर्स की नियुक्ति और एमपनेलमेंट पॉलिसी को संशोधित कर उसे 01.04.2022 को जारी कर दिया गया है।
- घ) ऋण सुविधा के लिए दी जाने वाली सुरक्षित प्राइमरी और कोलटेरल संपत्तियों के मूल्यांकन की नियुक्ति और एमपनेलमेंट पॉलिसी को संशोधित कर उसे 01.04.2021 को जारी कर दिया गया है।
- ङ) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्र कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक और आरबीआई दिशानिर्देशों को ध्यान में रख ऋण निगरानी को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए छब्बीस (26) परिपत्रों को जारी किया गया है।
- च) बोर्ड के अनुमोदन के बाद रुपया 250 करोड़ से ऊपर के एक्सपोजर उधार खातों की विशेष निगरानी हेतु एक ऐजेंसी की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों को 01.04.2022 से संशोधित किया गया।

कार्यपालक निदेशक (ईडी) की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी (एचपीसी) द्वारा हर पखवाड़े में 5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के देबावग्रस्त खातों की सीधे निगरानी की जाती थी।

15. जोखिम प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2021-22, हालांकि कोविड प्रभाव के कारण बैंकों और उद्योग के लिए चुनौतियों के साथ शुरू हुआ, बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए विभिन्न पहल की और बैंक स्तर पर कई सिस्टम और प्रक्रियाएँ लागू की है। जोखिम प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शन में, वटिकल विभिन्न जोखिमों के मूल्यांकन एवं निर्धारण तथा उनके निवारक उपायों की दिशा में विभिन्न परिपत्रों, मानक परिचालनगत प्रक्रिया, दिशानिर्देश तथा वर्चुअल प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से सक्रिय कार्य कर रहा है।

बेसल III अपेक्षाओं के अनुरूप जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

15.1 ऋण जोखिम प्रबंधन:

- नए अनुमोदन या ऋण-सीमा में वृद्धि से पहले ऋण प्रस्तावों में निहित ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए क्रेडिट रिस्क वटिकल (सीआरवी) की शुरुआत की है। सीआरवी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक सिस्टम में लाइव किया गया है और 34 जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर जोखिम स्कोरिंग के लिए इसका ऑनलाइन उपयोग किया जा रहा है। बैंक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रणाली को, विशेष रूप से पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस), ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) और क्रेडिट रेटिंग मॉड्यूल आदि, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) सुधार एजेंडा वृद्धिगत पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज-ईएसई) के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुरूप एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।
- कारपोरेट उधारकर्ताओं हेतु हमारे ऋणों की कीमतों का निर्धारण, पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआरओसी) मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। आस्तित्व देयता प्रबंधन (एएलएम) कक्ष हमारी सभी देनदारियों और आस्तित्व उत्पादों के मूल्य निर्धारण के मामले में भी पूरी तरह से एकीकृत है जो आरबीआई नीति दर के साथ जुड़ा हुआ है और यह बाजार संचालित है।
- निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक की ऋण नीति को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

- a) Operational guidelines for Credit Monitoring 2021-22 has been updated and put in place after obtaining approval of the members of Board of Directors.
- b) Policy for empanelment of TEV consultants has been revised and put in place on 01.04.2022.
- c) Guidelines for empanelment and appointment of Stock & Book Debt auditors has been revised and put in place on 01.04.2022.
- d) Policy for empanelment of valuers for the properties offered as securities, both primary and collateral while processing of credit facility has been revised and put in place on 01.04.2021.
- e) Based on the feedback received from field functionaries and following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI), twenty six (26) numbers of circulars issued on effective credit monitoring during Financial Year (FY) 2021-22.
- f) Engagement of Agencies for Specialized Monitoring and effective monitoring of Large Borrowal accounts with exposure above Rs 250.00 Crores has been revised on 01.04.2022 after obtaining approval of the Board.

Stressed accounts of Rs 5.00 crore and above was directly monitored by High Power Committee (HPC), headed by Executive Director (ED) on fortnightly basis.

15. RISK MANAGEMENT

Financial Year 2021-22, though commenced with challenges for Banks & Industry due to COVID impact, Bank had taken various initiatives and implemented a number of System & Procedures at Bank level to mitigate various Risk associated with Banking Business. Under the umbrella of Risk Management Department, verticals are actively functioning towards evaluation & assessment of various risks and its preventive measures by issuing circulars, SOP, Guidelines and Virtual Training modules.

Major scope of Risk Management Areas is as under, in line with BASEL III requirements:-

15.1 Credit Risk Management:

- Credit Risk Vertical (CRV) has been introduced to evaluate inherent credit risk in credit proposals before its fresh sanction and enhancement. The CRV model has been successfully made live in the system and is being used online for Risk Scoring based on 34 Risk Matrix. Bank is in process of integrating the entire Risk Management System especially with Early Warning Signal (EWS), Loan Management System (LMS) and Credit Rating Modules are in place in line with Enhanced Access & Service Excellence (EASE) requirements, under the PSB reforms agenda.
- Pricing of loan to Corporate Borrowers is linked with Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) Model which has been made available online and is being used extensively. ALM cell is also fully integrated in terms of pricing all our Liabilities and Asset products linked with RBI policy rate which is market driven.
- Bank's Loan Policy is being updated from time to time with the approval of Board of Directors.

15.2 परिचालन जोखिम प्रबंधन:

- बैंक ने ऋण एवं परिचालन जोखिम के क्षेत्र में उद्योग स्तर पर श्रेष्ठ पद्धतियों की पहचान की है। हमारे बैंक की सभी नीतियों की समीक्षा की गई और कुछ नीतियों की जांच बाहरी एजेंसियों द्वारा भी की गई। जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अंचल कार्यालय और शाखा स्तर तक विस्तारित कर दिया गया है।
- विभिन्न परिचालन जोखिमों के त्वरित शमन के लिए शाखा/अंचल स्तर से ऑनलाइन रियल टाइम ऑपरेशनल लॉस इवेंट्स की सूचना दी जा रही है।
- शाखा स्तर पर परिचालन जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा तथा इसके मूल कारणों का विश्लेषण करने तथा उसे दूर करने के लिए अंचल कार्यालय स्तरीय परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

15.3 बाजार जोखिम प्रबंधन:

- बैंक ने अपनी बाजार जोखिम नीतियों को उनके कोष संबंधी कार्यों को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए संरचित किया है, जो बाजार जोखिम की स्थिति की देखरेख का कार्य करती है। बैंक दैनिक आधार पर संशोधित अवधि, पीवी 01 एवं वीएआर के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर जोखिम को मापता है। विदेशी मुद्रा जोखिम को दैनिक आधार पर नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपी), वीएआर लिमिट, एजीएल (एग्जीगेट गैप लिमिट), इंडिविजुअल गैप लिमिट के रूप में भी मापा जाता है। वीएआर पोर्टफोलियो आकार सीमा को लेनदेन स्तर पर हमारे पोर्टफोलियो की निगरानी के साथ-साथ स्टॉप लॉस-वार और डीलर-वार सीमा के साथ मापा जाता है।
- बाजार जोखिम से जुड़े सभी मापदंडों का बैक-टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग किया गया है।
- स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत, हमारा बैंक तिमाही आधार पर, दर संवेदनशील संपत्ति और देनदारियों के बीच बेमेल होने के कारण अपने ट्रेडिंग बुक पोर्टफोलियो तथा साथ-साथ बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम के व्यापक तनाव की देखरेख करता है, जो आम तौर पर बाजार में ब्याज दर बदलाव के साथ बैंकों की आय/इक्विटी को प्रभावित करता है। हम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत पारंपरिक गैप विलेक्षण, जोखिम पर आय आदि उपायों का उपयोग करते हैं।

15.4 चलनिधि जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) के रूप में चलनिधि मानकों पर बेसल-III फ्रेमवर्क को लागू किया है और हमेशा बिना भार वाली उच्च गुणवत्तायुक्त तरल संपत्ति के पर्याप्त स्तर का रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है जिसे 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के लिए चलनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। एनएफएसआर (नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो) को नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखा गया है, जो बैंकों को निरंतर आधार पर फंडिंग के अधिक स्थिर 'स्रोतों' के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज में लचीलापन को बढ़ावा देता है।

15.5 क्रेडिट रेटिंग कक्ष:

- वर्तमान 7 मॉडलों के स्थान पर 14 मॉडल विकसित करके आंतरिक क्रेडिट रेटिंग (आईसीआर) मॉडल को और अधिक मजबूत बनाया गया है। इसे एक बाहरी एजेंसी द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।
- हमारे रेटिंग मॉडल को इस तरह से अद्यतन किया गया है कि अब यह लगभग बाहरी रेटिंग एजेंसियों के बराबर है और निशान/मानक के अंतर को कम करता है। अब रेटिंग प्रवासन और डिफॉल्ट विश्लेषण भी किए गए हैं और आंतरिक रेटिंग के साथ तेजी से मेल खाते हैं।

15.2 Operational Risk Management:

- Bank has identified Best practices at Industry level in Credit & Operational Risk areas. All the Policies of our Bank have been reviewed and some policies have also been vetted by the external agencies. Risk Management culture has been percolated down to the Zonal Office and Branch Level.
- Online Real Time Operational Loss Events are being reported from field level for prompt mitigation of various Operational Risks.
- Zonal Office Level Operational Risk Management Committee has been formed to review the operational risk areas at field level and analysis of its Root Cause and its plugging thereof.

15.3 Market Risk Management:

- Bank has structured its Market Risk Policies to control and monitor their treasury functions which undertake market risk positions. Bank measures Interest Rate Risk in its trading book through Modified Duration, PV01 and VaR on a daily basis. Foreign Exchange Risk is also measured in terms of Net Overnight Open Position Limits (NOOP), VaR limit, AGL (Aggregate Gap Limit), Individual Gap Limit on daily basis. VaR and portfolio size limit are measured along with monitoring of our portfolio at transaction level, stop loss wise and dealer wise limit.
- Back-testing and Stress Testing of all the parameters associated with Market Risk have been done.
- Under stress testing framework, our bank conducts comprehensive stress of its trading book portfolio as well as interest rate risk in the banking book due to mismatch between rate sensitive asset and liabilities on quarterly basis, which generally impact the earnings/ Equity of the banks with the change in the interest rate in the market. We use Traditional Gap analysis, Earning at Risk kind of tools under Risk Management approach.

15.4 Liquidity Risk Management:

Bank has implemented the BASEL III framework on Liquidity Standards as LCR (Liquidity Coverage Ratio) and always ensures maintenance of adequate level of unencumbered High Quality Liquid Asset which can be converted into Cash to meet liquidity needs for a 30 calendar days' time. NFSR (Net Stable Funding Ratio) has been maintained as per regulatory guidelines, which promotes resilience over a longer term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis

15.5 Credit Rating Cell:

- Internal Credit Rating (ICR) Models have been made more robust by developing 14 Models in place of existing 7 Models. The same has also been approved by an External Agency.
- Our Rating Models are recalibrated in such a way that it is now almost at par with External Rating Agencies and minimises the notch differences. Now the rating migration and default analysis also undertaken and are matching exponentially with the Internal Rating.

- प्रौद्योगिकी संचालित नवीनतम क्रेडिट रेटिंग टूल/मॉडल/समाधान को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए, बैंक प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

15.6 कपट जोखिम प्रबंधन कक्ष:

कपट जोखिम प्रबंधन कक्ष ने संभावित कपट का समय पर पता लगाने के लिए उद्यम कपट जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) को लागू करने की पहल की है जिसमें जोखिम आधारित लेनदेन निगरानी प्रणाली (आरटीएमएस) शामिल है। यह परियोजना प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।

यह कपट जोखिम प्रबंधन समूह (एफएमजी) समय-समय पर कपट के मूल कारणों और कार्यपालकों की समिति (सीओई) द्वारा अंतर्निहित कपट तत्वों, यदि कोई हो, के मूल्यांकन तथा आकलन के माध्यम से कपट के रूप में खातों की पहचान, आदि का विश्लेषण कर रहा है।

15.7 ईज कार्यनिष्पादन:

पीएसबी सुधार एजेंडा के ईएएसई 4.0 के तहत हमारे बैंक का स्कोर (बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप और आईबीए द्वारा समन्वित, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार द्वारा भी निगरानी की जाती है) में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है और 31-12-2021 तक सभी पीएसबी में हमारे बैंक की स्थिति 6वें स्थान पर है।

15.8 अन्य पहलें:

- यूको बैंक ने पीएसबी द्वारा सामूहिक रूप से 'पीएसबी अलायंस' के रूप में प्रदान की जाने वाली डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की भी शुरुआत की है, जैसे कि संपूर्ण भारत के प्रमुख शहरों में चेक एवं आय-कर छूट प्रमाणपत्र एकत्रित करने तथा आय-कर चालान, ड्राफ्ट, खाता विवरण की सुपुर्दगी, आदि। कोविड-19 महामारी संकट के दौरान, बैंक ने बिना समय गंवाए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत सरकार के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया तथा एमएसएमई एवं गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाईंस का विस्तार किया।
- बैंक ने निम्नलिखित के लिए जोखिम उठाने की क्षमता आकलन किया है:-
 - (i) उद्योग-वार एक्सपोजर और इसकी उच्चतर सीमा
 - (ii) राज्य सरकार-वार एक्सपोजर सीमा (राज्य सरकार की गारंटी सहित अथवा गारंटी रहित)
 - (iii) बैंक-वार एक्सपोजर सीमा
 - (iv) देश-वार एक्सपोजर सीमा
- बैंक ने सभी खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए बाहरी बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) में अंतरण कर लिया है, जो नीति ब्याज दर में बदलाव के लाभ को स्वचालित रूप से पारित करता है।
- बैंक ने बजट व्यवसाय योजना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन नीति (आईसीएपी) दस्तावेज में जोखिम उठाने की क्षमता को प्राप्त कर लिया है। कार्यनिष्पादन के आधार पर बैंक के जोखिम मानदंडों के मूल्यांकन हेतु उद्यम-वार जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन और आकलन नीति तैयार की गयी है।

16. वित्तीय वर्ष 2021-22 में सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीआर एवं बीटीडी

16.1 फिनेकल 10.x

- बैंक ने नई विशेषताओं एवं वर्धित ग्राहक अनुभव को कार्यान्वयन हेतु सफलतापूर्वक कोर बैंकिंग साल्यूशन फिनेकल 7.x से फिनेकल 10.X में प्रवासन कर लिया है।

- For adoption and implementation of technology driven latest Credit Rating tools/models/solution, Bank is in the process of engaging external agency of repute.

15.6 Fraud Risk Management Cell:

Fraud Risk Management Cell has taken initiatives to implement Enterprise Fraud Risk Management System (EFRMS) comprising of Risk Based Transaction Monitoring System (RTMS) for timely detection of potential fraud. The project is under process and will be implemented shortly.

Fraud Risk Management Group (FMG) is analysing the reported Early Warning Signals for classification of account as RFA or otherwise. Root causes of frauds and identification of accounts as fraud by the Committee of Executives (COE) is done through evaluation and assessment of inherent fraud elements, if any.

15.7 EASE Performance:

The score of our bank under EASE 4.0 of PSB reform agenda (Co-ordinated by Boston Consultancy Group and IBA, also monitored by DFS, MoF, GoI) has improved over last years and our banks position is 6th among all PSBs as on 31-12-2021.

15.8 Other Initiatives:

- UCO Bank also unveiled Doorstep Banking Services offered collectively by PSB as "PSB Alliance" for service such as pick -up of cheques and income-tax exemption certificates and delivery of Income tax challans, drafts and account statements in major cities across India. During Covid-19 pandemic crisis, Bank implemented all the directives of Govt of India under AatmaNirbhar Bharat, without loss of time and Emergency Credit Lines were also extended to MSME and Non MSME borrowers.
- Bank has assessed Risk appetite for
 - (i) Industry wise exposure and its ceiling
 - (ii) The State Government wise exposure ceiling (With/ Without State Govt. Guarantee)
 - (iii) Bank wise Exposure Ceiling
 - (iv) Country wise Exposure Ceiling
- Bank has shifted to External Benchmark Lending Rate (EBLR) for all Retail & MSME Loans which automatically passes on the benefit of Policy Interest Rate changes.
- Bank captured Risk Appetite Capacity in Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) Document duly approved by the Board considering the Budgeted Business Plan and Objective into account. Assessment and Evaluation Policy for Enterprise wise Risk Management has been framed to evaluate the risk parameters of the Bank on performance basis.

16. INFORMATION TECHNOLOGY , BPR & BTD in FY 2021-22

16.1 Finacle 10.x

- Bank has successfully migrated Bank's Core Banking Solution Finacle 7.x to Finacle 10.X for implementation of new features and enhanced customer experience.

16.2 नए ई-बैंकिंग एप्लिकेशन (एफईबीए) का कार्यान्वयन

- फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लिकेशन (एफईबीए) का कार्यान्वयन ।
- नए इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन (एफईबीए) में एकीकृत भारत बिल भुगतान प्रणाली ।
- बैंक प्रबंधन प्रणाली पश्चिम बंगाल (एसबीएमएस डब्ल्यूबी) योजना का एकीकरण ।
- फिनेकल अलर्ट सॉल्यूशन (एफएएस) का कार्यान्वयन ।

16.3 एटीएम/डेबिट कार्ड:

- भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टॉल संग्रहण (एनईटीसी) योजना के अंतर्गत बैंक के फास्टेज का शुभारंभ ।
- एनपीसीआई भारत ई-वाणिज्य भुगतान गेटवे प्रणाली के अंतर्गत रूपे कार्ड के जरिए स्थायी अनुदेश (ई-मंडेट) का शुभारंभ ।
- 550 नए पासबुक कियोस्क / 250 कैपेक्स एटीएमों / 30 नए नकद रिसाइक्लरों की खरीद / संस्थापन ।
- ओवरड्राफ्ट खातों में डेबिट कार्ड जारी करना जो कि केवल वैयक्तिक ऋण में किसी विशेष अंतिम-प्रयोक्ता के बिना उसकी प्रकृति में होती है।
- वीज़ा संपर्करहित 'वीज़ा पेवेव' डेबिट कार्ड का शुभारंभ ।
- रूपे डेबिट कार्ड में स्थायी अनुदेश ।
- रूपे चयनित वैयक्तिक संपर्करहित कार्ड का शुभारंभ ।

16.4 एम-बैंकिंग :

मोबाइल बैंकिंग में कार्यान्वित विशेषताएं

- एम-बैंकिंग के जरिए सीबीएस में ईमेल आईडी का अद्यतन तथा एमबैंकिंग के जरिए मोबाइल नंबर अद्यतन ।
- कैश@यूपीआई सेवाएँ ।
- एमबैंकिंग प्लस ऐप के जरिए ऑनलाइन तत्काल खाता खोलना ।
- भीम यूको यूपीआई - में व्यापारी वैशिष्ट्य लाइव हूँ, एनपीसीआई के अनुसार जीएसटी सेवा सक्रियण तथा जीएसटी क्यूआर का सृजन ।
- पारस्परिक निधि / टैक्स ई-फाइलिंग / एनपीएस खाता खोलना / सीडीएसएल के साथ इंस्टाडिमाट खाता / व्यापार खाता के लिए एमबैंकिंग के साथ फिसडम एकीकरण ।
- एमबैंकिंग के माध्यम से ग्रीन पिन सृजन
- यूको एमबैंकिंग प्लस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोलना ।
- यूपीआई प्रिपेड (ईरूपी) जारीकर्ता एवं हासिलकर्ता अर्थात् कार्पोरेट के लिए ईरूपी वाउचरों का सृजन ।
- एमबैंकिंग के साथ बैंकिंग आपके द्वार एकीकरण ।
- एमबैंकिंग के साथ डिजिलॉकर एकीकरण
- जारीकर्ता मोड के रूप में यूडीआईआर
- कार्पोरेट मोबाइल बैंकिंग ।
- मोबाइल बैंकिंग में एसबीए ।
- एनएसडीएल इंस्टाडिमाट खाता खोलना ।

16.2 Implementation of new e-Banking Application (FEBA)

- Implementation of Finacle Ebanking Application (FEBA)
- Integration Bharat Bill Payment System in new Internet Banking Application (FEBA).
- Integration of Scheme Bank Management System West Bengal (SBMS WB)
- Implementation of Finacle Alert Solution (FAS)

16.3 ATMs/Debit Cards :

- Introduction of Bank's FASTag under National Electronic Toll Collection (NETC) Programme of Indian Highways Management Company Limited (IHML).
- Introduction of Standing Instruction (E-Mandate) through Rupay Cards under NPCI Bharat E-Commerce Payment Gateway System.
- Procurement/ Installation of 550 New Passbook Kiosks/ 250 CAPEX ATMs/ 300 New Cash Recyclers.
- Issuance of Debit Cards to Overdraft Accounts that are only in the nature of personal loan without any specific end-use.
- Introduction of VISA Contactless 'VISA PAYWave' Debit Card
- Standing Instruction in Rupay Debit Cards
- Launch of Rupay Select Personalised Contactless Card.

16.4 M-banking :

Features implemented in Mobile Banking:

- Email ID update to CBS through M-Banking & Mobile Number Update through Mbanking
- Cash@UPI services.
- Online Instant Account Opening through Mbanking plus app.
- BHIM UCO UPI- I am Merchant feature live, GST service enablement as per NPCI guidelines and generation of GST QR.
- FISDOM integration with Mbanking for Mutual Fund/TAX E-Filing/ NPS account opening/Insta demat account with CDSL and trading account.
- Green PIN generation through Mbanking
- Online Account opening through UCO mBanking plus app
- UPI prepaid (eRUPI) issuer & acquirer i.e. generation of eRUPI vouchers for Corporates
- Door Step Banking integration with Mbanking
- Digilocker integration with Mbanking
- UDIR as issuer mode
- Corporate Mobile Banking
- ASBA in Mobile Banking
- NSDL Insta Demat account opening

16.5 ग्राहकों की सुविधा हेतु कार्यान्वित अन्य महत्वपूर्ण सुविधा

- ग्राहक के पते की जानकारी हेतु वैयक्तिक चेक बुक की सुपुर्दगी।
- ई-फाइलिंग (विद्यमान मॉड्यूल में सुधार)।
- एमबीआरईजी पंजीकृत प्रयोक्ताओं के लिए आवश्यक ऑनलाइन पिन रिसेट सुविधा।
- एफडीआर के एवज में ऋण के लिए आवेदन करना।
- वाहन/दीर्घावधि आवास /यात्रा बीमा के लिए आवेदन करना।
- ऊमा चैटबोट - चैटबोट में वार्ता पूर्व विशेषता एकीकृत की गई है।
- बैंक ने केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त निधि को संभालने एवं पता लगाने हेतु एकल नोडल खाता (एसएनएन) का कार्यान्वयन किया है।
- बैंक ने सह-ऋण प्रदायगी / पूल खाता प्रबंधन हेतु विभिन्न एनबीएफसी के साथ समझौता किया है।

16.6 ऋण प्रसंस्करण प्रणाली (एलपीएस)

बैंक ने ऋणों की त्वरित एवं आसान प्रसंस्करण हेतु नए ऋण प्रसंस्करण प्रणाली को शामिल किया है जिसने बिना विलंब एवं न्यूनतम त्रुटि के साथ ऋणों के प्रसंस्करण को स्टाफ एवं ग्राहक दोनों के लिए सुविधाजनक बनाया है। बेहतर ग्राहक सेवा के लिए निम्नलिखित विशेषताओं को लाइव किया गया है:

- लीड प्राप्त करने हेतु बैंक के एम-बैंकिंग प्लस के साथ एलपीएस को एकीकृत किया गया है।
- शिक्षा ऋण एवं पीएम स्वनिधि प्रस्तावों को प्राप्त करने हेतु क्रमशः एनएसडीएल विद्या लक्ष्मी पोर्टल एवं उद्यमीमित्रा पोर्टल के साथ एलपीएस को एकीकृत किया गया है।
- एलपीएस को राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है तथा 13 ऋण लिंकड सरकारी सब्सिडी योजनाओं के साथ लाइव किया गया है।
- केवायसी सत्यापन, व्यापारी जांच, आईटीआर/जीएसटी/ खाता विवरण विश्लेषण सेवाओं सहित 33 फिनटेक सेवाओं को एलपीएस में लाइव किया गया है।
- ग्राहकों को उनके ऋण प्रस्ताव की स्थिति की जानकारी देने हेतु उन्हें स्वचलित ईमेल एवं एसएमएस प्रेषित किया जा रहा है।

16.7 आगामी परियोजनाएँ

1. एंटरप्राइज एफआरएम (धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) सॉफ्टवेयर- बैंक एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को लागू करने की प्रक्रिया में है। एंटरप्राइज-वाइड स्केलेबल और फ्लेक्सिबल फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन बैंक को संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए नियंत्रणों को लागू करने में सक्षम करेगा।
2. केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा प्रसंस्करण केंद्र (एफएक्सपीसी) का कार्यान्वयन - बैंक ने विदेशी मुद्रा संचालन के प्रसंस्करण को केंद्रीकृत करने के लिए केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा प्रसंस्करण केंद्र (एफएक्सपीसी) के कार्यान्वयन के लिए सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया शुरू की है और विदेशी मुद्रा लेनदेन को स्वचालित करने की योजना है।
3. खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क - बैंक चयनित तकनीकी सेवा प्रदाता (टीएसपी) के माध्यम से खाता एग्रीगेटर (एए) ढांचे के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है ताकि अपेक्षित डेटा को सुरक्षित तरीके से साझा किया जा सके और इस पहल का लाभ ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा सके।

16.5 Other important facility implemented for Customer Convenience

- Delivery of Personalised chequebook to communication address of the customer.
- E-filing (Revamping of existing module).
- Online PIN Reset facility required for MBREG Registered users.
- Apply for Loan against FDR.
- Apply for Motor/Long Term Housing/Travel Insurance.
- UMA Chatbot - The talk back feature has been integrated into the Chatbot.
- Bank has implemented Single Nodal Account (SNA) for handling and tracking of the fund received from Central govt. sponsored schemes.
- Bank has tie-up with various NBFCs for co-lending /pool account management.

16.6 Loan Processing System (LPS):

Bank has incorporated new Loan Processing System for quick and easy processing of loans thus making it convenient for both staff and customer to process loans without delays and minimal faults. The following features have been made live for better customer services:

- LPS is integrated with Bank's M-Banking plus to receive leads from it.
- LPS is integrated with NSDL Vidya Lakshmi Portal and Udyamimitra portal to receive education loan and PM SVANidhi proposals respectively.
- LPS is integrated with National Portal and gone live with 13 credit linked govt. subsidy schemes.
- 33FinTech services including KYC verification, Busines check, ITR/GST/Account Statement analysis services are live in LPS.
- Automated E-Mail and SMS being sent to customers informing them of the status of their loan proposal.

16.7 Upcoming Projects

1. Enterprise FRM (Fraud Risk Management) Software- Bank is in process of implementing Enterprise Fraud Risk Management Software. The enterprise-wide scalable and flexible fraud detection solution will enable Bank to implement of controls for detecting, preventing and effectively responding to probable fraud.
2. Implementation of centralized Forex Processing Centre (FXPC) - Bank has initiated process for selection of service provider for implementation of centralized Forex Processing Centre (FXPC) for centralising the processing of Forex operations and plans to automate the forex transactions.
3. Account Aggregator Framework - Bank is in process of implementation of Account Aggregator (AA) framework through selected Technical Service Provider (TSP) so that the requisite data may be shared in secured way and benefits of this initiatives may be made available to customers.

4. फिनटेक सेवाओं का सूचीकरण - बैंक ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए नए अभिनव उत्पादों के कार्यान्वयन के लिए 08 विभिन्न समूहों के तहत 06 फिनटेक कंपनियों को सूचीबद्ध किया है।
5. इंटरनेट कनेक्शन के बिना मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई आधारित समाधान का कार्यान्वयन - बैंक यूपीआई आधारित मोबाइल समाधान को लागू करने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी लेनदेन किया जा सकता है।

17. साइबर सुरक्षा

- बैंक के अंदर कार्यों एवं परिचालनों से संबंधित साइबर सुरक्षा हेतु निर्देश एवं सहायता प्रदान करने के लिए बैंक के पास साइबर सुरक्षा नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना एवं सूचना सुरक्षा नीति है। इन नीतियों को नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है।
- मानव भेद्यता से उत्पन्न साइबर जोखिम से निपटने के लिए, विभाग ने जोस प्रयास किया है जिसने विभिन्न साइबर जागरूकता पहलों एवं अभियानों के माध्यम से हमारे स्टाफ सदस्यों एवं ग्राहकों की दक्षता को बढ़ाया है।
- सन 2021 में 'तेनाली कृत साइबर कहानियां श्रृंखलाओं के अंतर्गत ग्राफिक निदर्शी सलाह की शुरुआत की गई। इस पहल को ग्राहकों एवं स्टाफ सदस्यों दोनों के द्वारा काफी सराहना की गई। इस सलाह के संस्करणों को ईमेल एवं व्हाट्सअप के माध्यम से सभी कर्मचारियों को साझा किया गया। ग्राहकों के लिए, इसे बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स में तथा बैंक के आधिकारिक वेबसाइट के साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्नेर में भी अपलोड किया गया है। इस कॉमिक श्रृंखला को बैंक के अन्य पत्रिकाओं का हिस्सा भी बनाया गया है ताकि आंतरिक एवं बाह्य ग्राहकों तक प्रचार सुनिश्चित हो।
- विभाग ने साइबर धमकियां, उनके रक्षात्मक कदम और साइबर अपराध की रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं पर सूचनात्मक विडियो तैयार किया है। इस विडियो को बैंक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है तथा संदर्भ को बैंक के सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भी साझा किया गया है।
- साइबर जागरूकता दिवस मनाने हेतु विभाग ने मार्च '22 के प्रथम बुधवार को गहन जागरूकता अभियान आयोजित किया था। हर माह के प्रथम बुधवार को जागरूकता अभियान मनाने हेतु साइबर जागरूकता दिवस गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक पहल है, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रयोक्ताओं के बीच कार्यशाला, संवादात्मक सत्रों एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर अपराध से बचाव हेतु साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना है।
- उस दिन मानक साइबर सुरक्षा अभ्यासों एवं सुरक्षा डिजिटल बैंकिंग टिप्पणियों को आच्छादित करते हुए बैंक के स्टाफ सदस्यों एवं ग्राहकों के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया। हमारे डिजिटल उत्पादों के प्रति ग्राहकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बैंक के डिजिटल उत्पादों में उपलब्ध सुरक्षा विशेषताओं के बारे में उनको बताया गया। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग हेतु ग्राहकों एवं स्टाफ सदस्यों को सरकार के नई हेल्पलाइन नं. 1930 के बारे में उन्हें संवेदित किया गया।
- हाल ही में घटित साइबर अपराध तथा उनसे बचाव के उपायों से संबंधित संक्षिप्त विडियो बैंक के यूट्यूब चैनल के माध्यम से साझा किया गया।
- सायबर टेलस बाय तेनाली नाम से श्रृंखलाओं के अंतर्गत कॉमिक कहानियों के दो संस्करणों को साझा किया गया।

4. Empanelment of FinTech Services - Bank has empanelled 06 FinTech companies under 08 different groups for implementation of new innovative products for enhancing the customer experience.
5. Implementation of UPI based solution for mobile users without having Internet connection - Bank is process of implementation UPI based Mobile solution, through which transactions can be done even without having Internet connections.

17. CYBER SECURITY

- Bank has Cyber Security Policy, Cyber Crisis Management Plan and Information Security Policy to provide direction and support for cyber security related functions and operations within the Bank. The policies are updated on regular basis as per guidelines received from the Regulatory Authorities.
- To address cyber risks arising out of human vulnerability, Department puts concerted efforts in reskilling and upskilling our staffs and customers through various cyber awareness initiatives and campaigns.
- Graphic illustrative advisories under the series 'Cyber Tales by Tenali' was started in 2021. This initiative is heavily appreciated by both the customers and the staff members. Editions of this advisory is shared to all employees through Email and WhatsApp. For customers, it is uploaded in Bank's Official Social Media Handles and also under Cyber Security Awareness Corner of Bank's Official Website. This comic series is also made a part of Bank's other magazines to ensure dissemination to internal as well as external customer.
- Department has initiated creating informative videos on latest cyber threats, their preventive steps and cybercrime reporting procedures. These videos are uploaded in Bank's Official YouTube channel and reference is also shared through Bank's Social Media Channels.
- In observance of Cyber Jagrookta Diwas, Department conducted comprehensive awareness campaign on first Wednesday of March'22. Cyber JagrooktaDiwas is an initiative by Ministry of Home Affairs (MHA) for observing awareness campaign on first Wednesday of every month, with the sole aim of raising cyber security awareness among users on prevention of cybercrime, through workshops, interactive sessions and other events.
- On that day, webinar covering standard cyber safety practices and safe digital banking tips was conducted for Bank's Staffs and Customers. Security features available in Bank's digital products were conveyed to the customers to boost their confidence towards our digital products. Customers and staffs were also sensitized regarding Government's new helpline number 1930 for reporting cyber fraud.
- Short video related to recent incidences of cyber-crime along with the preventive measures were shared through Bank's YouTube Channel
- Two editions of comic story under the series of 'Cyber Tales ByTenali' were shared.

- साइबर जागरूकता संबंधी पोस्ट को बैंक के सोशल मीडिया पेज पर अपलोड किया गया।
- अक्टूबर '21 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मनाने हेतु, हमारे ग्राहकों के बीच आगे प्रचार करने हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में साइबर जागरूकता श्रेष्ठ प्रथाओं को हमारे क्षेत्र कार्यकर्ताओं को व्हाट्सअप/ ईमेल के माध्यम से साझा किया गया।
- हमारे ग्राहकों हितों की रक्षा हेतु, साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं एवं सुरक्षात्मक उपायों को हमारे बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आवधिक आधार पर अपलोड किया जाता है। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध से बचाव से संबंधित साइबरदोस्त, सर्ट-इन, आरबीआईसेयज़, पीआईवीफेक्टचेक, डिजिटल इंडिया ट्वीटों को पुनः ट्वीट किया जाता है।
- उभरते साइबर धमकियों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर हमारे ग्राहकों को संवेदित करने के लिए सुरक्षा एडवाइजरी को शाखा/एटीएम परिसरों पर प्रदर्शित किया जाता है।
- ग्राहकों को आवधिक आधार पर पुश अधिसूचना संदेश भेजे जाते हैं।
- सामान्य साइबर धमकियों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग पेज पर एडवाइजरी प्रदर्शित की जाती है।
- विभाग अपने कर्मचारियों को साइबर धमकियों एवं उनसे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक बनाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों से इस पर जोर देता है। सर्वोत्तम प्रथाओं को डेस्कटॉप बैकग्राउंड एवं स्क्रीनसेवर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। कर्मचारियों की आदत में सुरक्षा को लाने के लिए, साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं को बैंक के कर्मचारियों के आंतरिक पोर्टल यथा एचआरएमएस में लॉगइन पेज के माध्यम से साझा किया जाता है। साइबर मंत्र को ईमेल एवं व्हाट्सअप संदेश के माध्यम से दैनिक आधार पर परिचालित किया जाता है।
- कर्मचारियों के लिए आवधिक आधार पर जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वेबिनार का आयोजन किया जाता है। बैंक के सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साइबर सुरक्षा जागरूकता पर एक सत्र लेना अनिवार्य है।
- बैंक की विभिन्न आंतरिक पत्रिकाओं में सूचनात्मक लेखों के प्रकाशन एवं 'साइबर सुरक्षा व 'सूचना सुरक्षा पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम मॉड्यूलों के माध्यम से भी कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाई जाती है।
- साइबर जागरूकता पर जारी सभी एडवाइजरी को बैंक के आंतरिक वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ताकि यह एडवाइजरी के ऑनलाइन भंडार के रूप में कार्य करें एवं स्टाफ सदस्य इस तक आसानी से पहुँच सकें।
- जागरूक करने के अलावा, हमारे स्टाफ सदस्यों एवं ऑनसाइट अन्य पक्ष विक्रेताओं की तत्परता का मूल्यांकन करने एवं साइबर घटनाओं का पता लगाने एवं उनकी रिपोर्टिंग हेतु टेबल टॉप अभ्यास एवं मॉक सोशल इंजीनियरिंग ड्रिल का आवधिक आधार पर आयोजन किया जाता है।
- मासिक ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता पर कर्मचारियों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। हमारे ऑनसाइट अन्य पक्ष विक्रेताओं के साइबर जागरूकता का मूल्यांकन भी आवधिक आधार पर ऑनलाइन विवज के माध्यम से किया जाता है।
- Cyber Awareness related posts were uploaded in Bank's Social Media pages.
- In observance of National Cyber Security Awareness Month in October'21, cyber awareness best practices in vernacular languages were shared to our field functionaries for further dissemination among our customers through WhatsApp/ email.
- To safeguard the interest of our Customers, cyber security best practices and safety tips are uploaded in Official Social Media Pages of our Bank like Facebook, Twitter and Instagram on periodic basis. In addition to it, prevention of cyber-crime related tweets from CyberDost, Cert-In, RBISays, PIBFactCheck, Digital India etc are also retweeted.
- Security Advisories are displayed at Branch / ATM premises to sensitize our customers on emerging cyber threats and best practices.
- Push notification messages are sent to customers on periodic basis.
- Advisories are displayed in Internet Banking & Mobile Banking pages comprising common cyber threats and best practices.
- Department lays huge emphasis in making our employees aware on cyber threats and their preventive steps, through various touchpoints on regular basis. Best practices are displayed through Desktop Background and Screensaver. To bring security in the culture of the employees, Cyber Security best practices are shared through login page of Bank's internal portal for employees like HRMS. Cyber Mantra is circulated through email and WhatsApp messages on daily basis.
- Awareness programmes, workshops, webinars are conducted for employees on periodic basis. One Session on cyber security awareness is mandatory in all in-house training programmes of the Bank.
- Employee Awareness is also enhanced through publication of informative articles in various in-house Magazines of Bank as well as through E-Learning course modules on 'Cyber Security' and 'Information Security'.
- All advisories issued on cyber awareness are uploaded in Bank's in-house web portal to act as an online repository of advisories and provide easy accessibility to staff members.
- Apart from imparting awareness, Table top exercises and mock social engineering drills are conducted periodically to evaluate the promptness of our staffs and onsite third party vendors, in detecting and reporting cyber incidents.
- Regular assessment of employees on cyber security awareness is done through monthly online test. Assessment of cyber awareness of our onsite third party vendors are also conducted through Online Quizzes on periodic basis.

18 परिचालन सेवा विभाग

ग्राहक सेवा 21-22

मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस)

एसपीजीआरएस जनता/ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों में से 99.82% का निवारण किया जा चुका है।

सूचना का अधिकार, 2005

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरटीआई के तहत कुल 1110 आवेदन प्राप्त हुए। आरटीआई के तहत 154 अपीलें की गईं।

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति और ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दोनों समितियों की चार त्रैमासिक बैठकें हुईं।

प्रणाली और प्रक्रिया समिति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रणाली और प्रक्रिया समिति की चौदह बैठकें आयोजित की गईं।

वीडियो अपने ग्राहक को जानें (वीकेवाईसी)

बैंक ने 1 अक्टूबर 2020 से वीडियो केवाईसी के साथ तत्काल पूर्ण बचत बैंक खाता खोलना शुरू कर दिया है। वीडियो केवाईसी स्वचालित एआई फेस मैच द्वारा चेहरे के मिलान का उपयोग करके ग्राहक सत्यापन और वास्तविक समय में दस्तावेजों और हस्ताक्षर के सत्यापन की अनुमति देता है। मोबाइल ऐप (यूको पे+) के माध्यम से खोले गए कुल 70,287 बचत खातों में से; वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केवाईसी सत्यापन के लिए 13,034 ग्राहकों ने वीकेवाईसी विकल्प का लाभ उठाया है।

19. एमआईएस और एडीएफ सेल

आंतरिक रिपोर्टिंग के साथ-साथ विनियामक और विभिन्न सांघिक निकायों आदि को रिपोर्टिंग करने के लिए बैंक में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) संप्रभाग है।

एमआईएस-एडीएफ हमारे बैंक में उपलब्ध की सभी असतत प्रणालियों अर्थात् फिनेकल (घरेलू और विदेशी), जीबीएम, एलएपीएस, घरेलू ट्रेजरी, ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एम-वॉलेट आदि के साथ एकीकृत है तथा बहुउद्देशीय जैसे समन्वय, नियंत्रण, विजुअलाइजेशन, डेटा विलेक्षण, व्यवसाय के मूल्य और लाभ को बढ़ाने के लिए एवं इसके कार्यान्वयन और शीर्ष प्रबंधन स्तर प्रभावी निर्णय लेने के लिए कम से कम समय में संगठन की डेटा और जानकारी उपलब्ध कराने में वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य कर रहा है।

बैंक ने एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आरबीआई रिटर्न/डेटा अर्थात् बीएसआर, एसआईबीसी, एनआरडीसीएसआर आदि प्रस्तुत करने के लिए एमआईएस एडीएफ के तहत रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की है। दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक मापदंडों पर नियंत्रण, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए व्यावसायिक संप्रभागों - ऋण, जोखिम प्रबंधन, वसूली, ट्रेजरी, अंतर्राष्ट्रीय, विदेशी और वित्त को आंतरिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है। विभाग को सभी तदर्थ डेटा नियमित आधार पर समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है और इसे असाधारण रूप से अच्छी तरह से करने में सफल होता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को दैनिक आधार पर डिजिटल चैनल कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग की जा रही है।

18. OPERATION SERVICE DEPARTMENT

CUSTOMER SERVICE 21-22

Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS)

SPGRS is available for the public/customers to lodge complaints online. 99.82% of the total complaints received during the Financial Year 2021-22 have been redressed.

Right to Information, 2005

Under RTI, a total of 1110 applications were received, during Financial Year 2021-22. There were 154 appeals made under RTI.

Customer Service Committee of the Board & Standing Committee on Customer Service

Both the committees held four quarterly meeting during Financial Year 2021-22.

System and Procedure Committee

Fourteen, System and Procedure Committee meetings were held during the Financial Year 2021-22.

Video Know Your Customer (VKYC)

Bank has started instant full-fledged Saving Bank Account opening with Video KYC since 1st Oct 2020. Video KYC allows customer verification using facial matching by automated AI Face match and verification of documents and signature all in real time. Out of total 70,287 saving account opened through Mobile App (UCOPAY+); 13,034 customers have availed VKYC option for KYC verification during Financial Year 2021-22.

19. MIS & ADF Cell:

Bank is having Management Information System (MIS) vertical for internal reporting as well as reporting to regulatory and various statutory bodies etc.

MIS-ADF is integrated with all the discrete systems of our Bank, viz. Finacle (Domestic and Overseas), GBM, LAPS, Domestic Treasury, E-Banking, Mobile Banking, M-Wallet etc. and is performing as a one stop solution in providing information to the organization for multipurpose like co-ordination, control, visualization, data analysis to increase the value and profit of business, its implementations and TOP Management level for effective decision making by providing data and information in the shortest period of time.

Bank has developed reporting system under MIS ADF for submission of RBI returns/data viz. BSR, SIBC, NRDCSR etc. without any manual intervention through XBRL platform. Internal reports are made available for business verticals - Credit, Risk Management, Recovery, Treasury, International, Overseas and Finance for control, monitoring and reporting on day to day business parameters. Department faces the challenge of submission of all adhoc data on regular basis in time bound manner and succeeds in doing the same exceptionally well.

Digital channel performance reporting is made to Ministry of Electronics & Technology, Govt. of India on daily basis.

बैंक विभिन्न केडिट ब्यूरो जैसे सिबिल, क्रिफ हाईमार्क, इक्विफैक्स को मासिक आधार पर उपभोक्ता, वाणिज्यिक खंडों की केडिट जानकारी की रिपोर्टिंग कर रहा है।

विभाग ने मानकीकृत प्रारूप के अनुसार एसएलबीसी डेटा जनरेशन/एसआईबीसी पोर्टल पर सीधे जमा करने के लिए स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना को भी सफलतापूर्वक लागू किया है। इस परियोजना के तहत 117 आरबीआई रिटर्न को समयबद्ध तरीके से स्वचालित किया जाना है। स्वचालन प्रक्रिया का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। विभाग डेटा जनरेशन और प्रस्तुति की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए लगातार पहल कर रहा है।

विभाग ने बीआई मॉड्यूल के माध्यम से उन्नत बिजनेस एनालिटिक्स के लिए डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट डेटा के कार्यान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू की है और संगठनों की परिचालन दक्षता में सुधार, मौजूदा उत्पादों में मूल्य जोड़ने, संगठन के सफल विकास के लिए नए अभिनव उत्पादों को तैयार करने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

20. कॉर्पोरेट संसूचना

बैंक ने अपनी उच्चस्तरीय पारदर्शिता और हितधारकों को सूचना में संगति एवं बैंक के वेबसाइट के माध्यम से रियल टाइम सूचना सहित समय पर स्पष्ट, सुसंगत, विश्वसनीय सूचनाओं को जारी कर पुनः सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बनाई है। बैंक का उद्देश्य संधारणीय, सुसंगत एवं प्रासंगिक संदेशों तथा कर्मचारियों को सूचना के बाह्य एवं आंतरिक माध्यमों के सम्यक मिश्रण से सूचित एवं राजी कराते हुए बैंक की गतिविधियों एवं विकास में शामिल करना है।

बैंक ने अपने विश्वस्तरीय वित्तीय संस्थान की छवि को बनाने एवं उसे अनुरक्षित करने हेतु विभिन्न चैनलों तथा प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन, सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से एवं हितधारकों के बीच अपेक्षित सूचना का प्रसार करने की पहल की है।

ए) प्रचार अभियान:

प्रिंट मीडिया :

प्रिंट मीडिया जनसाधारण से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम है। कॉर्पोरेट संसूचना विभाग ने पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जोरदार अभियान चलाकर इसका प्रभावी उपयोग किया है। देनदारी उत्पादों तथा लेनदारी उत्पादों यथा यूको होम लोन, यूको कार लोन, यूको गोल्ड लोन, यूको एडुकेशन लोन, पीएमएमवाई, स्टैंड-अप इंडिया, केसीसी आदि का इस अवधि के दौरान अधिक प्रचार किया गया।

वैकल्पिक वितरण प्रणाली (एडीसी) के माध्यम से लेनदेन करने पर जोर देने तथा बैंकिंग को अधिक व्यक्तिगत और ग्राहक उन्मुख बनाने के लिए यूको पे+, यू-कैश ई-बैंकिंग आदि का इस अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया के माध्यम से बृहत रूप से प्रचार-प्रसार किया गया।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम प्रकाशित किए गए।

आउटडोर मीडिया :

बाजार में एक सुदृढ़ ब्रांड वैल्यू को स्थापित करने में बाहरी मीडिया के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आउटडोर मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार विशेषतः होर्डिंग, कियोस्क, दीवार पर पेंटिंग, बैनर, प्रायोजन तथा बगीचों/ पार्कों के सौंदर्यीकरण आदि द्वारा किया जाता है। आयोजन, स्वास्थ्य जांच शिविर, खेलकूद के कार्यक्रम आदि के प्रायोजन से संबंधित प्रस्ताव भी समय-समय पर लिए जाते हैं।

Bank is also reporting, credit information to consumer, commercial and SHG segments on monthly basis to different Credit Bureau like CIBIL, CRIF Highmark and Equifax.

Department has developed automated process for SLBC data generation /submission directly to SIBC portal as per standardized format. Bank has also successfully implemented Centralised Information Management System (CIMS) project launched by RBI. Under this project 117 RBI returns to be automated in a time bound manner. 1st phase of automation process have been completed successfully. Department is constantly taking initiatives to automate the processes of data generation and submission.

Department has also initiated the process of implementation of Data ware housing project data for enhanced Business Analytics through the BI module and act as Decision Support system for improving organizations operational efficiency, add value to existing products, engender new innovative products for successful growth of the Organization.

20. Corporate Communication

Bank reinforces strong corporate reputation through its high degree of transparency and consistency in communication with stakeholders and also disseminates timely information with clarity, coherence and credibility including information through the websites of the Bank on real-time basis. Bank aims to inform, persuade and involve one and all in the activities and growth through sustained, consistent and relevant messages and using a judicious mix of both external and internal communication tools.

Bank has taken up multiple initiatives through various channels namely Print Media, Outdoor Media, sponsorship of different events, CSR activities and dissemination of requisite information to stakeholders to build and maintain the brand-image of a world class financial institution.

a) Publicity Campaigns :

Print Media:

Print Media is an effective medium to connect to masses. Corporate Communications Department has utilized it effectively by carrying out intensified and vigorous publicity campaigns throughout the FY 2021-22. Liability products and Asset products viz. UCO Home Loan, UCO Car Loan, UCO Education Loan etc. were prominently promoted during the period.

With a thrust on routing the transactions through Alternate Delivery Channels (ADC) and making banking more personalized and customer-oriented, UCO Pay+, U-Cash, E-Banking etc. were widely publicized through Print Media during the period.

Publication of financial results in leading national and local dailies was also executed through Print Media.

Outdoor Media:

The contribution of Outward Media towards establishing a strong brand value in the market cannot be underestimated. Outdoor media publicity is basically done through hoardings, kiosks, wall paintings, banners, sponsorship and beautification of gardens/parks etc. Proposals related to sponsorship of events, health check-up camps, sporting events etc. are also done from time to time.

ग्रामीण प्रचार:

अखिल भारतीय अवस्थिति एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शाखाओं के होने के कारण ग्रामीण प्रचार यूको बैंक के प्रचार अभियान का अभिन्न अंग है। देश भर में स्थित अंचल कार्यालयों के माध्यम से बैंक की निगरानी में अनेक ग्रामीण प्रचार अभियान चलाए गए। बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में जागरूकता हेतु दीवार पर पेंटिंग, रिक्रेश से उद्घोषणाएँ करवाई गईं एवं ऋण मेला आदि का आयोजन किया गया।

बी) 79वां स्थापना दिवस समारोह:

बैंक ने 6 जनवरी, 2022 को राष्ट्र की सेवा में गौरवपूर्ण 79 वर्ष पूरे किए। देश भर में तथा विदेशों में स्थित कार्यालयों में इस समारोह को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में स्थित अंचल कार्यालयों एवं शाखाओं ने विभिन्न गतिविधियों यथा पौधारोपण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर आदि का आयोजन किया।

सी) जन-संपर्क :

● प्रेस सम्मेलन :

सूचनाओं को जारी करना एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों का कवरेज यथा वित्तीय परिणाम, पुरस्कार एवं सम्मान, नई शाखा का शुभारंभ करना जनसंपर्क को मजबूत करने के आधार हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कॉर्पोरेट संसूचना विभाग ने तिमाही और वार्षिक परिणामों की घोषणा तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए आभासी (वर्चुअल) प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया।

विभाग ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों, एजीएम और ईजीएम तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों हेतु राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रेस विज्ञापित जारी की।

घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

बैंक का मानना है कि सीएसआर गतिविधियों को करने से मूल्य निर्माण में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त सीएसआर से ग्राहकों के मस्तिष्क और समाज में एक सकारात्मक छवि का निर्माण होता है। यह मौजूदा और भावी ग्राहकों में निष्ठा एवं अपनत्व की भावना पैदा करता है।

ङ) यूको टॉवर :

बैंक "यूको टॉवर" नाम से एक आंतरिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है जिसमें यूकोजनों को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यूको टॉवर का उद्देश्य कर्मियों को बैंक में हो रही सभी प्रकार के आयोजनों और गतिविधियों से अवगत कराना भी है।

21. मानव संसाधन

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत ऐसे विविध प्रकोष्ठ शामिल हैं जिसमें विभागों के अलग अलग खण्डों को देखना होता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसे सारे प्रकोष्ठ मिलकर एक सामंजस्य और काम करने का माहौल सृजित करते हैं। स्टाफ के ज्ञान एवं कौशल संवर्धन / समुन्नत करने के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

21.1. श्रमशक्ति प्रबंधन

31 मार्च, 2022 को कुल स्टाफ की संख्या 21617 रही, जिसमें विदेशों में सेवारत कर्मचारी भी शामिल है। हमारे पास 12781 अधिकारी और 6029 लिपिक हैं, जिनमें से 4389 अनुसूचित जाती, 1838 अनुसूचित जनजाति, 4788 अन्य पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस 154 से हैं। हमारे बैंक में 2807 सब स्टाफ हैं।

कुल स्टाफ में से 507 कर्मचारी बेंचमार्क अशक्तता हैं और 1452 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। 31 मार्च, 2022 के कुल कार्यदल में से 27.79% महिला कर्मचारी (6008) है।

Rural Publicity:

Rural publicity is an integral part of publicity-campaign for UCO Bank having pan-India and strong rural presence. Bank has promoted and monitored various rural publicity campaigns through zonal offices located across the country. Wall-Paintings, announcements by Rickshaw, Loan fairs etc. were carried out for promoting awareness about products and services offered by the Bank.

b) Celebration of 79th Foundation Day:

The Bank completed 79 glorious years of service to the nation on 6th January, 2022. The occasion was celebrated with much enthusiasm and vigor across the country and overseas centers. Zonal Offices and branches across the country organised different activities viz. planting saplings, blood-donation camp, health check-up camp etc.

c) Public Relations:

● Press Meet :

Dissemination of information and coverage of important events and occasions viz. Financial Results, Awards & Recognition, Opening of new branch is prerequisite for strengthening the public relations. During the FY 2021-22, Corporate Communication Department organised Virtual Press Meets for declaration of quarterly and yearly financial results and other important events.

Department has also arranged for press-release of financial results, AGM & EGMs and other important events in leading national and local newspapers throughout the Financial Year.

d) Corporate Social Responsibility (CSR) :

Bank believes that carrying out CSR activities help in tangible value creation. Moreover, CSR creates a positive image in the mind of customers and society at large. This creates a sense of belongingness and loyalty in existing and prospective customers.

e) UCO TOWER :

Bank is also publishing the in-house magazine "UCO Tower" where all the constituents are encouraged to participate. UCO Tower also aims to create awareness of all happenings and activities of the Bank among all employees.

21. HUMAN RESOURCE

Human Resource Management Department comprises of various Cells looking after different segments of the departments. All these cells worked in tandem during FY 2021-22 to create a harmonious and productive work environment. Training and workshop were organized for improving/enhancing the skills and knowledge of the staff.

21.1 Manpower Management:

The Total staff strength as on 31st March, 2022 stood at 21617 including employees serving overseas. We have 12781 Officers and 6029 Clerks, out of which, 4389 are SC, 1838 are ST, 4788 are OBC and EWS are 154. There are 2807 Sub Staff in our Bank.

Out of total staff, 507 employees are PwBD person with benchmark disability and 1452 belong to the Minority Communities. Women employees (6008) constitute 27.79% of the Total Workforce as on 31st March, 2022.

21.2 आईआर सन्धिवाता परक्राम्य प्रकोष्ठ

इस अवधि के दौरान, बैंक में प्रबंधन एवं यूनियन/ एसोसिएशन के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपसी सहयोगात्मक दृष्टिकोण एवं सम्मानजनक रवैये से समय समय पर यूनियन/ एसोसिएशन के बीच बैठकें एवं चर्चाएं हुईं।

21.3 आरक्षण प्रकोष्ठ

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण, छूट और अन्य रियायतों को लागू कर रहा है। 31/12/2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व 20.28%, 8.53% और 21.91% था। सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के लिए अलग रोस्टर रजिस्टर बनाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान, बैंक ने अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति के लिए 1143 उम्मीदवारों, लिपिक से अधिकारियों के लिए पदोन्नति के लिए 514 उम्मीदवारों और अधीनस्थ कर्मचारियों से लिपिक में पदोन्नति के लिए 338 उम्मीदवारों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए, मुख्य संपर्क अधिकारी के साथ-साथ पदेन संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हुए, मानदंडों के अनुसार प्रधान कार्यालय स्तर पर और सभी अंचल कार्यालयों में आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। बैंक ने 363 अनुसूचित जाति और 148 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति; लिपिक से लेकर अधिकारी संवर्ग तक 153 अनुसूचित जाति और 97 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों और अधीनस्थ कर्मचारियों से लिपिक संवर्ग के 181 अनुसूचित जाति और 30 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य प्रबंधक की अध्यक्षता में और साथ ही सभी अंचल कार्यालयों में अलग ओबीसी सेल का गठन किया है जो मुख्य संपर्क अधिकारी के साथ-साथ पदेन संपर्क अधिकारी के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। बैंक ने 581 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति में, 257 ओबीसी उम्मीदवारों को लिपिक से अधिकारियों और 123 ओबीसी उम्मीदवारों को उप कर्मचारियों से लिपिक संवर्ग में प्रशिक्षण दिया है।

इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी और आर्थिक कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के लिए उनकी शिकायत को देखने के लिए अलग शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। बैंक ने 51 पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारियों को अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति; लिपिक से अधिकारियों में पदोन्नति के लिए 7 पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारी; अधीनस्थ स्टाफ से लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए 4 पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है।

बैंक के अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने हेतु अंचल कार्यालय स्तर के साथ साथ सर्वोच्च स्तर पर भी (जहां आरक्षण रोस्टर का रखरखाव होता है) ऐसे कर्मचारियों की वैल्फेयर एसोसिएशन के साथ बैठक बुलाई जाती है। संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को समझा जाता है और बाद में बैंक की नीति एवं दिशानिर्देशानुसार प्रकोष्ठ द्वारा निवारण किया जाता है।

दिनांक 31-12-2021 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण अनुबंध-I और अनुबंध - II में दिया गया है।

21.2 IR Negotiation Cell:

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained cordial between the Management and the Unions/ Associations. Meetings and discussions were held with Unions/ Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect during the financial year 2021-22.

21.3 Reservation Cell:

Bank has been implementing reservation, relaxation and other concessions extended to SC/ST/OBC / Differently Abled Persons and Ex-Servicemen employees as per reservation policy of the Government of India. The overall representation as on 31/12/2021 of SC/ST/OBC employees was 20.28 %, 8.53% and 21.91%. Separate roster registers are maintained for direct recruitment as well as for promotion. During internal promotion process for the FY 2021-22. Bank has imparted pre-promotional training to **1143** candidates for inter-scale promotion of officers, **514** candidates for promotion from Clerical to Officers and **338** candidates for promotion from Sub Staff to Clerical.

For SC/ST employees, reservation cell is set up at HO level and across all ZO level as per norms, functioning under the direct control of Chief Liaison Officer as well as Ex-Officio Liaison Officer. Bank has imparted training to **363** SC & **148** ST candidates for inter-scale promotion of officers; **153** SC & **97** ST candidates from clerical to officers cadre and **181** SC & **30** ST candidates from sub staff to clerical cadre.

Additionally Bank has formed separate OBC cell at HO level headed by Chief Manager at HO level as well as across all ZO which is functioning under the control of Chief Liaison Officer as well as Ex-Officio Liaison officer. Bank has imparted training to **581** OBC candidates in inter-scale promotion of officers, **257** OBC candidates from clerical to officers and **123** OBC candidates from sub staff to clerical cadre.

Moreover Separate Grievance Redressal officer for PwBD and EWS employees has been created to look after their grievance. Bank has imparted training to **51** PwBD employees in inter-scale promotion of officers; **7** PwBD employee for promotion from clerical to officers; **4** PwBD candidates for promotion from sub staff to clerical.

In order to address the issues of SC/ST & OBC employees of the Bank, meetings are called at Apex level as well as at Zonal office level (Where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. An Internal Grievance Committee is functioning at Head office level for monitoring the grievance redressal of the employees belonging to SC/ST/OBC/Ex-SM/PWD, which are handled and subsequently redressed by the respective cell, as per Bank's extant policy and guidelines.

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs, OBCs, EWS and PWD as on 31-12-2021 is given in Annexure-I& Annexure-II.

अनुबंध/Annexure - I																	
31.12.2021 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का समूहवार प्रतिनिधित्व Group-wise Representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes up to 31.12.2021																	
संस्था का नाम :यूको बैंक / Name of the Organization : UCO BANK																	
क्र. S. No.	समूह Group	कार्मिकों की संख्या No. of Employees				केलेंडर वर्ष 2021 के दौरान की गई नियुक्तियों/promotion made during the calendar year 2021 Number of appointments/promotion made during the calendar year 2021				अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति Appointment by other Methods							
		As on 31.12.2021 तक				सीधी भर्ती से नियुक्ति Appointment by direct Recruitment				पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion				अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति Appointment by other Methods			
		कुल Total	अज SC	अजा ST	ओबीसी OBC	कुल Total	अज SC	अजा ST	ओबीसी OBC	कुल Total	अज SC	अजा ST	ओबीसी OBC	कुल Total	अज SC	अजा ST	ओबीसी OBC
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21
1	समूह-क Group-A	12577	2166	1059	3080	457	76	35	133	1963	332	132	481	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
2	समूह-ख Group-B	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
3	समूह-ग Group-C	6494	1072	611	1385	350	55	33	77	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	17	1	1	5
4	समूह-घ Group-D	2852	1207	199	339	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	6	2	0	1
	कुल Total	21923	4445	1869	4804	807	131	68	210	1963	332	132	481	23	3	1	6

अनुबंध/Annexure - II																										
दिनांक 31.12.2021 तक दिव्यांग व्यक्तियों का समूह-वार प्रतिनिधित्व Group-wise Representation of Persons with Disabilities upto 31.12.2021																										
Name of the Organization : UCO BANK																										
क्र. S.	समूह Group	कार्मिकों की संख्या No. of Employees				कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नति की संख्या Number of appointments/promotion made during the calendar year 2021				पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion																
		VH	HH	OH	ID	VH	HH	OH	ID	VH	HH	OH	ID													
		As on 31.12.2021 तक				सीधी भर्ती से नियुक्ति Appointment by direct Recruitment				आरक्षित रिक्तियों की संख्या No of vacancies reserved																
		कुल Total	VH	HH	OH	ID	आरक्षित रिक्तियों की संख्या No of vacancies reserved	VH	HH	OH	ID	आरक्षित रिक्तियों की संख्या No of vacancies reserved	VH	HH	OH	ID										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	30	21	10	3	4	4	*	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	समूह-क Group-A	12577	85	45	217	0	8	10	5	30	21	10	3	4	4	*	1963	6	6	10	1	1	6	6	10	1
3	समूह-ख Group-B	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
4	समूह-ग Group-C	6494	32	8	88	3	5	6	5	6	15	6	1	5	3	3	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
5	समूह-घ Group-D	2852	1	1	32	0	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	कुल Total	21923	118	54	337	3	13	16	10	36	36	16	4	9	7	7	1966	6	6	10	1	6	6	10	1	

नोट:

- (ट) वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
- (त्त) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (सुनने में अक्षम व्यक्ति)
- (त्त) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (चलने में अक्षमता या सेरेब्राप्लासी से पीड़ित व्यक्ति)
- (त्त) आईडी का अर्थ है बौद्धिक विकलांग (आत्मकेंद्रित, सहज अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति)

21.4 भर्ती प्रकोष्ठ:

वर्ष 2021-22 में बैंक ने 228 प्रोबेशनरी ऑफिसर और 183 स्पेशलिस्ट ऑफिसर (139-AFO, 27- विधि अधिकारी, 08-राजभाषा अधिकारी, 06-इंजीनियर, 02-CA और 01-IT ऑफिसर) की भर्ती की है। कुल 411 भर्ती अधिकारियों में से 172 अधिकारी महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 277 लिपिकों की भी भर्ती की है। कुल 277 लिपिकों में से 74 महिलाएं हैं। बैंक ने वर्ष 2021-23 के लिए सीआरपी-एक्स आरक्षित सूची के तहत 123 प्रोबेशनरी ऑफिसर और 193 क्लर्क और सीआरपी-X के तहत 2022-23 के लिए 440 प्रोबेशनरी ऑफिसर, 75 आईटी ऑफिसर और 520 क्लर्क की भर्ती का भी प्रस्ताव रखा है।

21.5 प्रशिक्षण प्रकोष्ठ:

सर्वाधिक गतिशील उद्योगों में से एक होने के नाते, हमारे संगठन को संबंधित क्षेत्रों में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ अपनी श्रमशक्ति को निरंतर अद्यतन करते हुए लगातार बदलते पर्यावरण के साथ चलते रहना है। अतएव प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्पोरेट विज्ञान, मिशन एवं सर्वोच्च प्रबंधन की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए आयोजित किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, कोलकाता स्थित केंद्रीय स्टाफ कॉलेज (सीएससी) में एवं 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 539 कार्यपालक, 9330 अधिकारी एवं 5584 लिपिक, कुल 15453 लोगों को देश भर में प्रशिक्षित किया गया। हमने भी अपने कार्यपालकों एवं अधिकारियों को देश के जाने माने प्रशिक्षण संस्थानों जैसे, आईआईएम, एनआईटीएम, सीएबी(भारतीय रिजर्व बैंक) कैफराल, आईआईबीएम आदि में प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जिसमें से 11802 कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया जिससे उनके अंदर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच खुद को बेहतर कार्यकुशलता हासिल हो सकी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, बैंकिंग अनुपालन पर अनुकूलित कार्यक्रम, कार्यस्थल सुरक्षा पर महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम, नए क्रेडिट रेटिंग मॉड्यूल पर अंचल जोखिम अधिकारियों के लिए कार्यक्रम, एसपीजेआईएमआर के संकाय सहयोग के साथ विदेशी मुद्रा पर गहन प्रशिक्षण, जांच अधिकारियों का प्रशिक्षण, महिला अधिकारिता पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए।

इसके अलावा, नव पदोन्नत मुख्य प्रबंधकों के 2 बैचों ने स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप, कोलकाता और बीएफएसआई बैंगलोर के मणिपाल ग्लोबल अकादमी में प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लिया।

क्रेडिट पूल के तहत चिन्हित किए गए अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सीएससी कोलकाता में आयोजित किया गया था।

बाहरी प्रशिक्षण एजेंसियों मेसर्स आईटीएम एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडस मैनेजमेंट के माध्यम से मार्केटिंग ऑफिसर और रिलेशनशिप

Note:

- (i) VH stands for Visually Handicapped (person suffering from blindness or low vision)
- (ii) HH stands for Hearing Handicapped (person suffering from hearing impairment)
- (iii) OH stands for Orthopedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or Cerebra Plassy)
- (iv) ID stands for Intellectual Disabled (persons suffering from autism, instinctual disability, specific learning disability and mental illness)

21.4 Recruitment Cell:

In the year 2021-22, Bank has recruited 228 Probationary Officers and 183 Specialist Officers (139-AFO, 27- Law officer, 08-Official Language officer, 06-Engineers, 02-CA and 01-IT officer). Out of the total 411 recruited Officers, 172 Officers are females. Additionally, Bank has also recruited 277 Clerks during the financial year 2021-22. Out of the total 277 Clerks, 74 are females. Bank also proposes to recruit 123 Probationary Officers and 193 Clerks under CRP-X reserve list for year 2021-23, and 440 Probationary Officers, 75 IT Officers and 520 Clerks for 2022-23 under CRP-XI.

21.5 Training Cell:

Our Organization has to keep up with the constantly changing environment by continuously updating its workforce with various Training Programmes in the concerned Fields. Training programmes are held aligning the corporate vision, mission and fulfilling the expectations of the Top Management.

In FY 2021-22, 539 Executives, 9330 Officers and 5584 Clerks, totaling 15453 were trained in Internal Training programmes conducted at our Central Staff College (CSC) situated at Kolkata and 6 Regional Training Centres, across India. We also continued to sponsor our Executives & Officers in reputed External Training Institutes like IIMs, NIBM, CAB (RBI), IIBF, CAFRAL, State Bank Institute of Leadership, IIBM, etc. in which 11802 employees were trained in External Training programmes which helped them in acquiring a global competitive edge.

In FY 2021-22 some important Training Programmes like Leadership Development Programme for Senior Management of Bank, Customized Programme on Banking Compliance, Awareness Programme for Women on Workplace Safety, Programme for Zonal Risk Officers on new Credit Rating Module, Intensive Training on Forex with faculty support from SPJIMR, Training of Investigating Officers, Customized Training Programme on Women Empowerment etc. were conducted.

Further, 2 batches of newly promoted Chief Managers attended Management Development Programme at State Bank Institute of Leadership, Kolkata and Manipal Global Academy of BFSI Bangalore.

Basic Training for Officers identified under Credit Pool was conducted at CSC Kolkata.

Training of Marketing Officers and Relationship Executives through External Training Agencies M/s ITM Edutech Pvt. Ltd.

एक्जीक्यूटिव का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें 97 मार्केटिंग ऑफिसर और 3000 रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव को प्रशिक्षित किया गया है। फिनेकल 10 पर अंतिम उपयोगकर्ता प्रशिक्षण बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों के साथ-साथ बाहरी संस्थानों जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी और टाइम्स प्रोफेशनल के माध्यम से दो भर के विभिन्न केंद्रों में दिया जा रहा है, जिसमें शाखाओं / कार्यालयों के लगभग 18000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

विभाग ने सीआईएसओ कार्यालय के सहयोग से सभी शाखाओं/कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा/फिशिंग जागरूकता कार्यक्रम पर वेबिनार भी आयोजित किया है, जिसमें 21,460 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 521 कर्मचारियों को बैंक द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए मानदेय/प्रोत्साहन का भुगतान किया गया।

21.6 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

हमारा बैंक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और समावेशी विकास होता है और पूरे देश को लाभ होता है।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण बनाने के संदर्भ में हमारे बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निर्धारित नियमों को लागू करने के लिए शीर्ष स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है ताकि ऐसी शिकायतों का निवारण हो सके, यदि कोई हो।

वित्त वर्ष 2021-22 में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका समाधान कर दिया गया है।

22. लेखापरीक्षा और निरीक्षण :

क) राजस्व रिसाव

वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान, हमारे अपने विभिन्न लेखा प्रणालियों जैसे समवर्ती लेखापरीक्षा, आरबीआईए और राजस्व लेखापरीक्षा के माध्यम से 29.41 करोड़ रुपये के राजस्व रिसाव का पता लगाया और उसकी वसूली की गई।

ख) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)

- 1) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा योजना के अनुसार, कुल 2427 शाखाओं की संख्या आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल की जानी थी जिसमें 619 शाखाएं शामिल हैं जो कि वित्त वर्ष 2020-21 का स्पिलओवर था। कोविड-19 के कारण, वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जून-जुलाई, 2021 तक लेखा परीक्षा कार्य बाधित रहा, जिसके परिणामस्वरूप 30.09.2021 तक शाखाओं के आरबीआईए काफी लंबित थी। तथापि, लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा योजना के निरंतर अनुवर्तन और सूक्ष्म स्तरीय प्रबंधन के कारण, वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार सभी शाखाओं में आरबीआईए आयोजित किया गया है और 31.03.2022 को निरीक्षण के लिए केवल 92 शाखाएं अतिदेय हैं।
- 2) हम नियमित अंतराल पर शाखाओं की जोखिम रेटिंग का विश्लेषण कर रहे हैं। शाखाओं (निम्न से मध्यम, मध्यम से उच्च) की जोखिम रेटिंग में गिरावट के मामले में, बैंक के हितों की रक्षा के लिए जोखिम रेटिंग मानकों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जारी कुल 2177 आरबीआईए रिपोर्टों में से केवल 13 शाखाओं को उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत और शेष 2164 शाखाओं को निम्न/मध्यम जोखिम श्रेणी के अंतर्गत दर्जा दिया गया था।
- 3) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 2341 आरबीआईए रिपोर्टें बंद कर दी गईं और 31.03.2022 तक केवल 44 आरबीआईए रिपोर्टें

and M/s Indus Management is conducted, wherein 97 Marketing Officers and 3000 Relationship Executives have been trained.

End User Training on Finacle 10 is being imparted through external institutes namely Amity University and Times Professional at different centres across the country together with Bank's Training Colleges wherein approx. 18000 employees of Branches/Offices have been imparted training.

Department has also conducted Webinar on Cyber Security/ Phishing Awareness Programme in association with CISO Office for employees across branches/offices, wherein 21,460 employees were trained.

In FY 2021-22, total of 521 employees were paid honorarium/ incentive for passing Bank approved courses.

21.6 Internal Complaints Committee (ICC):

Our Bank is committed to promote gender equality and women's empowerment which result in economic development and inclusive growth and benefit the nation as a whole.

In terms of creating safe workplace environment for women our Bank has constituted Internal Complaints Committees at Apex level as well as Local Level enforcing the rules as laid out in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for quick Redressal of such complaints, if any.

In FY 2021-22, only one complaint was received which has been resolved.

22. AUDIT & INSPECTION

A) Revenue Leakages

During FY 2021-2022, we have detected and recovered revenue leakage of Rs 29.41 Crores through our various audit system such as concurrent audit, RBIA and revenue audit.

B) Risk Based Internal Audit (RBIA)

- 1) As per Audit plan for FY 2021-22, total 2427 no. of branches were to be covered under internal audit which includes 619 branches which was the spillover of FY 2020-21. On account of COVID-19, the audit work was disrupted from beginning of the financial year till June-July, 2021 as a result of which there was a huge pendency of RBIA of Branches as on 30.09.2021. However, due to constant follow up and micro level management of Audit plan by Audit & Inspection Department, the RBIA has been conducted in all the Branches as per the annual audit plan and only 92 branches are overdue for inspection as on 31.03.2022.
- 2) We have been analyzing Risk Rating of Branches on regular intervals. In case of deterioration of Risk rating of Branches (Low to Medium, Medium to High), necessary action is being initiated on the basis of Risk rating parameters in order to protect the interest of the Bank. Out of total 2177 RBIA reports released during FY 2021-22, only 13 branches were rated under high risk category and remaining 2164 branches were rated under Low/Medium risk category.
- 3) During the FY 2021-22, 2341 RBIA reports were closed and as on 31.03.2022 only 44 RBIA reports are pending for

निर्धारित समय अवधि से अधिक यानी रिपोर्ट जारी होने की तारीख से 120 दिन से अधिक तक बंद करने के लिए लंबित हैं।

ग) समवर्ती लेखा परीक्षा

लेखापरीक्षा अवधि अक्टूबर 21 से सितंबर 22 तक के लिए कुल 1093 शाखाओं/कार्यालयों को समवर्ती लेखापरीक्षा के संचालन के लिए अनुमोदित किया गया है, जहां 1041 शाखाओं (4 कार्यालयों सहित) और 50 शाखाओं/कार्यालयों की त्रैमासिक समवर्ती लेखापरीक्षा की मासिक समवर्ती लेखा परीक्षा के संचालन के लिए 1043 सीए फर्म/पूर्व कर्मचारियों को लगाया गया है। 672 सीए फर्मों / पूर्व कर्मचारियों के संबंध में नियोजन का नवीनीकरण किया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त लेखापरीक्षा अवधि के लिए 421 सीए फर्मों/पूर्व कर्मचारियों की नई नियुक्ति की गई है।

घ) ऑफसाइट निगरानी प्रकोष्ठ (ओसीएस)

1) लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग का ओसीएस सेल सिस्टम द्वारा उत्पन्न अलर्ट और शाखाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की दैनिक आधार पर निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, ओसीएस कक्ष बैकएंड डेटा माइनिंग के माध्यम से विभिन्न सस्पेंस खातों/कार्यालय खातों में लेनदेन की निगरानी भी कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, ओसीएस कक्ष ने गलत ब्याज आवेदन / कार्यालय खातों की अनियमितताओं के क्षेत्र में 37.63 करोड़ रुपये का पता लगाया है, जिसमें से 35.49 करोड़ की वसूली / सुधार किया गया है।

23. सतर्कता विभाग

23.1 उदाहरण के लिए कई निवारक सतर्कता पहल और प्रणालीगत सुधार पेश किए गए-

- सतर्कता अधिकारियों की बेहतर निगरानी और मार्गदर्शन के लिए और स्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए एक इन-हाउस सॉफ्टवेयर (वीआईएमएस) विकसित किया गया है।
- वास्तविक समय के आधार पर वैचारिक / प्रक्रियात्मक स्पष्टता के लिए क्षेत्रीय कार्मिकों और प्रबंधन के बीच औपचारिक और प्रत्यक्ष चैनल बनाने के लिए 'यूको संदेह निवारण' बनाया गया है। सतर्कता विभाग और यह एक सलाहकार निकाय की भूमिका निभाना जारी रखता है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर किए जाने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं।
- एनडीएनडी योजना के तहत समझौता करने के लिए पात्र सभी एनपीए खातों के लिए, समझौता निपटान को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित एनपीए खाताधारक को उक्त योजना के विवरण वाला एक संदेश अलर्ट भेजा जाएगा। एक बार एनडीएनडी के तहत खाता बंद हो जाने पर, एक सिस्टम जेनरेटेड एसएमएस अलर्ट जिसमें उधारकर्ता द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख होता है, एनपीए उधारकर्ता को भेजा जाएगा।
- आयोग के निर्देशों के तहत, स्टाफ क्वार्टर्स के आवंटन में आईटी का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया गया है। सिस्टम को बैंक के एचआरएमएस के साथ एकीकृत किया गया है।
- इसके अलावा, आयोग के निर्देशों के तहत, विभाग ने पुराने अभिलेखों के डिजिटलीकरण की नीति और उन अभिलेखों को हटाने की समानांतर प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया, जिनकी बाढ़ की तारीख में आवश्यकता नहीं है। अब बैंक ने एक समिति का गठन किया है जो ओएसडी के अधिकार क्षेत्र में है और अभिलेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित सभी मुद्दों को देखती है।

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान 190 सतर्कता मामले जोड़े गए और 195 मामलों का निपटारा किया गया।

Closure beyond the stipulated time period i.e. 120 days from the date of release of report.

C) Concurrent Audit

A total of 1093 branches/offices have been approved for conduct of concurrent audit for the audit period October '21 to September '22 where 1043 CA Firms / Ex-Staff have been engaged for conduct of monthly concurrent audit of 1041 branches (including 4 Offices) and quarterly concurrent audit of 50 Branches/Offices. The engagement in respect of 672 CA Firms / Ex-Staff has been renewed and fresh engagement of 421 CA

Firms / Ex-Staff has been made during the current financial year for the above audit period.

D) Offsite Surveillance Cell (OCAS)

1) OCAS cell of Audit & Inspection Department has been monitoring alerts generated by system and compliance submitted by Branches on daily basis. Apart from this, OCAS cell is also monitoring transaction in various suspense accounts/office accounts through backend data mining. During FY 2021-22, OCAS cell has detected of Rs. 37.63 Cr. in the area of incorrect interest application /office accounts irregularities, out of which Rs. 35.49 Cr. has been recover / rectified.

23. VIGILANCE DEPARTMENT

23.1 Several preventive vigilance initiatives and systemic improvements were introduced for instance:

- An in-house software has been developed (VIMS) for better monitoring and guidance of vigilance officers and for permanent record keeping.
- 'UCO Sandeh Nivaran' for creating formal and direct channels between field functionaries and the Management for conceptual/ procedural clarity on a real-time basis. The Vigilance Department and it continues to play the role of an advisory body which includes changes to be made as and when needed.
- For all NPA accounts eligible for compromise under NDND scheme, a message alert containing details of said scheme to be forwarded to the concerned NPA account holder to make the compromise settlement more transparent. Once the account is closed under NDND, a system generated SMS alert mentioning the amount deposited by the borrower shall be sent to NPA borrower.
- Under the Commission's directions, IT has been proposed to be leveraged in the allotment of staff quarters. The system has been integrated with the Bank's HRMS.
- Further, under the Commission's directives, department steered focus towards a Policy for digitalising old records and a parallel process of weeding out records which are not required at a later date. The Bank has now formed a Committee which is under the jurisdiction of OSD look into all the issues related to digitalisation of records.

During the time period from 01.04.2021 to 31.03.2022, 190 Vigilance cases were added and 195 cases were disposed from.

23.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू)

वर्ष 2021 के लिए आयोग द्वारा दी गई थीम थी 'स्वतंत्र भारत@ 75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता'। वीएडब्ल्यू के दौरान पहल 'अलर्ट यूकोइट' और 'अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम' इस्टाफ खातों में 'असामान्य क्रेडिट लेनदेन' से निपटने के लिए वृद्धि मैट्रिक्स को वीएडब्ल्यू 2021 के लिए सीवीसी पुस्तिका में प्रकाशित करने के लिए चुना गया था। सभी बैंकों द्वारा 'अलर्ट यूकोइट' के तहत भेजे गए नामांकित व्यक्तियों में से, हमारे एक कर्मचारी (श्रीमती प्रेमशीला साहू) को सीवीसी द्वारा सम्मानित करने के लिए चुना गया था।

वीएडब्ल्यू 2021 को इंटरएक्टिव रखने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए जिनमें शामिल हैं

- बैंक के ट्विटर हैंडल और बैंक के आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पीआईडीपीआई और सतर्कता से संबंधित प्रश्न।
- साइबर सतर्कता और नैतिकता पर दो इन-हाउस वीडियो क्लिप (सीवीसी की पहल के तहत अपलोड) और अन्य वीडियो का प्रसार।
- सभी कर्मचारियों के बीच आंतरिक प्रनोत्तरी और निबंध लेखन प्रतियोगिता।
- आउटरीच कार्यक्रम जैसे वॉकथॉन, साइकिल रैलियां, मानव श्रृंखला, ग्राहक बैठकें, शिकायत निवारण शिविर/निवारक सतर्कता कार्यक्रम। ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में 7000 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी के साथ 285 ग्राम सभा और एफएलसी आयोजित किए गए।
- 161 स्कूलों और 62 कॉलेजों ने उद्घोषणा, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, निबंध लेखन और प्रनोत्तरी प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वीएडब्ल्यू के विषय पर जागरूकता फैलाने के प्रभावी तरीके के रूप में वेबिनार, सेमिनार और पैनल चर्चा का उपयोग किया गया।

24. राजभाषा

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा हिंदी के उपयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में निहित निर्देशों को लागू करने के लिए बैंक ने उचित अनुवर्ती कार्रवाई भी की है। भारत के और इसमें निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी प्रयास किया। बैंक ने वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए प्राथमिकता भी दी है।

24.1. संकल्प राजभाषा -2021-22

बैंक ने संकल्प राजभाषा कार्य योजना-2021-22 के शीर्ष प्रबंधन की प्रेरणा और सक्रिय समर्थन के साथ, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान में प्रदान किए गए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार / क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार जीतने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी।

संकल्प राजभाषा कार्य योजना - 2021-22 में उल्लिखित सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रधान कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों ने लागू किया जिसके परिणाम निम्नानुसार हैं: -

23.2 Vigilance Awareness Week (VAW)

The theme given by the Commission for the Year 2021 was 'Independent India@ 75: Self Reliance with Integrity'. During VAW the initiative 'Alert UCOite' and 'Alert Management System' [escalation matrix for dealing with 'unusual credit transactions' in staff accounts] were selected for publishing in the CVC booklet for VAW 2021. Among the nominees sent by all Banks under 'Alert UCOite', one of our employees (Smt. Premsheela Sahu) was chosen to be felicitated by CVC.

Various measures were adopted to keep VAW 2021 interactive which included

- Questions related to PIDPI and vigilance posted on Bank's Twitter handle and on Bank's official Facebook page.
- Circulation of two in-house video clips (uploaded under the initiative of CVC) and other videos on cyber vigilance and ethics.
- In-house quiz and essay writing competition among all employees.
- Outreach programmes like walkathons, bicycle rallies, human chains, customer meets, grievance redressal camps/ preventive vigilance programmes. 285 Gram Sabhas and FLCs were held at rural and semi-urban branches with a participation of over 7000 persons.
- 161 schools and 62 colleges actively participated in events like declamations, poster making, slogan writing, essay writing and quiz competitions. Webinars, seminars and panel discussions were used as an effective mode of spreading awareness on the theme of VAW.

24. OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has taken proactive steps to implement the Official Language Policy of Government of India. The Bank has also taken appropriate follow up actions to implement the directives as contained in the Annual Programme with regard to the use of Official Language Hindi issued by Departments of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India and also endeavour to achieve various targets prescribed in it. Bank has also given preferred attention to comply with the instructions of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

24.1. Sankalp Rajbhasha- 2021-22

With the Inspiration and active support of Top Management of the Bank **Sankalp Rajbhasha Action Plan-2021-22** continued its journey towards achieving the target of winning **Rajbhasha Kirti Puraskar / Regional Rajbhasha Puraskar** awarded by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India in recognition for excellent work in the field of Official Language.

Head Office as well as Zonal Offices implemented all the objects and targets mentioned in the **Sankalp Rajbhasha Action Plan - 2021-22**, the outcome of the endeavour are as under : -

<p>1. यूको जी डी बिड़ला स्मृति व्याख्यानमाला</p> <p>हमारे 28 अंचल कार्यालयों ने विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन किया गया जिसमें महामहिम, बिहार के राज्यपाल, प्रख्यात वीसी, वैज्ञानिकों, अर्थास्त्रियों, सेवानिवृत्त ईडी और बैंकों के जीएम, प्रोफेसरों और कई प्रतिष्ठित विद्वानों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिए गए।</p> <p>1. UCO G D Birla Memorial Lecture</p> <p>Our 28 Zonal Offices organised the lectures delivered by eminent personalities such as His Excellency, Governor of Bihar, eminent VCs, Scientists, Economists, Retd. EDs & GMs of Banks, Professors and several distinguished Scholars on various relevant topics.</p>
<p>2. यूको भारतीय भाषा सौहार्द सम्मान</p> <p>1918 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई को यूको भारतीय भाषा सौहार्द सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें 51,000/- रुपये और एक स्मृति चिन्ह शामिल है।</p> <p>2. UCO Bharteey Bhasha Sauhard Samman</p> <p>Dakshin Bharat Hindi Prachaar Sabha, Chennai, an Institution of National importance established by Mahatma Gandhi in 1918 was awarded with UCO Bharteey Bhasha Sauhard Samman comprising Rs.51,000/- and a memento.</p>
<p>3. यूको मातृभाषा सम्मान</p> <p>हमारे 9 अंचल कार्यालयों ने हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने वाले 18 अभ्यर्थियों को 5000/- रुपये और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।</p> <p>3. UCO Matribhasha Samman</p> <p>Our 9 Zonal Offices honoured 18 candidates with Rs. 5000/- and a memento who got selected in Civil Services Examination of State Public Service Commission through Hindi/Regional Languages.</p>
<p>4. यूको राजभाषा सम्मान</p> <p>प्रधान कार्यालय और 26 क्षेत्रीय कार्यालयों ने भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों के 55 छात्रों को एमए (हिंदी) परीक्षा में टॉप करने हेतु 5000-रुपये और एक स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया।</p> <p>4. UCO Rajbhasha Samman</p> <p>Head Office and 26 Zonal Offices honoured 55 students of different Universities in India with Rs. 5000/- and a memento who topped in MA (Hindi) Examination.</p>
<p>5. यूको भाषा सेतु सम्मान</p> <p>हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के बीच सेतु बनाने के लिए प्रधान कार्यालय और 37 अंचल कार्यालयों ने 38 प्रख्यात साहित्यकारों / भाषाविदों को स्मृति चिह्न और शॉल देकर सम्मानित किया।</p> <p>यूको भाषा सेतु सम्मान के नाम उक्त क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों पर ही रखे गए हैं जैसे - यूको फकीर मोहन सेनापति भाषा सेतु सम्मान, यूको सावित्री बाई ज्योति राव फुले भाषा सेतु सम्मान, यूको बाल गंगाधर तिलक भाषा सेतु सम्मान, यूको राष्ट्रकवि श्री जी एस शिव रुद्रप्पा भाषा सेतु सम्मान आदि।</p> <p>5. UCO Bhasha Setu Samman</p> <p>Head Office and 37 Zonal Offices honoured 38 eminent/ renowned literary/ linguist figure with a memento and a Shawl for making a bridge between Hindi & Regional Language.</p> <p>The names of UCO Bhasha Setu Samman has been kept on renowned personalities of the said region itself like- UCO Fakir Mohan Senapati Bhasha Setu Samman, UCO Savitri Bai Jyoti Rao Phule Bhasha Setu Samman, UCO Bal Gangadhar Tilak Bhasha Setu Samman, UCO Rashtrakavi Shri G S Shiva Rudrappa Bhasha Setu Samman etc.</p>
<p>6. लोकप्रिय हिंदी कार्यक्रम का प्रायोजन</p> <p>सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन, कोलकाता द्वारा आयोजित 27वें हिंदी मेला कार्यक्रम के लिए प्रधान कार्यालय ने 1.50 लाख रुपये प्रायोजित किए। यह भारत के सबसे बड़े हिंदी कार्यक्रमों में से एक है, जो मध्य स्तर से लेकर पीजी और उससे आगे के छात्रों के लिए सात दिनों तक चलता है। इसके अलावा, हमारे 14 अंचल कार्यालयों ने भी विभिन्न विविद्यालयों और कॉलेजों के अपने केंद्रों पर 10000/- रुपये के साथ हिंदी कार्यक्रमों को सहयोग किया।</p> <p>6. Sponsoring Popular Hindi Programme</p> <p>Head Office sponsored Rs.1.50 Lakhs for the 27th Hindi Mela programme organised by Sanskritik Punrniirman Mishan, Kolkata. It is one of the largest Hindi Programmes in India spread over seven days meant for Students from Middle level to PG and beyond. Besides this, our 14 Zonal Offices also supported Hindi Programme of various universities and colleges at their centres with Rs. 10000/- each.</p>

24.2. उपलब्धियां / Achievements :-

<p>i. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार: भारत सरकार का प्रथम पुरस्कार यूको बैंक ने भारत सरकार द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अर्थात् राजभाषा कीर्ति पुरस्कार-प्रथम पुरस्कार यूको बैंक के इतिहास में पहली बार बैंक में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2020-21 का प्राप्त किया। हमारे एमडी और सीईओ श्री अतुल कुमार गोयल ने 14 सितंबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह से पुरस्कार प्राप्त किया।</p> <p>RAJBHASHA KIRTI PURASKAR : 1st PRIZE, Government of India</p> <p>UCO Bank won the highest award given by Government of India in the field of Official Language i.e. Rajbhasha Kirti Puraskar- First Prize for the year 2020-21 for excellent implementation of Official Language Policy in the Bank, for the First time in the history of UCO BANK. Our MD & CEO Sri Atul Kumar Goel received the award from Hon'ble Home & Co-operative Minister, Sri Amit Shah on 14th September, 2021 at Vigyan Bhawan, New Delhi.</p>	
<p>ii. क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार: भारत सरकार का प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, नराकास (बैंक), कोलकाता के संयोजक होने के कारण, पूर्वी क्षेत्र में स्थित सभी नराकासों के मध्य वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम पुरस्कार, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम पुरस्कार और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। दिनांक 18.12.2021 को डिब्रूगढ़ (असम) में पुरस्कार वितरित किए गए। यूको बैंक के इतिहास में पहली बार, डिब्रूगढ़ में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर हमारे एमडी और सीईओ श्री अतुल कुमार गोयल को भारत सरकार द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।</p> <p>Regional Rajbhasha Puraskar: 1st & 2nd Prize, Government of India</p> <p>UCO Bank, Head Office, being the convenor of TOLIC (Bank), Kolkata bagged the First Prize for FY- 2017-18, First Prize for FY-2018-19 and Second Prize for FY-2019-20 amongst all the TOLICs in Eastern Region. Prizes were distributed on 18.12.2021 at Dibrugarh (Assam). First time in the history of UCO Bank, our MD & CEO Shri A. K. Goel was invited by Govt. of India as a Chief Guest on the occasion of prize distribution ceremony organised by Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language at Dibrugarh.</p>	
<p>iii. कंठस्थ - अखिल भारतीय अनुवाद प्रतियोगिता, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार हमारे राजभाषा अधिकारियों ने जांचकर्ता श्रेणी में 10 पुरस्कारों में से पहला, चौथा और दो पाचवाँ पुरस्कार जीता और कंठस्थ में अनुवादक श्रेणी में 40 पुरस्कारों में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, 11वां, 14वां, 24वां और 29वां पुरस्कार जीता, यह प्रतियोगिता राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। सभी विजेता राजभाषा अधिकारियों को सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।</p> <p>Kanthastha - All India Translation Competition of Dept. of Official Language, Ministry of Home, Government of India</p> <p>Our Rajbhasha Officers won 1st, 4th & two 5th Prize out of 10 prizes in Vetter Category and 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7th, 9th, 11th, 14th, 24th and 29th prizes out of 40 prizes in Translators Category in Kanthastha - Translation Competition organized by dept. of OL, Min. of Home, Govt of India. All the winner Rajbhasha Officers received Certificates signed by Secretary, department of OL, Government of India.</p>	
<p>iv. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) पुरस्कार, अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा जीता गया। Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) Award, Won by Zonal Offices & Branches.</p>	
<p>प्रथम पुरस्कार (15) FIRST PRIZE (15)</p>	<p>पटना, रायपुर, करनाल, इंदौर, वाराणसी, मुंबई, जालंधर, सुरत, एर्नाकुलम, बेंगलुरु और हैदराबाद जोनल ऑफिस और पणजी, प्रयागराज, रावपुरा और रूपनगर Patna, Raipur, Karnal, Indore, Varanasi, Mumbai, Jalandhar, Surat, Ernakulam, Bengaluru and Hyderabad Zonal Offices and Panaji, Prayagraj, Raopura and Rupnagar.</p>
<p>द्वितीय पुरस्कार (10) SECOND PRIZE (10)</p>	<p>जयपुर और भुवनेश्वर अंचल कार्यालय और भिलाई सेक्टर-1, नोएडा सेक्टर-3, आगरा मुख्य, फाजिल्का, फरीदकोट, मिड कोपरेट लुधियाना, गाजीपुर, मुजफ्फरपुर शाखाएं। Jaipur and Bhubaneswar Zonal Offices and Bhilai Sec-1, Noida Sec-3, Agra Main, Fazilka, Faridkot, MC Ludhiana, Gajipur, MUzaffarpur branches.</p>
<p>तृतीय पुरस्कार (05) THIRD PRIZE (05)</p>	<p>जोधपुर, जयपुर और चंडीगढ़ अंचल कार्यालय और मऊ कुल्लू शाखाएं Jodhpur, Jaipur and Chandigarh Zonal Offices and Mau, Kullu branches</p>

<p>v. विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार नराकास के तत्वावधान में आयोजित (पूरे भारत में) Individual Awards for Various competitions organized under the aegis of TOLICs (All over India)</p>	
<p>प्रथम पुरस्कार FIRST PRIZE</p>	<p>विभिन्न स्केल के 64 स्टाफ सदस्यों ने प्रथम पुरस्कार जीता 64 staff members of various scales won 1st Prize</p>
<p>द्वितीय पुरस्कार SECOND PRIZE</p>	<p>28 स्टाफ सदस्यों ने दूसरा पुरस्कार जीता 28 staff members won 2nd Prize</p>
<p>तृतीय पुरस्कार THIRD PRIZE</p>	<p>40 स्टाफ सदस्यों ने जीता तीसरा पुरस्कार 40 Staff members won 3rd Prize</p>
<p>vi. अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता पुरस्कार ALL INDIA INTER BANK HINDI ESSAY WRITING COMPETITION AWARD हमारे अपने यूको बैंक सहित पीएसयू बैंकों द्वारा आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में हमारे कई कार्यपालकों और अधिकारियों ने पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। Our several Executives & Officers won 1st, 2nd & 3rd PRIZE in essay writing competitions organized by PSU Banks including our own UCO Bank.</p>	

24.3. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हिंदी सेमिनार और प्रतियोगिताएं

डॉ. सुमीत जैरथ, आईएएस, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने 28 जुलाई, 2021 को हमारे प्रधान कार्यालय का दौरा किया। बैंक के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार के किसी सचिव स्तर के अधिकारी ने इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने के लिए '12 प्रा से राजभाषा का सामूहिक विकास' पर एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया। सभी अंचल कार्यालय वीसी के माध्यम से संगोष्ठी में शामिल हुए। हमारे कई अंचल कार्यालयों ने अर्थशास्त्र, भाषा और साहित्य और बैंकिंग पर विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर व्याख्यान के लिए विद्वानों को आमंत्रित करने के लिए सेमिनार भी आयोजित किए।

बैंक ने आत्मनिर्भर भारत: अवसर, चुनौतियां एवं सफलता और आत्मनिर्भर भारत: अपना सपना, अपना उद्यम, अपनी भाषा पर राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जिसे में सभी बैंकों से पूरे भारत से लगभग 200 निबंध प्राप्त हुआ।

बैंक ने 07.03.2022 को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा कोलकाता में सभी बैंकों/बीमा और वित्तीय संस्थानों के लिए आयोजित एक संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता श्री सुधीर श्याम, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने की। श्री भीम सिंह, उप निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने संगोष्ठी और कार्याला का संचालन किया।

24.4. हिंदी प्रशिक्षण

- लगभग 12147 अधिकारियों और लिपिकों को उनके दैनिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रधान कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों द्वारा आयोजित लगभग 170 ऑफलाइन और ऑनलाइन हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, लगभग 950 अधिकारियों और लिपिकों को हिंदी यूनिकोड के बारे में कंप्यूटर पर डेस्क प्रशिक्षण भी दिया गया।
- सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता और सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों ने प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए हिंदी प्रशिक्षण प्रदान किया।
- इसके अलावा, लगभग 35 अधिकारियों और क्लर्कों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण की।

24.3. National and State Level Hindi Seminars & Competitions

Dr. Sumeet Jairath, IAS, Secretary, Dept. of OL, Ministry of Home visited our Head Office on 28th July, 2021. For the First time in the history of the Bank, any Secretary level official of Central Government. To mark this historic occasion, a National Level Seminar was organized on "12 Pra Se Rajbhashaka Samuchit Vikas". All Zonal Offices joined the seminar through VC.

Our several Zonal Offices also organized Seminars inviting scholars to speak on various relevant topics on Economics, Language & Literature and Banking.

Bank organized National Level Essay Competition on Aatmnirbhar Bharat: Avasar, Chunauiyanevm Safalata and Aatmnirbhar Bharat: Apnaa Sapna, Apnaa Udyam, Apni Bhasha which was well received by all Banks reflecting in approx. 200 essays from all over India.

Bank hosted a Seminar cum Workshop organised by Department of Financial Services, Ministry of Finance on 07.03.2022 for all Banks/Insurance & Financial Institutions in Kolkata. The Seminar was presided by Shri Sudhir Shyam, Economic Advisor, DFS, Ministry of Finance, Govt. of India. Shri Bhim Singh, Dy. Director, DFS, MoF conducted the Seminar & Workshop.

24.4. Hindi Training

- Approx. 12147 Officers and Clerks were trained through approx. 170 Offline and Online Hindi Workshops conducted by HO & ZOs to do their day to day work in Hindi. Further, approx. 950 Officers and Clerks were also imparted Desk Training on computer about Hindi Unicode.
- Central Staff College, Kolkata & all Regional Training Centres imparted Hindi Training covering all aspects of OL Policy of GOI in each training programme.
- Further, approx. 35 Officers and Clerks passed Prabodh, Praveen & Pragya Hindi Exams conducted by Government of India.

24.5. प्रकाशन

हमारी हिंदी गृह पत्रिका 'अनुगूज' प्रकाशित हो रही है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के लेख भी शामिल हैं। हमारे अंचल कार्यालय नियमित रूप से क्षेत्रीय भाषाओं के लेखों के साथ-साथ बैंक की गतिविधियों और कर्मचारियों की रचनात्मकता को दर्शाते हुए अपनी आंचलिक हिंदी पत्रिकाएं भी निकालते हैं।

'यूको भारतीय भाषा सेतुका' - हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी, हिंदी-पंजाबी-अंग्रेजी और हिंदी-असमिया-अंग्रेजी, एक त्रिभाषी पुस्तिका जिसमें दिन-प्रतिदिन के शब्द, वाक्यांश और ग्राहकों के साथ सरल बातचीत शामिल है, को उस क्षेत्र में स्थानांतरण पर हमारे अधिकारियों की सुविधा के लिए प्रकाशित किया गया है जिस क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती हैं।

तीन ई-पत्रिकाएं, यूको दैनिकी (256 अंक), यूको मासिकी (11 अंक) और यूको संगम (तिमाही 3 अंक) मल्टी मीडिया सुविधाओं के साथ प्रकाशित की गईं, सभी शाखाओं और कार्यालयों को परिचालित की गईं। सभी अंचल कार्यालय अपने-अपने अंचलों के लिए अपनी-अपनी ई-पत्रिकाएं यूको दैनिकी, यूको मासिकी आदि भी प्रकाशित कर रहे हैं।

24.6. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)

हमारा प्रधान कार्यालय नराकास (बैंक), कोलकाता का संयोजक है। इसके अलावा, बैंक रूपनगर, बिलासपुर (एचपी), सोलन, अजमेर, भागलपुर, बालासोर, दरभंगा, न्यू जलपाईगुड़ी, बेहरामपुर (प.बंगाल) और मालदा नराकास का भी संयोजक है, जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया है।

दिनांक 02.03.2022 को 'न्यायपालिका में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग: चुनौतियां और समाधान' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, श्री मणिशंकर द्विवेदी, पूर्व-न्यायाधीश, न्यायिक सचिव, पश्चिम बंगाल और सदस्य, मानवाधिकार आयोग मुख्य वक्ता थे। अन्य वक्ताओं में श्री सुधशु रंजन, एडीजी, दूरदर्शन, प्रो. सची चक्रवर्ती, विधि विभाग, कलकत्ता विविद्यालय, प्रो. कविता सिंह, एनयूजेएस और श्री आशीष राय, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय शामिल थे।

विद्यासागर मातृभाषा सम्मान वर्ष 2020-21 के लिए प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट और आर्किटेक्ट श्री सुरेंद्र कपूर और उपर्युक्त अवसर पर वर्ष 2021-22 के लिए प्रसिद्ध गायिका और कलाकार पद्मश्री श्रीमती उषा उत्थुप को प्रदान किया गया। इस सम्मान में 25000/- रुपये नकद, स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान किया जाता है।

राजभाषा सेवा सम्मान नराकास (बैंक), कोलकाता के 40 सदस्यों को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राजभाषा के कार्यान्वयन में योगदान करते हुए 25 साल की सेवा पूरी की है।

24.7. राजभाषा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति ने 17 अगस्त, 2021 को अंचल कार्यालय, नई दिल्ली और 24 अक्टूबर, 2021 को अंचल कार्यालय, सूरत का निरीक्षण किया। समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन पर ध्यान दिया और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीतने के लिए बैंक की प्रशंसा की।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उपयुक्त रूप से मार्गदर्शन करने वाले कई अंचल कार्यालयों और शाखाओं का निरीक्षण किया।

प्रधान कार्यालय द्वारा 30 अंचल कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण किया गया। वित्तीय वर्ष-2021-22 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने शाखा स्तर

24.5. Publication

Our Hindi house journal 'Anugoonj' is being published wherein articles in Regional Languages are also included. Our Zonal Offices also brought out their Zonal Hindi Magazines regularly along with Regional Languages articles reflecting the activities of the Bank and creativities of the Staff at same time.

"UCO Bharteey Bhasha Setuka" - Hindi-Malyalam-English, Hindi-Punjabi- English and Hindi-Assamese-English, a trilingual booklet containing day-to-day words, phrases & simple conversation with customers were published for convenience of our officers on transfer to the region where these languages are spoken.

Three e-magazines namely, UCO Dainiki (256 issues), UCO Masiki (11 issues) and UCO Sangam (Quarterly 3 issues) were published having multi media facilities, were circulated to all branches and offices. All Zonal Offices are also publishing their own e-Magazines UCO Dainiki, UCO Masiki etc for their respective Zones.

24.6. Town Official Language Implementation Committee (TOLIC)

Our Head Office is the convenor of TOLIC (Bank), Kolkata. Further, the Bank is also convenor of Roopnagar, Bilaspur (HP), Solan, Ajmer, Bhagalpur, Balasore, Darbhanga, New Jalpaiguri, Beharampur (WB) and Maldah TOLIC as entrusted by Dept. of Official Language, Min of Home Affairs, Govt. of India.

A National Seminar was organised on 'Use of Hindi and Regional Languages in Judiciary : Challenges and Solutions' on 02.03.2022, Sri Mani Shankar Dwivedi, Ex-Justice, Judicial Secretary, WB and Member, Human Rights Commission was the Chief Speaker. Other speakers included Shri Sudhanshu Ranjan, ADG, Doordarshan, Prof. Sachi Chakrawarty, Law Dept. Calcutta University, Prof. Kavita Singh, NUJS & Shri Ashish Rai, Advocate, Supreme Court.

Vidyasagar Matribhasha Samman were conferred to Sri Surendra Kapoor, renowned Indologist & Architect for the year 2020-21) and Padmasri Smt. Usha Utthup, well-known Singer & Artist for the year 2021-22 on the above occasion. The Samman carries a cash Rs. 25000/-, Memento & Shawl.

Rajbhasha Seva Samman awarded to 40 members of TOLIC (Bank), Kolkata. This award is given to those who complete 25 years of service contributing towards implementation of Rajbhasha.

24.7. OL Inspection

Committee of Parliament on Official Language inspected our New Delhi Zonal Office on 17th August, 2021 and Surat Zonal Office on 24 October, 2021. The Committee took note of OL Implementation and praised the Bank for winning Rajbhasha Kirti Puraskar.

Regional Implementation Office, Dept. of OL, Ministry of Home inspected several Zonal Offices & branches guiding them suitably in the implementation of OL Policy of Govt. of India.

Rajbhasha Inspection were carried out in 30 Zonal Offices by HO. Zonal Offices conducted Rajbhasha inspection in approx. 2100 branches regarding OL Implementation at branch level

पर राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में लगभग 2100 शाखाओं में राजभाषा निरीक्षण किया।

24.8. नई पहल

- डॉ. सुमीत जैरथ, आईएएस, सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने 28 जुलाई, 2021 को बैंक की वेबसाइट पर राजभाषा मेनू का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए हमारे बैंक की वेबसाइट हिंदी में खुलने लगी थी।
- सभी अंचल कार्यालयों और शाखाओं के लिए सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उप महाप्रबंधक स्तर तक के सभी अधिकारियों के लिए ई-लर्निंग के माध्यम से हिंदी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से पास करना बैंक में राजभाषा के कार्यान्वयन में सुधार करना जारी रखता है। दोनों एपीएआर से भी जुड़े हुए हैं।

24.9. विविध

- सितंबर-अक्टूबर, 2021 माह में भारतीय भाषा सौहार्द स्वरूप हिंदी पखवाड़ा/ माह का आयोजन प्रधान कार्यालय के साथ-साथ सभी अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा पूरे उत्साह और जोश के साथ किया गया। महाप्रबंधकों सहित सभी संवर्गों के लिए एक अखिल भारतीय ऑनलाइन राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता भी माह के दौरान आयोजित की गई। इस अवसर पर पंजाबी मूल के प्रख्यात हिंदी लेखक डॉ. लखबीर सिंह निर्देश को 'यूको राजा राममोहन राय भाषा सेतु सम्मान' से सम्मानित किया गया।
- बैंक के राजभाषा विभाग ने वर्ष 1972 में श्री एस.वी.वाशिम्कर, एक मराठी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करके एक छोटे से कदम के साथ अपनी यात्रा शुरू की। राजभाषा अधिकारियों का पहला बैच 1972 में बैंक में शामिल हुआ, जिसने अंततः 50 वर्ष पूरे किए। इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने के लिए, बैंक ने 24 मार्च, 2022 को सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में विभाग की स्वर्ण जयंती मनाई। स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास ने कुछ महाप्रबंधकों सहित विभाग के सभी पूर्व सदस्यों की उपस्थिति में किया।
- अखिल भारतीय यूको बैंक राजभाषा अधिकारी सम्मेलन: सर्वोत्तम की ओर 25-26 मार्च, 2022 को सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास ने किया। उन्होंने सभी राजभाषा अधिकारियों को सर्वोच्च राजभाषा पुरस्कार अर्थात् राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीतने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बधाई दी और सभी से इस पुरस्कार को आने वाले वर्षों में भी बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। श्री नरेश कुमार, महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन एवं राजभाषा सफल सम्मेलन के पीछे मार्गदर्शक थे और उन्होंने सभी राजभाषा अधिकारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया।

25. विपणन

विपणन विभाग रिटेल आस्ति, देनदारियों, डिजिटल बैंकिंग उत्पादों, बैंकएश्योरेंस, एपीवाई, पीपीएफ और एसजीबी आदि को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल और विभिन्न अभियान शुरू कर रहा है।

इसके अलावा, सभी शाखाओं में संपर्क अधिकारी (रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव) को बैंकों के उत्पादों के प्रचार के लिए और घर-घर जाकर ग्राहकों को उत्पादों के विषय में सलाह प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। विभाग बैंक के ब्रांड निर्माण और विपणन सहायकों जैसे वीडियो, ऑडियो, प्रस्तुतिकरण, वन पेजर, तुलनात्मक चार्ट आदि के माध्यम से बैंक के उत्पादों और सेवाओं के प्रचार पर जोर देता है।

during the FY-2021-22.

24.8. New Initiative

- **Dr. SumeetJairath, IAS, Secretary, Dept. of OL, Govt of India** launched **Rajbhasha Menu in Bank's website on 28th July,2021**. It is worth mentioning here that last year, our Bank's website started opening in Hindi complying the directions of Govt. of India.
- Submission of Quarterly Progress Report on Single Sign on platform for all Zonal Offices & branches and mandatory passing of Hindi course through e-learning for all officers up to DGM level continued improving the implementation of Rajbhasha in the Bank. Both are linked with APAR also.

24.9. Miscellaneous

- Bhartiya Bhasha Sauhard Swaroop Hindi Pakhwada/Mah was celebrated by Head Office as well as all Zonal Offices and branches with full enthusiasm and zeal in the month of September-October, 2021. An All India Online Rajbhasha Gyan Competitions for all cadres including GMs was also organised during the month. **Eminent Hindi writer of Punjabi origin Dr. Lakhbir Singh Nirdosh was honoured with 'UCO Raja Ramamohan Roy Bhasha SetuSamman'** on this occasion.
- **Rajbhasha Department of the Bank** started its journey **in the year 1972** with a small step by nominating Shri S V Washimkar, a Marathi as Nodal officer. The First batch of Rajbhasha Officers joined bank in 1972 which eventually completed 50 years. To mark this historic occasion, Bank celebrated Golden Jubilee of the department on 24th March,2022 at Central Staff College, Kolkata. The Golden Jubilee Celebration was inaugurated by Shri Ajay Vyas, Executive Director in presence of all ex members of the department including some General Managers.
- **All India UCO Bank Official Language Officers' Conference: Sarvottam Ki Or** was organised on **25-26 March, 2022** at Central Staff College, Kolkata. The them The Conference was inaugurated by **Shri Ajay Vyas, Executive Director. He congratulated all Rajbhasha Officers for achieving the goal of winning the highest Rajbhasha Award i.e. Rajbhasha Kirti Puraskar - First and invoked all to work hard to keep this award for coming years also. Shri Naresh Kumar, General Manager, HRM & OL** was the guiding force behind the successful conference and motivated all Rajbhasha officers to give their best.

25. Marketing Department

Marketing Department has been introducing various initiatives and launching various campaigns from time to time to Promote Retail Asset, Liabilities, Digital Banking Products, Bancassurance, APY, PPF & SGB etc.

Apart from that, Relationship executives are designated at all branches for promotion of Banks product and to provide doorstep product advice to customers.

Department Emphasis on Banks Brand building and promotion of Bank's products & services through Marketing Collaterals E.g. Video, Audio, Presentation, One pager, Comparative Charts etc.

A multidimensional approach towards Sales & Marketing of

बैंक के उत्पादों की बिक्री और विपणन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का पालन किया गया है जिससे महत्वपूर्ण लोकप्रियता के साथ-साथ व्यवसाय विकास भी हुआ है।

विभिन्न पहलों, अभियानों और महत्वपूर्ण आयोजनों के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है:-

- **यूको रियल्टी:** एक वेबसाइट (www.ucorealty.com) बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को प्रदर्शित करती है जो डिजिटल लीड जनरेशन सुविधा के साथ पूरे भारत में संपत्तियों तक आसान पहुंच प्रदान करती है। यह हमारे ग्राहकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ब्राउज़ करने और आसानी से अपना वांछित घर चुनने का एक नया अनुभव देगा और यह प्लेटफॉर्म विभिन्न बिल्डरों का ध्यान आकर्षित करेगा जिससे हमारे स्वीकृत परियोजना आधार में वृद्धि होगी।
- वेबसाइट अब लगभग 550+ आरक्षितियों के साथ पूरी तरह क्रियाशील है और संख्या लगातार बढ़ रही है। वेबसाइट पर आगंतुकों की संख्या शुरु से ही 1.2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है।

● यूको-एसबीआई केडिट कार्ड

मार्च 2022 तक

प्राप्त आवेदनों की संख्या- 1.05 लाख

संस्वीकृत आवेदनों की संख्या- 0.77 लाख

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मार्च-2022 तक कुल कारोबार 3.06 करोड़ हुआ।

- **लीड जनरेशन मैनेजमेंट प्रणाली :** विभिन्न चैनलों (मिस्ड कॉल, एसएमएस, वेबसाइट, कर्मचारी रेफरल, चैटबॉट, व्हाट्सएप, कॉल सेंटर, यूको एम-बैंकिंग प्लस आदि) से उत्पन्न लीड की प्रगति को ट्रैक और निगरानी करने के लिए एक सिस्टम स्थापित किया गया है।
- **गृह ऋण अभियान:** गृह ऋण पर कुल चार (4) अभियान आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रति दिन गृह ऋण का औसत प्रति दिन 31 (अभियान के अलावा अन्य कार्यनिष्पादन दिवस) से बढ़कर प्रति दिन 81 (अभियान में प्रदर्शन दिवस) हो गया।

- वित्त वर्ष 2021-22 में संस्वीकृत कुल गृह ऋण: **20739**
- वित्त वर्ष 2021-22 में संस्वीकृत कुल गृह ऋण (अभियान में): **15072**
- अभियान योगदान (अभियान प्रदर्शन बनाम कुल संस्वीकृति) =**73%**
- कुल अभियान अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22): **185 दिन**

- **कार ऋण अभियान:** कार ऋण पर कुल चार (4) अभियान आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कार ऋण का औसत प्रति दिन 17 (अभियान के अलावा अन्य कार्यनिष्पादन दिवस) से प्रति दिन 35 (अभियान में कार्यनिष्पादन दिवस) तक बढ़ गया।

- वित्त वर्ष 2021-22 में संस्वीकृत कुल कार ऋण: 9568
- वित्त वर्ष 2021-22 में संस्वीकृत कुल कार ऋण (अभियान में): 6541
- अभियान योगदान (अभियान कार्यनिष्पादन बनाम कुल संस्वीकृति) =**68%**
- कुल अभियान अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22): **185 दिन**

bank's products has been followed leading to significant popularity as well as business development.

The Gist of Performance of various initiatives, campaigns and Important Event are as follows:

- **UCO Realty:** A website (www.ucorealty.com) showcasing banks approved projects which provides easy access to properties across India with digital lead generation facility. This will give our customers a new experience on digital platform to browse and choose their desired home with ease and the platform will attract attention of different builders which in turn increase our approved project base.
- The website is now fully functional with around **550+ properties** and number is increasing continuously. Number of visitors on the website have crossed **1.2 Lac mark** since inception.

● UCO-SBI Credit Card:

As on March'2022

No. of applications received-**1.05 Lac**

No. of applications approved- **0.77 Lac**

Total Business generated in FY 2021-22 as of March-2022- **3.06 crore.**

- **Lead Generation Management System:** A System has been established to track and monitor the progress of leads generated from various channels (Missed Call, SMS, Website, Employee referrals, Chatbot, WhatsApp, Call Centre, UCO m-Banking plus etc.)

- **Home Loan Campaigns:** Total four (4) campaigns on Home loan were organised that resulted in increasing the per day average of Home loans from 31 per day (performance day other than campaign) to 81 per day (performance day in Campaign).

- Total Home Loans sanctioned in FY 2021-22: **20739**
- Total Home Loans sanctioned in FY 2021-22 (In Campaign): **15072**
- Campaign Contribution (Campaign performance Vs Tot. Sanc.) =**73%**
- Total Campaign period (FY 2021-22): **185 days**

- **Car Loan Campaigns:** Total four (4) campaigns on Car loan were organised that resulted in increasing the per day average of Car loans from 17 per day (performance day other than campaign) to 35 per day (performance day in Campaign).

- Total Car Loans sanctioned in FY 2021-22: 9568
- Total Car Loans sanctioned in FY 2021-22 (In Campaign): 6541
- Campaign Contribution (Campaign performance Vs Tot. Sanc.) =**68%**
- Total Campaign period (FY 2021-22): 185 days

- **Mutual Fund:** Bank tied-up with Fisdrom for Mutual Fund

- **म्यूचुअल फंड:** बैंक ने अगस्त-2021 से म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए फिसडम के साथ करार किया और मार्च' 2022 तक 25841 निवेशकों को लगभग 132 करोड़ एयूएम (प्रबंधन के तहत संपत्ति) के साथ जोड़ा।
- **एपीवाई और पीपीएफ:** वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में एपीवाई में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदर्शन 80,328 से बढ़कर 163,386 हो गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 20462 पीपीएफ खाता खोला गया है।
- **बैंकएश्योरेंस:** महत्वपूर्ण मार्केटिंग गतिविधियों और अभियानों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22.5 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ है
- **डोर स्टेप-बैंकिंग:** पीएसबी एलायंस द्वारा शुरू किए गए डीएसबी उद्घाटन अभियान (फरवरी'2022) में सभी बैंकों में समग्र रूप से दूसरा रैंक प्राप्त किया। केंद्र सक्रियण में प्रथम रैंक; सेवा अनुरोध पूरा करने में दूसरा रैंक, 100% अद्वितीय ग्राहक लक्ष्य उपलब्ध।

26. लेनदेन बैंकिंग विभाग

- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY द्वारा 40 करोड़ के आवंटित लक्ष्य की तुलना में बैंक ने लगभग 55 करोड़ डिजिटल लेनदेन किया है। (अंतिम आंकड़ा अभी तक MeitY द्वारा जारी नहीं किया गया है)।
- व्हाट्सएप बैंकिंग को ग्राहकों के लिए गैर-वित्तीय लेनदेन सुविधा और गैर-ग्राहकों के लिए सूचनात्मक और लीड जनरेशन सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया था।
- बैंक ने यूको संदेह निवारण ऐप लॉन्च किया है जहां कर्मचारी बैंक के उत्पादों /प्रक्रियाओं के बारे में अपने प्रश्न उठा सकते हैं और हल कर सकते हैं।
- आसित प्रबंधन सेवाओं (वेलथ मैनेजमेंट सर्विसेज) का परिचय: यूको मोबाइल बैंकिंग ऐप में ई-ट्रेडिंग/डीमैट, ई-एनपीएस, ई-इनकम टैक्स, रिटर्न फाइलिंग आदि।
- यूको रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड नाम का प्रीमियम सेगमेंट डेबिट कार्ड उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए वेलनेस थीम पर ध्यान देने के साथ पेश किया गया था।
- साइबर धोखाधड़ी जोखिम बीमा रु.1 लाख बैंक के वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड धारकों के लिए पेश किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीओएस में शामिल होने वाले नए व्यापारियों की संख्या 4285 है और पीओएस लेनदेन की कुल राशि 1105.94 करोड़ रुपये है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऑनलाइन शुल्क संग्रह मॉड्यूल के माध्यम से किए गए लेनदेन मूल्य की कुल राशि 550.80 करोड़ रुपये है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जारी किए गए कुल नए डेबिट कार्ड: 15.97 लाख
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मोबाइल बैंकिंग में नया पंजीकरण : 21.82 लाख
- पहली बार बैंक ने ब्रांड बिल्डिंग और लीड जनरेशन के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वर्चुअल मार्केटिंग अभियान चलाया।

business from Aug-2021 and as on March' 2022 on-boarded 25841 investors, with AUM (Assets under management)- Approx. 132 Cr.

- **APY & PPF:** In comparison to FY 2020-21, for APY the performance in the FY 2021-22 has improved considerably from 80,328 to 163,386 numbers, increase of more than 100%. Also 20462 account PPF have been opened during FY 2021-22.
- **Bancassurance:** Significant marketing activities and campaigns have resulted in 22.5 Cr commission earned in FY 2021-22
- **Door Step-Banking:** Achieved an overall rank 2nd among all banks in DSB Udaan Campaign (February'2022) launched by PSB Alliance. 1st Rank in Center Activation; 2nd Rank in Service request completion, 100% unique customers target achievement.

26. Transaction Banking Department

- Bank has achieved approx. 55 Crores Digital Transaction Volume against the allotted target of 40 Crores by Ministry of Electronic & Information Technology (Meity).
- WhatsAppBanking was launched with non-financial transactions facility for customers & Informative & Lead Generation facilities for non-customers.
- Bank has launched UCO Sandeh Nivaran app where staffs can raise & get resolved their queries regarding Bank's products/Processes.
- Introduction of Wealth Management Services: E-Trading/ Demat, E-NPS, E-Income Tax Return Filing etc. in UCO Mobile Banking app.
- Premium Segment Debit Card named UCO RuPay Select Debit Card was introduced for High Net worth Individuals with focus on wellness theme.
- Cyber fraud risk insurance of Rs. 1 Lakh was introduced for Bank's Visa Platinum Debit card holders.
- The Number of new merchant onboarding to POS during FY 2021-22 is 4285 and Total Amount of POS Transaction is Rs.1105.94 Crore.
- Total amount of Transaction Value done through online Fee collection module during FY 2021-22 is Rs.550.80 Crore.
- Total fresh Debit Card Issued during FY 2021-22: 15.97 Lacs
- New Registration in Mobile Banking during FY 2021-22 : 21.82 Lacs
- First time Bank ran Virtual Marketing campaign on its Social Media Handles for Brand Building and Lead Generation.
- Introduction of ORM (Organizational Reputation Management)

- सोशल मीडिया पर ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित ओआरएम (संगठनात्मक प्रतिष्ठा प्रबंधन) टूल का परिचय।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सोशल मीडिया फॉलोअर्स की स्थिति में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

Tool based on Automated Intelligence (AI) for handling customer grievances on Social media.

- Social Media Followers status have increased significantly during FY 2021-22 as under:

सोशल मीडिया/Social Media	वृद्धि /Growth
फेसबुक/Facebook	18 हजार से 41 हजार/18 K to 41 K (वृद्धि/Growth of 127%)
ट्विटर/Twitter	13.5 हजार से 26.4 हजार /13.5 K to 26.4 K (वृद्धि/Growth of 95%)
यू ट्यूब/You Tube	7 हजार से 13.4 हजार/7 K to 13.4 K (वृद्धि/Growth of 91%)
इंस्टाग्राम/Instagram	8 हजार से 12.6 हजार/8 K to 12.6 K (वृद्धि/Growth of 58%)
लिंक्डइन /Linkedin	7 से 10 हजार/7 to 10K (वृद्धि/Growth of 53%)
कू / Koo	0 से 2.6 हजार/0 to 2.6K (वृद्धि/Growth of 260%)

- कू प्लेटफॉर्म पर सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था।

- Verified Social Media handle on "Koo" platform was launched in July 2021.

27. सामान्य प्राशासन विभाग

बैंक ने किराये खर्च की जांच एवं उस पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ पट्टे के नवीनीकरण में होनेवाले विलंब को कम करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर शाखाओं, एटीएम तथा अन्य प्रासासनिक भवनों के केंद्रीकृत किराया भुगतान हेतु पहल की है। केंद्रीकृत किराया भुगतान प्रणाली (सीआरपीएस) मॉड्यूल लागू हो गया है तथा जनवरी, 2020 माह से हमारी शाखाओं, एटीएम एवं प्रशासनिक भवनों से संबंधित किरायों का भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा केंद्रीकृत आधार पर किया जा रहा है। सीआरपीएस प्रणाली अब स्थिर और सुव्यवस्थित है, और सुचारु रूप से चल रही है।

28. अनुपालन विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य सभी नियामकों द्वारा अधिदिष्ट कार्यों का घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर अनुपालन करना अनुपालन विभाग की ज़िम्मेदारी है। नियामकों, भारत सरकार के प्राधिकारी, सेबी, एफ़आईयू-इंड, पीएमएलए अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग इकाइयों को विभिन्न नियामक विवरणियों एवं प्रावधानों यथा: केवाईसी/एएमएल मामलों, एसटीआर (संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट), सीटीआर (नकद लेनदेन रिपोर्ट), सीबीडब्ल्यूटीआर (सीमा पार तार अंतरण रिपोर्ट)। सीएफ़टी (आतंकवाद हेतु वित्तपोषण का विरोध) आदि की रिपोर्टिंग में सतत पूर्णता पर जोर दिया जा रहा है।

अनुपालन कार्यों में उल्लंघनों, यदि कोई हो, को कम करने हेतु अनुपालन एवं केवाईसी/एएमएल नीतियों की पुनरीक्षण एवं समीक्षा समय समय पर की जा रही है तथा निदेशक मंडल द्वारा इसका अनुमोदन प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सभी 3072 नियमित कारोबार शाखाओं में अनुपालन परीक्षण जांच (सीटीसी) की गई तथा सभी शाखाओं/कार्यालयों को समय पर अनुपालन कार्यों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया। नियामक/सांविधिक प्राधिकारियों को सूचित किए जाने से पहले उपयुक्त स्तर पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, इस प्रकार यह प्रणाली की प्रभावकारिता को बढ़ाता है।

विविध नई पहल की गई हैं जैसे; हमने 01-04-2010 से 31-03-2021 की अवधि के दौरान की गई चूक का विश्लेषण किया है और एक परिपत्र जारी किया गया है; अनुपालन संस्कृति को विकसित करने के लिए मासिक अनुपालन पत्रिका जारी की जाती है; अनुपालन ज्ञान को

27. GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

Bank has taken initiative for centralized rent payment of branches, ATMs and other administrative Buildings on pan India basis to check and balance the rental expenditure as well OS minimize the pendency of renewal of lease . The Centralized Rent Payment System (CRPS) module has been implemented and made live since January 2020 onwards , and the rent payment related to branches , ATMs and other Administrative offices is being made centrally by Head Office . The CRPS system is now stabilized and streamlined, and running smoothly

28. COMPLIANCE DEPARTMENT:

Compliance Functions mandated by the Reserve Bank of India and such other regulators domestically as well as globally are the responsibility of Compliance Department. Emphasis is being laid on continuous perfection in reporting of various regulatory returns and provisions e.g. KYC/AML issues, STRs (Suspicious Transactions Report), CTRs (Cash Transaction Reports), CBWTRs (Cross Border Wire Transfer Reports, CFT (Combating of Finance for Terrorism), etc., to the Regulators, Govt. Of India Authorities, SEBI, FIU-IND, under PMLA Act 2002, as Reporting Entity (RE).

Compliance & KYC/AML Policies are being revisited / reviewed periodically and approved by the Board of Directors to mitigate breaches in Compliance Functions. During FY 2021-22, Compliance Test Checking (CTC) was undertaken in all the 3074 regular business Branches and forty-two Zonal Offices. Critical issues are discussed at appropriate levels before being reported to the Regulatory/Statutory Authorities, thus enhancing the system efficacy.

Several new initiatives have been taken viz; we have analyzed the lapses during the period 01-04-2010 to 31-03-2021 and a circular has been issued; Monthly Compliance magazine is issued to inculcate compliance culture; a Certification programme on compliance has been devised in collaboration with IIBF for all the employees of the bank for enhancement of Compliance

बढ़ाने के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए आईआईबीएफ के सहयोग से अनुपालन पर एक प्रमाणन कार्यक्रम तैयार किया गया है; विशेष क्षेत्रों में, अग्रिम और जमा, उनमें से कुछ क्षेत्र हैं, गैर-अनुपालन पर सेवारत कर्मचारियों द्वारा मेल आईडी "noncompliance@ucobank.co.in" पर गैर-अनुपालन की सीधी रिपोर्टिंग की जा सकती है।

29. बैंक की भावी योजना

वित्तीय वर्ष 2021-22 भारत के लिए सबसे अशांत वर्ष रहा। जनवरी 2022 की दूसरी छमाही में चरम पर पहुंचने वाले कोविड -19 के ओमिक्रोन वैरियंट का अर्थव्यवस्था में सक्रिय स्तरों पर नगण्य प्रभाव पड़ा है। रूस और यूकेन से जुड़े भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा दी। कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों जैसे भारत के गतिविधि स्तर पर इसके प्रभाव ने भारत की आयात सामग्री की लागत को बढ़ा दिया।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने राजकोषीय उपाय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की थी। सरकार का जोर 2022-23 में पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर था। यह निजी निवेश में जनसमूह और कुल मांग को मजबूत करके, व्यापार और उपभोक्ता विवास में सुधार करके देश की उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों, ब्याज दर और तरलता की स्थिति को स्थिर करने के लिए अनेक गैर-परंपरागत उपाय किया।

हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आगे बढ़ते हुए पूरे भारत में संभावित केंद्रों में 200 नई शाखाएं खोलने जा रहा है।

बैंक का फोकस डिजिटल चैनल, रैम को बढ़ावा देना, कम लागत वाली जमा राशि में वृद्धि और लाभ के स्थायी स्तर को बनाए रखना होगा। बैंक की बढ़ती बाजार हिस्सेदारी, उत्पादों की क्रॉस सेलिंग और ग्राहक सेवा हमारे व्यवसाय का मुख्य क्षेत्र होगा। हमारी भविष्य की योजना बदलती बाजार स्थितियों को अपनाने और पूरे भारत में हमारे बढ़ते ग्राहक आधार को पूरा करने की है, इसके लिए बैंक लीड उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाएगा और स्वीकृति के बाद निगरानी में भी हमारी सहायता करेगा।

बोर्डिंग पर गुणवत्तापूर्ण संपत्तियां प्राप्त करना हमारा प्राथमिकता क्षेत्र बना रहेगा। लागत को बहुत सीमा तक कम करने के लिए हमारे व्ययों को सीमित करने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की हमेशा गुंजाइश होती है। अंतिम परंतु महत्वपूर्ण, बैंक के EASE इंडेक्स में स्कोर सुधार करना।

30. निदेशक मंडल

30.1 कॉर्पोरेट अभिशासन

बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण मूल्यों पर आधारित अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन प्रदान करने को निरंतर प्रयासरत है। अपने दैनिक व्यवहार में इन मूल्यों को निरंतर ध्यान में रखते हुए बैंक अपने हितधारकों को समृद्ध बनाने में भी प्रयासरत है। बैंक सुशासन के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है, तथापि इसके निदेशक मंडल ने बैंक के व्यवसाय के हर पहलू की निगरानी के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बैंक की कार्य प्रणालियों एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं की नियमित रूप से पुनरीक्षा द्वारा कमियों की पहचान और उनके निवारण से, उन्हें सुदृढ़ बनाया जाता है। बैंक के निदेशकों का मानना है कि सुशासन ग्राहकों, व्यापारिक सहयोगियों, कर्मचारियों और निवेशकों के विश्वास, वफादारी और सद्भावना अर्जित करने और अंततः समाज में सम्मानजनक स्थिति हासिल करने की कुंजी है।

30.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन

● बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल दिनांक 31.12.2021 को समाप्त हो गया।

knowledge; Direct Reporting of Non-compliance to CCO by serving employees at mail id. "noncompliance@ucobank.co.in" highlighting areas of non-compliance in Advance & Deposits; are few of them.

29. Future Plan of Banking

The FY 2021-22 witnessed most turbulent year for India. The Omicron variant of COVID-19 that peaked in the second half of Jan 2022 has had a negligible impact on the activity levels in the economy. The geo-political tensions involving Russia and Ukrain triggered the massive turbulence in the global economy. Its impact on India's activity level such as international prices of crude oil and other commodities shot up that escalate the cost of India's import basket.

During this fiscal Central Government had introduced series of flagship programme to revive economy through fiscal measure. The thrust of Government was to increase capital expenditure in 2022-23. This will help to enhance productivity capacity of the country by crowding in Private Investment and strengthening aggregate demand, improving business and consumer confidence. RBI unleashed several unconventional measures to stabilize the financial markets, interest rate and liquidity situation in the economy.

Going forward for the FY 2022-23 our bank has endeavour to open 200 new branches in the potential centres across India.

Bank focus would be promotion of digital channel, RAM, augmentation of low cost deposit and maintaining sustainable level of Profit. Increasing market share of the Bank, cross selling of products and customer service would be the core area of our Business. Our future plan is to adopt to changing market conditions and cater to our growing customer base across India, for this Bank will accelerate the use of technology to generate leads and also aid us in monitoring post sanction.

On boarding quality assets will continue to remain our priority area. There is always scope for restricting our expenses and leverage technology to reduce cost to a great extent. Last but not the least, to improve score in EASE Index of our Bank.

30. Board of Directors

30.1 Corporate Governance

Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earn trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and also to have respectable position in the society at large.

30.2 Changes in the Board of Directors

● The tenure of Shri Atul Kumar Goel as Managing Director & CEO of the Bank, ended on 31.12.2021.

- बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री सोमा शंकर प्रसाद को दिनांक 01.01.2022 को नियुक्त किया गया।
- बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री आनंद मधुकर का कार्यकाल दिनांक 13.05.2021 को समाप्त हो गया।
- श्री संजय कुमार को दिनांक 13.05.2021 से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में डॉ. तुली रॉय का कार्यकाल दिनांक 08.03.2022 को समाप्त हो गया।
- श्री राजेश कुमार को दिनांक 08.03.2022 से बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री अंजन तालुकदार और श्री रवि कुमार अग्रवाल को दिनांक 21.12.2021 से बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- Shri Soma Sankara Prasad appointed as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f 01.01.2022.
- The tenure of Shri Anand Madhukar as Government Nominee Director of the Bank ended on 13.05.2021
- Shri Sanjay Kumar appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f 13.05.2021.
- The tenure of Dr Tuli Roy as RBI Nominee Director of the Bank, ended on 08.03.2022.
- Shri Rajesh Kumar appointed as RBI Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f 08.03.2022.
- Shri Anjan Talukdar and Shri Ravi Kumar Agrawal appointed as Part-time Non-Official Directors on the Board w.e.f 21.12.2021.

30.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की बारह बैठकें सम्पन्न हुईं। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठकों की संख्या अधोलिखित हैं :

30.3 Meetings of the Board of Directors

During the FY 2021-22, Twelve meetings of the Board of Directors were held. The number of meetings of various Committees of the Board held during the period is given below:

क्रम सं. Sl.No	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति/Management Committee of the Board	15
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति/Audit Committee of the Board	07
3.	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति/Risk Management Committee of Board	04
4.	निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति/Stake holders' Relationship Committee of the Board	02
5.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति/ Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds	03
6.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee of the Board	04
7.	बैंक के मा.सं. संबंधी मामलों की समिति/Committee on HR Related Issues of the Bank	04
8.	नामांकन एवं निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Nomination and Remuneration Committee of the Board	01
9.	निदेशक मंडल की अपील मामलों के निपटान की समिति/ Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases against Non-Promotion	01
10.	निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति/IT Strategy Committee of the Board	05
11.	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति/ Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	05
12.	निदेशक मंडल की अपील मामलों के निपटान की समिति/ Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases	03
13.	समीक्षा समिति (इरादतन चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)	01
14.	निदेशक मंडल की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति Performance Evaluation Committee of the Board	01
15.	निदेशक मंडल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति Board Level Credit Approval Committee	52

निर्देशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निर्देशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की वार्षिक लेखा विवरण के तैयार करने में यथाविधि लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है साथ ही असामान्य स्थितियों का स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया है प्रभारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पूर्णतया पालन किया गया है। बैंक के कार्य प्रणाली, एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लाभार्जन, का सही और औचित्यपूर्ण स्थिति को निष्पक्ष निर्णय एवं आंकलन द्वारा दर्शाया गया है। भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और खाते निरंतर आधार पर तैयार किए गए हैं। व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं।

आभार

बैंक के निर्देशक मंडल ने वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड में नामित श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री संजय कुमार, निर्देशक, श्री अंजन तालुकदार, निर्देशक और श्री रवि कुमार अग्रवाल, निर्देशक और श्री राजा कुमार, निर्देशक, का स्वागत किया और बैंक के विकास की दिशा में उनके मूल्यवान आदानों के लिए आशा व्यक्त की।

बोर्ड श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निर्देशक और डॉ. तुली रॉय, निर्देशक, जिनका कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूरा हुआ, के बहुमूल्य योगदान को स्वीकार करता है।

बोर्ड वर्ष के दौरान हमारे ग्राहकों, विक्रेताओं, शेयरधारकों, व्यापारिक सहयोगियों और संवाददाता बैंकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य नियामक प्राधिकरणों के समर्थन और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए आभारी है और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की अपेक्षा करता है।

बोर्ड कर्मचारी यूनियनों/संघों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड सभी स्तरों पर प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए गए समर्पण और योगदान की सराहना करता है। चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से संभव हुई है।

निर्देशक मंडल के आदेश से
ह/
(श्री सोमा शंकर प्रसाद)
प्रबंध निर्देशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19-05-2022

Statement of Directors' Responsibility

The Board of Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2022, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2022. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. Internal financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

Acknowledgements

The Board of Directors of the Bank welcomes Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Sanjay Kumar, Director, Shri Anjan Talukdar, Director and Shri Ravi Kumar Agrawal, Director and Shri Rajesh Kumar, Director, nominated on the Board during the year 2021-22 and look forward for their valuable inputs towards the growth of the Bank. The Board acknowledges the valuable contributions of Shri Atul Kumar Goel, MD & CEO Shri Ajay Vyas, Executive Director and Dr Tuli Roy, Director whose tenure completed during the financial year 2021-22.

The Board thank our customers, vendors, shareholders, business associates and correspondent banks for their continued support during the year. The Board remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance and look forward to their continued support in the future.

The Board also thanks the staff unions/associations for the support extended by them. The Board place on record their deep appreciation of the dedication and contribution made by each employee at all levels. Our resilience to meet challenges was made possible by their hard work, solidarity, co-operation and support.

By order of the Board of Directors
sd/-
(Soma Sankara Prasad)
Managing Director & Chief
Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 19-05-2022

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त 9 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 9 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2022

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारोबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2022 March2022	मार्च 2021 March2021	मार्च 2020 March2020	मार्च 2019 March2019	मार्च 2018 March2018	मार्च 2017 March2017	मार्च 2016 March2016	मार्च 2015 March2015	मार्च 2014 March2014
कुल जमा/Total Deposits	224073	205919	193203	197907	181849	201285	207118	214337	199534
कुल अग्रिम/Total Advances	129777	118405	114961	119573	123990	131655	135508	151812	153163
कुल कारोबार/Total Business	353850	324324	308165	317480	305839	332940	342626	366149	352697
निवेश/Investment	99045	95835	92915	83810	72590	74768	84512	69231	67846
ब्याज आय/Interest Income	14981	14446	15134	14331	14020	16326	18561	19359	18230
ब्याज व्यय/Interest Expenditure	8508	8966	10042	10019	10895	12509	13713	13797	12171
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	6473	5480	5092	4311	3125	3817	4848	5562	6059
परिचालन लाभ/Operating Profit	4797	4149	3870	2414	688	2250	2175.25	4266.09	4076.38
निवल लाभ/Net Profit	930	167	-2437	-4321	-4436	-1851	-2799	1138	1511
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	57.92	57.50	59.50	60.42	68.18	65.41	65.43	70.83	76.76

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त 9 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 9 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2022

विवरण / Particulars	मार्च 2022 March2022	मार्च 2021 March2021	मार्च 2020 March2020	मार्च 2019 March2019	मार्च 2018 March2018	मार्च 2017 March2017	मार्च 2016 March2016	मार्च 2015 March2015	मार्च 2014 March2014
कारोबार मानदंड/Business Parameters	March2022	March2021	March2020	March2019	March2018	March2017	March2016	March2015	March2014
कुल आय के %रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	35.80	30.16	28.28	27.21	20.64	20.70	24.05	26.04	30.99
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	3.81	4.29	4.90	5.07	5.37	5.83	6.11	6.35	6.17
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	7.70	7.81	9.20	9.52	8.69	9.60	10.17	9.92	9.91
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.87	2.58	2.44	2.15	1.52	1.76	2.19	2.69	3.19
पूंजी पर्याप्तता (%) बासेल- III Capital Adequacy (%) BASEL - III	13.74	13.74	11.70	10.7	10.94	10.93	9.63	12.17	12.68
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	115.11	104.99	99.79	102.81	98.40	107.26	111.35	121.24	121.87
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	16.33	14.70	13.70	13.69	12.74	13.48	13.81	15.51	15.28
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Gross NPA Ratio (%)	7.89	9.59	16.77	25	24.64	17.12	15.43	6.76	4.32
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	2.70	3.94	5.45	9.72	13.10	8.94	9.09	4.30	2.38
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.34	0.06	-0.96	-1.84	-1.88	-0.75	-1.25	0.48	0.70
प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) Book Value per Share (in ₹)	9.74	9.96	7.56	12.82	31.53	48.50	75.71	107.91	104.85
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)* Earning per Share (in ₹)*	0.8*	0.17	-3.10	-11.16*	-25.23*	-13.29*	-26.03	11.20*	19.44*

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/ * Weighted average number of Share

कारोबार दायित्व रिपोर्ट
BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

खंड क : कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN) of the Company	लागू नहीं Not applicable
2.	कंपनी का नाम/Name of the Company	यूको बैंक/UCO BANK
3.	पंजीकृत पता/ Registered address	10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता- 700 001 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001
4.	वेबसाइट / Website	www.ucobank.com
5.	ई-मेल आईडी / E-mail id	hosgr.calcutta@ucobank.co.in
6.	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष / Financial Year reported	2021-22
7.	वे क्षेत्र जिनमें कंपनी सक्रिय है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि) Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	क्षेत्र : Sectors: 1. बैंकिंग सेवाएं / Banking Services 2. सरकारी कारोबार / Government Business 3. कृषि बैंकिंग / Agriculture Banking 4. रिटेल बैंकिंग / Retail Banking 5. कोष परिचालन / Treasury Operations 6. कारपोरेट बैंकिंग / Corporate Banking 7. मर्चेंट बैंकिंग / Merchant Banking 8. बीमा (एजेंसी व्यवसाय) / Insurance (Agency business)
8.	ऐसे तीन उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी निर्मित / आपूर्ति करती है List three key products/services that the Company manufactures/provides	यूको बैंक व्यापक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ देने में लगा है जिसमें रिटेल बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग एवं कोष परिचालन शामिल हैं। UCO Bank is engaged in providing wide range of banking and financial services including Retail Banking, Corporate Banking and Treasury Operations.
9.	उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी का कारोबार होता है Total number of locations where business activity is undertaken by the Company i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of International Locations ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of National Locations	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का देश भर में 3072 शाखाओं का नेटवर्क है तथा विदेश में हांगकांग एवं सिंगापुर केंद्रों पर दो विदेशी शाखाएँ हैं। As on 31.03.2022, UCO Bank has a net-work of 3072 branches spread across India and 2 overseas branches situated at Hong Kong and Singapore centres.
10.	कंपनी द्वारा सेवित बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय Markets served by the Company - Local/State/National/ International	यूको बैंक का ग्राहक वर्ग देशी एवं विदेशी केंद्रों में स्थित है। UCO Bank has clients in National and International locations.

खंड ख : कंपनी का वित्तीय ब्योरा / SECTION B : FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	प्रदत्त पूँजी / Paid up Capital	₹11955.96 करोड़ / crores
2.	कुल टर्नओवर (आईएनआर) / Total Turnover (INR) :	₹353850.24 करोड़ / crores
3.	कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर) Total Profit after taxes (INR) :	₹929.76 करोड़ / crores
4.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गया कुल व्यय (सीएसआर) कर के बाद लाभ का प्रतिशत Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	₹8.81 करोड़ / crores
5.	कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है : List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred :	बैंक ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यकलाप संचालित किए। इनमें से कुछ की सूची सिद्धांत 8 के तहत दी गई है। Bank took up several activities under Corporate Social Responsibility. Few of the activities are listed under Principle 8.

खंड ग : अन्य ब्योरे / SECTION C : OTHER DETAILS

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं ? Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	नहीं / No
2.	क्या सहायक कंपनी / कंपनियाँ वर्तमान कंपनी की कारोबार दायित्व पहल में शामिल होती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें : Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company (s):	लागू नहीं / Not Applicable
3.	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएँ (यथा आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिसके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी के कारोबार दायित्व में शामिल होती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था / संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक) Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%) :	नहीं / No

खंड घ : कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के प्रति उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

क) कारोबार दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

- नाम : श्री इशराक अली खान
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक

SECTION D : BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR Policy/Policies.

- Name : Shri Ishraq Ali Khan
- Designation : Executive Director

ख) कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे

क्रम सं.	विवरण	ब्योरे
1	डीआईएन (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री पंथागनी मनोज
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	दूरभाष संख्या	033 44558060
5	ई-मेल आईडी	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

b) Details of the BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri Panthagani Manoj
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	033 44558060
5.	E-mail id	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

2. सिद्धांतवार कारोबार दायित्व नीति/नीतियाँ / Principle-wise BR Policy/policies

क्र.सं. Sr.No.	प्रश्न / Questions	राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के सिद्धांत Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क्या उक्त सिद्धांत हेतु आपकी कोई नीति/नीतियाँ हैं ? Do you have a policy/policies for the said principle?	हाँ / Yes								
2.	क्या यह नीति संबद्ध जोखिम धारकों के परामर्श से बनाई गई है ? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हाँ / Yes								
3.	क्या यह नीति राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? Does the policy conform to any national /international standards?	बैंक की कारोबार दायित्व नीतियाँ सामान्यतः भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों पर सम्यक विचार कर बनाई जाती हैं। The Business Responsibility Policies of the Bank are formulated duly considering the guidelines issued by Government of India, Reserve Bank of India from time to time.								
4.	क्या यह नीति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है ? Has the policy being approved by the Board?	हाँ / Yes								
5.	क्या नीति कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु कंपनी में बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है ? Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हाँ / Yes								
6.	नीति की ऑनलाइन देखी जानेवाली लिंक का उल्लेख करें ? Indicate the link for the policy to be viewed online?	एचटीटीपीएस://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. यूको बैंक.कॉम /इंग्लिश/सेबी डिस्कलोजर.aspx https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx								
7.	क्या इस नीति को सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हाँ। कारोबार दायित्व सिद्धांतों से संबंधित नीतियाँ बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। हितधारकों को विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म/संचार के अन्य साधनों द्वारा इन नीतियों के संबंध में भी सूचित किया जाता है। Yes. The policies relating to the Business Responsibility principles are uploaded on the Bank's website. Stakeholders are also kept informed about these policies through various social media platforms/other means of communication.								
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की कोई आंतरिक संरचना है? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies	हाँ / Yes								
9.	क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कंपनी की नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण प्रणाली है? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	हाँ / Yes								
10.	क्या किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा कंपनी ने इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/आकलन करवाया है? Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	कारोबार दायित्व के सिद्धांतों के तहत बैंक द्वारा किए गए कार्यकलापों को उनकी समीक्षा/आकलन के लिए बोर्ड/उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है। The activities taken up by the Bank under the principles of Business Responsibility are reported to the Board/Top Management for its review/evaluation.								

3. बीआर से संबंधित अभिशासन/Governance related to BR

<p>कंपनी के बीआर निष्पादन का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बैठकों की बारंबारता बताएँ। 3-6 माह के अंदर, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक ।</p> <p>Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3-6 months, Annually, More than 1 year</p>	<p>वार्षिक/ Annually</p>
<p>क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?</p> <p>Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?</p>	<p>बैंक वर्ष में एक बार बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक है एचटीटीपीएस://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. यूको बैंक.कॉम / इंगलिश/सेबी डिस्क्लोजर.aspx</p> <p>Bank publishes BR report annually. The hyperlink for viewing the report is https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx</p>

खंड ड. : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाना चाहिए।

बैंक की कारोबार नीतियाँ पारदर्शिता और व्यवसायपरकता के मूलभूत मूल्यों के ताने बाने से बनाई गई हैं। कारपोरेट अभिशासन मानकों की विस्तृत जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के कारपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट भाग में देखी जा सकती है।

बैंक ने निदेशक मंडल में मौजूद अपने निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता बनाई है जिनमें सत्यनिष्ठ एवं नैतिक आचार के उच्चतम मानकों का अनुपालन विहित किया गया है। इसमें वैयक्तिक और व्यावसायिक संबंधों के वास्तविक अथवा आभासी हितपरक टकरावों के साथ निर्वाह की समुचित और नैतिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 बनाए हैं जिनमें बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के आचार की मर्यादा दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक नैतिकता, रिश्त और ऋष्टाचार के संबंध में मूलतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग (लिंक :<https://cvc.gov.in/?q=guidelines/vigilance-manual>) द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में निहित सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है।

ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति बनाई है जिसके माध्यम से उचित सेवा, डिलिवरी एवं मेकैनिज्म की समीक्षा की जाती है और ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाता है। यह नीति बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ग्राहक सेवा में सुधार संबंधी नीति की समीक्षा और बैंक द्वारा दी जा रही ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है।

बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने के लिए बैंक ने आंतरिक बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया है ताकि बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण के सर्वोच्च तंत्र द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत सभी शिकायतों की जांच की जा सके।

SECTION E : PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

The Bank's business policies are woven around the core values of transparency and professionalism. Details of Corporate Governance standards are specified in the 'Report on Corporate Governance' section of annual report.

Bank has laid down Code of Conduct for its Directors on the Board and its Core Management that envisages adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships. Board of the Bank framed UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 which envisages conduct of the officer employees of the Bank.

Besides the above, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission (<https://cvc.gov.in/?q=guidelines/vigilance-manual>)

Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, with an aim to minimise instances of customer complaints and grievances through proper service, delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances. The Policy is made available on Bank's website.

Customer Service Committee of the Board has been constituted for review of policies in regard to improving customer service and also to examine issues having a bearing on the quality of customer service rendered by the bank.

Further to strengthen the internal Grievance Redressal mechanism of the Bank, Internal Banking Ombudsman (IO) has been appointed by the Bank to examine all the complaints which were rejected or partially accepted by the highest level of Bank's internal redressal machinery.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन पर प्रतिक्रिया: Response to Principle-wise Performance :

<p>क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है? क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है?</p> <p>Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?</p> <p>पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत शिकायतें प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गईं?</p> <p>How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?</p> <p>वर्ष के प्रारंभ में शिकायतों की संख्या No. of Complaints at the beginning of the year</p> <p>वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of Complaints received during the year</p> <p>वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या No. of Complaints redressed during the year</p> <p>वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या No. of Complaints pending during the year</p> <p>समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत Percentage of complaints redressed</p>	<p>नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियाँ बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होती हैं। बैंक का कोई सहयोगी निकाय या संयुक्त उद्यम नहीं है।</p> <p>The policies relating to ethics, bribery and corruption covers the Bank and its employees. Bank does not have subsidiaries or joint ventures.</p> <p>बैंक ग्राहकों की शिकायतों के निवारण को मजबूत करने के उपाय कर रहा है तथा 'मानकीकृत लोक शिकायत समाधान प्रणाली (एसपीजीआरएस) नामक ऑनलाइन ग्राहक शिकायत निवारण मॉड्यूल कार्यान्वित किया जा चुका है।</p> <p>The Bank is taking measures to strengthen Customer Complaints Redressal and had already implemented a web based on-line customer redressal module called 'Standardized Public Grievance Redressal system'(SPGRS).</p> <p>231</p> <p>16220</p> <p>16421</p> <p>30</p> <p>99.82%</p>
---	--

सिद्धांत 2: कारोबार ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे जो निरापद हों और अपने पूरे जीवन काल में धारणीयता बनाए रखें।

बैंक के पास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ हैं, चाहे वह कारपोरेट हो या एमएसएमई क्षेत्र, निर्यात, कृषि, बुनियादी ढांचा या व्यक्तिगत खंड। बैंक प्रौद्योगिकी का बेहतरीन उपयोग करके समाज और ग्राहकों की वरीयताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं में नवीनता लाता है। इस दिशा में बैंक द्वारा किए गए उपायों में से कुछ निम्नानुसार हैं।

- बैंक ने नई सुविधाओं के साथ बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए बैंक के कोर बैंकिंग समाधान फिनेकल 7.X को फिनेकल 10.X में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया है।
- बैंक ने नई ई-बैंकिंग एप्लिकेशन एफ़ईबीए (फिनाकल ई-बैंकिंग एप्लिकेशन) का शुभारंभ किया है जिसमें उन्नत सुविधाओं और एफ़ईबीए के साथ एकीकृत भारत बिल भुगतान प्रणाली है और फिनेकल अलर्ट सॉल्यूशन (एफएएस) भी लागू किया गया है।
- बैंक ने ऋण आवेदनों के पूरी तरह डिजिटल प्रसंस्करण के लिए केडिट जोखिम अंकेक्षण में सुधार के लिए ऋण प्रसंस्करण प्रणाली (एलपीएस) लागू की है। बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक 12 रिटेल उत्पादों, 18 एमएसएमई उत्पादों और 20 कृषि संबंधी उत्पादों को एलपीएस में

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

Bank has variety of financial products and services for different sectors of the economy whether it is corporate or MSME sector, exports, agriculture, infrastructure or the personal segment. Bank continuously brings in innovation in its products and services for meeting the changing needs of the society and customer preferences by making best use of technology. Few of the measures taken up by the Bank in this direction are as under:

- Bank has successfully migrated Bank's Core Banking solution Finacle 7.x to Finacle 10.x for enhanced customer experience with added new features.
- Bank has launched new e-banking application FEBA (Finacle E-banking Application) with enhanced features and integrated Bharat Bill Payment System with FEBA and also implemented Finacle Alert Solution (FAS).
- Bank has implemented Loan Processing System (LPS) to improve credit underwriting for end to end digital processing of loan applications. As on 31st March, 2022, Bank has on boarded 12 retail products, 18 MSME products and 20

शामिल किया है। बैंक ने ऋणों के त्वरित और आसान प्रसंस्करण के लिए एलपीएस में नई सुविधाओं को शामिल किया है जिससे कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के लिए बिना देरी और न्यूनतम दोषों के ऋण संसाधित करना सुविधाजनक हो गया है। बेहतर ग्राहक सेवाओं के लिए निम्नलिखित सुविधाओं को प्रारंभ किया गया है:

- लीड प्राप्त करने के लिए यूको एम-बैंकिंग प्लस के साथ एलपीएस का एकीकरण।
- शिक्षा ऋण और पीएम स्वनिधि प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए क्रमशः एनएसडीएल विद्या लक्ष्मी पोर्टल और उदयमित्र पोर्टल के साथ एलपीएस का एकीकरण।
- एलपीएस को राष्ट्रीय पोर्टल के साथ स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) के माध्यम से एकीकरण किया गया है एवं यह एलपीएस 13 ऋणसंबद्ध सरकारी सब्सिडी योजनाएं के लिए प्रारंभ किया गया है।
- एलपीएस 33 फिनटेक सेवाओं से सुसज्जित है जिसमें केवाईसी सत्यापन, व्यवसाय जांच, आईटीआर/जीएसटी/खाता विवरण विश्लेषण सेवाएं आदि शामिल हैं।
- एलपीएस ग्राहकों को उनके ऋण प्रस्ताव की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए स्वचालित ई-मेल और एसएमएस भेजने की सुविधा के साथ सक्षम है।
- बैंक ने म्यूचुअल फंड के वितरण, आयकर विवरणी की ई-फाइलिंग, एनपीएस खाता खोलने, इंस्टा डीमेट और सीडीएसएल के साथ ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए फिसडम के साथ गठजोड़ किया है।
- बैंक के रिटेल ऋण संविभाग बढ़ाने के लिए बैंक ने गृह ऋण के सह-उधार के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया है।
- कोविड से प्रभावित लोगों को चिकित्सा व्यय आदि जैसे उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक ने यूको कवच योजना शुरू की है जिसमें उधारकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक के गैर-जमानती ऋण की पेशकश की जाती है। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक 555 उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान की जा चुकी है।
- स्वर्ण ऋण के प्रसंस्करण में टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को कम करने और इस तरह स्वर्ण ऋण संविभाग में सुधार करने के उद्देश्य से, बैंक ने देश भर में 8 अंचलों में फैली 13 चिन्हित शाखाओं में गोल्ड लोन बुटीक की अवधारणा पेश की है। एक से अधिक स्वीकृति प्राधिकरण और दिन भर में मूल्यांकक की उपलब्धता गोल्ड लोन बुटीक की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने कम लागत पर शिक्षा ऋण प्राप्त करके छात्रों को कक्षा 10 से आगे की पढ़ाई करने में सक्षम बनाने के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरूप योजना को अपनाया है और इस योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक 1731 खातों में संचयी संस्वीकृति की राशि ₹53.72 करोड़ है।
- शाखा के कार्मिकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर बैंक ने अपने उत्पादों जैसे यूको आवास, यूको शिक्षा, यूको प्रॉपर्टी ऋण आदि में उपयुक्त सुधार किए हैं। साथ ही, बैंक ने प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने कई ऋण उत्पादों में ब्याज दर कम की है।

Agriculture related products on LPS. Bank has incorporated new features in LPS for quick and easy processing of loans thus making it convenient for both staff and customer to process loans without delay and minimal faults. Following features have been made live for better customer services :

- Integration of LPS with UCO M-Banking Plus to receive leads from it.
- Integration of LPS with NSDL Vidya Lakshmi Portal and Udyamitra portal to receive education loan and PM SVANIDHI proposals respectively.
- Integration of LPS with National portal through Straight Through Process (STP) and LPS is live with 13 credit linked Govt. Subsidy Schemes
- LPS is equipped with 33 fintech services including KYC Verification, Business Check, ITR/GST/Account statement analysis services etc.
- LPS is enabled with the facility of sending automated email and SMS to the customers informing about the status of their loan proposal.
- Bank has collaborated with FISDOM for distribution of Mutual Fund, e-filing of tax returns, NPS Account opening, insta demat and trading account opening with CDSL.
- Bank has entered into arrangement with Aadhaar Housing Finance Limited for Co-lending of Home Loans, to augment retail loan portfolio of the Bank.
- In order to provide financial assistance to people affected by COVID for purposes such as medical expenses etc., Bank has introduced UCO Kavach Scheme wherein Borrowers are offered unsecured Loans up to Rs.5 Lacs. As on 31st March, 2022, 555 Borrowers have been served under this Scheme.
- With an aim to reduce Turn Around Time (TAT) in Processing Gold Loans and thereby to improve Gold Loan Portfolio, Bank has introduced the concept of Gold Loan Boutique at 13 identified Branches spread across 8 Zones across the country. More than one Sanctioning Authority and Availability of appraiser throughout the day are some of the salient features of Gold Loan Boutique.
- Government of West Bengal has introduced Student Credit Card Scheme to enable students to pursue studies from Class 10 onwards by availing Education Loans at lower cost. Bank has adopted the scheme in line with Government of West Bengal and cumulative sanctions under this scheme as on 31st March, 2022 amounting to Rs. 53.72 crore in 1731 accounts.
- Based on the feedback received from field functionaries, Bank has made suitable improvements in its products i.e. UCO Home, UCO Education, UCO Property loan etc. Also, Bank has reduced ROI in many of its loan products to remain competitive.

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान दो रिटेल ऋण अभियान शुरू किए थे। अभियानों के दौरान कार्यनिष्पादन निम्नानुसार थे:

- Bank had launched two Retail Loan Campaigns during FY 2021-2022. The performance during the campaigns were as under :

क्र.सं. SL No.	अभियान अवधि Campaign Period	संस्वीकृतियाँ (रु. करोड़ में) Sanctions (Rs. in Cr.)	प्राप्त लक्ष्य प्रतिशत % % Target Achieved
1.	2 अगस्त 21 से 15 सितंबर 2022 तक 2nd Aug'21 to 15th Sep'22	1,600	84%
2.	19 जनवरी 22 से 25 मार्च 22 तक 19th Jan'22 to 25th Mar'22	3,063	99%

- गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) (एक्सटेंशन) सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई थी और बैंक ने इस योजना के तहत रु.1,105 करोड़ जुटाए हैं। सभी जीईसीएल योजनाओं के तहत कुल कारोबार रु. 2,688 करोड़ रुपये है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के बदले में 2877 करोड़ रुपये (115% उपलब्धि) के मुद्रा ऋण संस्वीकृत किए हैं।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान TReDS प्लेटफॉर्म पर 256 करोड़ रुपये के कुल 4132 बिलों में छूट दी थी।
- एमएसएमई को कम दर पर ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए एमएसएमई उत्पादों के लिए ब्याज दर में काफी कमी आई है।
- बैंक ने एसटीपी मुद्रा शिशु ऋण (रु. 50,000 तक) की शुल्कात की। एसटीपी के तहत आवेदन से लेकर मंजूरी और संवितरण तक की प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के डिजिटल रूप से की जाएगी।
- सरकार ने 31.08.2022 को समाप्त हुई 'मुद्रा-शिशु ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बैंक ने 3.36 करोड़ रुपये का दावा किया और प्राप्त किया और तदनुसार लगभग 1 लाख एमएसएमई को सबवेंशन राशि वितरित की गई।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि (दूसरी किश्त), कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस), कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्रों (एलएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बढ़ाया है।
- कई राज्य सरकारों ने एमएसएमई की मदद के लिए नई ऋण योजनाएं शुरू की, जैसे जगन्ना थोडु योजना - आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना - हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी सहोरी क्रेडिट कॉर्ड योजना - राजस्थान राज्य, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना - मध्य प्रदेश राज्य। बैंक ने स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इन योजनाओं को संबंधित राज्यों में शुरू किया है।
- बैंक ने रिटेल और एमएसएमई अनुभाग में ऋण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभियान शुरू किए:
- Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) (Extension) was introduced by Government on 1st October, 2021 and Bank mobilised business of Rs. 1,105 crore in this scheme. Total business of Rs. 2,688 Crores has been mobilised under all GECL Schemes.
- During the FY 2021-22, Bank has sanctioned Mudra loans of Rs.2877 crore (115% achievement) as against the target of Rs.2500 crore.
- During the FY 2021-22, Bank had discounted total of 4132 bills amounting Rs.256 crore on TReDS platform.
- Rate of Interest for MSME products reduced substantially to help MSMEs to get loans at lower rate.
- Bank introduced STP Mudra Shishu Loans (upto Rs.50,000). Under STP, end to end process from sourcing of application to sanction and disbursement will be done digitally without manual intervention.
- Government introduced 'Interest Subvention Scheme for Mudra-Shishu loans' ended on 31.08.2022. Under this scheme, Bank claimed and received Rs.3.36 crore and the subvention amount was accordingly distributed to nearly 1 lacs MSMEs.
- Bank has extended benefits of various Government Schemes like PM SVANidhi (Second Tranche), Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors (LGSCAS), Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Tourism Service Sectors (LSCATSS) introduced in FY 2021-22.
- Several State Governments launched new loan Schemes to help MSMEs namely, Jaganna Thodu Scheme - Andhra Pradesh, Mukhya Mantri Swavalamban Yojana - Himachal Pradesh, Indira Gandhi Sahori Credit Cord Yojana - Rajasthan State, Mukhya Mantri Udyam Kranti Yojana - Madhya Pradesh State. Bank has introduced these Schemes in respective States to extend the benefit to the local people.
- Bank launched following campaigns to augment credit to Retail & MSME segment :

अभियान अवधि/Campaign Period	(राशि करोड़ रु. में / Amount in ₹ crores)
2 अगस्त 21 से 15 सितंबर 2022 तक/2nd Aug'21 to 15th Sep'22	675
19 जनवरी 22 से 25 मार्च 22 तक/19th Jan'22 to 25th Mar'22	1457

- बैंक ने ग्राहकों को हमारे उत्पादों के प्रचार/ग्राहक जागरूकता के लिए सभी शाखाओं में रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव नामित किया है और उन्हें व्यक्तिगत अनुभव भी प्रदान किया है।
- विशेष बकेट की कार्ड दर से अधिक 0.30% ब्याज दर के साथ टीकाकरण वाले व्यक्ति के लिए एक नया सावधि जमा उत्पाद यूको वैक्सी 999 की शुरुआत किया है।
- बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धन की प्राप्ति और जारी की गई निधि के उपयोग की निगरानी के लिए उनकी अधिसूचना एफ/नं. पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23-03-2021 के अनुसार एकल नोडल एजेंसी खाता और कार्यान्वयन एजेंसी खाता लागू किया है।
- यूको सुविधा सैलरी योजना में 20 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत।
- यूको बैंक की सभी शाखाओं एवं यूको एम बैंकिंग ऐप के माध्यम से डीमैट खाता (एनएसडीएल) तुरंत खोलना की सुविधा।
- Bank has designated Relationship executives at all branches for promotion/customer awareness of our products to customers and also provide personalized experience to them.
- A New Term Deposit product UCO Vaxi 999 launched for vaccinated person with preferential ROI of 0.30% over and above card rate of particular bucket.
- Bank have Implemented Single Nodal Agency Account & Implementing Agency Account as per Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure vide its notification F/ No. PFMS/FCD /2020 dated 23-03-2021 for receipt of funds under Centrally Sponsored Scheme & monitoring utilization of fund released.
- Introduction of Personal Accidental Insurance Scheme benefit of upto Rs 20 lakh in UCO Suvidha salary scheme.
- Instant opening of Demat account (NSDL) through all UCO Branches & UCO-M Banking app

सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन पर जवाब: / Response to principle-wise performance:

<p>अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और / या अवसरों को शामिल किया गया है:</p> <p>List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and /or opportunities :</p>	<p>बैंक सतत विकास में विश्वास रखता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि इसका कारबार मॉडल पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसके लिए बैंक ने यह दिशानिर्देश जारी किए हैं कि किसी भी मीयादी ऋण के संवितरण के पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उधारकर्ता द्वारा, जब भी आवश्यक हो, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी अनिवार्य सांविधिक तथा अन्य अनुमोदन/अनुमति प्राप्त किए जाते हैं। बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जिसमें सामाजिक सरोकार तथा सुविधाएं शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह ● किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ● वित्तीय साक्षरता केंद्र <p>The Bank believes in sustainable development and ensures that its business model incorporates environment protection. Towards this concern, Bank has put in place guidelines that before the disbursement of any Term Loan, it should be ensured that, whenever required, all necessary statutory and other approvals/permissions including those from Pollution control boards have been obtained by the borrower. Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Self Help Groups and Joint Liability Groups ● Kisan Credit Card (KCC) ● Financial Literacy Centres
<p>ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें : उत्पाद की इकाई (वैकल्पिक) डालें:</p> <p>For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) put unit of product (optional) :</p> <p>i) मूल्य श्रृंखला भर में पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के दौरान कमी?</p> <p>Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p>

ii) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) कम उपयोग किया जाना। Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?	लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? यदि हां, तो स्थानीय तथा छोटे विक्रेताओं की क्षमता तथा सामर्थ्य में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve the capacity and capability of local and small vendors?	लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे को रिसायकल करने का कोई तंत्र है? यदि हां तो, उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग-अलग <5%, 5-10%, >10%)। इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें। Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If year, that is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	बैंक एक विनिर्माण इकाई नहीं है और इसके कार्यालयों में उत्पन्न कचरे का प्रबंधन कचरे के निपटान की प्रक्रियाओं का पालन करके किया जाता है। Bank is not a manufacturing unit and the waste generated in its offices is managed by following the procedures for disposal of wastes.

सिद्धांत 3: कारोबार से सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन होना चाहिए।

- यूको बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रबंधन संबंध (एमआर) नीति तथा औद्योगिक संबंध (आईआर) नीति के पालन द्वारा कर्मचारियों के हितों को बनाए रखता है तथा उसे बढ़ावा भी देता है। कर्मचारी अपने एसोसिएशन का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंक में प्रबंधन तथा यूनियन/एसोसिएशन के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। पारस्परिक सहयोगपूर्ण मनोभाव तथा सद्भावना के साथ आवधिक अंतराल पर यूनियन/एसोसिएशन के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा विचार-विमर्श किए जाते हैं।
- कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती हैं जिसके द्वारा भर्ती के समय तथा पदोन्नति के दौरान जाति, पंथ, लिंग, नस्ल, धर्म, दिव्यांगता या यौन अभिविच्यस से ऊपर उठकर समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- यूको बैंक अपने कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं का उनके कार्य-जीवन में संतुलन का ध्यान रखता है। मातृत्व अवकाश, सबैटिकल अवकाश, स्पाउस स्थानांतरण, एकबारगी महिला अधिकारी स्थानांतरण आदि कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखा जाता है।

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees

- UCO Bank maintains and promotes the well-being of employees by following Board Approved Management Relation (MR) Policy & Industrial Relation (IR) Policy. Employees are free to choose their associations. The Industrial Relations climate in the Bank is cordial between the Management and the Unions/Associations. Meetings and discussions are held with Unions/Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect.
- Employee recruitment and promotion policies are approved by Board which provides equal opportunities at the time of recruitment as well as during the course of promotion irrespective of caste, creed, gender, race, religion, disability or sexual orientation.
- UCO Bank take cognizance of the work-life balance of its employees, especially that of women. Maternity leave, Sabbatical leave, spouse transfer, one-time Lady officer transfer, etc. are various processes through which work-life balance is maintained.

- यूको बैंक बराबरी तथा बिना भेदभाव के सभी कर्मचारियों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है जिससे उनका कौशल एवं क्षमता लगातार बेहतर हो सके। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर अनुमोदित किया जाता है जिससे पूरे वर्ष के दौरान सभी कर्मचारियों का कौशल उन्नयन होता रहे।
- कोविड 19 महामारी को देखते हुए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) को लागू किया है और संगठन के कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की भलाई के लिए कई उपाय किए हैं -
 - भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर परिचालित किया गया।
 - प्रधान कार्यालय में विशेष कोविड-19 हेल्प डेस्क का सृजन।
 - पूर्ण लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को घर से काम करने का निदेश दिया गया।
 - लॉकडाउन के दौरान फंसे कर्मचारियों को निकटतम शाखाओं/कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति।
 - नियमित अंतराल पर कार्यालयों/शाखाओं को सेनिटाइज करना।
 - आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड प्रभावित कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान।
 - शाखाओं/कार्यालयों को दिशानिर्देश एवं सलाह जारी करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) का गठन तथा समयबद्ध आधार पर बैठकों का आयोजन।
 - कोविड-19 के दौरान शाखाओं में भीड़ से बचने के लिए डिजिटल उत्पादों को बढ़ावा।
 - कोविड-19 के कारण स्टाफ सदस्यों की मृत्यु होने पर बीस लाख रुपये (2000000/- रुपये) की क्षतिपूर्ति का प्रावधान।
 - कर्मचारियों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता।
- UCO Bank provides continuous skill and competence upgrading of all employees by providing access to necessary learning opportunities, on an equal and non-discriminatory basis. Training calendars are approved by the competent authority for providing skill up-gradation for all employees throughout the year.
- In view of Covid 19 pandemic , Bank has implemented Board Approved Business Continuity Plan (BCP) and taken several measures for the well-being of employees and other stakeholders of the organisation -
 - Necessary guidelines and advisories in line with Government of India guidelines were circulated from time to time to contain the spread of COVID-19.
 - Creation of exclusive Covid 19 Help Desk at Head Office.
 - Employees with disabilities were advised to work from home during the period of complete lockdown.
 - Deputations to nearest branches/offices to employees who were stuck during lockdown.
 - Sanitization of offices/branches at frequent intervals.
 - Provision of Special Leave for the Covid affected employees as per the directives of IBA guidelines.
 - Formation of Quick Response Team (QRT) and conduction of meetings on timely basis for issuing guidelines and advisories to branches/offices.
 - Promotion of digital products for avoiding rushes at branches during COVID-19.
 - Provision for compensation to deceased of staff members of Rupees Twenty Lakh (Rs 2000000/-) in case of death due to COVID-19.
 - Financial assistance in the form of interest free loan to employees.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

1. कर्मचारियों की कुल संख्या Total number of employees	21617 (as on 31.03.2022)
2. अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या (वर्ष के दौरान) Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis (during the year)	0
3. स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या Number of permanent women employees	6008 (as on 31.03.2022)
4. कृपया स्थायी दिव्यांगता वाली स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं (वर्ष के दौरान) Number of permanent women employees with permanent disabilities	96 (as on 31.03.2022)
5. क्या आपके यहा प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन है Do you have an employee association that is recognized by the management.	हां / Yes
6. आपके स्थायी कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं ? Percentage of your permanent employees who are members of recognized employee association ?	90.10%

<p>7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।</p> <p>Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.</p>	क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
	SN	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on the end of the financial year
	1	बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम Child labour/forced labour/involuntary labour	शून्य Nil	शून्य Nil
	2	यौन उत्पीड़न Sexual harassment	01	शून्य Nil
	3	भेदभावपूर्ण रोजगार Discriminatory Employment	शून्य Nil	शून्य Nil
<p>8. पिछले वर्ष में नीचे दिए गए आपके कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?</p> <p>Percentage of under mentioned employees who given safety and skill up-gradation training in the last year?</p>	क) स्थायी कर्मचारी a) Permanent Employees		99.27%	
	ख) स्थायी महिला कर्मचारी b) Permanent Women Employees		93.92%	
	ग) आकस्मिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी c) Casual/Temporary/ Contractual Employees		0	
	घ) दिव्यांग कर्मचारी d) Employees with disabilities		98.83%	

सिद्धांत 4: कारोबारियों को चाहिए कि वे सभी हितधारकों, खासकर वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों के हितों का आदर करें और उन पर त्वरित प्रतिक्रिया दें।

बैंक आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के साथ सुदृढ़ संबंध रखता है। इसके लिए वह अपने द्वारा पेश की गई सेवाओं में नवोन्मेष बढ़ाते हुए उनको समझ-बूझकर निर्णय लेने के अवसर देता रहता है। विभिन्न स्तरों पर बैंक

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised

Bank builds strong relationship with internal as well as external stakeholders by continuously engaging with them for making informed decisions in enhancing innovation in services offered. Bank at its various levels frequently engages with its stake

अपने हितधारकों, जैसे निवेशकों और हितधारकों, ग्राहकों और क्लाइंटों, कर्मचारियों, सरकार एवं नियामकों, समुदायों तथा एनजीओ के साथ निरंतर संपर्क रखता है। ग्राहक सेवा में उत्तमता हासिल करने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जैसे रिलेशनशिप प्रबंधकों की नियुक्ति, ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चौबीसों घंटे के कॉल सेंटरों की स्थापना, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा बैंक के उत्पादों से जुड़ी विशिष्टताओं के बारे में ग्राहकों को अवगत कराना। बैंक ने कर्मचारियों से संपर्क करने और उनके ज्ञान वर्धन के लिए पोर्टल बनाए हैं।

holders viz. Investors and Shareholders, Customers and Clients, Employees, Government and Regulators, Communities and NGOs. To achieve excellence in customer service, Bank has taken up measures like appointment of Relationship Managers, establishment of 24 x 7 Call centre to address any queries of the customers, conducting training programmes to employees and educating customers about various special features associated with the products of the Bank. Bank has developed portals to communicate with the employees and to enrich their knowledge.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

<p>क्या कंपनी ने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का खाका तैयार किया है?</p> <p>Has the company mapped its internal and external stakeholders?</p> <p>उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की है?</p> <p>Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?</p> <p>क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों को अपने साथ लेकर चलने की कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।</p> <p>Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>हाँ / Yes</p> <ul style="list-style-type: none"> ● हितधारकों को कई श्रेणियों यथा सरकार, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थान / बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड में वर्गीकृत किया गया है। Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions/Banks, Insurance Companies, Mutual Funds. ● ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मिड-कार्पोरेट, छोटे एवं मध्यम उद्यम तथा खुदरा ग्राहकों में बांटा गया है। Customers are segmented into Large corporate, Mid-corporate, Small and Medium enterprises and retail customers. ● मानव संसाधन प्रबंधन विभाग बैंक कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखता है। HRM Dept. looks after the interest of the bank employees. <p>हाँ / Yes</p> <p>बैंक ने वंचित, कमजोर तथा सीमांत हितधारकों की पहचान की है जिसमें लघु एवं सीमांत किसान, किराएदार और पट्टे वाले किसान, भूमिहीन श्रमिक तथा ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर / पॉवर टिलर ऋण, मत्स्यपालन ऋण, पीएमजेडीवाई, ओवरड्राफ्ट आदि जैसी विशेष ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।</p> <p>Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities viz. Kisan Credit Card, Tractor/Power Tiller Loan, Fishery loan PMJDY Overdraft Facility etc.</p> <p>बैंक का मानना है कि हाशिए पर पड़े, बैंकरहित और वित्त सहायता से रहित व्यक्तियों को मदद देने से वे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में योगदान देंगे। सीमांत वर्गों को मजबूत करने और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है। बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं में एक इच्छुक भागीदार रहा है और वंचित और सीमांत हितधारकों के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं के साथ आया है। छोटे / सीमांत किसानों को अनुदानित दर पर ऋण दिया जाता है। सूक्ष्म / लघु उद्यम, महिला एसएचजी, अल्पसंख्यक समुदाय और महिला लाभार्थी बैंक समाज के हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी), वित्तीय साक्षरता केंद्र जैसे विभिन्न ट्रस्ट / केंद्र चला रहे हैं।</p>
---	--

	<p>The Bank believes that helping the marginalized, unbanked and financially excluded will enable them to contribute productively to the economy. Access to basic financial services is crucial to strengthen marginalized sections and make a significant contribution to their social and economic development. The Bank is an active participant in various Government Schemes and has come out with products and services designed for disadvantaged and marginalised stakeholders. Loans are given at subsidized rates to small/marginal farmers. Micro/small enterprises, Women SHG's, minority community and women beneficiaries The Bank is running various Trusts/Centres such as Rural Self Employment Training Institutes (RSETI's), Financial Literacy Centres in order to empower the marginalised sections of society.</p>
--	--

सिद्धांत 5 : कारोबारियों को चाहिए कि वह मानव अधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करें।

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

- यूको बैंक भारत के संविधान, राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों तथा मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल में अंतर्निहित मानवाधिकार को समझता है। कारोबारियों को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि मानव अधिकार अंतर्निहित, सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित प्रकृति के हैं।
- यूको बैंक ने उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए किसी भी यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए अंचल स्तर और शीर्ष स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति बनाई है जिससे कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सुरक्षित और निरापद महसूस करते हैं।
- UCO Bank understands the human rights content of the Constitution of India, national laws and policies and the content of International Bill of Human Rights. Businesses should appreciate that human rights are inherent, universal, indivisible and interdependent in nature.
- UCO Bank created Internal Complaints Committee at Zonal Level & Apex Level to deal with any sexual harassment complaints to ensure a harassment free workplace where employees feel safe and secure in discharging their responsibilities

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

<p>कंपनी मानवाधिकार नीति में मात्र कंपनी शामिल है या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ? Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/ NGOs/Others?</p>	<p>यह नीति सभी के लिए लागू है। The policy is applicable to all.</p>
<p>पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गई? How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें: 16220 Total complaints received during the FY 2021-22 : 16220 शिकायत निवारण : 99.82% Complaints Redressed : 99.82%</p>

सिद्धांत 6 : कारोबारी पर्यावरण का सम्मान, रक्षा और उसे बचाने के प्रयास करें।

Principle 6: Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment

यूको बैंक अपनी न्यायसंगत एवं चेतना के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने हेतु हर तरह के अवशिष्टों को दूर करने का सतत प्रयास कर रहा है।

UCO Bank, with due consideration and consciousness towards protecting the environment, is striving for the use of reducing the waste in all fronts.

सभी जमाकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक चैनल यथा एटीएम, ई- बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी आदि का उपयोग करते हुए कागजरहित बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि प्रकृति एवं हरियाली का संरक्षण हो सके। ग्राहकों को ई-विवरण प्रदान की जा रही है एवं हितधारकों के साथ ई- पत्राचार को बढ़ावा दिया जा रहा है फलस्वरूप कागज के उपयोग में काफी कमी आई है।

All depositors are encouraged to do paperless transactions by using electronic channels such as ATM, E-banking, RTGS/NEFT etc. which greatly reduce the use of paper thereby conserving the nature and greenery. The customers are provided with e-statement and efforts are being made for maximising the use of e-correspondence with all stakeholders thus minimising the use of paper.

जिन परियोजनाओं को पर्यावरण से संबंधित अनापत्तिपत्र प्राप्त करना वांछित है उन्हें वित्तपोषित करते समय बैंक ने उधारकर्ताओं को पर्यावरण की रक्षा करने को ध्यान में रखते हुए सभी मानदंडों का अनुपालन करने पर जोर डाला। पुनः परियोजना जो टिकाऊविकास के रूप में पर्यावरण के लिए चिंता दिखाती है उन्हें रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने, अपशिष्ट न्यूनीकरण करने एवं प्रदूषण संरक्षण करने पर जोर डाला गया।

बैंक कार्बन के उत्सर्जन और विकिरण से बचने के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों में वातानुकूलन मशीनों में इको फ्रेंडली रेफ्रिजेंट गैस, ग्रीन जेनरेटर, सीएफएल/एलईडी लाइट का उपयोग करते हुए आंतरिक रूप से भी पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है। बैंक की जिन शाखाओं में बार-बार बिजली कटती रहती है वहां सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। बैंक के कुछ फिक्सचरों में अनुपयोगी लकड़ी के उत्पादों से बने पुनर्नवीनीकरण एमडीएफ/पार्टिकल बोर्ड जैसे उत्पाद इस्तेमाल किए गए। बैंक के सभी नए उपग्रहों में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए बारिश के पानी का संग्रहण किया गया। बैंक का नया कार्यपालक प्रशिक्षण केंद्र ग्रीन बिल्डिंग के रूप में न्यू टाउन, कोलकाता में बनाया जा रहा है। बैंक ने कोलकाता में बैंक के सभी भवनों में सोलर पैनल लगाने की भी पहल की है।

जेनरेटर जनित प्रदूषण को रोकने के लिए जेनरेटर के स्थान पर हमारा बैंक पावर बैंक अप के रूप में इवर्टर का इस्तेमाल शुरू कर रहा है।

While financing those projects which require environmental clearances, bank insists compliance, by borrowers, of all related stipulations in order to protect the environment. Further, the projects that show concern for environment in the form of sustainable development, use of renewable natural resources, waste minimisation and pollution prevention are encouraged.

Bank also involves in the preservation of environment internally by using eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, green generators and CFL/LED lights in several of its offices to avoid carbon emissions and radiation. Bank is also exploring the use of solar energy for branches where power failures take place very frequently. Recycled MDF/Particle Boards made of discarded wooden particles are used for the use of bank's furniture at some locations. In all the new ventures of Bank, rain water harvesting is being undertaken to preserve the ground water level. Bank's new Executive training centre at New Town, Kolkata is being constructed as a Green Building. Bank has also initiated installation of Solar panel at all bank's building in Kolkata.

Further our Bank is introducing use of Inverters as power back up in place of Generator in Branches/ Offices to prevent pollution caused by the generators.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में मात्र कंपनी शामिल है अथवा इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ? Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ Others.	लागू नहीं। बैंक में कोई भी सहयोगी निकाय नहीं है। Not Applicable. Bank does not have any subsidiaries.
क्या कंपनी में पर्यावरणीय बदलाव, वैश्विक ताप आदि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने के लिए नीतियाँ/पहल हैं ? Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc?	उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत वर्णित है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और पकड़ करती है ? Does the company identify and assess potential environmental risks?	उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत वर्णित है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी में स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है ? Does the company have any project related to Clean Development Mechanism ?	कोई नहीं / None.
क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कार्यक्षमता, अक्षय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई पहल की है ? Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.	डीजी सेट का प्रतिस्थापन अधिक ऊर्जा दक्ष इनवर्टरों द्वारा किया जा चुका है। साथ ही प्रधान कार्यालय भवन में एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं। Replacement of DG sets by more energy efficient Inverters. Also lights has been replaced with LED lights in all Head Office Buildings
रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा उत्पन्न निकासी पदार्थ/कचरा सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा प्रदत्त अनुमत सीमाओं के अंदर हैं ? Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported ?	लागू नहीं / Not Applicable.
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/वैध नोटिसों की संख्या जो लंबित (यानी जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ) हैं? Number of show cause/legal notices received from Central pollution control Board/State Pollution Control Board which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	शून्य / Nil

सिद्धांत 7: सार्वजनिक नियामक नीतियों को प्रभावित करने में कारोबारियों को जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए।

बैंक की कॉर्पोरेट दृष्टि के अनुरूप बैंक प्रत्येक वर्ष अपनी कॉर्पोरेट संसूचना नीति तैयार करता है। नीति का उद्देश्य बैंक की कॉर्पोरेट पहचान को व्यक्त करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कॉर्पोरेट संसूचना के लक्ष्यों, उपकरणों, प्रक्रियाओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट करना, विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना, ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा की गई पहलों का खुलासा करना है एवं यदि कोई संकट उत्पन्न होता है, तो उसका प्रबंधन करना है। यह नीति बैंक के आंतरिक और बाहरी संसूचना के ढांचे को कवर करने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया : / Response to principle-wise performance:

<p>क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर अथवा संघ की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख संगठनों का नाम बताएँ जिनसे आपका कारोबारी व्यवहार होता है:</p> <p>Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with :</p>	<p>हाँ / Yes.</p> <p>बैंक निम्नलिखित का सदस्य है / Bank is a member of :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय बैंक संघ (आइबीए) Indian Banks Association (IBA) ● इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ● इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) ● नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) National Institute of Bank Management (NIBM) ● नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) National Payments Corporation of India (NPCI) ● बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) Banks Board Bureau (BBB)
<p>क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों के माध्यम से वकालत/पैरवी की है? यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)</p> <p>Have you advocated / lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? If yes, specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy Security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)</p>	<p>बैंक इन संघों के साथ मिलकर काम करता है और नीति निर्माताओं के लिए आर्थिक, वित्तीय और समावेशी विकास नीतियों पर इनपुट देता है।</p> <p>Bank closely works with these associations and gives inputs on economic, financial and inclusive development policies for the policy makers.</p>

सिद्धांत 8 : कारोबारी समावेशी उन्नति और एकसमान विकास का समर्थन करें।

बैंक ने व्यापक रूप से वंचित वर्गों को संरचनायुक्त बैंकिंग प्रणाली की छत्रछाया में लाने के उद्देश्य से अपना योगदान दिया है। इसके पीछे लक्ष्य यह रहा है कि अब तक अर्थजगत की मुख्यधारा से कटे हुए लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ावा दिया जाए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की ऋण संबंधी जरूरतों को आगे लाया जाए। बैंक ने भारत सरकार द्वारा अभियान की शकल में चलाई जा रही वित्तीय समावेशन परियोजना "प्रधानमंत्री जन धन योजना" में अब तक 113.57 लाख खाते खोल दिए हैं और ₹ 4306.04 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। इन प्रमंजधयो खातों में औसतन ₹ 3791.66 करोड़ की जमाराशि है।

बैंक ने 3.71 लाख पीएमजेडीवाई खाता धारकों को ओवर ड्राफ्ट सुविधा देते हुए देश के बैंकविहीन लोगों को सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान करने में

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

Bank contributed largely to the objective of bringing the excluded masses under the umbrella of structured banking system with an aim to inculcate saving habit among the people who are so far excluded from the economic mainstream and to cater to the credit needs of people below the poverty line. Bank has so far opened more than 113.57 lakh accounts under the Government of India's mission mode financial inclusion project "Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna" and mobilized Rs. 4306.04 crore with average balance of Rs. 3791.66 crore in these PMJDY accounts.

Bank took part in the initiative of Government of India in providing micro credit facility to unbanked people of the country through successful implementation of Over Draft Facility to 3.71 lakhs

भारत सरकार की पहल में भाग लिया। इसमें कुल मिलाकर रु. 74.68 करोड़ की राशि लगी।

अब तक बैंक विहीन रही आबादी को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के विषय पर काम करते हुए, बैंक ने अपनी शाखाओं एवं बीसी नेटवर्क के माध्यम से बीमा एवं पेंशन उत्पाद यथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) लागू कीं। पीएमजेबीवाई के तहत, 14.58 लाख ग्राहकों का बीमा किया गया है और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 29.95 लाख लोगों का बीमा किया गया है। पीएमजेबीवाई के तहत अब तक कुल 8148 दावों को निपटाया गया है, और 1309 दावों को पीएमएसबीवाई के तहत निपटाया गया है। इसके अलावा साल के अंत तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल 5.65 लाख ग्राहक संख्या पार कर ली गई है।

भारत सरकार ने 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की है। किफायती आवास के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने में बैंक ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दिनांक 31.03.2022 तक बैंक ने ब्याज सब्सिडी के रूप में 13309.42 लाख रुपये का वितरण करके 5887 लाभार्थियों को अपने आवास होने के सपने को पूरा किया है। इसके अलावा, बैंक को अभी तक अन्य 6000 (लगभग) उधारकर्ताओं के लिए सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बैंक ने अनेक कार्यक्रम/पहल कार्यान्वित किए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. बैंक के पास देश भर में फैले 27 आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) हैं जो उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करते हैं।
2. एससी और एसटी छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर प्रशिक्षण सुविधा बनाने के लिए संबलपुर विश्वविद्यालय को 20 डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रदान किए गए।
3. 19वीं सीनियर और 14वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर-लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 प्रायोजित किया।
4. बैंक ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम द्वारा संचालित और प्रशासित कोझीकोड, केरल में एक स्कूल के समतलीकरण, मिट्टी भरने और पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
5. चक्रवात (यास) प्रभावित क्षेत्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के माध्यम से दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप स्थित प्रधान कार्यालय के आसपास बर्टोला पुलिस स्टेशन (कोलकाता पुलिस) और मनसद्वीप के आसपास रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया।
6. करनाल अंचल के सिविल अस्पताल कलानौर को व्हील चेयर का प्रदान किया गया।
7. अजमेर जिला खेल संघ को वित्तीय सहायता प्रदान किया गया।
8. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के परिसर में आरओ सिस्टम के साथ दो वाटर कूलर की प्रतिष्ठापन किया गया।
9. जालंधर में सरस्वती सिंधु निवास के अनाथालय में कुर्सियों और मेजों (टेबल्स) का प्रदान किया गया।
10. भागलपुर में अखिल भारतीय जनतांत्रिक महिला संघ को वित्तीय सहायता प्रदान किया गया।

PMJDY account holders involving aggregate sanctioned amount of Rs. 74.68 crore.

Working on the Government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti BimaYojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMJBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJJBY Scheme, 14.58 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 29.95 lakh lives are insured. So far a total of 8148 claims are settled under PMJJBY scheme and 1309 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 5.65 lac till year end.

Government of India has launched Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) with an aim to provide housing for all in urban areas by 2022. In fulfilling Government's vision of affordable housing, Bank has signed Memorandum of Understanding with National Housing Bank for implementation of Scheme. As of 31.03.2022, Bank has fulfilled the dream of owning a house of 5887 beneficiaries by disbursing Rs. 13309.42 Lacs towards the interest subsidy. Further, Bank is yet to receive subsidy for another 6000 (approx.) borrowers.

Corporate Social Responsibility

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/initiatives areas under:

1. The Bank has 27 RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) spread across country to impart training and skill up gradation of rural youth geared towards entrepreneurship development.
2. Donated 20 desktop computers to Sambalpur University for creating a computer lab and computer training facility for SC and ST students.
3. Sponsored 19th Senior and 14th Junior National Para Power-lifting Championship 2022.
4. Bank has extended financial assistance for levelling, earth filing and setting up of adequate drainage system of a School at Kozhikode, Kerala run and administered by Ramakrishna Mission Sevashrama.
5. Distribution of food grains among the poor and needy people residing in the vicinity of Head Office, Burtolla Police Station (Kolkata Police) and Manasadwip located in Sagar Island, South 24 Parganas through Ramakrishna Mission for Cyclone (Yass) affected areas.
6. Donation of Wheel Chair to Civil Hospital, Kalanaur under Karnal Zone.
7. Extended financial assistance to Ajmer District Sports' Association.
8. Installation of two water cooler with RO System in the premises of Socil Justice and Empowerment Dept., Jaipur
9. Donation of chairs and tables to orphanage, Saraswati Sindhu Niwas, in Jalandhar.
10. Extending financial aid to All India Democratic Women's Association in Bhagalpur

11. बैंक के अगरतला अंचल कार्यालय द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया गया।
12. पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल शोधक प्रदान किया गया।

ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आर एस ई टी आई एस)

ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरसेटी) देश भर के 27 अग्रणी जिलों में स्थापित हैं। यूको बैंक के तत्वावधान में यूको डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित ये संस्थान स्थायी आजीविका के साथ स्वरोजगार लेने के लिए बेरोजगार युवाओं की पहचान, प्रशिक्षण, प्रेरित और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ काम कर रही है। गुणवत्तापूर्ण परिणाम लाने के लिए मानक प्रशिक्षण सुविधाओं और इनपुटों को जोखिमधारकों की विविधता के समर्थन के साथ प्रदान किया जाता है। आरसेटी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बैंक और राज्य सरकार के बीच एक तीन-तरफा साझेदारी है। कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार एक एकड़ भूमि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक आरसेटी भवन के निर्माण के लिए 1.00 करोड़ रुपये का अनुदान देती है। बीपीएल / एसईसीसी ऑटो समावेश सूची के तहत उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की लागत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम एनआरएलएम के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और इसके निर्धारित नियमों के संशोधित नियम के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। आशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार सेटलमेंट प्रतिशत तथा ऋण लिंकेज प्रतिशत के साथ प्रतिपूर्ति सम्बद्ध की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सभी आरसेटी (RSETIs) ने 14574 उम्मीदवारों को शामिल करते हुए 500 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 4815 लाभार्थियों को 16.21 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आरसेटी के लिए व्यय का विवरण यहां दिया जा रहा है;

(क) राजस्व व्यय: ₹ 89.54 करोड़

यह राशि एनआरएलएम से बीपीएल / एसईसीसी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण और केवीआईसी / अन्य एजेंसियों से प्राप्तियों के लिए व्यय दावों की प्रतिपूर्ति के साथ नेट की गई है।

(ख) पूंजीगत व्यय: ₹35.57 करोड़

(राशि वास्तुकारों / ठेकेदार / एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए गए बिलों के आधार पर आरसेटी के भवन निर्माण के लिए खर्च की जाती है)

जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल ₹ 125.11 करोड़ का व्यय किया गया है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)

वित्तीय साक्षरता के लिए अभिनव और सहभागी दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के साथ पूरे भारत में वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यूको बैंक द्वारा छह राज्यों में ब्लॉक स्तर पर 50 सीएफएल की स्थापना आरबीआई द्वारा पहचाने गए एनजीओ मैसर्स स्वाधार फिन एक्सेस, क्रिसिल फाउंडेशन और धन फाउंडेशन के सहयोग से की गई है जिसमें ओपेक्स का 90% और कैपेक्स 100% प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

परियोजना के समग्र संचालन के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे जबकि चिन्हित एनजीओ आवंटित ब्लॉकों में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना को क्रियान्वित करेंगे।

यूको बैंक ने इस उद्देश्य के साथ सीएफएल परियोजना शुरू की है जो निम्नानुसार है:

- घरेलू बजट बनाने और वित्तीय लेनदेन का अभिलेख बनाने की आदत को विकसित करने के लिए।
- बचत खाते में लेन-देन को प्रोत्साहित करना और बैंक में सावधि जमा/ आवर्ती जमा में जमा करके सक्रिय बचत करना।

11. Distribution of Blankets to poor and needy people by Agartala Zonal Office of Bank.

12. Donation of Water Purifier in a Higher Secondary school in Purba Burdwan district, West Bengal.

RURAL SELF EMPLOYMENT INSTITUTES (RSETIS)

Rural Self Employment Institutes (RSETIs) established in 27 lead districts across the country and managed by UCO Development Trust under the aegis of UCO Bank are operating with objectives of identifying, training, motivating & facilitating unemployed youth to take up Self Employment with sustainable livelihood. To bring in quality outcome, standardized training infrastructure and inputs are provided with the support of stake holder's multi diversity. RSETI is a three way partnership between the Ministry of Rural Development, Govt. of India, the Bank and the State Govt. As per the programme State Government provides land measuring around one acre and MoRD, Govt. of India gives a Grant-in-aid of Rs.1.00 crore for construction of each RSETI Building. The cost of training for candidates under BPL/SECC Auto Inclusion list are reimbursed as per revised rule of MoRD, GoI and its stipulations, under flagship programme NRLM of Govt. of India through SRLM. In the modified standard operating procedure reimbursement is linked with settlement percentage and credit linkage percentage. All RSETIs conducted 500 training programmes involving 14574 candidates and 4815 beneficiaries have been provided Credit Linkage of Rs.16.21 Crore during the Financial Year 2021-22.

The details of expenditure for RSETIs incurred during the FY 2021-22 are mentioned hereunder:

A. Revenue Expenditure: Rs. 89.54 Crore

The amount is netted with the reimbursement of expenditure claims from NRLM for trainings to BPL/SECC candidates and receivables from KVIC/other agencies

B. Capital Expenditure: Rs.35.57 Crore

(The amount is expended against Building Construction of RSETIs against the bills raised by Architect / Contractor / Agencies)

As stated above, the total amount of expenditure incurred is Rs.125.11crore during the FY 2021-22.

Centre for Financial Literacy (CFL)

To explore innovative and participatory approaches to financial literacy, with an initiative of RBI , centre of Financial literacy is being established across India. 50 CFLs at block level across six states has been set up by UCO Bank in collaboration with NGO identified by RBI namely M/s Swadhar Fin Access , CRISIL Foundation and Dhan Foundation with support for Fund either from DEAF/FIF wherein arrangement of reimbursement of 90% of OPEX and 100% of CAPEX.

The Banks would be responsible for overall governance of the project whereas the identified NGOs will execute the project as per stipulated guidelines in the allotted blocks.

UCO Bank has undertaken the CFL project with the objective as follows:

- To inculcate the habit of making a household budget and recording financial transaction.
- Encourage transaction in saving account and active saving by depositing in bank through Fixed Deposit / Recurring Deposits.

- जब भी आवश्यकता हो लोगों को वित्तीय संस्थानों से उधार लेना सुनिश्चित करना।
- बैंकिंग और बैंकिंग लोकपाल में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करना अर्थात् एनईएफटी, आरटीजीरएस, आइएमपीएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आदि।
- लोगों को जीवन बीमा और पेंशन संबंधी उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- उत्पाद, प्रक्रिया और वित्तीय साक्षरता के संरक्षण पर लक्षित समुदाय के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करना।

- Ensure people to borrow from Financial Institutions whenever required.
- Create awareness about grievance redress mechanism in banking & Banking Ombudsman. Encourage transaction through electronic means viz. NEFT, RTGS, IMPS, Internet Banking, Mobile Banking, UPI etc.
- Encourage people to get Life Insurance and Pension related products.
- To facilitate in enhancing Knowledge, Attitude and Behaviour of target community on Product, Process and Protection of Financial Literacy.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएफएल में किए गए कुल खर्च का विवरण इस प्रकार है:

The details of total expenditure incurred in CFL for FY 2021-22 are as follows:

कुल व्यय (राशि करोड़ रु. में) Total Expenditure (Amount in Rs. crore)	कैपेक्स CAPEX राशि करोड़ रु. में CAPEX (Amount in Rs. crore)	ओपेक्स OPEX राशि करोड़ रु. में OPEX (Amount in Rs. crore)
2.89	1.85	1.04

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)

वित्तीय साक्षरता केंद्र बिल्डिंग ब्लाक हैं जो वित्तीय साक्षरता गतिविधियों को जमीनी स्तर पर शुरू करते हैं। बैंक बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहे हैं और एफएलसी ईको-सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के एफएलसी और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविरों के संचालन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए थे।

यूको बैंक के पास 7 राज्यों में फैले 35 जिलों में अग्रणी जिले का उत्तरदायित्व है। 22 जिलों में वित्तीय साक्षरता सलाहकार (एफएलसी) तैनात हैं और अन्य जिलों में एलडीएम एफएलसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वित्तीय साक्षरता उपभोक्ताओं को औपचारिक उत्पादों और प्रदाताओं के लाभों को समझने और उन विकल्पों को अपनाने में सक्षम बनाती है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और पैसे के लिए अच्छे मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एफएलसी विभिन्न लक्षित समूहों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाता है। वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) का नेतृत्व कर रहे हैं और वे जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता पहलों को चलाने में प्रमुख हितधारक हैं। 7 राज्यों यथा असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा के प्रमुख जिलों में 22 वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं ने 3086 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, जिससे 31 मार्च 2022 तक 90453 प्रतिभागियों को वित्तीय जागरूकता फैलाई गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एफएलसी पर वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं के वेतन पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार है:

Financial Literacy Centre (FLC)

Financial literacy centres are the building blocks that initiate the financial literacy activities at the ground level. Banks are providing basic infrastructure and strengthening the FLC Eco-system. RBI had issued operational guidelines for conduct of financial literacy camps by FLCs and rural branches of banks.

UCO Bank is having lead district responsibility in 35 districts spreading over 7 states. In 22 districts Financial Literacy Counsellors (FLC) are deployed and in other districts LDM is acting as FLC. Financial literacy enables consumers to understand the benefits of formal products and providers and to make choices that fit their needs and represent good value for money. FLC adopts a tailored approach for different target groups viz. Farmers, Micro and Small Entrepreneurs, as school children, SHGs, senior citizens etc. Financial Literacy counselors are heading the Financial Literacy Centres (FLCs) and they are the key stakeholder in driving the financial literacy initiatives at the ground level. 22 Financial literacy counsellors are working in districts of 7 states viz. Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Punjab and Odisha. During Financial Year 2021-22, the Financial Literacy Counsellors have conducted 3086 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 90453 participants as of 31st March 2022.

The total expenditure towards salary for financial literacy counsellors at FLCs for the FY 2021-22 is as follows:

क्रम सं. Sl. No.	वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं की संख्या No. of Financial Literacy counsellors	यूको बैंक द्वारा प्रदत्त राशि Amount paid by UCO Bank
1.	35	₹66 लाख/lacs

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन पर उत्तर : / Response to principle-wise performance:

<p>क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति का विशेषीकृत कार्यक्रम/ पहल/परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>
<p>क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं इन-हाउस टीम / स्वयं का फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से चलाई जाती हैं? Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>
<p>क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है? Have you done any impact assessment of your initiative?</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>
<p>सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि आइएनआर में और चालू परियोजनाओं के विवरण? What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken?</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>
<p>क्या यह सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community?</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>

सिद्धांत 9: कारोबारियों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उसे उसका मूल्य प्रदान करना चाहिए

ग्राहक के मनोभाव को समझकर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करना बैंक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए बैंक ने अपने ग्राहकों से अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जो कुछ अनुभव किया है, उसे निष्ठापूर्वक सुना है।

क्षेत्र में, ग्राहकों से मिलने वाले शाखा कर्मचारी हमारी सेवाओं / उत्पादों / चैनलों के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं और राय के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ग्राहक हमें अपने बैंक की वेबसाइट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हम इन फीडबैक को संकलित करते हैं और सुधार के लिए सुझावों पर तुरंत अमल करते हैं। इनके अलावा, ग्राहक हमें लिखते भी हैं, जो उन्हें समझने का एक अच्छा माध्यम होता है। हमारे असंख्य ग्राहक हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि के बारे में हमारे अधिगम के समृद्ध स्रोत हैं। बैंक नियमित ग्राहकों की बैठक भी आयोजित करता है।

बैंक के पास ग्राहकों के लिए एक समर्पित ग्राहक सेवा सेल उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए बैंक के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है। ग्राहकों की शिकायतों के समय पर और कुशल निपटान की सुविधा के लिए, बैंक के पास एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है जिसे "मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली" (एसपीजीआरएस) कहा जाता है। बैंक ने लोगों की एक समर्पित टीम गठित की है जिनके समर्पित प्रयासों से शिकायतों का समाधान तेजी से हो रहा है।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers in a responsible manner

Achieving customer delight by understanding their pulse has been the prime objective of the bank. In achieving the same, bank has intently listened to what customers feel about our products, services and our channels.

At the field, the customer facing branch staffs provide the feedback regarding the customer's responses and opinions regarding our services/products/channels. Customers also provide us feedback on our bank's website. We compile these feedback and act on the suggestions for improvement immediately. Apart from these, the customers write to us, which also provides a good source of learning their pulse. Our umpteen customer interactions through our call centres serve as rich source of learning regarding customer satisfaction. The bank also conducts regular customer meets.

The bank has a dedicated customer service cell to be available to customers, when they are in need. The bank has a robust Grievance Redressal mechanism for customers. To facilitate timely and efficient disposal of customer complaints, the bank has an integrated Grievances Redressal system called the "Standardized Public grievance Redressal system" (SPGRS). Bank has dedicated team of people who are expediting complaint resolution through their dedicated efforts.

सिद्धांत-वार प्रदर्शन का जवाब: :/ Response to principle-wise performance:

<p>वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतें / उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं।</p> <p>What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केवल 30 यानि 0.18% ग्राहक शिकायतें लंबित हैं।</p> <p>Only 30 i.e. 0.18% of customer complaints are pending for FY 2021-22</p>
<p>क्या कंपनी स्थानीय कानूनों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त, उत्पादों के लेबलों पर उत्पाद की जानकारी, प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं/ मंतव्य (अतिरिक्त जानकारी)।</p> <p>Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA/Remarks (additional information).</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p>
<p>क्या कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और / या पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित होने का कोई मामला दर्ज किया गया है। यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।</p> <p>Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>शून्य / Nil</p>
<p>क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान सर्वेक्षण कराया है?</p> <p>Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?</p>	<p>ऑनलाइन ग्राहक प्रतिक्रिया पेज के माध्यम से और प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा बैंक ग्राहकों की संतुष्टि के विषय में निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करता रहता है।</p> <p>Bank obtains feedback on continuous basis about customer's satisfaction through online customer feedback page and by direct interaction.</p>

कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन :

यूको बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करना बैंक के कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक से अधिक सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से है। सुशासन उच्च स्तर का व्यावसायिक सदाचार प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर अपने सभी हितधारकों और समाज को अत्यधिक महत्व देता है।

यूको बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लाज (आई) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव रहना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्यावहारिक अनुभव जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाय।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त /

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank is committed to the best practices in the area of corporate governance practices, in letter and in spirit. Adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations. Bank believes that good corporate governance is much more than complying with statutory and regulatory requirements. Good governance facilitates high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders and the society, at large.

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operative, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/ 29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance, and risk management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole time directors. All directors including the whole time directors are appointed/nominated by Government of India under various sections viz. 9(3) (a) to 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides,

नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2 दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है :

under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2022:

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद
Sl. No.	Name & Designation of the Director	Date of assuming office	No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2022	No. of membership in Committees of the Bank	No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	Directorship held in other companies
1.	श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad Managing Director & Chief Executive Officer	01.01.2022	----	10	02 (प्रबंध समिति, आईबीए और गवर्निंग काउंसिल, आईआईबीएफ के सदस्य) (Member of Managing Committee, IBA and Governing Council, IIBF)	----
2.	श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	03.04.2019	----	10	----	----
3.	श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	10.03.2021	----	10	----	----
4.	डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामिती निदेशक Dr. Sanjay Kumar Govt. Nominee Director	13.05.2021	----	10	----	----
5.	श्री राजेश कुमार आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director	08.03.2022	----	04	----	----
6.	श्री अंजन तालुकदार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director	21.12.2021	----	11	----	----
7.	श्री रवि कुमार अग्रवाल अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Part-time Non-Official Director	21.12.2021	----	10	----	----
8.	श्री के राजीवन नायर शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri K Rajivan Nair Director under Shareholder Category	01.02.2021	100	12	----	----

श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 02.04.2022 को अपना पद त्याग दिया।

Shri Ajay Vyas, Executive Director demitted his office on 02.04.2022 on completion of his term.

2.2.1 दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा देने वाले निदेशकगण

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2022:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO	02.11.2018	31.12.2021	10
2	श्री आनंद मधुकर, सरकार द्वारा नामिती निदेशक Shri Anand Madhukar, Government Nominee Director	04.12.2018	26.12.2020	10
3	डॉ. तुली रॉय, आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Dr. Tuli Roy, RBI Nominee Director	28.09.2020	08.12.2020	04

2.2.2 दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान शामिल होने वाले निदेशक:

2.2.2 Directors who joined during the year ended on 31.03.2022:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & CEO	01.01.2022	31.05.2023	10
2	डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामिती निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Government Nominee Director	13.05.2021	अगली अधिसूचना तक Till further notification	10
3	श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director	08.03.2022	अगली अधिसूचना तक Till further notification	04
4	श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director	21.12.2021	20.12.2024	11
5	श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director	21.12.2021	20.12.2024	10

2.2.3 निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा

श्री सोमा शंकर प्रसाद

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री सोमा शंकर प्रसाद ने दिनांक 01.01.2022 को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले, वे भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक और समूह अनुपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

श्री सोमा शंकर प्रसाद का जन्म दिनांक 05 मई, 1963 को हुआ। श्री प्रसाद के पास मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है और 35 साल के अपने करियर में उन्होंने ट्रेजरी संचालन, खुदरा, कॉर्पोरेट क्रेडिट, बीमा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है।

2.2.3 Brief Profile of the Directors

Shri Soma Sankara Prasad

Managing Director & Chief Executive Officer

Shri Soma Sankara Prasad assumed the office of Managing Director & CEO of UCO Bank on 01.01.2022. Prior to this, he was holding the position of Deputy Managing Director and Group Compliance Officer at State Bank of India.

Born on May 05, 1963, Shri Prasad holds Master of Commerce degree and in his career spanning 35 years, he has held important assignments in various capacities in Treasury operations, Retail, Corporate Credit, Insurance and International Banking.

श्री प्रसाद के दो कार्यकाल विदेश में रहे हैं। उन्होंने नवंबर 2014 से अप्रैल 2019 तक कंट्री हेड के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के सिंगापुर संचालन का नेतृत्व किया। वह सितंबर, 2002 से नवंबर, 2006 तक भारतीय स्टेट बैंक की पेरिस शाखा में प्रबंधक (केडिट और संचालन) के रूप में कार्यरत थे।

उन्होंने एसबीआई हैदराबाद में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में, एसबीआई जनरल इंयोरेंस कंपनी लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में और एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एमडी और सीईओ के रूप में भी काम किया है।

श्री प्रसाद ने भारत और विदेशों दोनों के प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक

श्री अजय व्यास का जन्म 15 अगस्त, 1962 को हुआ। वे एक अनुभवी और तकनीक-प्रेमी बैंकर हैं।

श्री अजय व्यास ने 3 अप्रैल, 2019 को यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री व्यास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल में फील्ड महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

श्री व्यास के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है और उनके पास बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, सामान्य प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, कार्ड - डेबिट और क्रेडिट, अधिग्रहण सेवाएं और विपणन में विविध अनुभव हैं। बैंकिंग में उनका करियर तब शुरू हुआ जब वे 01.10.1993 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक (सिविल) के रूप में शामिल हुए।

उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 26 वर्षों की सेवा के दौरान, शाखाओं, अंचल कार्यालयों और एफजीएम कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अपने बैंकिंग करियर के दौरान, उन्होंने बैंक के कई युवा स्टाफ सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया है।

उन्होंने बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल के अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश के संयोजक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक

श्री इशराक अली खान ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री खान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) थे। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पहले मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) भी थे।

श्री खान विज्ञान में स्नातकोत्तर, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोफेशनल (पीएमपी) तथा आईटीआरबीटी, हैदराबाद से सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीआईआईबी) भी हैं।

मुख्य महाप्रबंधक और सीटीओ के रूप में श्री खान ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख समामेलन आईटी एकीकरण परियोजना को संभाला और नई तकनीकों को लाने और बैंक में ग्रीन डेटासेंटर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में क्षेत्र महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालयों और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों में कार्य किया। अपने बैंकिंग करियर के दौरान उन्होंने बैंक के कई युवा स्टाफ सदस्यों को मार्गदर्शन भी किया। श्री खान, मिलनसार कार्यपालक हैं और अपने उच्च टीम निर्माण नेतृत्व गुणों के लिए भी जाने जाते हैं।

Shri Prasad has had two stints abroad. He headed the Singapore Operations of State Bank of India, as Country Head from November 2014- April 2019. He was Manager (Credit and Operations) at Paris Branch of State Bank of India from September 2002 - November 2006.

He has also worked as Regional Manager at SBI Hyderabad, as Chief Financial Officer at SBI General Insurance Co. Ltd. and as MD & CEO at SBI Pension Funds Pvt Ltd.

Shri Prasad has also attended several training programs in various areas at reputed institutions, both in India and abroad.

Shri Ajay Vyas, Executive Director

Born on 15th August, 1962, Shri Ajay Vyas is a seasoned and tech-savvy banker.

Shri Ajay Vyas assumed the charge as the Executive Director of UCO Bank on 3rd April, 2019. Shri Vyas was Field General Manager in Central Bank of India, Bhopal.

Shri Vyas holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and possesses varied experience in different areas of banking such as Commercial Banking, Financial Inclusion, General Administration, Electronic payments, Cards - Debit and Credit, Acquiring Services and Marketing. His career in Banking began when he joined Central Bank of India as Manager (Civil) on 01.10.1993.

During his twenty-six years of service at Central Bank of India, he held various positions in Branches, Zonal Offices and FGM Offices. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. He has travelled widely abroad in countries like Japan, Thailand, Holland, Singapore, France and Malaysia for advance studies and professional tours.

He has also held the post of Chairman of Banks' Town Official Language Implementation Committee, Bhopal, Convenor of State Level Bankers' Committee, Madhya Pradesh and Member of different committees set up by Govt. of Madhya Pradesh.

Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director

Shri Ishraq Ali Khan assumed the charge as Executive Director of UCO Bank on March 10, 2021. Shri Khan was Chief General Manager & Chief Technology Officer (CTO) in Union Bank of India. He was also first Chief Information Security Officer (CISO) in Union Bank of India.

Shri Khan holds a Master Degree in Science, Certified Project Management program professional (PMP), IT and Cyber security certification from IDRBT, Hyderabad. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

As Chief General Manager & CTO, Shri Khan handled the key amalgamation IT integration project of the Union Bank of India and instrumental in bringing new technologies and establishing green datacenter in the Bank. During his 33 years of service at Union Bank of India, he held various positions in Regional Office, Zonal Offices and FGM Offices on various capacities such as Field General Manager and Regional Head. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. Shri Khan, an easy to approach Executive is also known for his high team building leadership qualities.

श्री खान ने भारतीय बैंक संघ और इगन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा आयोजित आईआईएम, बंगलुरु के प्रतिष्ठित नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने केलॉग्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शिकागो और आईएसबी, हैदराबाद से भी शिक्षा प्राप्त की है।

डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. संजय कुमार का जन्म 05 अगस्त, 1976 को हुआ। डॉ. कुमार भारतीय डाक और दूरसंचार खातों और वित्त सेवा के 2003 बैच के हैं। वे 21 सितंबर, 2017 को निदेशक के रूप में वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) में शामिल हुए। डीएफएस में शामिल होने से पहले, उन्होंने दूरसंचार विभाग (डीओटी) और डाक विभाग (डीओपी) में काम किया। डीओटी में, उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, लाइसेंस वित्त और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड से संबंधित कार्यों को निपटाया। डाक विभाग में, आंतरिक वित्त सलाहकार और निदेशक लेखा के रूप में, उन्होंने वित्त सलाह, लेखा, बजट और आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्यों को देखा।

डॉ. कुमार को 13 मई, 2021 को यूको बैंक के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले, वे 22 जून, 2020 से 25 मार्च, 2021 तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वे सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल में 05 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में रहे।

श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

श्री राजेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 08 मार्च, 2022 से यूको बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है।

श्री कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और विकास, मानव संसाधन प्रबंधन आदि सहित भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों के लगभग सभी पहलुओं को सम्मिलित (कवर) करने वाले विविध विभागों को संभालने का अनुभव है। उन्होंने दो वर्षों से अधिक गुजरात राज्य में बैंकिंग लोकपाल के रूप में कार्य किया है। वे पाँच वर्षों तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों/सम्मेलनों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई), 'जी-20' समूह की एक पहल शामिल है। वे वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के प्रारूपण में निकटता से शामिल थे।

पूर्व में, उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक में निदेशक मंडल में कार्य किया है। वर्तमान में, वे आरबीआई, अहमदाबाद में गुजरात राज्य के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने तीन वर्षों से अधिक समय तक उत्तराखंड के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया है।

श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री अंजन तालुकदार का जन्म 14 जनवरी, 1967 को हुआ। उनके पास 27 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। वर्तमान में, वे प्रीमियर क्रायोजेनिक्स लिमिटेड में निगमित मामलों के प्रमुख, कानूनी और कंपनी सचिव हैं जो गुवाहाटी, असम में स्थित है। श्री तालुकदार की शैक्षणिक योग्यता में बी.कॉम, एफसीएस, एलएलबी शामिल हैं। वे प्रतिष्ठित आईआईएम - अहमदाबाद और हेनले मैनेजमेंट कॉलेज, यूके के एल्यूमिना हैं। श्री तालुकदार को दिनांक 21.12.2021 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री रवि कुमार अग्रवाल का जन्म 06 अगस्त, 1965 को हुआ। वे पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। वे 'अग्रवाल और बर्दिवा' सीए फर्म में भागीदार हैं

Shri Khan has attended prestigious leadership programme of IIM Bengaluru, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. He has also attended Kellogs School of Management, Chicago and ISB, Hyderabad.

Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director

Born on August 05, 1976, Dr Sanjay Kumar belongs to the 2003 Batch of Indian Post & Telecom accounts and Finance Service. He joined Department of Financial Services (DFS) as Director on September 21, 2017. Prior to joining DFS, he worked in Department of Telecommunication (DoT) and Department of Post (DoP). In DoT, he dealt with the works related to Spectrum Usage Charges, License Finance and Universal Service Obligation Fund in various capacities. In DoP, as Internal Finance Advisor and Director Accounts, he dealt with the works related to Finance advice, Accounts, Budgets and Internal Audit.

Dr Kumar has been nominated as Government Nominee Director on the Board of UCO Bank on May 13, 2021. Prior to this, he was on the Board of IDFC First Bank as Government Nominee Director from June 22, 2020 to March 25, 2021 and on the Board of Syndicate Bank as Government Nominee Director from April 05, 2018 to March 31, 2020.

Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director

Shri Rajesh Kumar, Chief General Manager, Reserve Bank of India (RBI) has been appointed on the Board of Directors of UCO Bank with effect from March 08, 2022.

Shri Kumar has over three decades of experience with Reserve Bank of India, handling diverse portfolios covering almost the entire gamut of major functions of RBI including, inter alia, Banking Supervision, Financial Inclusion & Development, Human Resource Management etc. He has served as Banking Ombudsman of Gujarat State for more than two years. He was on deputation with Central Bureau of Investigation for five years. He has represented RBI at several international multilateral forums / conferences including Global Partnership for Financial Inclusion (GPFII), an initiative of 'G-20' Group. He was closely involved in drafting of the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI).

He has previously served on the Boards of Directors of a public and a private sector bank. He is presently serving as Regional Director for the state of Gujarat at RBI, Ahmedabad. Previously, he has served as Regional Director for Uttarakhand for over three years.

Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director

Born on January 14, 1967, Shri Anjan Talukdar has a working experience of over 27 years. He is currently Head Corporate Affairs, Legal and Company Secretary at Premier Cryogenics Ltd and is based in Guwahati, Assam. Shri Talukdar's educational qualifications include B.Com, FCS, LLB. He is an Alumina of the prestigious IIM - Ahmedabad and Henley Management College, UK. Shri Talukdar has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f 21.12.2021.

Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director

Born on August 06, 1965, Shri Ravi Kumar Agrawal is a Chartered Accountant by profession. He is a partner in CA firm 'Agrawal

जो रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। श्री अग्रवाल भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जोनल एडवाइजरी बोर्ड में 4 वर्षों से मानद सदस्य हैं। श्री अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता में प्रमाणित सीए होने के अलावा बी.कॉम (ऑनर्स) और एलएलबी शामिल हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फिस्कल लॉ कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। श्री अग्रवाल को दिनांक 21.12.2021 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

and Bardiya' and is based in Raipur, Chattisgarh. Shri Agrawal has been honorary member in the Zonal Advisory Board of Life Insurance Corporation of India (LIC) for 4 years. Shri Agrawal's educational qualifications includes B.Com (Hons.) and LLB apart from being a certified CA. He has also been member of Fiscal Law Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Shri Agrawal has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f 21.12.2021.

श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक

1 सितंबर 1961 को जन्मे श्री के राजीवन नायर सम्प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं तथा निगम के मुख्य जीवन बीमा परामर्शी विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यपालक निदेशक हैं। यूको बैंक के निदेशक मंडल में उन्होंने 1 फरवरी, 2021 को शेयर धारकों के निदेशक के रूप में योगदान दिया। उन्हें विपणन, वित्त, विधि तथा मानव संसाधन के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है।

Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category

Born on 1st September 1961, Shri K Rajivan Nair is presently working with Life Insurance Corporation of India and is currently holding the post of Executive Director in Chief Life Insurance Advisor Department, Central Office, Mumbai. He joined the Board of UCO bank on 1st February 2021 as Shareholder Director and has vast experience in the areas of Marketing, Finance, Law, Human Resource.

2.2.4. निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / Expertise of the Board of Directors

क्र. सं. SI No	निदेशक के नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	विशेषज्ञता Expertise
1.	श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & CEO	बैंकिंग Banking
2.	श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas, Executive Director	बैंकिंग Banking
3.	श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director	बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी Banking and Information Technology
4.	डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामिती निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director	प्रशासन Administration
5.	श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director	बैंकिंग Banking
6.	श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director	निगमित मामले, कानूनी पक्ष Corporate Affairs, Legal aspects
7.	श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director	लेखा परीक्षा और लेखा Audit and Accounting
8.	श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category	बैंकिंग और मार्केटिंग Banking and Marketing

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 12 (बारह) बैठकें आयोजित की गईं :

2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 12 (Twelve) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

28.04.2021	27.05.2021	23.06.2021	27.07.2021	06.09.2021	28.09.2021	28.10.2021
29.11.2021	29.12.2021	31.01.2022	15.02.2022	22.03.2022		

3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। निदेशक मंडल की विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने केवल गैर-कार्यकारी निदेशकों के साथ निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं।

3.1.1 एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभावितता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभावितता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। एसीबी की बैठक में श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक और श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक आमंत्रित थे। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 18 में निर्धारित 4 (चार) बैठकों की तुलना में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं।

3.1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

27.05.2021	29.09.2021	28.10.2021	30.12.2021	31.01.2022
16.02.2022	23.03.2022			

3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ख), (घ), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक

3 Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the various committees of the Board are as under:

3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with only Non-Executive Directors. All the Directors on the Committee are financial literates.

3.1.1 The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/ audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 The ACB comprises of Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair as its members. Shri Ajay Vyasa, Executive Director and Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director were the invitees to the meetings of ACB. During the period under review, 7 (seven) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

3.1.3 During the period under review, 7 (seven) meetings of the ACB were held on following dates:

27.05.2021	29.09.2021	28.10.2021	30.12.2021	31.01.2022
16.02.2022	23.03.2022			

3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and three directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the

बार में एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बड़े खाते डालने के प्रस्ताव,
- पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है,
- कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव और
- समय-समय पर इस समिति के पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 एमसीबी में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक और श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 15 (पंद्रह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

20.04.2021	28.04.2021	01.06.2021	23.06.2021	19.07.2021	17.08.2021
13.09.2021	28.09.2021	26.10.2021	15.11.2021	07.12.2021	28.12.2021
09.02.2022	03.03.2022	22.03.2022			

3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

3.3.1 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती है जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 आरएमसीबी में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

24.06.2021	13.09.2021	29.12.2021	23.03.2022
------------	------------	------------	------------

3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

3.4.1 शेयरधारकों/अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों यथा- धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतकर्ता की तृप्ति के अनुरूप शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए

Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

3.2.1 The objectives of the MCB are to consider and approve -

- High value credit/loan, compromise and write-off proposals,
- High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/hiring of premises,
- Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and
- Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

3.2.2 The MCB comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director as its members.

3.2.3 During the period under review, 15 (fifteen) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

3.3 Risk Management Committee of the Board:

3.3.1 The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devises, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The RMCB comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category as its members.

3.3.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

24.06.2021	13.09.2021	29.12.2021	23.03.2022
------------	------------	------------	------------

3.4. Stake Holders' Relationship Committee of the Board:

3.4.1 The Committee is constituted in terms of regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for speedy redressal of complaints/grievances of shareholders/other security holders

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 20 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है।

3.4.2 श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक समिति के अन्य सदस्य हैं।

3.4.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 13.09.2021 एवं 16.02.2022 को आयोजित की गईं।

3.4.4 श्री एन पूर्ण चन्द्र राव, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

3.4.5 वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

- वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें- 729
- शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं हुए शिकायतों की संख्या- शून्य
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या- शून्य

3.5 निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी)

3.5.1 समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उचित एवं सही स्थिति" का निर्धारण करती है।

3.5.2 भारत सरकार के परिपत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

3.5.3 वर्तमान में समिति में डॉ. संजय कुमार, सरकारी द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं।

3.5.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 1 (एक) बैठकें दिनांक 14.03.2022 को आयोजित की गईं।

3.6 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति :

3.6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.6.2 उक्त समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल और श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.6.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 3 (तीन) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

24.06.2021	29.12.2021	23.03.2022
------------	------------	------------

like non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

3.4.2 The Committee is chaired by Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category. Other members of the committee are Shri Ajay Vyas , Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time non-official Director and Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time non-official Director.

3.4.3 During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee was held on 13.09.2021 and 16.02.2022. All the complaints received during the period under review were redressed.

3.4.4 Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, is the compliance officer in terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4.5 Status of shareholders' complaints received during the financial year:

- No. of shareholders' complaints received during the financial year - 729
- No. of shareholders' complaints not solved to the satisfaction of shareholders - Nil
- No. of pending complaints at the end of the financial year - Nil

3.5 Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRCB):

3.5.1 The Committee evaluates performance of Bank's Whole-time Directors and determines "Fit & Proper status" of elected or to be elected Director.

3.5.2 As per Government of India guidelines, the Committee shall comprise of non-executive Directors of the Board.

3.5.3 The Committee, at present, comprises Dr Sanjay Kumar, Government Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category

3.5.4 During the period under review, 1(one) meeting of the Committee was held on 14.03.2022.

3.6 Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds:

3.6.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Monitoring Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and following up frauds involving ₹1.00 crore and above. The Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.6.2 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Ravi Kumar Agrawal and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.6.3 During the period under review, 3 (three) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

24.06.2021	29.12.2021	23.03.2022
------------	------------	------------

3.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.7.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

3.7.2 समिति का उद्देश्य:

- जनसेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.7.3 उक्त समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार नामित निदेशक शामिल थे। नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के तहत को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.7.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को हुईं:

24.06.2021 28.09.2021 29.12.2021 15.02.2022

3.8 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.8.1 समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.8.2 समिति का उद्देश्य :

- स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापना, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना,
- पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना,
- अधिकारियों एवं स्टाफ के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना,
- बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं
- शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना।

उपर्युक्त मामले सीधे बोर्ड से संबंधित हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.7.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

3.7.2 Objectives of the Committee:

- To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

3.7.3 The Committee comprises Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.7.4 During the period under review, 4 (four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

24.06.2021 28.09.2021 29.12.2021 15.02.2022

3.8 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):

In the light of directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.8.1 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.8.2 Objectives of the Committee:

- To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,
- To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,
- To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,
- To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and
- To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

3.8.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित हुईं:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

3.9 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति

3.9.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

3.9.2 समिति में श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत को सदस्य के रूप शामिल किया गया।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पांच) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022	22.03.2022
------------	------------	------------	------------	------------

3.10 एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.10.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10.2 वर्तमान में इस समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री अंजन तालुकदार, निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पांच) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022	22.03.2022
------------	------------	------------	------------	------------

3.11 अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति:

3.11.1 अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए अपील मामलों के निपटान के लिए समिति गठित की गई है।

3.11.2 वर्तमान में, इस समिति में डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें 29.06.2021, 17.08.2021 एवं 30.12.2021 को आयोजित की गईं।

3.12 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.12.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करनेवाले) जान-बूझकर चूक

3.8.3 During the period under review, 4 (four) meeting of the Committee was held on dates as follows:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

3.9 IT Strategy Committee of the Board:

3.9.1 The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.9.2 The Committee comprises of Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Government Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.9.3 During the period under review 05 (five) meetings of the committee were held on the dates as follows:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022	22.03.2022
------------	------------	------------	------------	------------

3.10 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

3.10.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.10.2 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Director as its members.

3.10.3 During the period under review, 5 (five) meetings of the committee were held on dates as follows:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022	22.03.2022
------------	------------	------------	------------	------------

3.11 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.11.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.11.2 At present, the Committee comprises Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.11.3 During the period under review, 3(three) meetings of the Committee were held on the dates 29.06.2021, 17.08.2021 and 30.12.2021.

3.12 Review Committee (Willful Defaulters):

3.12.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer, confirms the

करनेवाले की घोषणा करने हेतु जान-बूझकर चूक करनेवाले की पहचान करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों की पुष्टि करते हैं।

3.12.2 वर्तमान में, समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर शेयरधारक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 01 (एक) बैठकें क्रमशः 15.02.2022. को आयोजित की गईं।

3.13 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति

3.13.1 समिति का गठन भारत सरकार, एमओएफ, डीएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 30.08.2019 के अनुसार किया गया है। समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक, एसीबी अध्यक्ष, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.13.2 वर्तमान में, समिति में डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.13.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 01 (एक) बैठकें; दिनांक 12.03.2022 को आयोजित की गईं।

3.14 गैर-पदोन्नति के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए बोर्ड की समिति

3.14.1 वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 1 (एक) बैठक दिनांक 17.08.2021 को आयोजित की गईं।

3.15 बोर्ड स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति

3.15.1 वर्तमान समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री डी के मृधा, महाप्रबंधक-जोखिम प्रबंधन, श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक- क्रेडिट और श्री शशिकांत कुमार, महाप्रबंधक-वित्त सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 52 बैठकें आयोजित की गईं।

order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.12.2 At present, the Committee comprises Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.12.3 During the period under review, 01 (one) meetings of the Committee was held on 15.02.2022.

3.13 Performance Evaluation Committee of the Board

3.13.1 The committee is constituted in terms of GOI, MOF, DFS guideline dated 30.08.2019. The committee comprises of Government Nominee Director, ACB Chairperson, Shareholder Director.

3.13.2 At present, the Committee comprises Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.13.3 During the period under review, 01 (one) meetings of the Committee was held on 12.03.2022.

3.14 Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion

3.14.1 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.14.2 During the period under review, 1 (one) meeting of the Committee was held on 17.08.2021.

3.15 Board Level Credit Approval Committee

3.15.1 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri D K Mridha, General Manager-Risk Management, Shri Sanjay Kumar, General Manager- Credit and Shri Shashi Kant Kumar, General Manager -Finance as its members.

3.15.2 During the period under review, 52 (Fifty Two) meetings of the Committee were held.

3.16 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25(3) के अनुसार, बैंक के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक दिनांक 22.03.2022 को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई थी, ताकि गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन और उक्त विनियम में निर्दिष्ट अन्य मामले की समीक्षा की जा सके।

सभी स्वतंत्र निदेशकों अर्थात् बैठक में श्री के राजीवन नायर, श्री रवि कुमार अग्रवाल और श्री अंजन तालुकदार उपस्थित थे।

3.16 Meeting of Independent Directors

In terms of Regulation 25(3) of SEBI (LODR) Regulations 2015, meeting of Independent Directors of the Bank was held on 22.03.2022 without the presence of non-independent directors and members of the management, to review the performance of the non-independent directors and other matters referred to in the said Regulation.

All the Independent Directors viz. Shri K Rajivan Nair, Shri Ravi Kumar Agrawal and Shri Anjan Talukdar were present at the meeting.

4 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा :

4 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

बैठक/ Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी मामले (मानव संसाधन समिति) Committee on HR related issues of the Bank	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पूर्व) Shri Atul Kumar Goel MD & CEO (erst.)	09	09	12	12	03	03	03	03	03	03
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sanakara Prasad MD & CEO	03	03	03	03	01	01	01	01	01	01
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	12	10	15	12	04	04	04	03	04	04
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	12	12	15	14	04	04	04	04	04	04
श्री आनंद मधुकर, निदेशक (पूर्व) Shri Anand Madhukar Director (erst)	01	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00
डॉ. संजय कुमार, निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Director	11	07	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	02
डॉ. तुली रॉय, निदेशक (पूर्व) Dr. Tuli Roy, Director (erst)	11	11	14	13	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेश कुमार, निदेशक Shri Rajesh Kumar, Director	01	00	01	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, निदेशक Shri Anjan Talukdar, Director	04	04	04	03	02	02	01	01	02	02
श्री रवि कुमार अग्रवाल, निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Director	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair, Director	12	11	12	12	04	04	04	04	04	04

बैठक/Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति Stake Holders' Relationship Committee of the Board	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पूर्व) Shri Atul Kumar Goel MD & CEO (erst)	03	03	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad MD & CEO	02	02	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	05	05	03	03	07	07	05	04	02	01
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	05	05	03	03	07	07	05	05	02	02
श्री आनंद मधुकर, निदेशक (पूर्व) Shri Anand Madhukar Director (erst)	00	00	00	00	00	00	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. संजय कुमार, निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Director	05	02	03	01	07	04	05	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक (पूर्व) Dr. Tuli Roy, Director (erst)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेश कुमार, निदेशक Shri Rajesh Kumar, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, निदेशक Shri Anjan Talukdar, Director	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	01	01
श्री रवि कुमार अग्रवाल, निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	04	04	02	01	01	01
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	03	03	05	04	02	02

बैठक/Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Performance Evaluation Committee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remunerations Committee of the Board		निदेशक मंडल की अपील मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)		Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-promotion	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पूर्व) Shri Atul Kumar Goel MD & CEO (erst)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	00	00	01	01
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad MD & CEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01	01	NA	NA
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01	01
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01	01
श्री आनंद मधुकर, निदेशक (पूर्व) Shri Anand Madhukar Director (erst)	NA	NA	NA	NA	00	00	NA	NA	NA	NA
डॉ. संजय कुमार, निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Director	01	01	01	01	03	02	NA	NA	NA	NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक (पूर्व) Dr. Tuli Roy, Director (erst)	NA	NA	NA	NA	03	03	NA	NA	NA	NA
श्री राजेश कुमार, निदेशक Shri Rajesh Kumar, Director	NA	NA	NA	NA	00	00	NA	NA	NA	NA
श्री अंजन तालुकदार, निदेशक Shri Anjan Talukdar, Director	01	01	01	01	01	01	01	01	NA	NA
श्री रवि कुमार अग्रवाल, निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Director	01	01	01	01	01	01	01	01	NA	NA
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair, Director	01	01	01	01	03	03	01	01	01	01

नोट/Notes:

- *निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या / No. of meetings held during the tenure of the Director during the review period
- लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member

5.0 आम बैठक / General Body Meeting

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के बारे में इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
16वीं वार्षिक आम बैठक 16 th Annual General Meeting	26 जून, 2019 26 th June, 2019	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	6 नवंबर, 2019 6 th November, 2019	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	14 फरवरी, 2020 14 th February, 2020	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
17वीं वार्षिक आम बैठक 17 th Annual General Meeting	7 अगस्त, 2020 7 th August, 2020	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 प्रस्तावित स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	7 मई, 2021 7 th May, 2021	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 प्रस्तावित स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
18वीं वार्षिक आम बैठक 18 th Annual General Meeting	20 जुलाई, 2021 20 th July, 2021	सुबह 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 प्रस्तावित स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से एक शेयरधारक के चुनाव के लिए दिनांक 19.10.2020 को शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक की नोटिस जारी की गई। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में बैंक को निदेशक चुनाव हेतु दो उम्मीदवारों से वैध नामांकन प्राप्त हुए। हालांकि, एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन चुनाव होने से पूर्व वापस ले लिया। इस प्रकार चुनाव के लिए केवल एक ही वैध नामांकन श्री के. राजीवन नायर से था। अतः निदेशक चुनाव नहीं हुआ और यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियमन 66(1) के तहत श्री के राजीवन नायर को निदेशक के रूप में चुना हुआ माना गया। दिनांक 26 नवंबर, 2020 को निर्धारित असाधारण आम बैठक को निरस्त कर दिया गया क्योंकि उक्त बैठक में चर्चा के लिए और कोई एजेंडा नहीं था। आरबीआई की अधिसूचना दिनांक 02.08.2019 के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा ठीक एवं उचित स्थिति का निर्धारण करने के बाद श्री के राजीवन नायर को 01.02.2021 से तीन साल की अवधि के लिए निदेशक के रूप में चुना गया है।

5.2. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 20 जुलाई, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री ए. के. गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक तथा श्रीमती तुली राँय, निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया।

5.3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- 06 नवंबर, 2019 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2130 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के सापेक्ष 16.89 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 126,11,01,243 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।
- 14 फरवरी, 2020 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2142 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के सापेक्ष 16.54 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 129,50,42,321 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।
- 7 अगस्त, 2020 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत स्थानन और/या अन्य रूप में पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
- 7 मई, 2021 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2600 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के सापेक्ष 12.76 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 203,76,17,554 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।

A notice of Extraordinary General Meeting was issued to the shareholders on 19.10.2020 for election of one shareholder director from amongst the shareholders of the Bank other than Central Government under Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In response to the notice, Bank has received valid nominations from two candidates for contesting of election of Director. However, one of the candidates who filed nomination withdrew his nomination before contesting election. As there is only one valid nomination from Shri K Rajivan Nair available for contest, no election of director was held and he is deemed to have been elected as director pursuant to Regulations 66(1) of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003. Extraordinary General Meeting scheduled on 26th November, 2020 stood cancelled since there was no other agenda to be transacted at the meeting. Shri K Rajivan Nair is elected as Director w.e.f 01.02.2021 for a period of three years after determination of Fit and Proper status by Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of RBI notification dated 02.08.2019.

5.2. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 20th July, 2021 through Video Conference (VC). Shri A.K. Goel, Former Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Smt. (Dr.) Tuli Roy, Director and Chairman of Audit Committee of the Board, attended the meeting.

5.3. Special Resolutions passed during last three years:

- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 6th November, 2019 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 126,11,01,243 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.89 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2130 crore.
- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 14th February, 2020 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 129,50,42,321 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.54 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2142 crore.
- In the Annual General Meeting of the shareholders held on 7th August, 2020, a special resolution passed for issue of 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.
- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 7th May, 2021, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 203,76,17,554 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.12.76 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2600 crore.

v) 20 जुलाई, 2021 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और/ या अन्य पूंजी जुटाने के विकल्प के माध्यम से प्रत्येक रु. 10/- के 300,00,00,000 तक की इक्विटी शेयर को जारी करने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया।

6.0 संचार के साधन:

बैंक का मानना है कि सभी हितधारकों को बैंक की गतिविधियों, कार्य और उत्पाद पहल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञापितियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य रचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2021, 30.09.2021 एवं 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर कम से कम पूरे या अनौपचारिक रूप से पूरे भारत में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है यानी बांग्ला में प्रकाशित किए गए।

पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं, जिन्होंने अपना ई-मेल पता या तो बैंक के पास या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिलिपि अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है।

7.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

7.1 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक द्वारा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। शेयर/बांड के मुद्दे के संबंध में अन्य गतिविधियों के अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन/अद्यतन, शेयरों के संचारण से संबंधित सभी शिकायतें उनके निम्नलिखित पते पर उन्हें संबोधित की जा सकती हैं:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

(इकाई: यूको बैंक)

सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32

गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा

हैदराबाद - 500032

फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001

फैक्स : 040 23420814

ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

v) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 20th July, 2021, a special resolution passed for issue of upto 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

6.0. Means of Communication:

The Bank believes that all the stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2021, 30.09.2021 and 31.12.2021 were published within the prescribed time limit in atleast one English Language national daily newspaper circulating in whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. in Bengali.

Soft copies of full Annual Report is sent to all those shareholders who have registered their e-mail address(es) either with the Depositories or Bank's Share Transfer Agent and physical copy of Annual Report is sent to other shareholders.

7.0. General Shareholders Information:

7.1 Registrar and Share Transfer Agent, Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:

M/s KFin Technologies Limited, Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All grievances regarding change of address, change/updation of bank mandate, transmission of shares, amongst other activities in connection with the issue of Shares/ Bonds may be addressed to them in their following address:

M/s. KFin Technologies Limited

(Unit : UCO Bank)

Selenium Tower B, Plot No. 31&32,

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001

Fax: 040 23420814

e-mail: einward.ris@kfintech.com

बैंक ने निवेशकों के होल्डिंग के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्ण सुविधा के साथ कक्ष स्थापना की है। निवेशकों की शिकायतें यदि बैंक के कार्यालयों में या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के कार्यालय में प्राप्त होती हैं, तो उनका त्वरित निष्पादन किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, यूको बैंक के शेयरों के बारे में शेयरधारकों / निवेशकों द्वारा किसी भी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी- hosgr.calcutta@ucobank.co.in बनाया गया है।

निवेशक अपना अनुरोध / शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर मेल कर सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033)44557227
ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

To meet various requirements of investor regarding their shareholding, the Bank has established full-fledged cell at Finance Department, Head Office, Kolkata. The investors' grievances whether received at the Bank's Offices or at the office of the registrar and share transfer agent are redressed expeditiously. In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated email id- hosgr.calcutta@ucobank.co.in has been created for any complaints by the shareholders/investors regarding UCO Bank Shares.

The investors can mail their request /complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001

Telephone No. (033)44557227
E-mail : hosgr.calcutta@ucobank.co.in

7.1.1 बैंक के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। एनएसई प्रतीक यूको बैंक है और बीएसई स्क्रिप कोड 532505 है। बैंक समयानुसार पर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान कर रहा है।

7.1.1 Shares of the Bank are listed on National Stock Exchange of India Limited, Mumbai and Bombay Stock Exchange, Mumbai. NSE Symbol is UCObANK and BSE Scrip code is 532505. Bank is timely making payment of Annual listing fee to both the stock exchanges.


7.2.1 शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव

बीएसई बैंकेक्स और एनएसई निफ्टी 50 का तुलनात्मक इक्विटी प्रदर्शन निम्नलिखित लाइन चार्ट में प्रस्तुत किया गया है:


7.2.1 Share Price Movement

The equity performance in comparison to BSE Bankex and NSE Nifty 50 is presented in the following line charts:

एनएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT NSE (वित्तीय वर्ष/FY 2021-22)



बीएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT BSE (वित्तीय वर्ष/FY 2021-22)



*Share Price indicates monthly closing prices

7.2.2 बाज़ार मूल्य आंकड़े

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 09.10.2003 को शुरु हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

7.2.2 Market Price Data

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2021-22 were as follows:

माह Month	नेशनल स्टाक एक्सचेंज/N.S.E				बंबई स्टाक एक्सचेंज/B.S.E			
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)
अप्रैल/Apr-21	11.95	10.90	11.00	160.78	11.94	10.90	11.02	23.48
मई/May-21	13.60	11.20	13.60	356.08	13.60	11.17	13.60	40.48
जून/Jun-21	15.30	13.20	15.20	636.23	15.26	13.19	15.19	78.57
जुलाई/Jul-21	15.15	13.50	13.80	204.06	15.15	13.55	13.80	27.09
अगस्त/Aug-21	13.90	12.55	12.80	103.66	13.94	12.59	12.80	13.82
सितंबर/Sep-21	14.35	12.80	13.65	231.04	14.38	12.79	13.65	36.24
अक्टूबर/Oct-21	14.80	13.50	14.40	329.04	14.75	13.53	14.41	42.90
नवंबर/Nov-21	14.65	12.90	12.95	112.69	14.66	12.90	12.94	18.66
दिसंबर/Dec-21	13.75	12.60	13.00	80.78	13.75	12.61	13.00	15.86
जनवरी/Jan-22	13.60	12.65	13.60	96.48	13.62	12.67	13.62	24.35
फरवरी/Feb-22	13.80	11.30	11.80	117.02	13.82	11.30	11.81	24.09
मार्च/Mar-22	12.00	11.25	11.85	73.74	11.98	11.26	11.87	20.63

* Monthly high & low price are based on daily closing prices of shares

7.3. शेयरों का अमूर्तीकरण

7.3.1 सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञापित संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा निर्णय किया है कि प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के साथ अमूर्तीकरण रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को तुरंत अमूर्तीकरण कर दें। अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डीमैट खाते को बनाए रखते हैं। अमूर्तीकरण के लाभ इस प्रकार हैं:

- झंझट रहित अंतरण;
- शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान का कोई खतरा नहीं;
- लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और शीघ्र जमा;
- नामांकन सुविधा;
- एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी को बैंक के आरटीए/अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत करें।

बैंक के इक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए 01018 है।

वर्ष 2021-22 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपोजिटरी के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा कस्टडी शुल्क का भुगतान नियत तारीख को किया गया है।

7.3.2 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2022 तक भौतिक एवं अमूर्तीकरण रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	1,03,27,745	0.09
एनएसडीएल/NSDL	35,79,92,827	2.99
सीडीएसएल/CDSL	11,58,76,37,604	96.92
योग/Total	11,95,59,58,176	100.00

7.3. Dematerialization of Shares

7.3.1 SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, shareholders are requested to dematerialize their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account. Benefits of dematerialization are as follows:

- Hassle free transfer ;
- No threat of loss of share certificate;
- Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits;
- Nomination facility;
- Direct application through ASBA/IPO etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

Annual Custody Fee of both the depositories for the year 2021-22 are paid by the Bank within due dates.

7.3.2 As on 31st March,2022, the bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form :

7.3.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं, यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता, आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली, के.जी. रोड शाखा, बेंगलुरु, चेन्नै (मुख्य) शाखा, तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें। बैंक ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को उनकी अभिरक्षा सेवाओं के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है।

7.3.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

7.3.5 बैंक जिस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है।

7.3.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

7.3.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

7.3.5 The Bank does not undertake commodity market activities.

7.4 शेयरधारिता का वितरण

7.4 DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

7.4.1 दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2022

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % of equity
अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता A. Promoters' shareholding			
भारत सरकार / Government of India	1	11404910524	95.39
आ. संस्थाएं B. Institutions			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Portfolio Investors	12	1921462	0.02
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	8	132005	0.00
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	4	148584028	1.24
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	4	5694180	0.05
इ/सी. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹2 lakhs	421244	270212357	2.26
ii. ₹ 2 लाख से अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	2111	100617255	0.84
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी NBFCs Registered with RBI	2	2400	0.00
ई/डी. अन्य/Others			
न्यास / Trust	17	169973	0.00
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	986	5531665	0.05
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	104	4105573	0.03
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय Non Resident Indian non repatriable	760	2540253	0.02
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	991	11536501	0.1
योग/ TOTAL	426244	11955958176	100.00

7.4.2 31.03.2022 को शेयरधारिता श्रेणी का वितरण/Distribution of Shareholders Category wise as on 31.03.2022

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं.	कुल शेयरधारकों का %	कुल शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %
से/From	तक/To	No. of Share – Holders	% of the total Shareholders	No. of Total Shares	% of the total Shares
1	5000	412393	96.75	151824972	1.27
5001	10000	6346	1.49	48365012	0.40
10001	20000	5212	1.22	75090089	0.63
20001	30000	1101	0.26	27313537	0.23
30001	40000	398	0.09	13996136	0.12
40001	50000	249	0.06	11603758	0.10
50001	100000	370	0.09	26718408	0.22
100001	और अधिक/And above	175	0.04	11601046264	97.03
कुल/TOTAL		426244	100.00	11955958176	100.00

7.4.3 दिनांक 31.03.2022 स्थिति के अनुसार बैंक के शीर्ष 10 शेयरधारक **7.4.3 Top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2022**

क्र.सं. SN	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	शेयरों की सं. No. of Share	कुल पूंजी में शेयर का % % if shares to total Capital
1	भारत के राष्ट्रपति /President of India	11404910524	95.39
2	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Life Insurance Corporation of India	148033228	1.24
3	निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लि. /Nippon Life India Trustee Ltd	3497490	0.03
4	कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ/Kotak PSU Bank ETF	1948377	0.02
5	फजलुर रहमान इनामदार / Fazalur Rahman Inamdar	1618412	0.01
6	पद्मा लता / Padma Latha	1200000	0.01
7	विजय शंकर दवे / Vijay Shankar Davey	1185000	0.01
8	सुआशीष डायमंड लिमिटेड / Suashish Diamonds Ltd	1160000	0.01
9	सनजॉय डे / Sanjoy Dey	1100000	0.01
10	एसपीडीआर एस&पी इमरजिंग मार्केट स्माल केप(ईटीएफ) SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	946305	0.01

7.5 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

7.5 Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2009-10	1.50
2004-05	1.00	2010-11	3.00
2005-06	-	2011-12	3.00
2006-07	1.00	2012-13	1.60
2007-08	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
2008-09	1.00	अंतिम/Final	1.00
		2014-15	2.00
		2015-16 to 2021-22	शून्य/NIL

7.6.1. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 (अंतरिम एवं फाइनल) का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

7.6.2. दावे नहीं किए गए शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमैटरलाएज़ करे।

दिनांक 31.03.2022 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं. SI No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2021	204	28100
ii.	वर्ष 2021-22 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2021-22	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2022	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

7.7 बॉण्ड

7.7.1 बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर प्रकृति के असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड उठाए हैं। दिनांक 31.03.2022 को ऐसे बकाया बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं. निर्गम विवरण SN. Issue Description	आईएसआईएन नं. ISIN No.	आकार (₹ करोड़ में) Size (₹ in Rs. Crore)	निर्गम की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	क्रय विकल्प की तारीख Call option date
1. 9% बॉण्ड शृंखला XII 9% Bond Series XII	INE691A09185	1000	28.12.2012	28.12.2022	क्रय विकल्प नहीं No Call option
2. 9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला II) 9.644% Basel III Tier II Bonds (Series II)	INE691A08054	500	28.06.2019	28.06.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
3. 9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला III) 9.71% Basel III Tier II Bonds (Series III)	INE691A08062	500	16.12.2019	16.12.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
4. 8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08070	400	22.03.2022	22.03.2032	22.03.2027
5. 8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला V) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series V)	INE691A08088	100	31.03.2022	31.03.2032	31.03.2027

7.6.1. Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13 and 2013-14(interim& final) to IEPF.

7.6.2. : Unclaimed Shares

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bona fide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2022 :

7.7.2 निर्गत करने के लिए बॉण्ड ट्रस्टी:

बैंक ने उपर्युक्त सभी बॉण्ड मुद्दों, बॉण्ड के निवेशकों के हितों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है। ट्रस्टी का पता नीचे दिया गया है:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

एशियन भवन, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001. फोन: (002) 40807000;
ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल (पूर्वी विंग), 55 एमजी रोड, किला,
मुंबई 400001. दूरभाष: (022) 2261 6217
ई-मेल: aarti.sharma@cfsi.in

7.7.3 क्रेडिट रेटिंग/Credit Rating

रेटिंग एजेंसी का नाम Name of the Rating Agencies	9% बॉण्ड श्रृंखला XII 9% Bond Series XII	9.664% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.664% Basel III Tier II Bonds Series II	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.71% Basel III Tier II Bonds Series III	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.51% Basel III Tier II Bonds Series IV	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.51% Basel III Tier II Bonds Series V
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	ए+(सकारात्मक) A+(Positive)	ए+(स्थिर) A+(Stable)	---	---	---
क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Ltd.	ए+(सकारात्मक) A+(Positive)	---	---	---	---
इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड India Rating & Research Pvt. Ltd.	---	AA - (स्थिर/Stable)	AA - (स्थिर/Stable)	AA - (स्थिर/Stable)	AA - (स्थिर/Stable)
एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड Acuite Ratings & Research Ltd.	---	AA - (सकारात्मक/Positive)	AA - (सकारात्मक/Positive)	---	---
केयर रेटिंग लिमिटेड Care Rating Ltd.	---	---	---	---	एए - (स्थिर) AA - (Stable)

8.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

7.7.2 Bond Trustee to the Issue:

The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai and M/s Centbank Financial Services Limited as Bond Trustees to the Bond Issues, to safeguard and to protect the interest of the investors of the Bonds. Address of the Trustees are given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.

Asian Building, Ground Floor,
17, R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001. Tel: (022) 40807000;
Email: itsl@idbitrustee.com

Centbank Financial Services Ltd.

Central Bank of India-MMO Bldg,
3rd Floor (East Wing),
55 MG Road, Fort, Mumbai 400001.
Tel: (022) 2261 6217
E-mail: aarti.sharma@cfsi.in

8.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations are being complied to the extent it is not inconsistent with the Banking Laws i.e. Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In case of inconsistency, Banking laws have been followed.

8.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है। पूर्णकालिक निदेशकों को देय 'उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन' के अलावा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

8.1. Remuneration of Whole time Directors:

Following are the details of remuneration paid to whole time director during the financial year 2021-22. Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Director is fixed by the Central Government.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मर्दे / Items	राशि (लाख ₹ में)/ Amount (₹ in lakhs)
श्री ए के गोयल भूतपूर्व एमडी एवं सीईओ Shri A. K. Goel Former MD & CEO	01.04.2021 से/to 31.12.2021	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	26.77 32.02 0.00 1.36 0.00
श्री सोमा शंकर प्रसाद Shri Soma Sankara Prasad	01.01.2022 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	8.09 4.18 0.00 0.00 0.00
श्री अजय व्यास ईडी Shri Ajay Vyas ED	01.04.2021 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	28.85 9.58 0.00 0.12 0.00
श्री इशराक अली खान ईडी Shri Ishraq Ali Khan ED	01.04.2021 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	27.99 0.57 0.00 0.06 0.00

8.1.1 गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान किया गया बैठक शुल्क :

पूर्णकालिक निदेशक बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं। आंकांकिक निदेशकों को निम्नलिखित दर पर बैठक शुल्क के अलावा बैंक उन्हें कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है।

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 40,000/-
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 20,000/-
और प्रति सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/-

हालांकि, गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान करने के मानदंड बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (<https://www.ucobank.com/english/SEBI-DISCLOSURE.aspx>)

गैर-कार्यकारी निदेशकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के साथ पठित सरकारी दिशानिर्देशों के

8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:

Whole time directors are not entitled for sitting fee. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting : ₹40,000/- per sitting
For Committee Meeting : ₹20,000/- per sitting and ₹5000/-
per chairing committee meetings.

However, the criteria for making payment to Non-executive director is hosted on the Bank's website(<https://www.ucobank.com/english/SEBI-DISCLOSURE.aspx>)

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with

अनुसार निदेशक मंडल और निदेशक मंडल समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2021-22 are as under :

क्र. सं. SI No.	निदेशक का नाम Name of the Director	राशि (रु.) Amount (Rs)
1.	श्री के राजीवन नायर / Shri K Rajivan Nair	13,65,000/-
2.	श्री अंजन तालुकदार / Shri Anjan Talukdar	5,20,000/-
3.	श्री रवि कुमार अग्रवाल / Shri Ravi Kumar	5,00,000/-

8.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने अधिमानीय आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

8.4 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

8.5 बैंक के संबंधित पार्टि लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2022 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टि लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत <https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx> पर दी गई है।

8.6 बैंक जिस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है; इसलिए जिस मूल्य जोखिम और जिस हेजिंग गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

8.7 दिनांक 31 मार्च, 2022 को निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच कोई अंतर्संबन्ध नहीं है।

8.8 बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर नीति की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट <https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx> पर उपलब्ध है।

8.9 किसी भी कर्मों को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

8.10 बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और सेबी / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं किसी भी

8.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3. During the Financial year 2021-22, Bank has not raised funds through Preferential Allotment or Qualified Institutional Placement.

8.4. There is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets during the last three year ended on 31st March, 2022.

8.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2022. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under <https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx>.

8.6 The Bank does not undertake commodity market activities; hence there is no information on Commodity price risk and Commodity hedging activities.

8.7 Directors on the board have no inter se relationship as on 31st March, 2022

8.8 Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy which is available on the Bank's website at <https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx>

8.9 No personnel have/ has been denied access to the Audit Committee of the Board.

8.10 The Bank has obtained certificate under Regulation 34 and schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and none of the directors have

सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

8.11 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx>

8.12 बैंक का लाभांश वितरण दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट <https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx> पर उपलब्ध है।

8.13 सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क :

been debarred or disqualified from being appointed by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs and any statutory authority.

8.11 Details of familiarisation programmes imparted to Non-Executive /Independent Directors is available on the bank's website at <https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx>

8.12 Dividend Distribution guidelines of the Bank is available on Bank's Website at <https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx>

8.13 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

लेखापरीक्षकों 'शुल्क एवं व्यय' (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors 'fee and expenses (including Branch auditors)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021
	37.59 करोड़/crore	46.74 करोड़/crore

8.14 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

8.14 Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the Financial year	1
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	1
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year	0

9.0 विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन

बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है:

9.0 COMPLIANCE TO DISCRETIONARY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The extent of implementation of discretionary requirements is as under:

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
1.	<p>निदेशक मंडल / The Board एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है। A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.</p>	<p>भारत सरकार ने बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को नामित नहीं किया है। वर्तमान में एमडी और सीईओ अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। Government of India has not nominated non-executive chairperson on the Board of the Bank. MD & CEO is currently acting as a chairperson .</p>
2.	<p>शेयरधारक का अधिकार / Shareholders Rights पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, प्रत्येक शेयरधारकों के घर में भेजी जा सकती है। A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.</p>	<p>बैंक वित्तीय परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करता है। The Bank ensures compliances by uploading the financial results on the Bank's website.</p>
3.	<p>लेखा-परीक्षा योग्यता / Audit Qualifications कंपनी अनधिकृत वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकती है। Company may move towards a regime of unqualified financial statements.</p>	<p>वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है। The Audit Report on the financial statements is unqualified.</p>
4.	<p>आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग / Reporting of Internal Auditor आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है। The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.</p>	<p>बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षा के लिए रखा जाता है। The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their report are periodically placed to the Audit Committee for review.</p>

बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि विनियमों की आवश्यकताएं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों और निर्देशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

10.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2021-22 का अभिन्न अंग है।

Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C , D and E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that the requirements of the regulations do not violate the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970 and the relative guidelines and directions issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

10.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Auditors' Certificate on Corporate Governance for the year 2021-22 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2021-22.

11.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2021-22 का अभिन्न अंग है।

12.0. बैंक-आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक
ह/-

(सोमा शंकर प्रसाद)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

11.0. CEO & CFO Certificate

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2021-22.

12.0 Affirmation Of Compliance With The Bank's Code Of Conduct

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2021-22.

For UCO Bank

sd/-

(Soma Sankara Prasad)
Managing Director &
Chief Executive Officer

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि जोखिम धारक संबंध समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 001311 सी

(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 000846 सी

(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 304013 ई

(सीए अभिय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2022, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March 2022 against the Bank as per the records maintained by the Stake Holders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For KHANDELWAL KAKANI & CO

Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(CA SANTOSH DESHMUKH)

Partner
Membership No. 071011

For R GOPAL & ASSOCIATES

Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(CA G D AGARWALA)

Partner
Membership No. 051609

For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP

Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(CA SANDEEP AGRAWAL)

Partner
Membership No. 058553

For GHOSHAL & GHOSAL

Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)

Partner
Membership No. 005254

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

- क) हमने बैंक के वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-
- इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई त्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
 - ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
- वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

ह/-

शशि कांत कुमार

महाप्रबंधक

(मुख्य वित्त अधिकारी)

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 13.05.2022

ह/-

सोमा शंकर प्रसाद

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

शेयरधारकों से हरित पहल के तहत अपील

जो शेयरधारक डीमैट के रूप में शेयर धारण किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने जमाकर्ता के पास अपना ई-मेल आईडी दर्ज कराएँ। जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, कार्बी फिंटेक प्रा. लि. को निम्न प्ररूप में अपनी अनुमति भेजें :

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 032

मै/हम _____, जो भौतिक रूप में बैंक के _____ शेयर धारण किए

हुए हैं/हैं, नीचे दिए गए ई-मेल आईडी पर नोटिसों, वार्षिक रिपोर्टों सहित सभी सूचना-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं :

फोन नं. _____ ई-मेल आईडी _____

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

Annexure-II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Dear Sirs,

Sub: CEO and CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2021-22 and to the best of our knowledge and belief
 - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
 - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2021-22 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee
 - i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2021-22
 - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

For UCO Bank

For UCO Bank

Yours faithfully,

Sd/-

Sd/-

(Shashi Kant Kumar)
General Manager
(Chief Financial Officer)

Soma Sankara Prasad
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date : 13.05.2022

GREEN INITIATIVE APPEAL TO THE SHAREHOLDERS

The Shareholders holding shares in demat form are requested to register their e-mail id with their Depository. Shareholders holding shares in physical form are requested to send their consent to our Registrar and Transfer Agent, Karvy Fintech Pvt Ltd. on the following format.

M/s KFin Technologies Limited

Unit : UCO BANK, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda Serilingampally,
Hyderabad - 500 032

I/We _____ holding _____ shares of the Bank in physical form intend to receive all communications including notices, annual reports, through our e-mail id given hereunder :

Folio No _____ E-mail id _____

Signature of the first holder

31.03.2022 तक बैंक के सीवीओ और महाप्रबंधकों का विवरण

DETAILS OF CVO AND GENERAL MANAGERS OF THE BANK AS ON 31.03.2022

क्र.सं. SI No	नाम Name	Designation	योग्यता Qualification
1	श्रीमती रंजना बोस Smt. Ranjana Bose	मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer	बीएससी (भौतिकी), एमएससी, पीजीसीबीएम (एक्सएलआरआई), सीएआईआईबी B.Sc (Physics), M.Sc, PGCBM (XLRI), CAIIB
2	श्री नरेश कुमार Shri Naresh Kumar	महाप्रबंधक, एचआरएम, पीएसडी, प्रशिक्षण एवं राजभाषा General Manager, HRM, PSD, Training and OL	बीए, एमए (डबल), सीएआईआईबी, पीजीडीएफ BA, MA (DOUBLE), CAIIB, PGDF
3	श्री संजय कुमार Shri Sanjay Kumar	महाप्रबंधक, ऋण निगरानी General Manager, Credit Monitoring	बी.एससी.(एच), सीएआईआईबी, सर्टिफाइड क्रेडिट एवं ट्रेजरी प्रोफेशनल B.SC.(H), CAIIB , CERTIFIED CREDIT & TREASURY PROFESSIONAL
4	श्री दिलीप कुमार मृधा Shri Dilip Kumar Mridha	महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन (सीआरओ) General Manager, Risk Management (CRO)	बीएससी (ईसीओ), एमएससी, सीएआईआईबी B.SC (ECO), M.SC, CAIIB
5	श्री मनीष कुमार Shri Manish Kumar	महाप्रबंधक, अनुपालन (सीसीओ) General Manager, Compliance (CCO)	बीए (ईसीओ), सीएआईआईबी, सीबीसीपी BA(ECO), CAIIB, CBCP
6	श्री वी शंकर नारायणन Shri V Sankara Narayanan	महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय विभाग General Manager, International Department	बीएससी, सीएआईआईबी B.SC, CAIIB
7	श्रीमती आशा राजीव Smt. Asha Rajiv	महाप्रबंधक, वसूली विभाग General Manager, Recovery Dept.	बी.कॉम, जेएआईआईबी B.COM, JAIIB
8	श्री सरोज रंजन नायक Shri Saroj Ranjan Nayak	महाप्रबंधक, डीआईटी (सीटीओ) General Manager, DIT (CTO)	बी.टेक (ईएल एंड टीसी), सीएआईआईबी, सीआईएसएम, सीआईएसए B.TECH(EL & TC), CAIIB, CISM, CISA
9	श्री पंथागनि मनोज Shri Panthagani Manoj	महाप्रबंधक, कार्यनीति आयोजना एवं बोर्ड सचिवालय General Manager, Strategic Planning & Board Secretariat	बीएससी B.SC
10	श्री के मोहन दास Shri K Mohan Doss	महाप्रबंधक, वसूली विभाग General Manager, Recovery Department	बीएससी, पीजी, एलएलबी, सीएआईआईबी B.SC, PG, LLB, CAIIB
11	श्री विजय कुमार Shri Vijay Kumar	महाप्रबंधक, कृषि और ग्रामीण व्यवसाय विभाग General Manager, Agri and Rural Business Department	बीएससी, एमएससी, जेएआईआईबी B.SC, M.SC, JAIIB
12	श्री हरमोहन कुमार अरोड़ा Shri Harmohan Kumar Arora	महाप्रबंधक, परिचालन और सेवा विभाग General Manager, Operations and Service Department	बी.कॉम, एम.कॉम, आईसीडब्ल्यूए, सीएस, एलएलबी, सीएआईआईबी B.COM, M.COM, ICWA, CS, LLB, CAIIB
13	श्री अशोक वी तेलंग Shri Ashok V Telang	महाप्रबंधक, वसूली विभाग General Manager, Recovery Department	बी.कॉम, जेएआईआईबी B.COM, JAIIB
14	श्री ए जेना Shri A Jena	महाप्रबंधक, भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय General Manager, Bhubaneswar ZO	बीएससी, एमबीए, सीएआईआईबी B.SC, MBA, CAIIB

15	श्री श्रवण कुमार सांख्यान Shri Shrawan Kumar Sankhyan	महाप्रबंधक, सामान्य प्रासन विभाग General Manager, General Administration Department	बी.कॉम, एम.कॉम, एमबीए, सीएआईआईबी B.COM, M.COM, MBA, CAIIB
16	श्री मनोज कुमार आनंद Shri Manoj Kumar Anand	महाप्रबंधक, नागपुर आंचलिक कार्यालय Manager, Nagpur ZO	बीए, एमए, एमबीए-एचआरएम BA, MA, MBA-HRM
17	श्री प्रदीप कुमार जैन Shri Pradeep Kumar Jain	महाप्रबंधक, खुदरा और एमएसएमई विभाग General Manager, Retail & MSME Department	बीएससी, एलएलबी, सीएआईआईबी B.SC, LLB, CAIIB
18	श्री गौतम पात्रा Shri Goutam Patra	महाप्रबंधक, मुंबई कोषागार General Manager, Mumbai Treasury	बीएससी, एमसीए, सीएआईआईबी B.SC, MCA, CAIIB

**सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के
विनियमन 24ए के अनुसरण में)

**प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक**

यूको बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट व्यवहार के प्रति निष्ठा पर हमने सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि उससे कार्पोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने का तर्कसंगत आधार मिले। हम इसपर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों, वेबसाइट, बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों की गई फाइलिंग तथा प्रस्तुतियां तथा बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमारे विचार से बैंक ने नीचे सूचीकृत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक में नीचे दी हुई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसी तरीके से तथा उसके अध्यक्षीय निदेशक मंडल प्रक्रिया तथा अनुपालन - प्रणाली विद्यमान है:

हमने बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों 31 मार्च, 2022 की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुरूप जांच की है:

- (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए)(यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित) और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं उद्यम इक्विटी) विनियम, 2021;
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गेर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021;

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2022

(Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015)

**To,
The Members,
UCO BANK**

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by UCO Bank (hereinafter called "the bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank, the website, the filings and submissions made by the Bank to the Stock Exchanges and also the information provided by the bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2022 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') (as amended) and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 (as amended) and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं).
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड प्केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) पंजीकरण एजेंसीफ विनियमन, 2011
- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जमाकर्ताओं एवं प्रतिभागियों) विनियमन, 2018;

- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- i) The Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.
- j) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

(iii) बैंक पर विशिष्ट रूप से प्रयोज्य अन्य विधि:

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,
- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970
- यूको बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2003
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 यथा संशोधित के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, दिशानिर्देशों, मानदंडों का अनुपालन किया है:

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि,

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है जिसमें बोर्ड के कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संतुलन बनाया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन हुए हैं वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हैं। हालांकि, बैंक के कामगार कर्मचारियों में से एक निदेशक, बैंक के गैर-कर्मचारी कर्मचारियों में से एक को केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार नियुक्ति के लिए नामित नहीं किया जाता है। हालांकि रिक्त पदों को भरने के मामले को वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग के पास भेज दिया गया है। इसके अलावा हमने यह नोट किया है कि बैंक शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, लेकिन सेबी (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के मद्देनजर बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक एवं दिनांक 08.03.2022 से निदेशक मंडल में कोई भी महिला निदेशक नहीं है।

बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। हालांकि, लेखापरीक्षा समिति में एक रिक्ति थी जो वित्तीय वर्ष के दौरान तक रिक्त थी लेकिन दिनांक 21.12.2021 को नामांकन एवं पारिश्रमिक

(iii) Other laws specifically applicable to the Bank:

- The Banking Regulation Act 1949
- The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970
- Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970
- UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003
- Right to Information Act, 2005.

We have also examined compliance with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that,

The Board of Directors of the Bank is constituted under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970 which envisage optimum balance of Executive and Non-Executive Directors on the Board. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review happened in compliance with the provisions of the Act. However, one director among the workmen employees of the Bank, one among non-workmen employees of the Bank are not nominated by the Central Government for appointment as per the requirement of the above mentioned Act. However the matter has been referred to the Ministry of Finance and Department of financial services for filling of the vacant positions. Furthermore, we noted that the Bank is among the top 500 listed entities, but there was no independent woman director on the Board during the period and no woman director on the board from 08.03.2022, pursuant to Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Bank has constituted Audit Committee of the Board and Nomination and Remuneration Committee as per RBI guidelines. However, there was one vacancy in Audit Committee which was remain vacant during the financial year but vacancy in

समिति में उक्त रिक्ति को भर दिया गया।

हमारे बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या होने की वजह से सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण जरूरतें) विनियमन 2015 के विनियमन 18 के बोर्ड संयोजन एवं लेखा परीक्षा समिति का अनुपालन नहीं हो पाता है।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण, उसकी कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम-से-कम साथ दिन पहले दे दी जाती है। बैठक में सार्थक सहभागिता हो सके इसके लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मर्दों पर और अधिक सूचना तथा स्पष्टीकरण ली जा सके इसकी व्यवस्था विद्यमान है।

निर्णय लिए गए तथा सदस्यों की असहमति नहीं हुई।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार तथा परिचालन के अनुरूप प्रणाली तथा प्रक्रिया बैंक में विद्यमान है।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने उक्त विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुसरण में ऐसा कोई विशेष आयोजन/कार्रवाई नहीं की जिसका कोई भारी प्रभाव बैंक पर पड़े सिवा इसके कि:

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर जुर्माना लगाया है:
 - i) मुद्रा तिजोरी के परिचालन के लिए रु. 34,99,825/- (चौतीस लाख निम्नानवे हजार आठ सौ पच्चीस रुपये) है।
 - ii) मुद्रा तिजोरी के परिचालन के अलावा अन्य के लिए दंड राशि रु. 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) है।
2. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिनांक 28.05.2021 को आयोजित बैंक के बोर्ड ने भारत सरकार के रु. 10/- के रु. 203,76,17,554 का इक्विटी शेयर आवंटित किया है जिसे दिनांक 31.03.2021 को भारत सरकार (भारत सरकार) से प्राप्त रु. 2600 करोड़ के पूंजीगत योगदान के ऐवज में रु. 12.76 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर दिया गया।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने दिनांक 22.03.2022 को 400 बेसल III टियर II बांड्स एवं दिनांक 31.03.2022 को 100 बेसल III टियर II बांड्स जारी किया जिसका अंकित मूल्य 100,00,000 था। बैंक ने दिनांक 31.03.2022 को कॉल विकल्प का उपयोग करते हुए रु. 1000 करोड़ के टियर II बांड्स को भी भुनाया लिया है।

कृते एन के एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)
स्वत्वाधिकारी
एफसीएस सं. 5935
सीपी सं. 3725

दिनांक : 27.05.2022
स्थान : कोलकाता

पीर रीव्यू नं. : 1384/2021
युडीआईएन: F005935D000411120

Nomination and Remuneration Committee was filled on 21.12.2021.

There was inadequate Independent Directors on the Board of the Bank as a reason the composition of the Board and the Audit Committee not in compliance with Regulation 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were duly sent and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions were carried through and there was no dissenting members' views.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the Audit Period, the Bank has not incurred any specific event / action that can have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc. save and except:-

1. During the period under review The Reserve Bank of India has levied penalty on the Bank:
 - i) For Currency Chest Operation Rs. 34,99,825/- (Rupees Thirty Four Lakh ninety-nine Thousand eight hundred twenty five only).
 - ii) For other than Currency Chest Operation is Rs. 1,25,000/- (Rupees One lakh twenty-five thousand only).
2. During the period under review, the Bank on its Board meeting held on 28.05.2021 has allotted 203,76,17,554 equity shares of Rs. 10/- each to Government of India at an issue price of Rs.12.76 per share against capital contribution of Rs.2600 crore received from Govt. of India (GOI) on 31.03.2021.
3. During the period under review, the Bank has raised and allotted 400 BASEL III Complaint Tier II Bonds face value of Rs. 1,00,00,000 on 22.03.2022 and 100 BASEL III Complaint Tier II Bonds face value of Rs. 1,00,00,000 on 31.03.2022. Bank has also redeemed its Tier II Bond of Rs. 1000 Crore through exercise of Call option on 31.03.2022.

For N.K & Associates
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)
Proprietor
FCS No. 5935
C P No. 3725

Date: 27.05.2022
Place: Kolkata

Peer Review No. : 1384/2021
UDIN : F005935D000411120

प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक

विषय: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियमन 34(3) तथा अनुसूची V पैरा सी खंड 10(i) के तहत प्रमाण-पत्र।

हमें दी गई जानकारी और विवरणों तथा सेबी (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) के साथ पठित अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(i) के संबंध में 31 मार्च, 2022 तक यूको बैंक ("बैंक") के निदेशकों से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों और प्रलेखों के सत्यापन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसी किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं हुआ है।

नियुक्ति हेतु पात्रता / बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की निरंतरता सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर इनके ऊपर अवधारणा व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भावी सक्षमता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक का संचालन किया है।

To,
The Members,
UCO Bank

Sub: Certificate under Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause 10(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Based on information and explanations given to us and on verification of the relevant records and documents related to the Directors of UCO Bank ("the Bank") as on 31st March, 2022 with respect to the regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we certify that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते एन के एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)
स्वत्वाधिकारी
एफसीएस सं. 5935
सीपी सं. 3725

दिनांक : 27.05.2022
स्थान : कोलकाता

पीर रीव्यू नं. : 1384/2021
युडीआईएन: F005935D000411307

For N.K & Associates
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)
Proprietor
FCS No. 5935
C P No. 3725

Date: 27.05.2022
Place: Kolkata

Peer Review No. : 1384/2021
UDIN : F005935D000411307

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2022 की स्थिति	31.3.2021 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2022	As on 31.3.2021
		₹	₹
पूंजी /Capital	1	11955 95 82	9918 34 06
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money			2600 00 00
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	11637 53 94	10088 07 29
जमाराशियां / Deposits	3	224072 89 83	205919 39 44
उधार Borrowings	4	13508 14 42	15382 63 23
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6609 47 56	9427 66 90
योग /TOTAL		267784 01 57	253336 10 92

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011
(CA SANTOSH DESHMUKH)
Partner
Membership No. 071011

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609
(CA G D AGARWALA)
Partner
Membership No. 051609

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए अमिय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254
(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)
Partner
Membership No. 005254

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated: 13-05-2022

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी) BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2022 की स्थिति As on 31.3.2022	31.3.2021 की स्थिति As on 31.3.2021
ASSETS	Schedule	₹	₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10287 54 69	9445 41 44
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	15860 44 41	14154 82 95
निवेश/Investments	8	96873 80 26	93782 94 99
अग्रिम/Advances	9	122784 40 56	111354 54 09
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	3334 92 12	3218 23 24
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	18642 89 53	21380 14 21
योग /TOTAL		267784 01 57	253336 10 92
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	142556 91 39	73353 46 52
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	8039 44 63	7109 66 94

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियों 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

सोमा शंकर प्रसाद
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
SOMA SANKARA PRASAD
Managing Director & CEO

श्री इशराक अली खान
कार्यपालक निदेशक
ISHRAQ ALI KHAN
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
निदेशक
DR SANJAY KUMAR
Director

राजेश कुमार
निदेशक
RAJESH KUMAR
Director

अर्जन तालुकदार
निदेशक
ANJAN TALUKDAR
Director

रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
RAVI KUMAR AGRAWAL
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

संदीप कुमार बोस
सहायक महाप्रबंधक
SANDEEP KUMAR BOSE
Asst. General Manager

शशिकांत कुमार
महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated: 13-05-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची	31.3.2022 को समाप्त वर्ष	31.3.2021 को समाप्त वर्ष
	Schedule	Year Ended 31.3.2022	Year Ended 31.3.2021
		₹	₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	14981 33 88	14446 14 98
अन्य आय /Other Income	14	3100 80 69	3424 17 46
योग/TOTAL		18082 14 57	17870 32 44
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	8508 38 95	8966 45 18
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	4776 32 26	4754 80 89
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		3867 67 02	3982 02 97
योग/TOTAL		17152 38 23	17703 29 04
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		929 76 34	167 03 40
लाभ/(हानि) पिछला अग्रानीत / Profit/(Loss) Brought Forward			(-)12537 39 74
योग/TOTAL		929 76 34	(-)12370 36 34

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011
(CA SANTOSH DESHMUKH)
Partner
Membership No. 071011

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609
(CA G D AGARWALA)
Partner
Membership No. 051609

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए अमिय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254
(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)
Partner
Membership No. 005254

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
 (000's omitted)

अनुसूची	31.3.2022	31.3.2021
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2022	31.3.2021
	₹	₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves	232 44 08	41 75 85
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves	41 29 90	244 91 08
निवेश अस्थिरता आरक्षित में अंतरण / Transfer to Investment Fluctuation Reserves	559 30 74	-
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई		
Balance Carried over to Balance Sheet	96 71 62	(-)12657 03 27
योग /TOTAL	929 76 34	(-)12370 36 34
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्युनीकृत ईपीएस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	₹ 0.80	₹ 0.17

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
 The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts
 As per our Report of even date

सोमा शंकर प्रसाद
 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
SOMA SANKARA PRASAD
 Managing Director & CEO

श्री इशराक अली खान
 कार्यपालक निदेशक
ISHRAQ ALI KHAN
 Executive Director

डॉ. संजय कुमार
 निदेशक
DR SANJAY KUMAR
 Director

राजेश कुमार
 निदेशक
RAJESH KUMAR
 Director

अजंन तालुकदार
 निदेशक
ANJAN TALUKDAR
 Director

रवि कुमार अग्रवाल
 निदेशक
RAVI KUMAR AGRAWAL
 Director

के राजीवन नायर
 निदेशक
K RAJIVAN NAIR
 Director

संदीप कुमार बोस
 सहायक महाप्रबंधक
SANDEEP KUMAR BOSE
 Asst. General Manager

शशिकांत कुमार
 महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
 General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
 दिनांक/Dated: 13-05-2022

**31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022**

**अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL**

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022		31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1500.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 (1500,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000	00 00	15000	00 00
		15000		15000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 1195,59,58,176 (991,83,40,622) ईक्विटी शेयर 1195,59,58,176 (991,83,40,622) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1140,49,10,524 (936,72,92,970) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 1140,49,10,524 (936,72,92,970) shares held by Central Govt.]	11955	95 82	9918	34 06
		11955		9918
योग /TOTAL		11955		9918

प्राप्त आवेदन राशि साझा किया जाना (आवंटन लंबित)
Share Application Money Received (Pending Allotment)

2600 00 00

**31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022**

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष

Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022		31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserve:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2297 67 02		2255 91 17	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती Addition / Deduction during the year	<u>232 44 08</u>		<u>41 75 85</u>	
		2530 11 10		2297 67 02
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserve :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain अंतिम लेखे के अनुसार शेष Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/ब) निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	884 41 54		639 50 46	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	<u>41 29 90</u>		<u>244 91 08</u>	
	925 71 44		884 41 54	
		925 71 44		884 41 54
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन : c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2691 44 21		2348 37 23	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	<u>69 19 92</u>		<u>431 87 47</u>	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	<u>2760 64 13</u>		<u>2780 24 70</u>	
	28 44 83		88 80 49	
		2732 19 30		2691 44 21
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	15720 36 07		15720 36 07	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	<u>562 38 23</u>			
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	<u>12657 03 27</u>			
		3625 71 03		15720 36 07
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	601 82 72		292 12 98	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	<u>28 27 03</u>		<u>389 38 74</u>	
	630 09 75		681 51 72	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	<u>84 38 00</u>		<u>79 69 00</u>	
		545 71 75		601 82 72

**31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022**

**अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022		31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021	
	₹	₹	₹	₹
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	543 05 21		566 06 39	
जोड़ें : विनिमय उचत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	72 67 97			
	615 73 18		566 06 39	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year			23 01 18	
		615 73 18		543 05 21
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit and Loss Account				
		5 16 79		5 16 79
d) Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	559 30 74			
		559 30 74		
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	(-)12657 03 27		(-)12537 39 74	
शेयर प्रीमियम से अंतरण/ Transfer from Share Premium	12657 03 27			
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	96 71 61		(-)119 63 53	
		96 71 61		(-)12657 03 27
TOTAL(I to V)		11637 53 94		10088 07 29

**31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022
अनुसूची 3 — जमाराशियां/Schedule 3 — DEPOSITS**

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
अ/आ. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	230 84 61	125 66 74
ii) अन्य से/From Others	10938 29 46	9695 34 60
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	77161 76 43	70808 70 37
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	4424 24 84	1909 06 42
ii) अन्य से/From Others	131317 74 50	123380 61 31
योग/TOTAL(I, II & III)	224072 89 84	205919 39 44
आ/ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	217719 68 73	201528 00 40
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	6353 21 11	4391 39 04
योग/TOTAL (i & ii)	224072 89 84	205919 39 44

**अनुसूची 4 — उधार
Schedule 4 — BORROWINGS**

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India		
ii) अन्य बैंक/Other Banks	6912 40 00	6375 31 75
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	5903 25 70	8538 66 99
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	692 48 72	468 64 49
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	13508 14 42	15382 63 23
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	10315 53 30	11913 86 19
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	939 71 00	1791 59 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	2 61	1 15 62
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance		32 77 00
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance	370 92 00	344 70 00
गौण ऋण/Subordinated Debt	1000 00 00	1000 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		
बासेल III कंप्लायंट टियर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1500 00 00	2000 00 00
सीबीएलओ/CBLO	2092 60 09	3368 45 37

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	607 71 60	508 25 75
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	379 17 87	378 54 97
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	627 96 31	606 33 78
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)*	4994 61 78	7934 52 40
योग /TOTAL	6609 47 56	9427 66 90
इसमें शामिल हैं / Includes मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	818 05 87	478 14 21

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	916 70 94	809 62 69
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	9280 44 69	8614 93 11
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	90 39 06	20 85 64
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	10287 54 69	9445 41 44

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	10 75 36	6 40 21
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	6691 82 19	6914 09 93
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks	5300 00 00	1500 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions	128 20 88	
योग / TOTAL	12130 78 43	8420 50 14
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	184 74 87	900 78 79
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	3217 40 66	4124 51 56
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	327 50 45	709 02 46
योग /TOTAL	3729 65 98	5734 32 81
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	15860 44 41	14154 82 95

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 8 — निवेश

Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	68979 71 13	64157 34 54
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	-	-
iii) शेयर/Shares	413 11 52	339 05 59
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	24457 89 67	26049 11 67
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स Investment in Associates	198 55 69	108 15 69
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	598 72 55	936 38 59
योग/TOTAL	94648 00 56	91590 06 08
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	2225 79 70	2192 88 91
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
योग/TOTAL	2225 79 70	2192 88 91
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)**	96873 80 26	93782 94 99

** निवेशों पर मूल्यहास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** Net of provision for Depreciation on Investments & provision for Non-Performing Investments

निवेश INVESTMENTS	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022			31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	96817 76 20	2169 75 64	94648 00 56	93501 10 63	1911 04 55	91590 06 08
II. भारत के बाहर Outside India	2227 60 41	1 80 71	2225 79 70	2334 17 17	141 28 26	2192 88 91
योग/TOTAL	99045 36 61	2171 56 35	96873 80 26	95835 27 80	2052 32 81	93782 94 99

निवेश पर मूल्यहास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान

Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	4209 82 71	4086 27 37
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	55713 41 21	54104 65 03
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	62861 16 64	53163 61 69
योग/TOTAL	122784 40 56	111354 54 09
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	97728 30 59	91941 61 96
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	1629 66 54	1267 36 87
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	23426 43 43	18145 55 26
योग/TOTAL	122784 40 56	111354 54 09
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	52363 02 46	50052 02 13
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	20046 47 96	14854 08 25
(iii) बैंक/Banks	2052 29 04	1527 07 74
(iv) अन्य/Others	34803 86 87	34203 16 47
योग/TOTAL	109265 66 33	100636 34 59
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(a) Bills Purchased and Discounted	2034 78 76	1583 15 89
(ख) सामूहिक उधार		
(b) Syndicated loans	11370 43 26	8772 55 92
(ग) अन्य		
(c) Others	113 52 21	362 47 69
योग/TOTAL	13518 74 23	10718 19 50
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	122784 40 56	111354 54 09

**31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022**

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. परिसर/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	309 17 35	304 79 69
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	4 17 54	2 97 82
	<u>313 34 89</u>	<u>307 77 51</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	9 55 90	1 44 07
	<u>322 90 79</u>	<u>309 21 58</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	1 15	4 23
	<u>322 89 64</u>	<u>309 17 35</u>
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	3022 06 84	2952 86 91
	<u>3344 96 48</u>	<u>3262 04 26</u>
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	<u>3344 96 48</u>	<u>3262 04 26</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	393 68 56	357 45 39
योग/ TOTAL	<u>2951 27 92</u>	<u>2904 58 87</u>
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1950 31 18	1866 40 70
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	2 22 72	1 05 66
	<u>1952 53 90</u>	<u>1867 46 36</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	225 65 80	85 36 98
	<u>2178 19 70</u>	<u>1952 83 34</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	6 24 43	2 52 16
	<u>2171 95 27</u>	<u>1950 31 18</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	1836 13 99	1703 69 57
योग/ TOTAL	<u>335 81 28</u>	<u>246 61 61</u>
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	47 82 92	67 02 76
योग/TOTAL	<u>47 82 92</u>	<u>67 02 76</u>
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	3334 92 12	3218 23 24

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1605 23 04	1524 75 80
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	50 49 31	47 00 02
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	5 84 09	4 85 52
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	9220 18 00	10037 89 00
VII. अन्य/Others	7761 15 09	9765 63 87
योग/TOTAL	18642 89 53	21380 14 21

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	202 84 56	196 13 45
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	3 11 50	3 11 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	128136 14 88	61483 20 30
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	4266 60 16	1111 45 39
ख) भारत के बाहर B) Outside India	57 10 32	64 60 11
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4091 04 64	3243 73 12
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	5800 05 33	7251 22 65
योग/ TOTAL	142556 91 39	73353 46 52
# इसमें आईआरएस शामिल हैं/Includes IRS	3340 78 65	4770 78 65

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
I. ब्याज/अग्रिमों पर बढ़ा/बिल/Interest/Discount on Advances/Bills	8321 69 65	7764 68 74
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	6020 42 89	6064 64 57
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	405 76 09	252 23 00
IV. अन्य/Others	233 45 25	364 58 67
योग/TOTAL	14981 33 88	14446 14 98

अनुसूची 14 — अन्य आय Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	189 71 84	152 90 65
II. निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on Revaluation of Investments घटाएं : निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on Revaluation of Investments	140 78 46 454 46 75	3 54 47 299 63 52
III. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	564 75 91 5 45 17	1833 36 89 37 30 88
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	75 38 23 65	51 46 21 47 32
V. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	316 43 73 74 51	213 01 94 1 56 67
VI. भारत/विदेश में स्थापित अनुबंधित/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	9 43 24	9 28 57
VII. विविध आय/ Miscellaneous Income #	2339 82 21	1571 51 87
योग/TOTAL	3100 80 69	3424 17 46
# इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल है / # Includes Recovery in Written Off Accounts	1546 21 80	986 39 86

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
I. जमा राशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	8098 23 16	8468 33 19
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	11 59 51	112 36 17
III. अन्य/Others	398 56 28	385 75 82
योग/TOTAL	8508 38 95	8966 45 18

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	3314 31 05	3442 65 10
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	267 52 62	256 77 43
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	21 39 74	24 10 92
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	6 31 52	4 11 24
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/ Depreciation on Bank's Property	164 95 52	134 41 61
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 28 62	42 52
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	37 75 30	46 74 22
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	3 18 30	4 75 28
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	14 63 07	17 02 55
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	14 41 05	9 80 00
XI. बीमा/Insurance	238 97 66	236 18 83
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	691 57 81	577 81 19
योग/TOTAL	4776 32 26	4754 80 89

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)
(Annexed to and Forming Part of Standalone Financial Statement for the year ended 31st March, 2022)

1. सामान्य / GENERAL

1.1 लेखांकन का आधार / BASIS OF ACCOUNTING

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं। विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. अग्रिम / ADVANCES:

2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

- 2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बट्टे खाते डाले जाते हैं।
In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.
- 2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।
Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.
- 2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।
For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.
- 2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।
Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.
- 2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आरिक्त की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।
Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.
- 3. निवेश / INVESTMENTS**
- 3.1 बैंक, निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।
Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.
- 3.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.
- 3.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।
Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.
- (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।
Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.
- (iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।
Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.
- 3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।
Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.
- 3.4 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 3.5 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनी ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹ 1 per company.

- 3.6 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशों पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश पर लागू होते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

- 3.7 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय-व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

- 3.8 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

4. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

- 4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

- 4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
दीर्घावधि अथवा बेमियादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमियादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिंग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साइकिल / Cycle	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) * Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यहास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यहास की सममूल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाती है।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मर्दे जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मर्दे जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यहास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यहास किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मर्दों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मर्दों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मर्दों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

- vii) जो विदेशी विनिमय स्वेप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वेप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वेप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

5.2 विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

अदला-बदली / Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

6. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

अ/आ) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

- क/अ) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

- ख/ब) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ/ब) निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अर्धवर्षीय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह

लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/क) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/क. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है। Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

7. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

7.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

7.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

8. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / NON-BANKING ASSETS

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है / Non-Banking Assets are stated at cost.

10. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

10.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।

Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।

In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।

Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के आधार पर होता है। लाभांश का दिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के सुस्थापित होने पर किया जाता है।

Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

10.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है। Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

10.6 आयकर रिफंड पर ब्याज की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।

Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

10.8 बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।

Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

11. पट्टा / LEASE

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमियम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

12. आय पर कर / TAXES ON INCOME

12.1 चालू कर / Current Tax

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

12.2 आस्थगित कर / Deferred Tax

क/अ) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय में होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/ब) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।

Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/क) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/द) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढ़ाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनीय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

13.1 बैंक एस 20 —'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है। The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं व्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता है:

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/अ) बचाव-व्यवस्था पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/ब) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है। Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/क) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यंकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(घ/द) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्ति/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(ङ/े) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

(e) Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

16. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18

अनुबंध III / Annexure III

लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

(31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)

(Annexed to and Forming Part of Standalone Financial Statement for the year ended 31st March, 2022)

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital:

ए/अ) नियामक पूंजी की संरचना/Composition of Regulatory Capital

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	चालू वर्ष/ Current Year	पिछला वर्ष/ Previous Year
	बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/ चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां (कटौती का शुद्ध, यदि कोई हो) Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves (net of deductions, if any)	11469.81	11411.10
(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / अन्य टियर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital/ Other Tier 1 capital	0	0
(iii) टियर 1 पूंजी/Tier 1 capital (i + ii)	11469.81	11411.10
(iv) टियर 2 पूंजी/Tier 2 Capital	2894.92	2659.36
(v) कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)/ Total capital (Tier 1+Tier 2)	14364.73	14070.46
(vi) कुल जोखिम अनिर्धारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	104519.05	102411.67
(vii) सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	10.97	11.14
(viii) टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	10.97	11.14
(ix) टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.77	2.60
(x) पूंजी-जोखिम अनिर्धारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	13.74	13.74
(xi) उत्तोलन अनुपात/Leverage Ratio		
(xii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of Government of India	95.39	94.44
(xiii) वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	-
(xiv) वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year; out of which अ) बासेल III अनुपालन स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)/ a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) ख) बासेल III अनुपालन स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) b) Basel III compliant Perpetual Debt Instrument (PDI):	-	-
(xv) वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of Tier 2 capital raised during the year; of which अ) स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर a) Basel III compliant Tier II Bonds	500	-

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ सं. 7/23/2019- बीओए-1 दिनांक 17.03.2021 द्वारा इक्विटी शेयरों के अधिमानतः आवंटन के माध्यम से ₹. 2600 करोड़ की पूंजी डाली और यह पूंजी योगदान बैंक को दिनांक 31.03.2021 को प्राप्त हुआ था। आरबीआई के पत्र सं. डीओआर.सीएपी.21.01.002/2021-22 दिनांक 19.05.2021 द्वारा अनुमोदन पश्चात इसे बैंक के कॉमन इक्विटी कैपिटल (सीईटी-1) में शामिल किया गया। आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने तक इस राशि को शेयर आवेदन मुद्रा के तहत रखा गया है। बैंक को 2600 करोड़ के पूंजी 31.03.2021 को प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष में भारत सरकार को अधिमानतः आधार पर 10/- रुपये के अंकित मूल्य के 203,76,17,554 इक्विटी शेयर 12.76 रुपये (₹. 2.76 के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य में 28.05.2021 को जारी एवं आवंटन किए।

The Government of India vide its letter no. F. No. 7/23/2019 - BOA-I dated 17.03.2021 infused capital of Rs. 2,600 crore by way of preferential allotment of equity shares and the capital contribution was received by the Bank on 31.03.2021. The same has been included in Bank's Common Equity Capital (CET-1) after RBI approval vide letter no DOR.CAP.21.01.002/2021-22 dated 19.05.21. The amount has been kept under share application money pending receipt of necessary regulatory approvals. Bank issued and allotted 203,76,17,554 equity shares of face value of Rs.10/- each fully paid at an issue price of Rs.12.76 (including premium of Rs.2.76) per share on 28.05.2021 to Government of India against capital infusion of Rs.2600 Crore received on 31.03.2021 by way of preferential allotment of Equity Shares.

बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान दो चरणों में बेसल III टियर II बॉन्ड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान कॉल ऑप्शन का प्रयोग करके अपने 1000 करोड़ रुपये के टियर II बांड का भी भुगतान किया है।

Bank has raised Rs.500 crore through Private placement of BASEL III Tier II Bonds in two tranches during the year 2021-22. Bank has also redeemed its Tier II Bond of Rs.1000 crore by exercising call option during the year 2021-22.

b) Draw Down from Reserves - Nil

बी) रिज़र्व से ड्रा डाउन - शून्य

2. आस्ति देयता प्रबंध/Asset Liability Management

ए) दिनांक 31.03.2022 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूपः/

a) Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2022:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30 दिन तक	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	1 Day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31days to 2 months	Over 2 months and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 year	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	3,150 (2128)	4,053 (3689)	3,284 (3011)	7,567 (7279)	9,019 (8253)	11,396 (9021)	23,640 (24219)	41,164 (36279)	32,054 (30309)	18,837 (17021)	69,908 (64711)	2,24,073 (205919)
अग्रिम / Advances	428 (455)	1,595 (1654)	1,393 (1414)	2,492 (1916)	2,726 (2834)	3,883 (3453)	7,354 (6457)	16,597 (15243)	15,745 (15787)	14,564 (14731)	63,000 (54459)	1,29,777 (118405)
निवेश / Investments	- (-)	100 (-)	- (417)	707 (431)	218 (471)	1,024 (234)	1,657 (234)	3,082 (986)	5,165 (2639)	13,763 (8055)	73,327 (82368)	99,045 (95835)
उधार/Borrowings	293 (359)	2,851 (3734)	1,056 (1095)	1,834 (1769)	602 (1168)	2,821 (1861)	744 (726)	1,335 (1522)	473 (2150)	- (-)	1,500 (1000)	13,508 (15383)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	1,755 (1209)	4,167 (3103)	1,479 (1564)	16,782 (6884)	16,379 (2585)	5,448 (4835)	11,379 (8355)	26,439 (15565)	3,576 (6045)	2,042 (2362)	2,286 (2663)	91,732 (55169)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	1,804 (675)	4,670 (3573)	1,428 (1586)	16,980 (7129)	15,488 (2617)	6,486 (5070)	11,170 (8637)	25,636 (15774)	4,744 (6413)	1,767 (1648)	1,824 (2212)	91,999 (55336)

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) /b) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

प्रमाणात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:

चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2021		30.09.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2021		31.12.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2021		31.03.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2022	
	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/ High Quality Liquid Assets								
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तिया (HQLA) Total High quality Liquid Assets(HQLA)		69,474.37		72,348.63		72,775.1		74,187.38
नकदी निकासी/Cash Outflows								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से Retail Deposit and deposits from small business customers, of which	1,40,247.81	13,909.15	1,46,867.15	14,573.74	1,50,127.82	14,897.59	1,51,323.20	15,018.29
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	2,312.67	115.63	2,259.54	112.98	2,303.92	115.20	2,280.66	114.03
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposit	1,37,935.14	13,793.51	1,44,607.61	14,460.76	1,47,823.90	14,782.39	1,49,042.54	14,904.25
3 असुरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से Unsecured Wholesale Funding, of which	39,839.58	17,722.94	45,684.91	17,723.56	43,371.10	16,119.27	44,944.70	16,752.77
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposits (All Counter Parties)	1.95	0.49	0.94	0.23	1.72	0.43	58.72	14.68
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposits (All Counter Parties)	39,837.62	17,722.45	45,683.97	17,723.33	43,369.38	16,118.84	44,885.98	16,738.09
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt	-	-	-	-	-	-	-	-
4 प्रतिभूत थोक निधियन / Secured Wholesale Funding								
5 अतिरिक्त जरूरतें, जिनमें/ Additional Requirements, of Which	9,650.82	1,378.45	10,939.31	2,532.50	9,681.23	2,437.57	9,161.76	1,606.75
(i) व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	703.46	703.46	1,805.52	1,805.52	1,832.36	1,832.36	995.85	995.85

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2021		30.09.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2021		31.12.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2021		31.03.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2022	
	कुल अमाशित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अमाशित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अमाशित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अमाशित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अमाशित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अमाशित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अमाशित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अमाशित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	8,947.36	674.99	9,133.79	726.98	7,848.87	605.20	8,165.90	610.90
6 अन्य संविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	2,222.57	2,222.57	2,234.46	2,234.46	2,050.87	2,050.87	2,254.25	2,254.25
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	9,005.79	286.47	8,850.09	276.74	9,252.20	295.45	9,390.48	299.09
8 कुल नकदी निकासी/ Total Cash Outflows		35,519.58		37,341.00		35,800.75		35,931.15
नकदी आगमन/ Cash Inflows								
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repos)	430.40	-	-	-	1,392.14	-	4,301.43	-
10 पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	3,914.29	2,866.09	4,096.34	2,839.44	3,329.37	2,272.32	3,511.45	2,302.66
11 अन्य नकदी आगमन/ Other Cash inflows	708.76	398.52	637.82	340.80	685.94	366.44	672.64	357.86
12 कुल नकदी आगमन/Total Cash inflows	4,781.97	3,264.61	4,734.15	3,180.24	4,644.63	2,638.76	8,485.52	2,660.51
13 कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA		69,474.37		72,348.63		72,775.14		74,187.38
14 कुल निवल नकदी निकासी/ Total Net Cash Outflow		32,254.97		34,160.77		33,161.99		33,270.64
15 चलनिधि कवरेज अनुपात/ Liquidity Coverage Ratio (%)		215.39%		211.79%		219.45%		223.74%

* चालू वर्ष का औसत एलसीआर यानी 217.45%/Average of Daily LCR of Current Year i.e. 217.45%

** पिछले वर्ष का औसत एलसीआर यानी 229.90%/Average of Daily LCR of Previous Year i.e. 229.90%

एलसीआर डाटा की गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम

चल निधि कवरेज, बैंक को संभावी चल निधि के अव्यवस्थित होने पर यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक में उच्च स्तरीय चल निधि परिसंपत्तियां हैं जिन्हें 30 दिनों की अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थितियों से उबरने हेतु चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, लघु अवधि हेतु संवर्धित करता है। एलसीआर का परिकलन अगले 30 कैलेंडर दिनों में कठिन आर्थिक परिस्थितियों में निवल नकद बहिर्गमन के अनुपात में उच्च स्तरीय चल निधि संपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

पर्याप्त एलसीआर के निर्धारक तत्व

बैंक द्वारा लगातार एकल एवं समेकित आधार पर एलसीआर को नियामक की अपेक्षाओं से भी अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है जिसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं:

तत्व / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का सुविधाजनक स्तर Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक द्वारा बाध्यकारी एसएलआर जरूरतों से अधिक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का सुविधाजनक स्तर बनाए रखा जा रहा है, जिसे संकटग्रस्त परिस्थितियों में जल्द तरलता उपलब्ध करने के लिए आसानी से बेचा या रेपो उधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The Bank is maintaining comfortable level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for repo borrowings to avail quick liquidity in stressed conditions.
न्यून रन ऑफ वाली निकसियों पर ध्यान देना Focus on Outflows having lower run-off	बैंक 5%/10% के न्यून रन ऑफ घटक युक्त रिटेल जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा एवं बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमाओं पर निर्भरता कम कर रहा है जिनका 40%/100% तक उच्च रन ऑफ घटक रहता है। The bank is focusing on accretion of retail deposits as they have lower run off factor of 5%/10% and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC having higher run off factor of 40%/100%

Qualitative Assessment of LCR data and Result:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet their liquidity needs under a significantly severe stress scenario lasting for 30 days. The LCR is calculated as the ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash Outflows under stressed conditions over the next 30 calendar days.

Drivers of a Comfortable LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the regulatory requirement on an ongoing basis on solo as well as consolidated basis the main drivers of which are as under:

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

● स्तर 1 की परिसंपत्तियां

- उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
- बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
- एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
- एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 15% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।

● स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)

● स्तर 2ए परिसंपत्तियों के अंतर्गत

- सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
- कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

● Level 1 Assets

- Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
- Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
- Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 15% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.

● Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)

● Under Level 2A assets

- Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
- Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

- स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत

1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण : विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधियन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यतः शामिल हैं

- चालू जमा एवं बचत जमा, और
- मीयादी जमा (सामान्य एवं थोक)

बैंक निम्न स्थिरता वाली निधियों के संकेन्द्रण पर निगरानी रखने/कम करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी रख रहा है। बैंक ने थोक जमा को कम किया है तथा चालू एवं बचत जमा की अभिवृद्धि पर ध्यान दिया है। बैंक नियमित अंतराल पर 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण पर भी नज़र रखता है।

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर तरलता का प्रबंधन केंद्रीयकृत रूप से किया जाता है।

- Under Level 2B assets

1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Current Deposit and Saving Deposit and
- Term Deposit (normal and Bulk)

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor / reduce the concentration of funds having lower stability. The bank has reduced the bulk deposits and focused on accretion of current and Savings deposits. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

1) निवल स्थिर निधीय अनुपात (एनएसएफआर):

(₹ करोड़ में)	एनएसएफआर प्रकटीकरण टेबल:																				
	सिमाही 1					सिमाही 2					सिमाही 3					सिमाही 4					
	अवशिष्ट परिसक्ता द्वारा अनिवारित मूल्य					अवशिष्ट परिसक्ता द्वारा अनिवारित मूल्य					अवशिष्ट परिसक्ता द्वारा अनिवारित मूल्य					अवशिष्ट परिसक्ता द्वारा अनिवारित मूल्य					
	कई परिसक्ता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निधारित मूल्य	कई परिसक्ता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निधारित मूल्य	कई परिसक्ता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निधारित मूल्य	कई परिसक्ता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निधारित मूल्य	
एएसएफ मद																					
1 कुल: (2+3)	-	-	-	53,941	54,021	-	-	-	57,232	57,311	-	-	-	56,086	56,165	-	-	-	59,020	59,100	
2 विनिर्माण कृती	-	-	-	13,595	13,674	-	-	-	13,425	13,504	-	-	-	12,861	12,940	-	-	-	14,365	14,445	
3 अन्य कृती साधन	-	-	-	40,346	40,346	-	-	-	43,807	43,807	-	-	-	43,225	43,225	-	-	-	44,655	44,655	
4 खुरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों के जमा: (5 अ 6)	74,565	-	70,841	-	1,33,671	76,377	-	71,387	-	1,35,371	76,971	-	72,024	-	1,36,878	79,172	-	71,295	-	1,38,175	
5 स्थिर जमा	33,792	-	22,325	-	53,311	33,866	-	22,077	-	52,491	33,980	-	21,676	-	52,874	34,043	-	21,046	-	52,335	
6 अन्य स्थिर जमा	40,773	-	48,516	-	80,360	42,512	-	49,310	-	82,880	42,991	-	50,348	-	84,005	45,129	-	50,249	-	85,840	
7 शोक वित्त पोषण: (8+9)	5,204	322	28,113	-	16,298	3,947	308	24,897	-	14,636	4,158	528	29,192	-	17,001	4,405	528	28,853	-	17,846	
8 प्रचालनात्मक जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	35	52	-	-	-	26	
9 अन्य शोक वित्त पोषण	5,204	322	28,113	-	16,298	3,947	308	24,897	-	14,636	4,089	528	29,192	-	16,966	4,294	528	28,853	-	17,791	
10 अन्य देस्ताए: (11 + 12)	7,110	-	-	-	-	6,442	-	-	-	-	6,473	-	-	-	-	7,241	-	-	-	-	
11 एएसएफआर व्युत्पन्न देस्ताए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 अन्य सभी देस्ताए और बहिष्कृत जो कि उपर्युक्त श्रेणियों में गिना नहीं की गई हैं	1,824	-	-	-	-	973	-	-	-	-	1,231	-	-	-	-	2,844	-	-	-	-	
13 कुल एएसएफ (1+4+7+10)					2,03,990					2,07,318					2,10,043					2,15,121	
	आरएसएफ मद																				
14 कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					4,774					4,958					4,934					4,956	
15 परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाएं	72	-	-	-	36	49	-	-	-	24	55	-	-	-	27	50	-	-	-	25	
16 अर्पक ऋण और प्रतिभूतियां: (17 + 18 + 19 + 21 + 23)	-	10,368	43,643	53,257	66,110	-	3,899	29,885	55,094	59,788	-	3,283	33,918	65,877	68,703	-	43,08	31,621	57,971	62,965	
17 स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्पक ऋण और वित्तीय संस्थानों के असुरक्षित अर्पक ऋण।																					
18 स्तर-1 एचक्यूएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्पक ऋण और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित अर्पक ऋण					1,555		3,899			585		3,283			492		43,08			646	

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेबलेंट:																	
(₹ करोड़ में)	तिमाही 1				तिमाही 2				तिमाही 3				तिमाही 4				
	अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिवारित मूल्य		निर्धारित मूल्य		अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिवारित मूल्य		निर्धारित मूल्य		अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिवारित मूल्य		निर्धारित मूल्य		अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिवारित मूल्य		निर्धारित मूल्य		
	कई परियोजना नहीं*	<6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परियोजना नहीं*	<6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परियोजना नहीं*	<6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परियोजना नहीं*	<6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
एएसएफ मद																	
19	नैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों के अर्जक ऋण, और संपत्ति, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के अर्जक ऋण, जिनमें से:	-	43,643	1,987	23,298	-	29,885	2,098	16,547	-	33,918	12,125	24,935	-	31,621	2846	17889
20	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	1,456	947	-	-	1,409	916	-	-	11,854	7,705	-	-	2195	1427
21	अर्जक आवासीय ऋण, जिनमें से:	-	-	51,271	41,256	-	-	52,997	42,606	-	-	53,753	43,276	-	-	55125	44430
22	केडिट जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	11,621	7,553	-	-	12,205	7,934	-	-	12,070	7,845	-	-	12131	7885
23	प्रतिभूतियाँ जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-डेडेड इन्विट्टी सहित एक्सचेंज के रूप में योग्य नहीं हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	अन्य संघर्षिता: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	2,063	-	47,785	49,803	570	-	49,481	50,007	600	-	47,894	48,444	679	-	45498	46122
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	यूएनएफआर अनुबंधों और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में अभिदायों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रतिष्ठ की गई अस्तित्वाँ	301	-	-	256	295	-	-	250	336	-	-	285	359	-	-	305
27	एनएसएफआर यूएनएन अस्तित्वाँ	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
28	प्रतिष्ठ किए गए घट-बढ़ मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर यूएनएन देखाएँ	1,763	-	-	1,763	275	-	-	275	264	-	-	264	319	-	-	319
29	अन्य सभी संघर्षिता जो उन्मुक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	-	-	47,785	47,785	-	-	49,481	49,481	-	-	47,894	47,894	-	-	45498	45498
30	उत्पन्न घत्र में शामिल नहीं होने वाली मदें	9,614	-	-	481	8,210	-	-	410	8,165	-	-	408	8,917	-	-	446
31	कुल आरएसएफ	66,155	13,268	43,643	1,01,042	1,21,203	64,354	8,599	29,885	1,04,576	33,918	1,13,771	1,22,517	64,545	9608	103,469	114,514
32	निचल स्थिर निधियन अनुपात (%)				168.30%				180.06%				171.44%				87.86%

c) Net Stable Funding Ratio(NSFR):

NSFR Disclosure Template:		QUARTER 1				QUARTER 2				QUARTER 3				QUARTER 4				
		Unweighted value by residual maturity		Weighted value	Unweighted value by residual maturity		Weighted value	Unweighted value by residual maturity		Weighted value	Unweighted value by residual maturity		Weighted value	Unweighted value by residual maturity		Weighted value		
(₹ in Crore)	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value		
ASF Item																		
1	Capital: (2+3)	-	-	53,941	54,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59020	59100	
2	Regulatory capital	-	-	13,595	13,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14365	14445	
3	Other capital instruments	-	-	40,346	40,346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44655	44655	
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	74,565	70,841	-	1,33,671	76,377	71,387	76,971	72,024	-	-	79,172	71,295	-	-	-	138175	
5	Stable deposits	33,792	22,325	-	53,311	33,866	22,077	33,980	21,676	-	-	34,043	21,046	-	-	-	52335	
6	Less stable deposits	40,773	48,516	-	80,360	42,512	49,310	42,991	50,348	-	-	45,129	50,249	-	-	-	85840	
7	Wholesale funding: (8+9)	5,204	28,113	-	16,298	3,947	308	24,897	29,192	528	528	4,158	28,853	-	-	-	17846	
8	Operational deposits	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	52	-	-	-	-	26	
9	Other wholesale funding	5,204	28,113	-	16,298	3,947	308	24,897	29,192	528	528	4,089	28,853	-	-	-	17,791	
10	Other liabilities: (11+12)	7,110	-	-	-	6,442	-	6,473	-	-	-	7,241	-	-	-	-	-	
11	NSFR derivative liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	1,824	-	-	-	973	-	1,231	-	-	-	2,844	-	-	-	-	-	
13	Total ASF (1+4+7+10)	-	-	-	2,03,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10,043	215121	
RSF Item																		
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	-	-	-	4,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,934	4956	
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	72	-	-	36	49	-	55	-	-	-	50	-	-	-	27	25	
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	-	10,368	43,643	53,257	-	3,899	29,885	55,094	59,738	3,283	33,918	65,877	68,703	4308	31621	57971	62965
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA and unsecured performing loan to financial institutions.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	10,368	-	1,555	-	3,899	-	-	585	3,283	-	-	4308	-	-	646	

NSFR Disclosure Template:																								
₹ in Crore	QUARTER 1				QUARTER 2				QUARTER 3				QUARTER 4											
	Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity											
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value				
ASF Item																								
19 Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	-	43,643	1,987	23,298	-	-	29,885	2,098	16,547	-	-	33,918	12,125	24,935	-	-	31,621	2846	17889				
20 With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	1,456	947	-	-	-	1,409	916	-	-	-	11,854	7,705	-	-	-	2195	1427				
21 Performing residential mortgages, of which:	-	-	-	51,271	41,256	-	-	-	52,997	42,606	-	-	-	53,753	43,276	-	-	-	55125	44430				
22 With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	11,621	7,553	-	-	-	12,205	7,934	-	-	-	12,070	7,845	-	-	-	12131	7885				
23 Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24 Other assets: (sum of rows 25 to 29)	2,063	-	-	47,785	49,803	570	-	-	49,481	50,007	600	-	-	47,894	48,444	679	-	-	45498	46122				
25 Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
26 Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	301	-	-	-	256	295	-	-	-	250	336	-	-	-	285	359	-	-	-	305				
27 NSFR derivative assets	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-				
28 NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	1,763	-	-	-	1,763	275	-	-	-	275	264	-	-	-	264	319	-	-	-	319				
29 All other assets not included in the above categories	-	-	-	47,785	47,785	-	-	-	49,481	49,481	-	-	-	47,894	47,894	-	-	-	45498	45498				
30 Off-balance sheet items	9,614	-	-	-	481	8,210	-	-	-	410	8,165	-	-	-	408	8,917	-	-	-	446				
31 Total RSF	66,155	13,268	43,643	1,01,042	1,21,203	64,354	8,599	29,885	1,04,576	1,15,137	65,043	7,865	33,918	1,13,771	1,22,517	64,545	9,608	31,621	103,469	114,514				
32 Net Stable Funding Ratio (%)					168.30%					180.06%					171.44%					187.86%				

गुणात्मक चर्चा :
पृष्ठभूमि :

चलनिधि पर बासेल III नियम पाठ - "बासेल III: चलनिधि जोखिम माप, मानकों और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा" दिसंबर 2010 में जारी की गई थी जिसमें चलनिधि पर वैश्विक नियामक मानकों का विवरण प्रस्तुत किया गया था।

दो अलग-अलग लेकिन पूरक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बासेल समिति द्वारा चलनिधि के वित्तपोषण के लिए दो न्यूनतम मानक; अर्थात् चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) निर्धारित किए गए थे।

एलसीआर बैंकों के संभावित चलनिधि अवरोधों के लिए अल्पकालिक आघात-सहनीयता को बढ़ावा देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियां (एचक्यूएलए) हैं। एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्तपोषित करने की आवश्यकता हेतु दीर्घ अवधि के क्षितिज पर आघात-सहनीयता को बढ़ावा देता है।

एनएसएफआर का उद्देश्य:

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है।

एनएसएफआर की परिभाषा:

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

"उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ) को पूँजी और देयताएं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है और एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक बढ़ा है।

उदाहरण :

- कुल विनियामक पूँजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली टियर 2 लिखतों को छोड़कर)।
- एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूँजीगत लिखत और देयताएं।
- रिटेल एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (इसे बड़े कॉर्पोरेट/ संस्थान से जमाराशि की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है) द्वारा प्रदान की गई स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमाराशि तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा
- सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तपोषण।

किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर वित्तपोषण ("आवश्यक स्थिर वित्तपोषण") (आरएसएफ) उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र से इतर जोखिमों का एक कार्य है।

उदाहरण :

- भार रहित स्तर 1 की परिसंपत्तियां, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर

Qualitative discussion:

Background:

The **Basel III rules text on liquidity** - "Basel III: International framework for Liquidity Risk measurement, standards and monitoring" was issued in December 2010 which presented the details of global regulatory standards on liquidity.

Two minimum standards, viz., Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity were prescribed by the Basel Committee for achieving two separate but complementary objectives.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. **The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis.**

Objective of NSFR:

The objective of NSFR is to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of bank's liquidity position due to disruptions in bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress.

Definition of NSFR:

The NSFR is defined as the amount of **available stable funding relative to the amount of required stable funding.**

"**Available Stable Funding**" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

Example:

- Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year).
- Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more.
- Stable & less stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by **retail and small business customers (it is considered more stable than deposits from large corporates/institution)**
- Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks.

Stable funding required ("Required Stable Funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

Example:

- Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities

- ख) भार रहित स्तर 2ए एवं स्तर 2बी परिसंपत्तियां
- ग) अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों को और सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं।
- घ) एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्धारित किया गया।
- ङ) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भार रहित निष्पादन ऋण तथा एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थानों के ऋण को छोड़कर।

गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर-विनिमय-व्यापारिक इक्विटी, अचल परिसंपत्तियां, नियामक पूंजी से कटौती की गई मर्दे, प्रतिधारित ब्याज, बीमा परिसंपत्तियां, सहायक हितों एवं चूक प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल अन्य सभी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

एनएसएफआर की गणना :

एनएसएफआर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधायन}}{\text{आवश्यक स्थिर निधायन}} > 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात चालू आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। एनएसएफआर बैंकों पर दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी है और आरबीआई की पोर्टल पर तिमाही फाइलिंग अनिवार्य है।

तदनुसार, हमें दिनांक 31.12.2021 के लिए आरबीआई की पोर्टल पर एनएसएफआर को अपलोड कर दिया है।

यूको बैंक की स्थिति:

- हमारे उच्च एनएसएफआर अनुपात यह दर्शाता है कि यूको बैंक के पास हमारी दीर्घावधि परिसंपत्तियों (एक वर्ष से अधिक के लिए) की अवधि को कवर करने के लिए पर्याप्त स्थिर निधायन है।
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक अत्यधिक परिपक्वता परिवर्तन नहीं कर रहा है, जो कि दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक धन का उपयोग करने की प्रथा है।

- b) Unencumbered Level 2A & Level 2B assets
- c) All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs
- d) Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardized Approach
- e) Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions

All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities

Computation of NSFR:

The NSFR is computed as follows:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding}}{\text{Required Stable Funding}} \geq 100\%$$

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The NSFR is binding on Banks w.e.f 01.10.2021 and quarterly filing in RBI portal is mandatory.

Accordingly, we have uploaded NSFR in RBI portal for 31.12.2021

UCO Bank's Position:

- Our high NSFR ratio shows that UCO Bank is holding enough stable funding to cover the duration of our long-term assets (of more than 1 year).
- It ensures that bank is not undertaking excessive maturity transformation, which is the practice of using short-term funding to meet long term liabilities

3. निवेश/Investments:

ए/अ) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना / Composition of Investment Portfolio:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

As on 31.03.2022

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India				कुल निवेश Total Investments	
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others		भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India
परिपक्वता के लिए धरित / Held to Maturity												
सकल/Gross	64864.92	0.00	0.00	2150.96	198.56	0.12	67214.55	0.00	0.00	1196.29	1196.29	68410.84
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0	0	0	130.06	0	0	130.06	0.00	0.00	0.02	0.02	130.08
निवल/Net	64864.92	0.00	0.00	2020.90	198.56	0.12	67084.50	0.00	0.00	1196.27	1196.27	68280.76
बिक्री के लिए उपलब्ध / Available for Sale												
सकल/ Gross	25910.07	0.00	1086.25	1385.95	0.00	1346.84	29729.12	0.00	0.00	1031.37	1031.37	30760.48
घटाएं : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	191.19	0.00	673.14	427.14	0.00	748.24	2039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.70
निवल/Net	25718.89	0.00	413.12	958.81	0.00	598.61	27717.54	0.00	0.00	1031.37	1031.37	28720.78
Held for Trading												
सकल/Gross	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91
घटाएं : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल/Net	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91
कुल निवेश / Total Investments	90649.09	0.00	1086.25	3536.90	198.56	1346.96	96817.76	0.00	0.00	2227.65	2227.65	99045.42
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	673.14	296.75	0.00	0.00	969.89	0.00	0.00	0.02	0.02	969.91
घटाएं : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	191.19	0.00	0.00	260.44	0.00	748.24	1199.87	0.00	0.00	1.77	1.77	1201.64
निवल/Net	90457.90	0.00	413.12	2979.71	198.56	598.73	94648.01	0.00	0.00	2225.86	2225.86	96873.87

As on 31.03.2021

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India						कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India		
परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity													
सकल/Gross	62937.02	0.00	0.00	3011.15	108.16	0.19	66056.52	0.00	0.00	1587.20	1587.20	67643.72	
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing Investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	143.95	0.00	0.00	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	143.95	
निवल/Net	62937.02	0.00	0.00	2867.20	108.16	0.19	65912.57	0.00	0.00	1587.20	1587.20	67499.77	
विक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale													
सकल/ Gross	23708.12	0.00	1028.17	1253.47	0.00	1454.81	27444.58	0.00	0.00	746.97	746.97	28191.55	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	169.25	0.00	689.12	390.10	0.00	518.61	1767.09	0.00	0.00	141.28	141.28	1908.37	
निवल/Net	23538.87	0.00	339.06	863.37	-518.61	936.20	25677.49	0.00	0.00	605.69	605.69	26283.18	
Held for Trading													
सकल/Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल/Net	86645.15	0.00	1028.17	4264.62	108.16	1455.00	93501.11	0.00	0.00	2334.17	2334.17	95835.28	
कुल निवेश / Total Investments													
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing Investments		0.00	518.20	259.72	0.00	0.00	777.92	0.00	0.00	79.93	79.93	777.93	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	169.25		170.92	274.33	0.00	518.61	1133.12	0.00	0.00	141.28	141.28	1274.40	
निवल/Net	86475.90	0.00	339.06	3730.57	108.16	936.39	91590.06	0.00	0.00	2192.89	2192.89	93782.95	

बी/ब) मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व के प्रावधानों का संचलन / Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	गत वर्ष/ Previous Year
i)	निवेश पर मूल्यहास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1274.41	983.12
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	379.63	299.63
	(ग)/(c) घटाएं : बट्टे खाते /वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less: Write off / write back of excess provisions during the year	456.54	7.50
	(घ)/(d) विनिमय अन्तर / Exchange Difference	4.14	-0.84
	(इ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	1201.64	1274.41
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन / Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	0.00	0.00
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि / Add: Amount transferred during the year	559.31	0.00
	(ग)/(c) घटाएं: आहरण / Less: Drawdown	0.00	0.00
	(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	559.31	0.00
iii)	एफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अन्तिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अन्तिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	1.90%	0.00

सी) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

डी) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

(i) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश -

c) Sale and transfers to/from HTM category:

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one-time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

d) Non-SLR Investment Portfolio:

(i) Non performing Non-SLR investments -

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2022	31.03.2021
प्रारंभिक शेष / Opening balance	933.40	1186.84
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year since 1st April,2021	269.13	17.99
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	149.22	270.58
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	8.39	-0.84
अंतिम शेष / Closing balance	1061.71	933.41
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	941.77	918.75

ii) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
		चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
क/अ)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	23924.88	25072.02	23808.01	24599.42	0.80	1.13	21611.22	22456.15	18425.40	18426.39
ख/ब)	वित्तीय संस्थाएं /FIs	902.76	1416.49	897.25	825.24	897.25	760.00	5.50	5.50	155.22	305.50
ग/क)	बैंक / Banks	29.33	29.09	29.33	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ/द)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1281.31	1276.27	203.37	211.72	197.41	362.41	1083.60	1042.34	863.55	990.99
ङ/े)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध* Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates*	198.56	108.16	198.56	108.16	0.00	0.00	198.56	108.16	198.56	108.16
च/फ)	अन्य /Others	1310.05	1413.31	1310.05	1413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1310.05	1413.31
छ/ग)	घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	770.87	918.75	0.00	0.00	0.02	140.83	0.02	140.83	0.02	140.83
	योग / Total	26876.02	28396.59	26446.57	27186.94	1095.44	982.71	22898.86	23471.32	20952.76	21103.52

ङ/े) रेपो लेनदेन / Repo transactions (in face value terms):

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2022 को As on 31 st March 2022
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	शून्य/Nil	1,528.58	88.28	
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	—	—	—	—
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	—	—	—	—
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	शून्य/Nil	12,082.00	884.20	
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	—	—	—	—
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	—	—	—	—

के अनुसार 31.03.2022

4. आस्ति गुणवत्ता :
क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

	मानक			अनर्जक			कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल	
<p>सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ</p> <p>प्रारंभिक जमा राशि जोड़ें: वर्ष के दौरान योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ अंतिम शेष राशि</p> <p>* सकल पनपीए में कमी का कारण:</p> <p>i) उन्मयन छद्म ii) वसूली (उन्मयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते iv) विट्टु (iii) के अलावा बड़े खाते डालना</p> <p>प्रावधान (excluding Floating Provisions)</p> <p>धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेजाले गए ऋण धारित प्रावधानों का अंतिम जमशेष</p> <p>निवल अनर्जक संपत्तियाँ</p> <p>प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती अंतिम जमा शेष</p> <p>व्यवमान प्रावधान</p> <p>प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान व्यवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष</p> <p>तकनीकी बड़े खाते तथा उनपर किए गए वसूली</p> <p>तकनीकी/अधिश बड़े खातों का प्रारंभिक जमाशेष जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिश बड़े खाते घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/अधिश बड़े खातों में वसूली अंतिम जमशेष</p>	<p>107052.84</p> <p>119539.91</p> <p>478.14</p> <p>818.06</p>				<p>11351.97</p> <p>6122.62</p> <p>7237.16</p> <p>10237.43</p> <p>2087.08</p> <p>1298.85</p> <p>3667.96</p> <p>183.27</p> <p>6049.78</p> <p>3827.41</p> <p>3851.23</p> <p>6025.96</p> <p>4389.51</p> <p>2322.56</p> <p>3396.29</p> <p>3315.78</p>	<p>118404.81</p> <p>129777.34</p> <p>6557.92</p> <p>6844.02</p> <p>70.46</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>70.46</p> <p>26501.85</p> <p>3667.96</p> <p>1654.97</p> <p>28514.84</p>	

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

As on 31.03.2022 (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	Standard			Non-Performing			Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances		
Gross Standard Advances and NPAs							
Opening Balance	107052.84				11351.97		118404.81
Add: Additions during the year					6122.62		
Less: Reductions during the year					7237.16		
Closing balance	119539.91				10237.43		129777.34
* Reductions in Gross NPAs due to:							
i) Up gradation					2087.08		
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1298.85		
iii) Technical/ Prudential Write-offs					3667.96		
iv) Write-offs other than those under (iii) above					183.27		
Provisions (excluding Floating Provisions)							
Opening balance of provisions held	478.14				6049.78		6557.92
Add: Fresh provisions made during the year					3827.41		
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3851.23		
Closing balance of provisions held	818.06				6025.96		6844.02
Net NPAs							
Opening Balance					4389.51		
Add: Fresh additions during the year					2322.56		
Less: Reductions during the year					3396.29		
Closing Balance					3315.78		
Floating Provisions							
Opening Balance						70.46	
Add: Additional provisions made during the year						0.00	
Less: Amount drawn down during the year						0.00	
Closing balance of floating provisions						70.46	
Technical write-offs and the recoveries made thereon							
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						26501.85	
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						3667.96	
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1654.97	
Closing balance						28514.84	

	Non-Performing				Total
	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	
	Total Standard Advances			Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs					
Opening Balance	95679.50			19281.95	114961.45
Add: Additions during the year				3102.06	
Less: Reductions during the year				11032.04	
Closing balance	107052.84			11351.97	118404.81
*Reductions in Gross NPAs due to:					
i) Up gradation				453.35	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)				1168.30	
iii) Technical/ Prudential Write-offs				9174.28	
iv) Write-offs other than those under (iii) above				236.12	
Provisions (excluding Floating Provisions)					
Opening balance of provisions held	493.22			12693.35	13186.57
Add: Fresh provisions made during the year				2766.82	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans				9410.39	
Closing balance of provisions held	478.14			6049.78	6527.92
Net NPAs					
Opening Balance				5510.66	
Add: Fresh additions during the year				342.26	
Less: Reductions during the year				1463.41	
Closing Balance				4389.51	
Floating Provisions					
Opening Balance					70.46
Add: Additional provisions made during the year					0.00
Less: Amount drawn down during the year					0.00
Closing balance of floating provisions					70.46
Technical write-offs and the recoveries made thereon					
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					18620.88
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					9174.27
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					1293.30
Closing balance					26501.85

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
सकल अनर्जक अस्ति से सकल अग्रिम / Gross NPA to Gross Advances	7.89	9.59
निवल अनर्जक अस्ति से निवल अग्रिम / Net NPA to Net Advances	2.70	3.94
प्रावधान व्याप्ति अनुपात / Provision coverage ratio	91.44%	88.40%

B) Sector-wise Advances and Gross NPAs:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/Current Year (31.03.2022)			पिछले वर्ष/Previous Year (31.03.2021)		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित)/ Priority Sector(excluding RIDF)						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	18835.30	3913.10	20.78%	18031.10	4071.03	22.58%
ख)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	1641.06	227.45	13.86%	2141.29	443.86	20.73%
ग/घ)	सेवा क्षेत्र/Services	22787.55	2371.60	10.41%	22506.83	2403.85	10.68%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	12885.17	367.05	2.85%	11154.40	353.00	3.16%
	उप-योग / Sub-total (i)	56149.08	6879.19	12.25%	53833.62	7271.74	13.51%
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ख/ब)	उद्योग/Industry	28164.86	1107.22	3.93%	22189.10	346.84	6.07%
ग/घ)	सेवा क्षेत्र/Services	25363.27	1874.40	7.39%	25197.62	2208.17	8.76%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	20100.13	376.62	1.87%	17184.47	525.22	3.06%
	उप-योग / Sub-total (ii)	73628.26	3358.24	4.56%	64571.19	4080.23	6.32%
	कुल/Total (I + ii)	129777.34	10237.43	7.89%	118404.81	11351.97	9.59%

सी/घ) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
कुल आस्तियां/Total Assets	18919.88	15282.25
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	718.59	826.99
कुल राजस्व/Total revenue	218.18	492.79

घ) समाधान योजना एवं नवीनीकरण विवरण

- 1) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर आरबीआई के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार बैंक के पास 10 खातों में कुल रु. 702.32 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है।
- 2) आरबीआई के परिपत्र डीओआर.सं. बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार जिन खातों में समाधान अवधि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, उनमें शामिल खातों की संख्या और राशि का विवरण।

d) Particulars of resolution plan and restructuring

1. In accordance with RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets, Bank holds additional provision of Rs.702.32 Crore in 10 accounts.
2. As per RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated 17th April 2020, details of the number of accounts and the amount involved in those accounts where Resolution Period was extended for the year ended 31st March, 2022.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की संख्या जिनमें समाधान अवधि बढ़ाई गई थी / No. of accounts in which resolution period was extended	2
शामिल राशि / Amount involved	862.21

ङ) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश संख्या डीओआर.एसीसी. आरईसी.नं.45/21.04.2018/2021-22, दिनांक 30.08.2021 (15.11.2021 को अद्यतित) के अनुसार वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर, बैंकों को विचलन का खुलासा करना चाहिए, यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं:-

- i) इसकी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों के आकलन हेतु संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना, और
- ii) अपने पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल अनर्जक आस्तियों में संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल अनर्जक आस्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक किया जाना।

जैसा कि उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट किया गया है कि बैंक में विचलन निर्धारित सीमा के अंदर हों। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

च) ऋण अन्तरण प्रकृतिकरण

ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 29.09.2021 के तहत 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

e) Divergence in Asset Classification and Provisioning:

As per RBI Master Direction No DOR.ACC.REC.No.45/21.04.2018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 15.11.2021) on financial statements-presentation and disclosures, divergence in the asset classification and provisioning, banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

- i) the additional provisioning for NPAs assessed by Reserve Bank of India as part of its supervisory process, exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and
- ii) the additional Gross NPAs identified by the Reserve Bank of India as part of its supervisory process exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the bank as specified above. Hence, no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2021.

f) Disclosure of transfer of loan exposures:

Details of loans transferred/acquired during the financial year ended on 31.03.2022 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated 29.09.2021 are given below:-

i) बैंक ने एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण नहीं किया है। हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है :-

i) Bank has not acquired loans classified as NPA. The details of Non-Performing Assets (NPAs) transferred are as under:

Particulars (all amounts in ₹ crore except number of accounts)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
खातों की संख्या / No: of accounts हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	1	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवधि	176.53	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	0	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer) कुल प्रतिफल राशि	176.53	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Aggregate consideration पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	55.64	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	103.26	शून्य/NIL	शून्य/NIL

ii) बैंक ने विशेष वर्णित खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण नहीं किया है।
iii) बैंक ने किसी भी ऋण को चूक में हस्तांतरण नहीं किया है। समनुदेशन के माध्यम से चूक के रूप से नहीं प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

ii) Bank has not acquired and transferred loans classified as Special Mention Account (SMA).

iii) Bank has not transferred any loans in default. The details of loans not in default acquired through assignment is given below:

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान During Financial Year ended on 31.03.2022
अधिग्रहित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये में)	
Aggregate amount of loans acquired (Rs. in crore)	2023.43
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में)	
Weighted average residual maturity (in months)	53.09
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में)	
Weighted average holding period by originator (in months)	17.00
लाभकारी आर्थिक हितों का प्रतिधारण	
Retention of beneficial economic interest	10%
मूर्त जमानत व्याप्ति	
Tangible security coverage	216.00%
मूल्यांकित ऋणों का रेटिंग के आधार पर वितरण*	
Rating wise distribution of rated loans*	शून्य/NIL*

* अर्जित ऋणों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से संबंधित होते हैं।

* Loans acquired are not rated as these relate to non-corporate borrowers.

iv) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार केडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सॉपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरण: -

iv) Details of the distribution of the SRs held across various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2022:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	वही लागत (राशि करोड़ में) Book Cost (amount in crores)
आरआर/RR1	80.69
आरआर/RR2	161.89
आरआर/RR3	124.02
आरआर/RR4	224.81
आरआर/RR5	88.40
एनआर/NR3	43.84
एनआर/NR4	22.45
एनआर/NR5	42.85
एनआर/NR6	514.11
आहरित/Withdrawn	6.99
कुल/Grand Total	1310.04

छ) कपट खाते :

g)Fraud accounts :

विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या/ Number of frauds reported	114	379
शामिल राशि (₹ करोड़)/ Amount involved in fraud (₹ crore)	611.53	3336.96
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)/ Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	518.22	3277.65
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ज) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 06.08.2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और 05.05.2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए संकल्प ढाँचा के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण निम्नलिखित है:-

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular dated 06.08.2020 (Resolution Framework 1.0) and 05.05.2021 (Resolution Framework 2.0) are given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर-पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year (A)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट व्यक्ति / Corporate Persons*	553.98	553.98	0.00	0.00	0.00
एमएसएमई / MSME's#	25.94	1.64	0.00	0.28	27.90
अन्य / Others	0.00	0	0.00	0.00	0.00
कुल / Total	579.92	555.62	0.00	0.28	27.90
* दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 3(7) में विश्लेषित यथा *As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

* कॉर्पोरेट व्यक्ति में, केवल एक खाता फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है। इसे एनपीए में डाउनग्रेड किया गया है।

* In Corporate Person, only one account held is Future Retail Ltd. The same is downgraded to NPA.

दिसंबर तिमाही के दौरान नए खाते को जोड़ने और बकाया राशि में परिवर्तन के कारण एमएसएमई खाते में अंतर है।

Difference in MSME account is due to addition of new account during the December quarter and change in the balance outstanding.

5. ऋण/Exposure:

क) स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

विवरण/Category	2021-22	2020-21
i) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure		
क) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी		
(a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	20669.27 12289.69	18657.38 9076.54
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space land acquisition development and construction etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	608.73	645.27
(सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश -		
(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	-	-
i. आवासीय / Residential	-	-
ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा /Commercial Real Estate.	-	-
ii) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	6348.49	4610.58
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण / Total Exposure to Real Estate Sector	27626.49	23913.23

ख/ब पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2021-22	2020-21
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	360.39	194.80
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	--	--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	--	--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	--	--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	192.09	17.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	--	--
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	--	--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	--	--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	--	--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	39.71	44.49
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	592.19	256.29

सी/स) जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2022	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2022	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2021	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2021
महत्वहीन/Insignificant	13144.84	9.8094	9749.7900	7.2671
कम/Low	10639.60	8.1611	10524.9100	11.7125
मामूली रूप से कम/ Moderate Low	5.31	0.0000	191.2500	0.0000
संतुलित /Moderate	11.62	0.0000	16.0900	0.0000
माध्यम उच्च/ Moderate High	4.36	0.0000	0.0000	0.0000
उच्च /High	0.31	0.0000	0.0000	0.0000
अत्यंत उच्च / Very High	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
कुल/Total	23806.04	17.9705	20482.04	18.9796

डी/द अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2022	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2021
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	20303.36	15005.00
क) उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है a) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	0	0
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	N/A	N/A

ड) अंतः समूह एक्सपोजर - सून्‍य

च) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर युक्त निकायों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) हेतु 31.03.2022 को ₹24.97 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

e) Intra-group exposures - Nil

f) Unhedged foreign currency exposure

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 24.97 lacs as on 31.03.2022 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

6. जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण एवं एनपीए /Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

क) जमाराशियों का संकेंद्रण/Concentration of deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2022 (Current Year)	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2021 (Previous Year)
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total deposits of the twenty largest depositors	25720.19	20285.06
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	11.48%	9.85%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year 2021-22	पिछले वर्ष/ Previous Year 2020-21
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total advances to twenty largest borrowers	27676.08	21489.88
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत/ Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	21.33%	17.00%

ग) ऋण का संकेंद्रण

c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year 2021-22	पिछले वर्ष/Previous Year 2020-21
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	30427.22	24917.32
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	18.31%	13.53%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

d) Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2021-22	2020-21
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर Total Exposure to top twenty NPA accounts	2286.60	2549.61
सकल एनपीए में से शीर्ष बीस एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत। Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	22.33%	22.46%

7. व्युत्पन्न / Derivatives

क/अ) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward rate agreement/Interest rate swap

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2021-22	2020-21
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	3340.78	4770.79
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	18.08	26.95
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	-13.02	7.55

ब) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2021-22	2020-21
i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii)	दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2022(instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

1) गुणात्मक प्रकटीकरण

1) Qualitative disclosures-

- i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

- ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:

- i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

(vi) ब्याज दर अदला- बदली (स्वैप) हेतु अन्य प्रकटीकरण :

बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों एवं देयताओं पर नियत से अस्थिर और अस्थिर से नियत ब्याज दर स्वैप का कार्य किया है। यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उपर्युक्त आईआरएस पर आय का नुकसान रु. 18.08 करोड़ होगा। आईआरएस लेनदेन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई संकेद्रण नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है और एक्सपोजर की अनुमति सीमा के भीतर है।

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

(vi) Other Disclosures for Interest Rate Swaps:

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs. 18.08 Cr, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

II) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures-

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No. Particulars	2021-2022		2020-2021	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
क)/a) बचाव के लिए / For Hedging	8017.25	920.00	61483.20	920.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए / For Trading	120118.90	2420.78	शून्य/Nil	3,850.79
2 मार्केट टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions [1]				
क)/a) आस्ति (+) / Assets (+)	6.20	-13.02	162.63	7.55
ख)/b) देयता (-) / Liabilities (-)	18.85	0.00	26.70	0.00
3 ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure	367.37	18.08	465.70	26.95
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100।पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर / On hedging derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	3.34	लागू नहीं/NA	-10.92
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	-37.51	लागू नहीं/NA	-68.25
ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर / Trading derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	3.97	लागू नहीं/NA	6.59
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	4.16	लागू नहीं/NA	8.51
5 वर्ष के दौरान 100।पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
क) / a) बचाव-व्यवस्था पर- / On hedging				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	-15.35	लागू नहीं/NA	-35.28
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-38.43	लागू नहीं/NA	-67.67
ख)/b) क्रय-विक्रय पर / On trading				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	4.05	लागू नहीं/NA	7.41
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	3.93	लागू नहीं/NA	7.84

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹18.08 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹26.95 करोड़) होगा।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfill their obligation will be Rs. 18.08 crores for F.Y. 2021-22 (Rs. 26.95 crores for the F.Y. 2020-21)

सी) क्रेडिट चूक विनिमय

बैंक का दिनांक 31.03.2022 को क्रेडिट चूक विनिमय पर कोई एक्सपोजर नहीं है।

c) Credit default swaps

Bank has no exposure on Credit Default Swap as on 31.03.2022.

8. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

8. Disclosures relating to securitisation

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2022	मार्च 31/ Mar 31 2021
1. प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य /Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ब) तुलनपत्र पर एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
4. एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
i) Exposure to own securitisations		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others		
ii) Exposure to third party securitisations		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बी/ब) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
i) Exposure to own securitisations		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others		
ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
5. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
6. नकदी सहायता, प्रतिभूतिकरण के उपरांत अस्तित्व-शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2022	मार्च 31/ Mar 31 2021
7. प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention per cent in bracket as of total value of facility provided. ए/अ) भुगतान की गई राशि/Amount paid बी/ब) चुकोती प्राप्त/Repayment received सी/स) बकाया राशि/Outstanding amount	शून्य/NIL	शून्य/NIL
8. पूर्व में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	शून्य/NIL	शून्य/NIL
9. समान अंतर्निहित आसित पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL
10. निवेशकों की शिकायतें/Investor complaints ए/अ) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;/Directly/Indirectly received and; बी/ब) बकाया शिकायतें/Complaints outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

9. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंड के अनुसार समेकित किया जाना है)

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Bank has not sponsored any SPVs.

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF Fund)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	409.14	303.65
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	93.99	108.19
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	3.19	2.70
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	499.94	409.14

11. शिकायतों का प्रकटन

ए) बैंक को ग्राहकों और ओम्बड्समैन के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	231	517
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	16220	18385
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	16421	18671
	3.1 उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	00	00
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	30	231
	ओम्बड्समैन कार्यालय से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	ओम्बड्समैन से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	1949	2543
	5.1. मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1702	4126
	5.2 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	247	124
	5.3 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	00	02
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या (अपील किए गये के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

नोट : संपोषणीय शिकायतें ओम्बड्समैन योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /

Top Five Grounds of Complaints by the bank from Customers

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष/Current Year 2021-22*					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	54	5877	-7.49%	7	0
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	31	2564	4.95%	5	0
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	23	2141	-40.35%	2	0
ऋण एवं अग्रिम/ Loans and advances	33	1562	-11.85%	3	0
शाखा आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का अनुपालन / Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc	16	1180	-12.72%	4	0
अन्य / Others	74	2896	0.70%	9	0
अन्य / Total	231	16220	-11.78%	30	0

**ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /
Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers**

शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
विगत वर्ष/Previous Year 2020-21*					
असफल इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (एटीएम/ इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/पीओएस) / Failed Electronic Transactions (ATM/ Internet Banking/ Mobile Banking/ POS)	163	7369	-13.89%	57	11
जमा खाता से संबंधित / Deposit Account Related	42	1778	-2.01%	25	0
प्रौद्योगिकी से संबंधित (एटीएम/कोर बैंकिंग/ इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग) / Technology Related (ATM/Core Banking/ Internet Banking/ Mobile Banking)	48	1708	-1.24%	16	2
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances Related	49	1525	1.32%	31	5
शाखा में ग्राहक सेवा / Customer Service at Branch	50	964	-1.08%	11	0
अन्य / Others	165	5041	-3.39%	91	5
अन्य / Total	517	18385	-20.30%	231	23

* वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शिकायतों का वर्गीकरण आरबीआई परिपत्र के अनुसार किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शिकायतों का वर्गीकरण बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के आधार पर किया गया है।

*Note: For FY 2021-22 complaints have been classified/categorised as per RBI Circular. For FY 2020-21 complaints were classified/categorised as per Bank's Complaint Redressal Module.

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशोषित जुर्माने का प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47(ए)(1)(सी) के साथ पठित धारा 51 और 46(4)(i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार दंड लगाया है: -

- मुद्रा तिजोरी के परिचालन के लिए रु. 34,99,825/- (चौतीस लाख निम्नानुसारे हजार आठ सौ पच्चीस रुपये) है।
- मुद्रा तिजोरी के परिचालन के अलावा अन्य के लिए दंड राशि रु. 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) है।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

कार्यपालक निदेशक/ प्रबंध निदेशक को स्वीकार्य वेतन और भत्ते डीएफएस से प्राप्त होते हैं और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के आलोक में हैं।

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) कारोबार अनुपात

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय/ Interest Income as a percentage to Working Funds	5.5	5.59
ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजैतर आय/ Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.14	1.44
iii) जमा मूल्य / Cost of Deposits	3.81	4.29
iv) निवल ब्याज मार्जिन /Net Interest Margin	2.55	2.58
v) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.75	1.46
vi) आस्तियों पर आय / Return on Assets	0.34	0.06
vii) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (deposits plus advances) per employee(in ₹ crore)	16.33	14.7
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (in ₹ crore)	4.29	0.76

बी) बैंकाश्योरेंस से काराबार :

बैंक, बैंकाश्योरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एवं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बैंकाश्योरेंस नॉन-लाइफ के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एवं फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्योरेंस कारोबार से आय के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

For the financial year 2021-22, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with section 51 and 46(4)(i) of The Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty as under:-

- For Currency Chest Operations Rs 34,99,825/- (Rupees Thirty Four Lakh Ninety Nine Thousand Eight Hundred Twenty Five only).
- The penalty amount for other than currency chest operations is Rs. 1,25,000/- (Rupees One Lakh twenty-five thousand only).

13. Disclosures on remuneration

The pay and allowances admissible to ED/MD is as received from DFS and in light of Government decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission.

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

b) Bancassurance business:

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India and SBI Life Insurance Co Ltd for Bancassurance Life and The Oriental Insurance Co. Ltd and Future Generali India Insurance Co Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं./Sl. No.	कारोबार का प्रकार / Type of Business	2021-22	2020-21
1	लाइफ/Life	15.51	9.64
2	नॉन-लाइफ/Non-Life	8.68	6.88
3	म्यूचुअल फंड/Mutual Fund	0.15	0.08

b) मार्केटिंग और वितरण/Marketing and distribution:

मैसर्स फिनविजार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (फिसडम) के माध्यम से म्यूचुअल फंड के डिजिटल वितरण के माध्यम से परामर्श (रेफेरल) कमीशन अर्जित किया।

Referral Commission earned via digital distribution of Mutual Funds through M/s Finwizard Technology Pvt Ltd (FISDOM).

विवरण/Particulars	2021-22	2020-21
अर्जित कमीशन /Commission Earned	0.09	-

यूको-एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से अर्जित क्रेडिट कार्ड कमीशन Credit Card Commission earned through usage of UCO-SBI Co-Branded Credit Card				
विवरण/Particular	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22		वित्तीय वर्ष/FY 2020-21	
निर्गत कार्डों की संख्या Number of Cards issued	63243		10031	
अर्जित कमीशन Commission Earned	*मूल कमीशन (रु.) Base Commission(Rs)* 259.52	*मूल कमीशन (रु.) Base Commission(Rs) 46.71	*मूल कमीशन (रु.) Base Commission(Rs) 10.05	*मूल कमीशन (रु.) Base Commission(Rs) 1.81

*प्राप्य में शामिल- रु 98.13 लाख (जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के लिए मूल कमीशन)

*Receivable included-Rs 98.13 L (Base Commission for Quarter Jan-March 2022)

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पीएलएससी-कृषि खरीद: रु. 3000 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पीएलएससी-सामान्य बिक्री: रु. 1600 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पीएलएससी-सूक्ष्म बिक्री: रु. 3400 करोड़

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

- Total PSLC- Agriculture purchase in FY 2021-22: Rs. 3000 Crore
- Total PSLC- General sell in FY 2021-22: Rs. 1600 Crore
- Total PSLC- Micro Sell in FY 2021-22: Rs. 3400 Crore

इ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

e) Provisions and contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

लाभ और हानि खाते में नामे (डेबिट) किया गया प्रावधान Provision debited to Profit and Loss Account	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision towards NPI	206.72	158.39
एनपीए के प्रति प्रावधान /Provision towards NPA	3800.06	2759.79
आयकर के लिए किया गया प्रावधान/Provision made towards Income Tax	2.89	433.29
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय:-/Other Provisions and Contingencies :-		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	337.93	-14.74
निवेश पर मूल्यहास का प्रावधान /Provision for depreciation on Investment	313.68	296.09
कानूनी मामले/आकस्मिक व्यय/धोखाधड़ी/Legal Cases / Contingencies/Frauds	0.04	-3.56
उचित मूल्य में कमी /Diminution in Fair Value	3.67	-14.70
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets	817.71	-675.81
बकाया वेतन संशोधन /Arrear Wage Revision	0	102.74
विविध प्रावधान /Miscellaneous Provision	1295.56	2528.87

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) पृष्ठभूमि का कार्यान्वयन

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (IND AS)

पृष्ठभूमि:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईमेल दिनांक 8 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति को तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण और 31 मार्च के लिए पूर्ण वर्षीय प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019. RBI vide email dated 8th August 2021 decided to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, Banks are advised to submit proforma Ind AS based financial statements for the half year ending September 30 and full year proforma Ind AS based financial statements for March 31.

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की कार्यनीति:

बैंक ने कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में आईएनडी एएस की तकनीकी आवयकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रिया बदलावों, कारोबार प्रभाव, संसाधनों के आकलन एवं परियोजना प्रबंधन की आयोजना के लिए आईएनडी एएस संचालन समिति गठित किया है।

बैंक ने अपने भीतर ही आईएनडी एएस कार्यदल भी गठित किया है जो आईएनडी एएस संस्थापन परियोजना पर काम करेगा जिसमें भांति भांति के कार्य करनेवाले विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने त्रैमासिक आधार पर ईक्विटी और लाभ परिवर्तनों को समायोजित कराते हुए प्रोफॉर्मा आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है। पिछले जीएपी आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हुए 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ माह की स्थिति के अनुसार इसे अंतिम बार 26 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया गया।

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान /Payment of DICGC Insurance Premium	254.41	214.44
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया/Arrears in payment of DICGC premium	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

आईबीए के संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण बैंक ने 560.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरआईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के माध्यम से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उक्त अतिरिक्त देयता में परिशोधन करने की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 290 करोड़ रुपये के प्रावधानों को मान्यता दी है (31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया) और शेष 270.49 करोड़ रुपये के अपरिशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

i) एमएसएमई पुनर्रचित खाते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना पर आरबीआई सर्कुलर क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 and DOR. No. BO.BC/4/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार है:

पुनर्रचित खातों की संख्या / No. of Accounts Restructured	Outstanding as on 31.03.2022
33,757	1,672.65

(राशि करोड़ ₹ में) / (Rs. in Crores)

Strategy of IND AS Implementation:

Bank has constituted IND AS steering committee headed by Executive Director to plan the IND AS technical requirements, System & Process Changes, Business Impact, evaluation of Resources and project management.

Bank has also constituted IND AS working group within the bank who will be working on IND AS implantation project which comprises of officers from cross functional department.

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on quarterly basis and last submitted on November 30, 2021 for the half year ended September, 2021 compared with the previous GAAP figures.

g) Payment of DICGC Insurance Premium Strategic Planning

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

h) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

Bank has estimated the additional liability of Rs.560.49 crore on account of revision in family pension as per IBA joint noted dated 11.11.2020. However, RBI vide their circular RBI/2021-22/105/DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 has permitted to amortise the said additional liabilities over the period not exceeding five years, beginning with financial year ending 31st March, 2022. Accordingly, Banks has recognised provisions of Rs. 290 crore during the year ended 31st March, 2022 (no provision made during the quarter ended 31st March, 2022) and the balance unamortized expenses of Rs. 270.49 crore has been carried forward.

i) MSME Restructured Accounts:

In accordance with the RBI Cir. No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 and RBI circular DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Micro, Small and Medium Enterprises(MSME) sector - Restructuring of Advances", the details of MSME restructured accounts under the scheme as on 31st March, 2022 are as under:

झ) आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती हैं तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

ख) आयकर विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग एवं आयकर, टीडीएस, शास्ति, ब्याज एवं ब्याज कर हेतु ट्रेसेस (आय कर की वेबसाइट) में प्रदर्शित मांग राशि ₹16.10 करोड़ (₹37.58 करोड़) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है; प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं।

य) कोविड-19 नियामक पैकेज:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल-मई, 2020 की कालावधि में देशव्यापी तालाबंदी हुई, जिसने आर्थिक गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित किया। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में लॉक डाउन के उपायों में ढील के कारण आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार हुआ और सामान्य स्थिति की ओर प्रगति हुई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, भारत ने कोविड-19 महामारी की दो और लहरें देखीं और देश के कुछ हिस्सों में स्थानीय / क्षेत्रीय लॉक डाउन उपायों को फिर से लागू किया। वर्तमान में, कोविड -19 के मामलों में धीरे-धीरे कमी आ रही है और भारत सहित दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था में पुनर्जीवन देखा जा रहा है। बैंक ने कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर खुद को तैयार किया है।

कोविड-19 महामारी के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आकस्मिक प्रावधान के तहत रु. 1000 करोड़ (31.03.2021) के लिए रु. 350 करोड़, 31.03.2022 तिमाही के दौरान रु. 65 करोड़ को प्रतिवर्ती किया गया। का प्रावधान किया है।

15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

j) Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax Department and demand displayed at TRACES (Income Tax Website) on account of Income Tax, TDS, Penalty, Interest amounting to Rs. 16.10 Crore (Rs. 37.58 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities.

k) COVID- 19 Regulatory Package:

During the Financial year 2020-21, the Covid-19 pandemic resulted in nation-wide lockdown during April-May 2020 which substantially impacted economic activity. The subsequent easing of lock down measures led to gradual improvements in economic activity and progress towards normalcy from second half of FY 2021. In FY 2021-22, India witnessed two more waves of Covid-19 pandemic and the re-imposition of localized/regional lock down measures in certain parts of the country. At present, there has been a gradual lowering of Covid-19 cases and the countries around the world are witnessing a revival in their economies including India. Bank has geared itself on all fronts to meet the challenges imposed by Covid-19.

Considering the likely impact of Covid-19 pandemic, Bank is holding Covid-19 related provisions of Rs.1000 crore (Rs.350 crore as on 31.03.2021, Rs. 65 crore reversed during the quarter March-2022) as contingency provision as on 31st March,2022.

15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

अनुलग्नक II / Annexure II
पार्ट बी / Part B

लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मर्दे तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मर्द' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

3 एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

- i) क) एकीकृत विदेशी परिचालन : प्रतिनिधि कार्यालय, तेहरान, ईरान
ख) गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन: सिंगापुर केंद्र और हांगकांग केंद्र

ii) गैर-एकीकृत केंद्र के लिए विनिमय दरें

एसजीडी	55.6275
एचकेडी	9.6400

iii) लेखाबंदी दर

एसजीडी	55.9700
एचकेडी	9.6800

iv) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित (एफसीटीआर)

बैंक ने लाभ और हानि खाते में विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी है।

Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2022 as compared to those followed in the previous financial year 2021-22.

2. Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per accounting policy No. 10 of Schedule -17.

3. AS-11: The Effects of changes in foreign Exchange Rates:

- i) a) Intergral Foreign Operations : Representative Office, Tehran, Iran
b) Non - Integral Foreign Operations: Singapore Centre & Hong Kong Centre

ii) Exchange rates for Non - Integral Centre

SGD	55.6275
HKD	9.6400

iii) Closing Rate

SGD	55.9700
HKD	9.6800

iv) Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)

Bank has not recognized in profit and loss account the proportionate exchange gains or losses held in foreign currency translation reserve on repatriation of profits from overseas operations.

4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व Revenue	7099.39	8758.87	5926.35	4605.74	5013.99	4767.12	42.43	34.59	18082.15	18166.42
परिणाम Result	2938.66	4289.79	-697.74	-2162.76	-532.99	-2237.10	42.43	34.59	1750.37	-75.45
अनावंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									4797.43	5420.62
आयकर Income Tax									820.60	-242.52
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									929.76	167.03
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	129457.64	126005.51	75050.09	62388.94	62846.54	64561.76	429.75	379.90	267784.02	253336.11
अनावंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									267784.02	253336.11
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	114969.29	113313.95	83169.25	68812.81	69645.47	71209.35	0.00	0.00	267784.02	253336.11
अनावंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									267784.02	253336.11

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष/ Current Year 2021-22	पिछला वर्ष/ Previous Year 2020-21	चालू वर्ष/ Current Year 2021-22	पिछला वर्ष/ Previous Year 2020-21	चालू वर्ष/ Current Year 2021-22	पिछला वर्ष/ Previous Year 2020-21
राजस्व/Revenue	17863.97	17673.62	218.18	492.79	18082.15	18166.41
आस्तियां/Assets	248864.13	238053.86	18919.88	15282.25	267784.02	253336.11

5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कर्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री ए. के. गोयल (01.04.2021 - 31.12.2021)

श्री सोमा शंकर प्रसाद (01.01.2022 - 31.03.2022)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री अजय व्यास (01.04.2021 - 31.03.2022)

श्री इशराक अली खान (01.04.2021 - 31.03.2022)

5. Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD) & CEO

Shri A. K. Goel (01.04.2021 - 31.12.2021)

Shri Soma Sankara Prasad (01.01.2022 - 31.03.2022)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Ajay Vyas (01.04.2021 - 31.03.2022)

Shri Ishraq Ali Khan (01.04.2021 - 31.03.2022)

प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कर्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मर्दे/ Items	Amount (during the FY 21-22)	As on 31.03.2022
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Soma Sankara Prasad (MD & CEO)	01.01.2022 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive	8.09	-
		Reimbursements	0.28	-
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	-
श्री ए. के. गोयल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri A. K. Goel (MD & CEO)	01.04.2021 से/to 31.12.2021	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive	26.77	-
		Reimbursements	4.04	-
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	26,500 shares
श्री ए. के. गोयल के रिश्तेदार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Relatives of Shri A. K. Goel MD & CEO	01.04.2021 से/to 31.12.2021	यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	1,300 shares
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas ED	01.04.2021 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive	29.78	-
		Reimbursements	9.93	-
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	-
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan ED	01.04.2021 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive	28.24	-
		Reimbursements	5.39	-
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	-

नोट: एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

Note: In terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

सी) सहयोगी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है, दिनांक 31.03.2022 तक इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

आरआरबी की पूंजी की स्थिति

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की दिनांक 31.03.2022 को कुल पूंजी 489.82 करोड़ रुपये की थी, जिसमें भारत सरकार से 244.91 करोड़ रुपये, यूको बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में) से 198.56 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 46.35 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरआरबी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को कुल जमा राशि 5.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 6252.47 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2022 तक 7.77 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल अग्रिम 3439.51 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। सीडी अनुपात 31.03.2022 को 55.01% है जो 31.03.2021 को 54.09% था।

सकल एनपीए 31.03.2022 को 358.24 करोड़ रुपये है जो 31.03.2021 को 412.77 करोड़ रुपये था। सकल एनपीए से सकल अग्रिम 31.03.2022 को 10.42% रहा है जबकि 31.03.2021 को यह 12.93% था। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2022 को 4.74% है जो 31.03.2021 को 8.50% था।

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक ने 31.03.2021 को 133 करोड़ रुपये के परिचालन लाभ की तुलना में 31.03.2022 को 26.62 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ अर्जित किया है।

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक ने 31.03.2021 को 61 करोड़ रुपये की निवल हानि की तुलना में 31.03.2022 को 99.55 करोड़ रुपये का निवल हानि दर्ज की है, जिससे संघित हानि 31.03.2021 को 304.90 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2022 को 444.85 करोड़ रुपये हो गयी है। पेंशन के प्रावधान के कारण निवल हानि हुई है। आरआरबी ने परिचालन लाभ दर्ज किया गया है। परिचालन लाभ में गिरावट काफी हद तक सितंबर, 2021 से कार्य व्यय के लिए जिम्मेदार पेंशन देयता कोष निधि के प्रावधानों के कारण है। आरबीआई और नाबार्ड द्वारा निर्धारित नई लेखा प्रक्रिया के अनुसार, पेंशन देयता कोष निधि जिसे सितंबर, 2021 तक प्रावधान के रूप में दिखाया गया था, को कार्य व्यय शीर्ष में लिया गया था जिससे परिचालन लाभ में 106.38 करोड़ रुपये की कमी आई।

6. एएसस-21 और 23 की प्रयोज्यता :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 के अनुसार बनाये गये हैं

7. अमूर्त आस्तियां (एएस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्तिक की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

c) Associates:

Regional Rural Bank (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2022.

Capital position of RRB

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2022 stood at Rs.489.82 Crores comprising Rs.244.91 Crore from Govt. of India, Rs.198.56 Crore from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs.46.35 crore from West Bengal State Govt.

Performance of RRBs as under during 2021-22

Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.6252.47 crore as on 31.03.2022, registering growth of 5.96 percent. Total advance reached a level of Rs.3439.51 crore with an annual growth of 7.77 percent as on 31.03.2022. CD ratio stood at 55.01% on 31.03.2022 as against 54.09% on 31.03.2021.

The gross NPA stood at Rs.358.24 crore as on 31.03.2022 vis-a-vis Rs. 412.77 crore as on 31.03.2021. Gross NPA to Gross Advance stood at 10.42% as on 31.03.2022 as against 12.93% as of 31.03.2021. The net NPA ratio of the RRB stood at 4.74% as on 31.03.2022 as against 8.50% as of 31.03.2021.

Paschim Banga Gramin Bank has earned an operating profit of Rs.26.62 crore as on 31.03.2022 as compared to operating profit of Rs. 133 Crore as on 31.03.2021.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net loss of Rs.99.55 crore as on 31.03.2022 as compared to net loss of Rs.61 Crore as on 31.03.2021, thereby increasing accumulated loss from Rs. 304.90 crore as on 31.03.2021 to Rs. 444.85 Crore as on 31.03.2022. The net loss is on account of provision for pension, through the RRB has recorded operating Profit. The dip in operating profit is largely due to pension liability corpus fund provisions accounted for working expenses from September, 2021 onwards. As per the new accounting process prescribed by RBI and NABARD, the pension liability corpus fund which was shown as provision till September, 2021 was taken in working expenses head which reduced the operating profit by Rs. 106.38 Crore.

6. Applicability Of AS- 21 and 23:

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21-" Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-" Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the ICAI.

The financial statement of the associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March 2022.

7. Intangible Assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2022

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. Sl. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	56.94	55.14
2	घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरुद्ध Net Block at the beginning of the year	-	-
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	39.14	13.56
5	घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	13.31	11.69
6	योग/Total	82.77	57.01
7	घटाएं: अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	44.13	30.75
8	घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	-	-
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	38.64	26.26

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2022

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	30.75	21.49
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	30.75	21.49
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	-
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	26.69	20.95
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	13.31	11.69
16 अंतिम शेष/Closing Balance	44.13	30.75

8. आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9. एस-24, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, असतत परिचालन-एस 24 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

10. एस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

- बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।
- लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवयक लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मान्यता प्राप्त

8. Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9. APPLICABILITY OF AS- 24, 27.

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS-24 - Discontinuing Operations and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

10. AS - 15 -Employee Benefits (Revised):

- The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.
- The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit

रोजगार पूर्व लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है: -

& Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:-

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

Defined Benefit Schemes:

(ए) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(a) Changes in the present value of the obligations

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	8053.46	7555.51	784.57	822.38	640.19	530.63	40.91	37.11	16.92	12.06	1.50	2.56
ब्याज लागत Interest Cost	522.74	456.33	50.34	50.36	46.42	36.93	2.96	2.58	1.23	0.84	0.11	0.18
चालू सेवा लागत Current Service Cost	299.23	340.68	59.03	57.53	124.04	53.43	0	0	3.85	2.94	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	1128.50	983.22	180.50	197.70	0	0	0	0	0	0	0	0
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	945.41	684.16	4.83	52.00	161.57	19.20	1.88	1.22	(5.23)	1.08	0.51	(1.24)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	8692.34	8053.46	7182.71	784.57	649.08	640.19	41.99	40.91	16.77	16.92	2.12	1.50

(ब) (बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2022	पेंशन/ Pension 2021	उपदान/ Gratuity 2022	उपदान/ Gratuity 2021
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	7867.97	7340.01	732.88	767.15
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	612.91	550.50	57.09	53.39
नियोक्ता अंशदान /Employer's contribution	1194.45	990.80	78.73	114.15
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	1128.50	983.22	180.50	197.70
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	(29.09)	(30.12)	9.62	(4.12)
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	8517.74	7867.97	697.81	732.87

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	8692.34	8053.46	718.27	784.57	649.08	640.19	41.99	40.91	16.77	16.92	2.12	2.56
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	8517.74	7867.97	697.81	732.87	647.21	732.87	40.91	40.86	15.92	15.62	1.50	(1.06)
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताए/आस्ति Net Liability /Asset recognized in Balance Sheet	174.60	185.49	20.46	51.70	1.87	92.68	1.08	0.05	0.85	1.30	0.62	1.50

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)	299.23	340.68	59.03	57.53	124.04	53.43	0	0	3.85	2.94	0	0	
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)	522.75	456.33	50.34	50.36	46.41	36.93	2.96	2.58	1.23	0.84	0.11	0.18	
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)	612.92	550.50	57.09	53.39	0	0	0	0	0	0	0	0	
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)	(974.50)	714.28	4.79	56.12	161.57	19.20	1.88	1.22	5.23	1.08	0.51	(1.24)	
राशि /Amount (A+B-C+D)	1183.56	960.79	47.49	110.62	8.88	109.57	1.08	3.80	(0.15)	4.86	0.62	-1.06	
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss during the FY 2021-22	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 (A)	1153.56	864.84	47.49	110.62	8.88	109.56	1.08	3.80	(0.15)	4.86	0.62	-1.06
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution (B)	30.00	95.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, As per RBI direction, (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल/Total (A+B+C)	1183.56	960.79	47.49	110.62	8.88	109.56	1.08	3.80	(0.15)	4.86	0.62	-1.06

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	(945.41)	684.16	(4.83)	52.00	161.57	19.20	1.88	1.22	5.23	1.08	0.51	(1.24)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(29.09)	(30.12)	9.62	(4.12)	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	(974.50)	714.28	4.79	56.12	161.57	19.20	1.88	1.22	5.23	1.08	0.51	(1.24)
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	(974.50)	714.28	4.79	56.12	161.57	19.20	1.88	1.22	5.23	1.08	0.51	(1.24)

निवेश के ब्योरे :

- क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%
 ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

- a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%
 b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियाँ Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियाँ एन्युटी कांट्रैक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
कुल/Total	100.00%

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 से 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	6.98% (पेंशन हेतु/For Pension) 7.25% (उपदान हेतु/For Gratuity)
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	7.79% (पेंशन हेतु/For Pension) 7.79% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	औसतन 21 वर्ष (उपदान)/21 Years on an average (Gratuity) औसतन 8 वर्ष (पेंशन)/8 Years on an average (Pension)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन-(एएस-20) / Earnings Per Share (EPS)- (AS-20): :

	As on 31.3.2022	As on 31.3.2021
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	929.76	167.04
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	11955958176	9918340622
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	11637754887	9918340622
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	0.80	0.17

12. आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹817.71 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020-21 ₹675.81 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the year net amount of ₹ 817.71 Crore (₹ 675.81 has been recognized Crore for FY 2020-21) has been recognized as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	8277.94	9574.09
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	226.81	223.71
उचित मूल्य में हास / Diminution in fair value	0.00	0.00
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	0.00	0.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	285.49	167.08
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	--	--
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	80.49	73.01
योग:/TOTAL :	9220.18	10037.89

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योग:/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	9220.18	10037.89

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में इस विकल्प के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी है।

23) कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank is currently in the process of evaluating this option and continues to recognize the taxes on income for the year ended 31st March, 2022 as per the earlier provisions of the Income Tax Act, 1961.

13. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्यों

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूको बैंक (बैंक) की संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 के तुलन-पत्र, एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है।

इनमें:

- प्रधान कार्यालय, 42 जोन, 1 ट्रेजरी शाखा को शामिल करते हुए 21 शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है,
- 1007 शाखाओं (सेवा शाखाओं को शामिल करते हुए) की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों ने की है
- 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई है उन शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इसी में 2044 शाखाओं से प्राप्त तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते को भी, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, इसमें शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है उन शाखाओं से 16.52% अग्रिम का, 43.28% जमा का, 11.68% ब्याज आय का तथा 44.04% ब्याज व्यय का कारोबार होता है।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा बैंक के संबंध में यथा अपेक्षित, यथारूप अपेक्षित सूचना देता है तथा वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है और यह निम्नलिखित बातों की जानकारी देता है:

क) 31.03.2022 को तुलन पत्र तथा बैंक की स्थिति की सही तथा साफ छवि की

ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में हानि के सही अतिशेष की तथा

ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही तथा साफ छवि की।

अभिमत का आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक नोट शामिल किए गए हैं। उन मानकों के तहत हमारे अन्य दायित्वों का विवरण हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणी भाग में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व के अंतर्गत दिया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ एकल वित्तीय विवरणी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए संगत अपेक्षित आचार के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा कोड ऑफ एथिक्स की अपेक्षाओं को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित है।

3. ध्यान देने योग्य बातें

i) हम कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के संबंध में वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट सं. 14(k) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक का वित्तीय प्रदर्शन भविष्य पर निर्भर है। बैंक निरंतर आधार पर सामना कर रही चुनौतियों से संबंधित स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है।

इन मामलों से संबंधित हमारी अवधारणा में संशोधन नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

4. मूल लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशागत निर्णय में चालू अवधि की एकल वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्व के थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखा परीक्षा तथा उसपर अपना अभिमत बनाने के क्रम में बरता गया है तथा इन मामलों पर हम अलग से अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते। नीचे दिए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज करने के लिए हमने उसे मूल लेखा परीक्षा मामला माना है:

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
<p>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले डेटा और नियंत्रणों का प्रवासन:</p> <p>वर्ष के दौरान, बैंक ने फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में प्रवासन किया है। बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली को बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज या स्वतंत्र रूप से काम करने पर अत्यधिक निर्भर करती है।</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं: -</p> <p>हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और पहचान और रिपोर्ट /विवरणी और परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से उत्पन्न अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के अभिकल्प और परिचालन प्रभावीता को सत्यापित करना, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है।</p> <p>लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं में शामिल हैं:</p> <p>क) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण वातावरण, सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों और डेटा प्रवासन दृष्टिकोण की समझ प्राप्त की।</p>

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय

हमारे संकेन्द्रित क्षेत्र उस तर्क से संबंधित हैं जो सिस्टम में फीड किया गया है, स्थानांतरित किए गए आंकड़ों की सटीकता, डेटा की पवित्रता और विवसनीयता, अभिगम प्रबंधन और कर्तव्यों का विसंयोजन। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डेटा में परिवर्तन उपयुक्त, अधिकृत, शुद्ध और निगरानी किए जाते हैं, ताकि सिस्टम सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट / रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी उत्पन्न कर सके जिसका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।

बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में उत्पन्न करती हैं और विविध और जटिल लेनदेन को संसाधित करती हैं जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। एक जोखिम है कि स्वचालित लेखा प्रक्रियाओं और संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को सटीक रूप से डिजाइन और प्रभावी ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।

अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान अग्रिमों के अंतर्गत

खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक देट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्युशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है।

क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।

निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान

निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया

ख) उपयोगकर्ता और एप्लिकेशन नियंत्रण, परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण और डेटा बैकअप से संबंधित आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण करना।

ग) जहाँ हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने अयांत्रिक क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे प्रणाली और अन्य सूचना 'स्रोतों' के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे नमूना आकार को बढ़ाया।

घ) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षाओं के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता;

ङ) जहाँ कहीं भी उपलब्ध कराया गया है, बाहरी विक्रेता निरीक्षण रिपोर्टों पर निर्भरता।

हमारे परिणाम:

प्रणाली से आगत/निर्गम आंकड़ों की लगातार कमियों को नियंत्रित करने के लिए तथा इसकी प्रभावकारिता के लिए तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

हम सुझाव देते हैं कि बैंक अपनी प्रभावीलता को मजबूत करने के लिए फिनेकल 10 में प्रवासन के बाद आईएस लेखा-परीक्षा करें।

हमने आरिस्ट वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निर्देशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई।

हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं जांच की।

वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है।

निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और टोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं। हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत करें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।

वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया।

हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया; उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकरिमक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना

बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था :

- कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन।
- विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रुलिंगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन।
- सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ।
- जहां कही उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणों के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

अन्य बातें

5. क) इन एकल वित्तीय विवरणों में 1009 शाखाओं की प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिनमें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई जिसमें 2 विदेशी शाखाएं शामिल हैं। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित इन शाखाओं में 31 मार्च 2022 को 39.40% अग्रिम, 49.14% जमा और 28.52% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 18.93%/19%/प्रथम अवधि अर्थात् एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए शामिल हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय में, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) अपनी लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने 31 मार्च, 2022 तक 2044 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिसमें 16.52% अग्रिम, 43.28% जमा और 9.05% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 30.86%/28.42% शामिल हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों तथा उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से इतर सूचना

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेटमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेटमेंट) हैं। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताना होगा।

प्रबंधन तथा एकल वित्तीय विवरणी के गवर्नेस के लिए प्रभारीजनों का दायित्व

7. बैंक के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश को शामिल करते हुए वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, की प्रस्तुति के संबंध में जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह यथा प्रयोज्य स्तर में चल संस्थान के संबंध में मामलों को प्रकट करते हुए यदि प्रबंधन लिक्विडेट करने, परिचालन बंद करने अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो इनमें से किसी प्रकार की योजना न हो तो चल संस्थान लेखाकरण आधारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि बैंक एक चल संस्थान के स्तर में कारोबार करने में सक्षम है।

वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण स्तर से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एएसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने से समर्थ हों।

इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं। हम यह भी कहते हैं:

- वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेसेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल हैं, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन किया जा सके, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाना।
- लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करना तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताना। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चयता है तो हमें अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकती हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

जो गवर्नेस के दायित्व में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में बातचीत करते हैं।

जो गवर्नेस के दायित्व में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।

जो गवर्नेस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमी किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

10. उक्त पैराग्राफ 5 एवं 6 में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यक्षीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वे सभी जानकारीयां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
- ख) बैंक के जो लेन देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा
- ग) हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न पर्याप्त पाए गए हैं।

11. इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

- क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथावश्यक खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है;
- ख) इस रिपोर्ट में बरता गया तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, खाते की बहियों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के साथ संगत हैं;
- ग) शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिनका लेखा परीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण के प्रावधान के अनुसार में बैंक के लेखापरीक्षकों ने किया है जो हमारे पास भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्हें भली-भांति बरता गया है।
- घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

12. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग, के साथ पठित बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संचार दिनांक 19 मई, 2020, के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 की आवश्यकता के अनुसार आगे हम उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत हैं जो इस प्रकार है:

- क) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- ख) वित्तीय लेनदेन या उन मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ग) 31 मार्च, 2022 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- घ) खातों के रखरखाव और संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ड) इस रिपोर्ट के साथ बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन प्रभावशीलता संबंधी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ए में दिया गया है। हमारी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2022 के अनुसार बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 001311 सी
(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011
यूडीआईएन: 22071011AIXWZV2422

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 000846 सी
(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609
यूडीआईएन: 22005254AIXWCW3396

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272
(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
यूडीआईएन: 22058553AIXUIS3928

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 304013 ई
(सीए अमिय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254
यूडीआईएन: 22005254AIXVDK5640

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of UCO Bank("the Bank"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2022, and the Statement of Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the returns for the year ended on that date of:

- i) the Head Office 42 Zones, 21 branches inclusive of 1 treasury branch audited by us
- ii) 1007branches (including Service branches) audited by statutory branch auditors
- iii) 2 overseas branches audited by overseas local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2044 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 16.52%of advances, 43.28% of deposits, 11.68 % of interest income and 44.04% of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

- a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022;
- b. true balance of profit in case of the Profit and loss account for the year ended on that date; and
- c. true and fair view of cash flows in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India(ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

3. Emphasis of Matter

i) We draw attention to Note No. 14(k)of Schedule18 of the Financial Statements regarding impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and Bank's financial performance is dependent on future development. Bank is evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

4. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
<p>Information Technology (IT), Migration of Data and controls impacting financial Reporting:</p> <p>During the year, the Bank has migrated from Finacle 7 to Finacle 10.</p> <p>The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.</p>	<p>Our audit approach included: -</p> <p>Our audit procedures includes assessment and identification of key IT applications and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis.</p> <p>The audit procedures included:</p> <p>a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment, IT policies and data migration approach during the audit period.</p>

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
<p>Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, accuracy of migrated data, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.</p> <p>The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.</p>	<p>b) Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup.</p> <p>c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes to obtain adequate and appropriate audit evidences.</p> <p>d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;</p> <p>e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.</p> <p>Our Result: The system needs to be strengthened for its efficacy to control persisting deficiencies of input/output data from the system. We suggest bank to conduct IS Audit post migration to Finacle 10 to strengthen its efficacy & controls.</p>
<p>Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances</p> <p>Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances.</p> <p>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS).The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.</p> <p>In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures</p> <p>We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software.</p> <p>Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank.</p>
<p>Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments</p> <p>Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.</p> <p>These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.</p> <p>We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;</p>

performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt

The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.

We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc, for determining fair value of these investments;

For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security.

We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision thereagainst;

In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions.

Our audit procedure in response to this key Audit Matter included

- Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings.
- Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases.
- Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation.
- Analysis of opinion received from the experts where ever available.
- Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.

Other Matters

5. A. These standalone financial statements incorporate the relevant returns of 1009 branches including 2 foreign branches audited by the other auditors specially appointed for this purpose. These branches audited by other auditors cover 39.40 % of advances, 49.14 % of deposits and 28.52 % of Non-performing assets as on 31 March 2022 and 18.93% /19% of revenue for the quarter ended 31 March, 2022/ for the period 1st April 2021 to 31st March 2022. The financial statements/ information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

B. In conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2044 branches cover 16.52 % of advances, 43.28% of deposits and 9.05 % of Non- Performing assets as on 31st March, 2022 and 30.86%/28.42% of revenue for the quarter ended 31 March, 2022/ for the period 1st April 2021 to 31st March 2022.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information primarily comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report, Pillar 3 Disclosures under Basel III,

Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Corporate Governance and Shareholders Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 and 6 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches/offices not visited by us;
 - b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
 - c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
12. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters as specified in the aforesaid letter as under:
 - a) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

- c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2022, none of the directors is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our audit report on the operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of the Bank is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of the Bank as at 31st March 2022

For KHANDELWAL KAKANI & CO

Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(CA SANTOSH DESHMUKH)

Partner

Membership No. 071011

UDIN: 22071011AIXWZV2422

For R GOPAL & ASSOCIATES

Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(CA G D AGARWALA)

Partner

Membership No. 051609

UDIN: 22051609AIXWCW3396

For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP

Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(CA SANDEEP AGRAWAL)

Partner

Membership No. 058553

UDIN: 22058553AIXUIS3928

For GHOSHAL & GHOSAL

Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)

Partner

Membership No. 005254

UDIN: 22005254AIXVDK5640

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata

दिनांक/Dated : 13-05-2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट- अनुबंध- ए
Annexure A to the Independent Auditor's Report

(सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट खंड 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 10(अ) में संदर्भित)
(Referred to in paragraph 10(a) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section
of our report of even date)

भारतीय रिजर्व बैंक (द 'आरबीआई') के पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित), (द 'आरबीआई पत्राचार') द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग के अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट
Report on the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), (the "RBI communication")

- हमने उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु बैंक की वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के साथ संयोजक के रूप में 31 मार्च, 2022 तक यूको बैंक ('द बैंक') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावीलता का लेखापरीक्षा किया है जिसमें बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

We have audited the Operating Effectiveness of internal financial controls over financial reporting of UCO Bank ('the "Bank") as of 31st March 2022 in conjunction with our audit of the financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Banks branches.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने एवं स्थापित करने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल है जिसे बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना एवं निवारण, लेखा संबंधी अभिलेखों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सहित इसके कारोबार को व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से संचालित किया गया तथा बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना भी शामिल है।

The Management of the Bank is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी/Auditor's Responsibility

- हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन एवं कार्यान्वयन डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन शामिल है।

Our responsibility is to express an opinion on the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of the Bank based on our audit. Our audit of internal financial controls over financial reporting includes an evaluation of the adequacy of the design and implementation of such internal financial controls over financial reporting.

- हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (द 'आसीएआई') द्वारा जारी (द 'गाइडेंस नोट') तथा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसए) के गाइडेंस नोट के अनुसार लेखापरीक्षा किया है जोकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर किसी सीमा तक प्रयोज्य है। उन मानदंडों एवं गाइडेंस नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs)

issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting operated effectively in all material respects.

5. हमारी लेखापरीक्षा में बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाणन प्राप्त करने हेतु कार्यनिष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया वित्तीय विवरणियों के गलत अनुमान चाहे धोखाधड़ी के हों या गलती से किए गए हों, के जोखिम के मूल्यांकन के साथ वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करते हैं।

Our audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the internal financial control over financial reporting of the Bank. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

6. हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमें मिले हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आय -

Meaning of internal Financial Controls over Financial Reporting

7. किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लेखा सिद्धांतों पर सामान्यतः स्वीकार्य के अनुसार बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है। किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित जिसमें बैंक की आस्तियों के लेनदेन एवं वृत्तियों में सही और निष्पक्ष रूप से उचित विवरण हों (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वरूप का समय पर पता लगाना या निवारण के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान कराना जिससे वित्तीय विवरणियों के भौतिक प्रभाव का पता लगाया जा सके।

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank, and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

8. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन का दबाव या आपसी सांठगांठ की संभावना या चूक या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गड़बड़ी हो सकती है और जिसका पता नहीं चला हो। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का कोई पूर्वानुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा स्थितियों में बदलाव, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

विचार / Opinion

9. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है, और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे और यह भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित है।

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले / Other Matters

10. हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट 370 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावीलता से संबंधित है, जिसमें 350 शाखाओं की लेखा-परीक्षा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है और 20 शाखाओं की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की जाती है। 350 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का पता लगाते समय, हमने उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर भरोसा किया है। इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

Our aforesaid report insofar related to the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 370 branches, in which 350 branches are audited by the branch auditors appointed for this purpose and 20 branches audited by us. While ascertaining the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 350 branches, we have relied on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011
यूडीआईएन: 22071011AIXWZV2422
(CA SANTOSH DESHMUKH)
Partner
Membership No. 071011
UDIN: 22071011AIXWZV2422

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609
यूडीआईएन: 22051609AIXWCW3396
(CA G D AGARWALA)
Partner
Membership No. 051609
UDIN: 22051609AIXWCW3396

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
यूडीआईएन: 22058553AIXUIS3928
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553
UDIN: 22058553AIXUIS3928

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए अमिय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254
यूडीआईएन: 22005254AIXVVK5640
(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)
Partner
Membership No. 005254
UDIN: 22005254AIXVVK5640

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated: 13-05-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
A. Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	17503654	(849387)
समायोजन /Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	1649552	1344161
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	5204065	1377032
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान /Provision for non-performing assets	38000598	27340267
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	3379266	110245
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items	(4799318)	20942959
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि /(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(5173)	209586
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on subordinated debt (treated separately)	2769807	2760234
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(94324)	(92857)
टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज (इसे अलग माना गया)		
Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)	0	(4525)
उप-योग/Sub-total	63608127	53137714
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
	63608127	53137714
समायोजन/Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(36112592)	(29218401)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(152299245)	(129143147)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	19195368	22274657
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(5149280)	(12541835)
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	181535039	127159509
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(26790802)	(7447540)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	43986615	24220958
Net Cash Flow from Operating Activities (A)	43986615	24220958
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
B. Cash flow from investing activities :		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(2160186)	(1458648)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	67731	(183947)
प्राप्त लाभांश/Dividend Received	94324	92857
टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज/Interest received from Tier-II Bonds	0	4525
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)	(1998131)	(1545213)
Net cash flow from investing activities (B)	(1998131)	(1545213)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2022 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021
	₹	₹
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/		
C. Cash flow from financing activities :		
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential allotment of Equity Shares	20376177	0
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares	5623823	0
भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी (शेयर एप्लिकेशन मुद्रा में रखा गया) Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	(26000000)	26000000
बासेल -III अनुपालित टियर-2 बॉण्ड जारी करना / Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	5000000	0
अपर टियर-2 बॉण्डों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	(10000000)	0
नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	(8595601)	9417537
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(2769807)	(2760234)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	(16365408)	32657303
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ) Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)	25623076	55333048
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन (ई)/ Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation (D)	(145605)	2607807
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ+ई)/ Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C+D)	25477471	57940855

सोमा शंकर प्रसाद
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
SOMA SANKARA PRASAD
Managing Director & CEO

श्री इशराक अली खान
कार्यपालक निदेशक
ISHRAQ ALI KHAN
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
निदेशक
DR SANJAY KUMAR
Director

राजेश कुमार
निदेशक
RAJESH KUMAR
Director

अर्जन तालुकदार
निदेशक
ANJAN TALUKDAR
Director

रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
RAVI KUMAR AGRAWAL
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

संदीप कुमार बोस
सहायक महाप्रबंधक
SANDEEP KUMAR BOSE
Asst. General Manager

शशिकांत कुमार
महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2022 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021
	₹	₹
क्रमशः 1 अप्रैल 2021 और 2020 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on April 1,2021 & 2020 respectively	236002439	178061584
क्रमशः 31 मार्च 2022 और 2021 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on March 31,2022 & 2021 respectively	261479910	236002439
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	8096269	9234231
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	86357875	58533053
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	141548295	110294300
	236002439	178061584
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9167094	8096269
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	93708375	86357875
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	158604441	141548295
	261479910	236002439

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011
(CA SANTOSH DESHMUKH)
Partner
Membership No. 071011

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609
(CA G D AGARWALA)
Partner
Membership No. 051609

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए अमीय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254
(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)
Partner
Membership No. 005254

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2022 की स्थिति	31.3.2021 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2022	As on 31.3.2021
		₹	₹
पूंजी /Capital	1	11955 95 82	9918 34 06
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money			2600 00 00
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	11512 78 22	9998 15 82
जमाराशियां / Deposits	3	224072 89 83	205919 39 44
उधार Borrowings	4	13508 14 42	15382 63 23
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6609 47 56	9427 66 90
योग /TOTAL		267659 25 85	253246 19 45

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011
(CA SANTOSH DESHMUKH)
Partner
Membership No. 071011

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609
(CA G D AGARWALA)
Partner
Membership No. 051609

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए अमिय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254
(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)
Partner
Membership No. 005254

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated: 13-05-2022

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र (जारी) CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2022 की स्थिति As on 31.3.2022	31.3.2021 की स्थिति As on 31.3.2021
ASSETS	Schedule	₹	₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10287 54 69	9445 41 44
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	15860 44 41	14154 82 95
निवेश/Investments	8	96749 04 54	93693 03 52
अग्रिम/Advances	9	122784 40 56	111354 54 09
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	3334 92 12	3218 23 24
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	18642 89 53	21380 14 21
योग /TOTAL		267659 25 85	253246 19 45
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	142556 91 39	73353 46 52
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	8039 44 63	7109 66 94

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियों 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

सोमा शंकर प्रसाद
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
SOMA SANKARA PRASAD
Managing Director & CEO

श्री इशराक अली खान
कार्यपालक निदेशक
ISHRAQ ALI KHAN
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
निदेशक
DR SANJAY KUMAR
Director

राजेश कुमार
निदेशक
RAJESH KUMAR
Director

अर्जन तालुकदार
निदेशक
ANJAN TALUKDAR
Director

रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
RAVI KUMAR AGRAWAL
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

संदीप कुमार बोस
सहायक महाप्रबंधक
SANDEEP KUMAR BOSE
Asst. General Manager

शशिकांत कुमार
महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated: 13-05-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची	31.3.2022	31.3.2021
		को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	Schedule	Year Ended	Year Ended
		31.3.2022	31.3.2021
		₹	₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	14981 33 88	14446 14 98
अन्य आय /Other Income	14	3100 80 69	3424 17 46
योग/TOTAL		18082 14 57	17870 32 44
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	8508 38 95	8966 45 18
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	4776 32 26	4754 80 89
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		3867 67 02	3982 02 97
योग/TOTAL		17152 38 23	17703 29 04
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
सहयोगी में लाभ/हानि का हिस्सा/Share of earnings / loss in Associates		(-)-34 84 25	(-)-21 35 11
वर्ष का निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss) for the Year		929 76 34	167 03 40
निवल लाभ/(हानि) पिछला अग्रानीत/Net Profit/(Loss) Brought Forward		(-)-89 91 47	(-)-12605 96 10
योग/TOTAL		805 00 62	(-)-12460 27 81

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011
(CA SANTOSH DESHMUKH)
Partner
Membership No. 071011

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609
(CA G D AGARWALA)
Partner
Membership No. 051609

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए अमिय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254
(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)
Partner
Membership No. 005254

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा (जारी)

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2022	31.3.2021
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2022	31.3.2021
	₹	₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves	232 44 08	41 75 85
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves	41 29 90	244 91 08
निवेश अस्थिरता आरक्षित में अंतरण / Transfer to Investment Fluctuation Reserves	559 30 74	-
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई		
Balance Carried over to Balance Sheet	(-)28 04 10	(-)12746 94 74
योग /TOTAL	805 00 62	(-)12460 27 81
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्युनीकृत ईपीएस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	₹ 0.77	₹ 0.15

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts
As per our Report of even date

सोमा शंकर प्रसाद
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
SOMA SANKARA PRASAD
Managing Director & CEO

श्री इशराक अली खान
कार्यपालक निदेशक
ISHRAQ ALI KHAN
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
निदेशक
DR SANJAY KUMAR
Director

राजेश कुमार
निदेशक
RAJESH KUMAR
Director

अजंन तालुकदार
निदेशक
ANJAN TALUKDAR
Director

रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
RAVI KUMAR AGRAWAL
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

संदीप कुमार बोस
सहायक महाप्रबंधक
SANDEEP KUMAR BOSE
Asst. General Manager

शशिकांत कुमार
महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000' को छोड़ दिया गया है)
 (000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022		31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1500.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 (1500,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000	00 00	15000	00 00
		15000		15000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 1195,59,58,176 (991,83,40,622) ईक्विटी शेयर 1195,59,58,176 (991,83,40,622) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1140,49,10,524 (936,72,92,970) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 1140,49,10,524 (936,72,92,970) shares held by Central Govt.]	11955	95 82	9918	34 06
		11955		9918
				34 06
योग /TOTAL		11955		9918
				34 06
प्राप्त आवेदन राशि साझा किया जाना (आवंटन लंबित) Share Application Money Received (Pending Allotment)				2600 00 00

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष

Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000' को छोड़ दिया गया है)
 (000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार		31.3.2021 की स्थिति के अनुसार	
	As on 31.3.2022		As on 31.3.2021	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserve:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2297 67 02		2255 91 17	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती				
Addition / Deduction during the year	<u>232 44 08</u>		<u>41 75 85</u>	
		2530 11 10		2297 67 02
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserve :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष				
Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/b) निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	884 41 54		639 50 46	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer from Profit and Loss Account	<u>41 29 90</u>		<u>244 91 08</u>	
	925 71 44		884 41 54	
		925 71 44		884 41 54
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2691 44 21		2348 37 23	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the year	<u>69 19 92</u>		<u>431 87 47</u>	
वर्ष के दौरान कटौती/	2760 64 13		2780 24 70	
Deduction during the year	<u>28 44 83</u>		<u>88 80 49</u>	
		2732 19 30		2691 44 21
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	15720 36 07		15720 36 07	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/				
Addition during the year	<u>562 38 23</u>		<u>—</u>	
	16282 74 30		15720 36 07	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year	<u>12657 03 27</u>		<u>—</u>	
		3625 71 03		15720 36 07
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/				
Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	601 82 72		292 12 98	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	<u>28 27 03</u>		<u>389 38 74</u>	
	630 09 75		681 51 72	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year	<u>84 38 00</u>		<u>79 69 00</u>	
		545 71 75		601 82 72

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022		31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021	
	₹	₹	₹	₹
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	543 05 21		566 06 39	
जोड़ें : विनिमय उच्चत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	72 67 97			
	615 73 18		566 06 39	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year			23 01 18	
		615 73 18		543 05 21
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit and Loss Account				
		5 16 79		5 16 79
द) निवेश अस्थिरता आरक्षित/ Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	559 30 74			
		559 30 74		
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	(-)12746 94 74		(-)12605 96 10	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	12718 90 63		(-)140 98 64	
		(-)28 04 11		(-)12746 94 74
कुल/TOTAL(I to V)		11512 78 22		9998 15 82

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 3 — जमाराशियां/Schedule 3 — DEPOSITS (000' को छोड़ दिया गया है) (000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
अ/आ. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	230 84 61	125 66 74
ii) अन्य से/From Others	10938 29 46	9695 34 60
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	77161 76 43	70808 70 37
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	4424 24 84	1909 06 42
ii) अन्य से/From Others	131317 74 50	123380 61 31
योग/TOTAL(I, II & III)	224072 89 84	205919 39 44
आ/ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	217719 68 73	201528 00 40
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	6353 21 11	4391 39 04
योग/TOTAL (i & ii)	224072 89 84	205919 39 44

अनुसूची 4 — उधार Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India		
ii) अन्य बैंक/Other Banks	6912 40 00	6375 31 75
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	5903 25 70	8538 66 99
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	692 48 72	468 64 49
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	13508 14 42	15382 63 23
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	10315 53 30	11913 86 19
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	939 71 00	1791 59 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	2 61	1 15 62
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance		32 77 00
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance	370 92 00	344 70 00
गौण ऋण/Subordinated Debt	1000 00 00	1000 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		
बासेल III कंप्लायंट टियर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1500 00 00	2000 00 00
सीबीएलओ/CBLO	2092 60 09	3368 45 37

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	607 71 60	508 25 75
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	379 17 87	378 54 97
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	627 96 31	606 33 78
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)*	4994 61 78	7934 52 40
योग /TOTAL	6609 47 56	9427 66 90
इसमें शामिल हैं / Includes मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	818 05 87	478 14 21

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
**Schedule 6 — CASH & BALANCES
WITH RESERVE BANK OF INDIA**

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	916 70 94	809 62 69
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	9280 44 69	8614 93 11
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	90 39 06	20 85 64
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	10287 54 69	9445 41 44

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
**Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND
 MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**

(000' को छोड़ दिया गया है)
 (000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	10 75 36	6 40 21
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	6691 82 19	6914 09 93
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks	5300 00 00	1500 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions	128 20 88	
योग / TOTAL	12130 78 43	8420 50 14
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	184 74 87	900 78 79
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	3217 40 66	4124 51 56
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	327 50 45	709 02 46
योग /TOTAL	3729 65 98	5734 32 81
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	15860 44 41	14154 82 95

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 8 — निवेश

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

Schedule 8 — INVESTMENTS

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	68979 71 13	64157 34 54
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	-	-
iii) शेयर/Shares	413 11 52	339 05 59
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	24457 89 67	26049 11 67
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स Investment in Associates	73 79 97	18 24 22
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	598 72 55	936 38 59
योग/TOTAL	94523 24 84	91500 14 61
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	2225 79 70	2192 88 91
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
योग/TOTAL	2225 79 70	2192 88 91
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)**	96749 04 54	93693 03 52

** निवेशों पर मूल्यहास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** Net of provision for Depreciation on Investments & provision for Non-Performing Investments

निवेश INVESTMENTS	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022			31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	96693 00 48	2169 75 64	94523 24 84	93411 19 16	1911 04 55	91500 14 61
II. भारत के बाहर Outside India	2227 60 41	1 80 71	2225 79 70	2334 17 17	141 28 26	2192 88 91
योग/TOTAL	98920 60 89	2171 56 35	96749 04 54	95745 36 33	2052 32 81	93693 03 52

निवेश पर मूल्यहास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान

Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	4209 82 71	4086 27 37
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	55713 41 21	54104 65 03
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	62861 16 64	53163 61 69
योग/TOTAL	122784 40 56	111354 54 09
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	97728 30 59	91941 61 96
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	1629 66 54	1267 36 87
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	23426 43 43	18145 55 26
योग/TOTAL	122784 40 56	111354 54 09
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	52363 02 46	50052 02 13
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	20046 47 96	14854 08 25
(iii) बैंक/Banks	2052 29 04	1527 07 74
(iv) अन्य/Others	34803 86 87	34203 16 47
योग/TOTAL	109265 66 33	100636 34 59
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(a) Bills Purchased and Discounted	2034 78 76	1583 15 89
(ख) सामूहिक उधार		
(b) Syndicated loans	11370 43 26	8772 55 92
(ग) अन्य		
(c) Others	113 52 21	362 47 69
योग/TOTAL	13518 74 23	10718 19 50
कुल योग (इ-एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	122784 40 56	111354 54 09

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022
अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. परिसर/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	309 17 35	304 79 69
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	4 17 54	2 97 82
	<u>313 34 89</u>	<u>307 77 51</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	9 55 90	1 44 07
	<u>322 90 79</u>	<u>309 21 58</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	1 15	4 23
	<u>322 89 64</u>	<u>309 17 35</u>
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	3022 06 84	2952 86 91
	<u>3344 96 48</u>	<u>3262 04 26</u>
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	<u>3344 96 48</u>	<u>3262 04 26</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	393 68 56	357 45 39
योग/ TOTAL	<u>2951 27 92</u>	<u>2904 58 87</u>
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	1950 31 18	1866 40 70
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	2 22 72	1 05 66
	<u>1952 53 90</u>	<u>1867 46 36</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	225 65 80	85 36 98
	<u>2178 19 70</u>	<u>1952 83 34</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	6 24 43	2 52 16
	<u>2171 95 27</u>	<u>1950 31 18</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	1836 13 99	1703 69 57
योग/ TOTAL	<u>335 81 28</u>	<u>246 61 61</u>
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	47 82 92	67 02 76
योग/TOTAL	<u>47 82 92</u>	<u>67 02 76</u>
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	3334 92 12	3218 23 24

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1605 23 04	1524 75 80
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	50 49 31	47 00 02
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	5 84 09	4 85 52
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	9220 18 00	10037 89 00
VII. अन्य/Others	7761 15 09	9765 63 87
योग/TOTAL	18642 89 53	21380 14 21

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	202 84 56	196 13 45
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	3 11 50	3 11 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	128136 14 88	61483 20 30
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	4266 60 16	1111 45 39
ख) भारत के बाहर B) Outside India	57 10 32	64 60 11
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4091 04 64	3243 73 12
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	5800 05 33	7251 22 65
योग/ TOTAL	142556 91 39	73353 46 52
# इसमें आईआरएस शामिल हैं/Includes IRS	3340 78 65	4770 78 65

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2022

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
I. ब्याज/अग्रिमों पर बट्टा/बिल/Interest/Discount on Advances/Bills	8321 69 65	7764 68 74
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	6020 42 89	6064 64 57
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	405 76 09	252 23 00
IV. अन्य/Others	233 45 25	364 58 67
योग/TOTAL	14981 33 88	14446 14 98

अनुसूची 14 — अन्य आय
Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	189 71 84	152 90 65
II. निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on Revaluation of Investments घटाएं : निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on Revaluation of Investments	140 78 46 454 46 75	3 54 47 299 63 52
III. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	564 75 91 5 45 17	1833 36 89 37 30 88
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	75 38 23 65	51 46 21 47 32
V. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	316 43 73 74 51	213 01 94 1 56 67
VI. भारत/विदेश में स्थापित अनुबंधित/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	9 43 24	9 28 57
VII. विविध आय/ Miscellaneous Income #	2339 82 21	1571 51 87
योग/TOTAL	3100 80 69	3424 17 46
# इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल है / # Includes Recovery in Written Off Accounts	1546 21 80	986 39 86

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा
**CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST
MARCH, 2022**

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
I. जमा राशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	8098 23 16	8468 33 19
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	11 59 51	112 36 17
III. अन्य/Others	398 56 28	385 75 82
योग/TOTAL	8508 38 95	8966 45 18

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय

Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	3314 31 05	3442 65 10
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	267 52 62	256 77 43
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	21 39 74	24 10 92
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	6 31 52	4 11 24
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/ Depreciation on Bank's Property	164 95 52	134 41 61
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 28 62	42 52
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	37 75 30	46 74 22
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	3 18 30	4 75 28
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	14 63 07	17 02 55
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	14 41 05	9 80 00
XI. बीमा/Insurance	238 97 66	236 18 83
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	691 57 81	577 81 19
योग/TOTAL	4776 32 26	4754 80 89

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)

(Annexed to and Forming Part of Consolidated Financial Statement for the year ended 31st March, 2022)

1. सामान्य / GENERAL

1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार / BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS :

ये समेकित वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, परंपरागत लागत प्रथाओं के आधार पर तैयार किये गए हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्त्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं जिसमें लागू होने वाले वैधानिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड, आरबीआई द्वारा समय - समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, लेखा मानक (एएस) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए घोषणाएं, जहां तक लागू हो एवं आम तौर पर भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं का अनुपालन किया गया है।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, unless otherwise stated, encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by RBI from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and generally the practices prevailing in Banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

यह वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, प्रोद्भव अवधारणा के साथ चालू व्यापार के आधार पर एवं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार तैयार किया गया है।

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं:-

Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared on the basis of:-

i) यूको बैंक का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

Audited financial statement of UCO Bank

ii) आईसीएआई द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' लेखा मानक 23 के अनुसार 'इक्विटी पद्धति के तहत 'सहायक प्रतिष्ठानों' में निवेश हेतु लेखांकन।

Accounting for investment in 'Associates' under 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के दौरान सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

No adjustments have been made to the financial statements of associate enterprise, when they are used in preparing consolidated financial statements.

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 के अनुसार बनाये गये हैं।

The financial statements of associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March, 2022.

1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. समेकन प्रक्रियाएं/CONSOLIDATION PROCEDURES:

मूल इकाई/Parent Entity:

वित्तीय विवरण यूको बैंक, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान को शामिल कर समेकित किये गए हैं।

The Financial statements are consolidated for UCO Bank, the parent entity and its associate enterprise.

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

सहयोगी इकाई/Associate Entity:

लेखा मानक 23- 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार 'इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है

Following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23- "Accounting for investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

कंपनी का नाम Name of the Company	देश / आवास Country/Residence	सम्बन्ध Relationship	मालिकाना हिस्सा Ownership Interest
पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक Paschim Banga Gramin Bank	भारत India	सहायक प्रतिष्ठान Associate Enterprise	35%

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOLLOWED BY THE PARENT ENTITY

3. अग्रिम / ADVANCES:

3.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

3.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

3.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

3.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

3.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

3.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

3.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।

For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

- 3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बड़े डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।

Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

- 3.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

Sale of Financial asset to Securitised Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

4. निवेश / INVESTMENTS

- 4.1 बैंक, निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

- 4.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

- 4.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

- (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- (iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- 4.4 वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

- 4.5 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 4.6 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनी ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹ 1 per company.

- 4.7 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशों पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश पर लागू होते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

- 4.8 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय-व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

- 4.9 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

5. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

- 5.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

- 5.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिंग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साइकिल / Cycle	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) * Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यहास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

5.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

5.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यहास की सममूल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाती है।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

5.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

5.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यहास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यहास किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

6. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

- vii) जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वैप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

6.2 विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

अदला-बदली / Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

7. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

7.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

7.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

आ/अ) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

क/अ) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/ब) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ/ब) निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अर्धवर्षीय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह

लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/क) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/क. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

7.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

8. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

8.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

8.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

8.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

8.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

9. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / **NON-BANKING ASSETS**

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है / Non-Banking Assets are stated at cost.

11. राजस्व की पहचान/**REVENUE RECOGNITION**

11.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।

Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

11.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।

In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

11.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।

Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

11.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के आधार पर होता है। लाभांश का दिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के सुस्थापित होने पर किया जाता है।

Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

11.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।

Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

11.6 आयकर रिफंड पर ब्याज की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।

Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

11.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।

Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

11.8 बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।

Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

12. पट्टा / **LEASE**

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमीयम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

13. आय पर कर / **TAXES ON INCOME**

13.1 चालू कर / **Current Tax**

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

13.2 आस्थगित कर / **Deferred Tax**

क/अ) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय में होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/ब) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।

Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/क) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/द) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढ़ाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनीय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

14. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

14.1 बैंक एएस 20 —'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।
The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

14.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

15. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं व्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यकन निम्नप्रकार से किया जाता है:

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/अ) बचाव-व्यवस्था पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/ब) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।
Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/क) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(घ/द) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आरिस्त/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(ङ/े) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आरिस्त संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आरिस्तों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

17. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18

अनुबंध III / Annexure III

लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

(31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)

(Annexed to and Forming Part of Consolidated Financial Statement for the year ended 31st March, 2022)

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital:

ए/अ) नियामक पूंजी की संरचना/Composition of Regulatory Capital

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	चालू वर्ष/ Current Year	पिछला वर्ष/ Previous Year
	बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/ चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां (कटौती का शुद्ध, यदि कोई हो) Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves (net of deductions, if any)	11469.81	11411.10
(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / अन्य टियर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital/ Other Tier 1 capital	0	0
(iii) टियर 1 पूंजी/Tier 1 capital (i + ii)	11469.81	11411.10
(iv) टियर 2 पूंजी/Tier 2 Capital	2894.92	2659.36
(v) कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)/ Total capital (Tier 1+Tier 2)	14364.73	14070.46
(vi) कुल जोखिम अनिर्धारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	104519.05	102411.67
(vii) सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	10.97	11.14
(viii) टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	10.97	11.14
(ix) टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.77	2.60
(x) पूंजी-जोखिम अनिर्धारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	13.74	13.74
(xi) उत्तोलन अनुपात/Leverage Ratio		
(xii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of Government of India	95.39	94.44
(xiii) वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	-
(xiv) वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year; out of which अ) बासेल III अनुपालन स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)/ a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) ख) बासेल III अनुपालन स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) b) Basel III compliant Perpetual Debt Instrument (PDI):	-	-
(xv) वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of Tier 2 capital raised during the year; of which अ) स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर a) Basel III compliant Tier II Bonds	500	-

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ सं. 7/23/2019- बीओए-1 दिनांक 17.03.2021 द्वारा इक्विटी शेयरों के अधिमानतः आवंटन के माध्यम से ₹ 2600 करोड़ की पूंजी डाली और यह पूंजी योगदान बैंक को दिनांक 31.03.2021 को प्राप्त हुआ था। आरबीआई के पत्र सं. डीओआर.सीएपी.21.01.002/2021-22 दिनांक 19.05.2021 द्वारा अनुमोदन पश्चात इसे बैंक के कॉमन इक्विटी कैपिटल (सीईटी-1) में शामिल किया गया। आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने तक इस राशि को शेयर आवेदन मुद्रा के तहत रखा गया है। बैंक को 2600 करोड़ के पूंजी 31.03.2021 को प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष में भारत सरकार को अधिमानतः आधार पर 10/- रुपये के अंकित मूल्य के 203,76,17,554 इक्विटी शेयर 12.76 रुपये (₹ 2.76 के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य में 28.05.2021 को जारी एवं आवंटन किए।

बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान दो चरणों में बेसल III टियर II बॉन्ड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान कॉल ऑप्शन का प्रयोग करके अपने 1000 करोड़ रुपये के टियर II बांड का भी भुगतान किया है।

बी) रिज़र्व से ड्रा डाउन - शून्य

2. आस्ति देयता प्रबंध/Asset Liability Management

ए) दिनांक 31.03.2022 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूपः/

a) Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2022:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30 दिन तक	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	1 Day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31days to 2 months	Over 2 months and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 year	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	3,150 (2128)	4,053 (3689)	3,284 (3011)	7,567 (7279)	9,019 (8253)	11,396 (9021)	23,640 (24219)	41,164 (36279)	32,054 (30309)	18,837 (17021)	69,908 (64711)	2,24,073 (205919)
अग्रिम / Advances	428 (455)	1,595 (1654)	1,393 (1414)	2,492 (1916)	2,726 (2834)	3,883 (3453)	7,354 (6457)	16,597 (15243)	15,745 (15787)	14,564 (14731)	63,000 (54459)	1,29,777 (118405)
निवेश / Investments	- (-)	100 (-)	- (417)	707 (431)	218 (471)	1,024 (234)	1,657 (234)	3,082 (986)	5,165 (2639)	13,763 (8055)	73,327 (82368)	99,045 (95835)
उधार/Borrowings	293 (359)	2,851 (3734)	1,056 (1095)	1,834 (1769)	602 (1168)	2,821 (1861)	744 (726)	1,335 (1522)	473 (2150)	- (-)	1,500 (1000)	13,508 (15383)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	1,755 (1209)	4,167 (3103)	1,479 (1564)	16,782 (6884)	16,379 (2585)	5,448 (4835)	11,379 (8355)	26,439 (15565)	3,576 (6045)	2,042 (2362)	2,286 (2663)	91,732 (55169)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	1,804 (675)	4,670 (3573)	1,428 (1586)	16,980 (7129)	15,488 (2617)	6,486 (5070)	11,170 (8637)	25,636 (15774)	4,744 (6413)	1,767 (1648)	1,824 (2212)	91,999 (55336)

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) /b) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)
प्रमाणात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:

चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2021		30.09.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2021		31.12.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2021		31.03.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2022	
	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/ High Quality Liquid Assets								
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां (HQLA) Total High quality Liquid Assets(HQLA)	69,474.37	72,348.63	72,775.1	74,187.38				
नकदी निकासी/Cash Outflows								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से Retail Deposit and deposits from small business customers, of which	1,40,247.81	1,46,867.15	1,50,127.82	15,018.29				
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	2,312.67	2,259.54	2,303.92	114.03				
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposit	1,37,935.14	1,44,607.61	1,47,823.90	14,904.25				
3 असुरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से Unsecured Wholesale Funding, of which	39,839.58	45,684.91	43,371.10	16,752.77				
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposits (All Counter Parties)	1.95	0.49	1.72	14.68				
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposits (All Counter Parties)	39,837.62	45,683.97	43,369.38	16,738.09				
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt	-	-	-	-				
4 प्रतिभूत थोक निधियन / Secured Wholesale Funding								
5 अतिरिक्त जरूरतें, जिनमें/ Additional Requirements, of Which	9,650.82	10,939.31	9,681.23	1,606.75				
(i) व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	703.46	703.46	1,832.36	995.85				

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2021		30.09.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2021		31.12.2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2021		31.03.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2022	
	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	8,947.36	674.99	9,133.79	726.98	7,848.87	605.20	8,165.90	610.90
6 अन्य सविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	2,222.57	2,222.57	2,234.46	2,234.46	2,050.87	2,050.87	2,254.25	2,254.25
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	9,005.79	286.47	8,850.09	276.74	9,252.20	295.45	9,390.48	299.09
8 कुल नकदी निकासी/ Total Cash Outflows	35,519.58	35,519.58	37,341.00	37,341.00	35,800.75	35,800.75	35,931.15	35,931.15
नकदी आगमन/ Cash Inflows								
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repos)	430.40	-	-	-	1,392.14	-	4,301.43	-
10 पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	3,914.29	2,866.09	4,096.34	2,839.44	3,329.37	2,272.32	3,511.45	2,302.66
11 अन्य नकदी आगमन/ Other Cash inflows	708.76	398.52	637.82	340.80	685.94	366.44	672.64	357.86
12 कुल नकदी आगमन/Total Cash inflows	4,781.97	3,264.61	4,734.15	3,180.24	4,644.63	2,638.76	8,485.52	2,660.51
13 कुल एचएसएलए/ Total HQLA	69,474.37	69,474.37	72,348.63	72,348.63	72,775.14	72,775.14	74,187.38	74,187.38
14 कुल निवल नकदी निकासी/ Total Net Cash Outflow	32,254.97	32,254.97	34,160.77	34,160.77	33,161.99	33,161.99	33,270.64	33,270.64
15 चलनिधि कवरेज अनुपात/ Liquidity Coverage Ratio (%)	215.39%	215.39%	211.79%	211.79%	219.45%	219.45%	223.74%	223.74%

* चालू वर्ष का औसत एलसीआर यानी 217.45%/Average of Daily LCR of Current Year i.e. 217.45%

** पिछले वर्ष का औसत एलसीआर यानी 229.90%/Average of Daily LCR of Previous Year i.e. 229.90%

एलसीआर डाटा की गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम

चल निधि कवरेज, बैंक को संभावी चल निधि के अव्यवस्थित होने पर यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक में उच्च स्तरीय चल निधि परिसंपत्तियां हैं जिन्हें 30 दिनों की अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थितियों से उबरने हेतु चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, लघु अवधि हेतु संवर्धित करता है। एलसीआर का परिकलन अगले 30 कैलेंडर दिनों में कठिन आर्थिक परिस्थितियों में निवल नकद बहिर्गमन के अनुपात में उच्च स्तरीय चल निधि संपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

पर्याप्त एलसीआर के निर्धारक तत्व

बैंक द्वारा लगातार एकल एवं समेकित आधार पर एलसीआर को नियामक की अपेक्षाओं से भी अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है जिसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं:

तत्व / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का सुविधाजनक स्तर Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक द्वारा बाध्यकारी एसएलआर जरूरतों से अधिक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का सुविधाजनक स्तर बनाए रखा जा रहा है, जिसे संकटग्रस्त परिस्थितियों में जल्द तरलता उपलब्ध करने के लिए आसानी से बेचा या रेपो उधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The Bank is maintaining comfortable level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for repo borrowings to avail quick liquidity in stressed conditions.
न्यून रन ऑफ वाली निकारियों पर ध्यान देना Focus on Outflows having lower run-off	बैंक 5%/10% के न्यून रन ऑफ घटक युक्त रिटेल जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा एवं बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमाओं पर निर्भरता कम कर रहा है जिनका 40%/100% तक उच्च रन ऑफ घटक रहता है। The bank is focusing on accretion of retail deposits as they have lower run off factor of 5%/10% and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC having higher run off factor of 40%/100%

Qualitative Assessment of LCR data and Result:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet their liquidity needs under a significantly severe stress scenario lasting for 30 days. The LCR is calculated as the ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash Outflows under stressed conditions over the next 30 calendar days.

Drivers of a Comfortable LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the regulatory requirement on an ongoing basis on solo as well as consolidated basis the main drivers of which are as under:

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

● स्तर 1 की परिसंपत्तियां

- उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
- बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
- एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
- एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 15% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।

● स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)

● स्तर 2ए परिसंपत्तियों के अंतर्गत

- सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकार्यों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
- कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

● Level 1 Assets

- Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
- Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
- Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 15% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.

● Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)

● Under Level 2A assets

- Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
- Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

- स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत

1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन इक्विटी शेयर

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण : विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधियन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यतः शामिल हैं

- चालू जमा एवं बचत जमा, और
- मीयादी जमा (सामान्य एवं थोक)

बैंक निम्न स्थिरता वाली निधियों के संकेन्द्रण पर निगरानी रखने/कम करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी रख रहा है। बैंक ने थोक जमा को कम किया है तथा चालू एवं बचत जमा की अभिवृद्धि पर ध्यान दिया है। बैंक नियमित अंतराल पर 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण पर भी नज़र रखता है।

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर तरलता का प्रबंधन केंद्रीयकृत रूप से किया जाता है।

- Under Level 2B assets

1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Current Deposit and Saving Deposit and
- Term Deposit (normal and Bulk)

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor / reduce the concentration of funds having lower stability. The bank has reduced the bulk deposits and focused on accretion of current and Savings deposits. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेबलेंट:

(₹ करोड़ में)	तिमाही 1				तिमाही 2				तिमाही 3				तिमाही 4				
	अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिधित मूल्य		निधित मूल्य		अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिधित मूल्य		निधित मूल्य		अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिधित मूल्य		निधित मूल्य		अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिधित मूल्य		निधित मूल्य		
	कई परियोजना नहीं*	<6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परियोजना नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परियोजना नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परियोजना नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
एनएसएफ मद																	
19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों के अर्जक ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के अर्जक ऋण, जिनमें से:	-	43,643	1,987	23,298	-	29,885	2,098	16,547	-	33,918	12,125	24,935	-	31,621	2846	17889	
20 ऋण जोखिम के लिए बायस II मानकीकृत वृद्धिकोण के तहत जोखिम भार के साथ	-	-	1,456	947	-	-	1,409	916	-	-	11,854	7,705	-	-	2195	1427	
21 अर्जक आवासीय ऋण, जिनमें से:	-	-	51,271	41,256	-	-	52,997	42,606	-	-	53,753	43,276	-	-	55125	44430	
22 केडिट जोखिम के लिए बायस II मानकीकृत वृद्धिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	11,621	7,553	-	-	12,205	7,934	-	-	12,070	7,845	-	-	12131	7885	
23 प्रतिभूतियाँ जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रैडेड डेरिवेटिव संचित एवक्यूएलर के रूप में योग्य नहीं हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 अन्य संघर्षिता: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	2,063	-	47,785	49,803	570	-	49,481	50,007	600	-	47,894	48,444	679	-	45498	46122	
25 सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 व्युत्पन्न अनुबंधों और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में अतिदायों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रविष्ट की गई अतिरक्तियाँ	301	-	-	256	295	-	-	250	336	-	-	285	359	-	-	305	
27 एनएसएफआर व्युत्पन्न अतिरक्तियाँ	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	
28 प्रविष्ट किए गए घट-बढ़ मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	1,763	-	-	1,763	275	-	-	275	264	-	-	264	319	-	-	319	
29 अन्य सभी संघर्षिता जो उच्चरुक श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	-	-	47,785	47,785	-	-	49,481	49,481	-	-	47,894	47,894	-	-	45498	45498	
30 तुलन घत्र में शामिल नहीं होने वाली मदें	9,614			481	8,210			410	8,165			408	8,917			446	
31 कुल आरएसएफ	66,155	13,268	43,643	1,01,042	1,21,203	64,354	8,599	29,885	1,04,576	33,918	7,865	65,043	1,13,771	9608	103,469	114,514	
32 निचल रिस्कर नियंत्रण अनुपात (%)				168.30%				180.06%				171.44%				87.86%	

c) Net Stable Funding Ratio(NSFR):

NSFR Disclosure Template:																						
ASF Item	QUARTER 1				QUARTER 2				QUARTER 3				QUARTER 4									
	Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity									
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value		
(₹ in Crore)																						
1 Capital: (2+3)	-	-	53,941	54,021	57,232	-	-	-	57,232	57,311	-	-	-	56,086	-	-	-	-	59,020	59,100	-	-
2 Regulatory capital	-	-	13,595	13,674	13,425	-	-	-	13,425	13,504	-	-	-	12,861	-	-	-	-	14,365	14,445	-	-
3 Other capital instruments	-	-	40,346	40,346	43,807	-	-	-	43,807	43,807	-	-	-	43,225	-	-	-	-	44,655	44,655	-	-
4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	74,565	-	70,841	1,33,671	76,377	-	71,387	-	1,35,371	76,871	-	72,024	-	1,36,878	79,172	-	71,295	-	-	1,38,175	-	
5 Stable deposits	33,792	-	22,325	53,311	33,866	-	22,077	-	52,491	33,980	-	21,676	-	52,874	34,043	-	21,046	-	-	52,335	-	
6 Less stable deposits	40,773	-	48,516	80,360	42,512	-	49,310	-	82,880	42,891	-	50,348	-	84,005	45,129	-	50,249	-	-	85,840	-	
7 Wholesale funding: (8+9)	5,204	322	28,113	16,298	3,947	308	24,897	-	14,636	4,158	528	29,192	-	17,001	4,405	528	28,853	-	-	17,846	-	
8 Operational deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	52	-	-	-	-	26	-	-
9 Other wholesale funding	5,204	322	28,113	16,298	3,947	308	24,897	-	14,636	4,089	528	29,192	-	16,966	4,294	528	28,853	-	-	17,791	-	
10 Other liabilities: (11+12)	7,110	-	-	-	6,442	-	-	-	-	6,473	-	-	-	-	7,241	-	-	-	-	-	-	-
11 NSFR derivative liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 All other liabilities and equity not included in the above categories	1,824	-	-	-	973	-	-	-	-	1,231	-	-	-	-	2,844	-	-	-	-	-	-	-
13 Total ASF (1+4+7+10)				2,03,990					2,07,318					2,10,043					2,15,121			
RSF Item																						
14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)				4,774					4,956					4,934					4,956			
15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes	72	-	-	36	49	-	-	-	24	55	-	-	-	27	50	-	-	-	-	25	-	-
16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	-	10,368	43,643	53,257	66,110	-	3,899	29,885	55,094	59,738	-	3,283	33,918	68,703	-	4308	31621	57971	62965	-	-	-
17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA and unsecured performing loan to financial institutions.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	10,368	-	1,555	-	3,899	-	-	585	-	3,283	-	-	492	-	4308	-	-	646	-	-	-

NSFR Disclosure Template:																								
₹ in Crore	QUARTER 1				QUARTER 2				QUARTER 3				QUARTER 4											
	Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity											
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value				
ASF Item																								
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	43,643	1,987	23,298	-	-	29,885	2,098	16,547	-	-	33,918	12,125	24,935	-	-	31,621	2846	17889	-	-	-	-
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	1,456	947	-	-	-	1,409	916	-	-	-	11,854	7,705	-	-	-	2195	1427	-	-	-	-
21	Performing residential mortgages, of which:	-	-	51,271	41,256	-	-	-	52,997	42,606	-	-	-	53,753	43,276	-	-	-	55125	44430	-	-	-	-
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	11,621	7,553	-	-	-	12,205	7,934	-	-	-	12,070	7,845	-	-	-	12131	7885	-	-	-	-
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	2,063	-	47,785	49,803	570	-	-	49,481	50,007	600	-	-	47,894	48,444	679	-	-	45498	46122	-	-	-	-
25	Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	301	-	-	256	295	-	-	-	250	336	-	-	-	285	359	-	-	-	305	-	-	-	-
27	NSFR derivative assets	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	1,763	-	-	1,763	275	-	-	-	275	264	-	-	-	264	319	-	-	-	319	-	-	-	-
29	All other assets not included in the above categories	-	-	47,785	47,785	-	-	-	49,481	49,481	-	-	-	47,894	47,894	-	-	-	45498	45498	-	-	-	-
30	Off-balance sheet items	9,614	-	-	481	8,210	-	-	-	410	8,165	-	-	-	408	8,917	-	-	-	446	-	-	-	-
31	Total RSF	66,155	13,268	43,643	1,01,042	64,354	8,599	29,885	1,04,576	1,15,137	65,043	7,865	33,918	1,13,771	1,22,517	64,545	9608	31621	103469	114514	-	-	-	-
32	Net Stable Funding Ratio (%)				168.30%					180.06%					171.44%				187.86%					

गुणात्मक चर्चा :

पृष्ठभूमि :

चलनिधि पर बासेल III नियम पाठ - "बासेल III: चलनिधि जोखिम माप, मानकों और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा" दिसंबर 2010 में जारी की गई थी जिसमें चलनिधि पर वैश्विक नियामक मानकों का विवरण प्रस्तुत किया गया था।

दो अलग-अलग लेकिन पूरक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बासेल समिति द्वारा चलनिधि के वित्तपोषण के लिए दो न्यूनतम मानक; अर्थात् चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) निर्धारित किए गए थे।

एलसीआर बैंकों के संभावित चलनिधि अवरोधों के लिए अल्पकालिक आघात-सहनीयता को बढ़ावा देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियां (एचक्यूएलए) हैं। एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्तपोषित करने की आवश्यकता हेतु दीर्घ अवधि के क्षितिज पर आघात-सहनीयता को बढ़ावा देता है।

एनएसएफआर का उद्देश्य:

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है।

एनएसएफआर की परिभाषा:

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

"उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ) को पूँजी और देयताएं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है और एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक बढ़ा है।

उदाहरण :

क) कुल विनियामक पूँजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली टियर 2 लिखतों को छोड़कर)।

ख) एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूँजीगत लिखत और देयताएं।

ग) रिटेल एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (इसे बड़े कॉर्पोरेट/ संस्थान से जमाराशि की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है) द्वारा प्रदान की गई स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमाराशि तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा

घ) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तपोषण।

किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर वित्तपोषण ("आवश्यक स्थिर वित्तपोषण") (आरएसएफ) उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र से इतर जोखिमों का एक कार्य है।

उदाहरण :

क) भार रहित स्तर 1 की परिसंपत्तियां, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर

Qualitative discussion:

Background:

The **Basel III rules text on liquidity** - "Basel III: International framework for Liquidity Risk measurement, standards and monitoring" was issued in December 2010 which presented the details of global regulatory standards on liquidity.

Two minimum standards, viz., Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity were prescribed by the Basel Committee for achieving two separate but complementary objectives.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. **The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis.**

Objective of NSFR:

The objective of NSFR is to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of bank's liquidity position due to disruptions in bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress.

Definition of NSFR:

The NSFR is defined as the amount of **available stable funding relative to the amount of required stable funding.**

"**Available Stable Funding**" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

Example:

a) Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year).

b) Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more.

c) Stable & less stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by **retail and small business customers (it is considered more stable than deposits from large corporates/institution)**

d) Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks.

Stable funding required ("Required Stable Funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

Example:

a) Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities

- ख) भार रहित स्तर 2ए एवं स्तर 2बी परिसंपत्तियां
- ग) अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों को और सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं।
- घ) एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्धारित किया गया।
- ङ) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भार रहित निष्पादन ऋण तथा एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थानों के ऋण को छोड़कर।

गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर-विनिमय-व्यापारिक इक्विटी, अचल परिसंपत्तियां, नियामक पूंजी से कटौती की गई मर्दे, प्रतिधारित ब्याज, बीमा परिसंपत्तियां, सहायक हितों एवं चूक प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल अन्य सभी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

एनएसएफआर की गणना :

एनएसएफआर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन}} > 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात चालू आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। एनएसएफआर बैंकों पर दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी है और आरबीआई की पोर्टल पर तिमाही फाइलिंग अनिवार्य है।

तदनुसार, हमें दिनांक 31.12.2021 के लिए आरबीआई की पोर्टल पर एनएसएफआर को अपलोड कर दिया है।

यूको बैंक की स्थिति:

- हमारे उच्च एनएसएफआर अनुपात यह दर्शाता है कि यूको बैंक के पास हमारी दीर्घावधि परिसंपत्तियों (एक वर्ष से अधिक के लिए) की अवधि को कवर करने के लिए पर्याप्त स्थिर निधीयन है।
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक अत्यधिक परिपक्वता परिवर्तन नहीं कर रहा है, जो कि दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक धन का उपयोग करने की प्रथा है।

- b) Unencumbered Level 2A & Level 2B assets
- c) All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs
- d) Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardized Approach
- e) Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions

All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities

Computation of NSFR:

The NSFR is computed as follows:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding}}{\text{Required Stable Funding}} \geq 100\%$$

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The NSFR is binding on Banks w.e.f 01.10.2021 and quarterly filing in RBI portal is mandatory.

Accordingly, we have uploaded NSFR in RBI portal for 31.12.2021

UCO Bank's Position:

- Our high NSFR ratio shows that UCO Bank is holding enough stable funding to cover the duration of our long-term assets (of more than 1 year).
- It ensures that bank is not undertaking excessive maturity transformation, which is the practice of using short-term funding to meet long term liabilities

3. निवेश/Investments:

ए/अ) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना / Composition of Investment Portfolio:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

As on 31.03.2022

	भारत में निवेश / Investments in India										भारत के बाहर निवेश / Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	Total Investments outside India			
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India				
परिपक्वता के लिए धरित / Held to Maturity															
सकल/Gross	64864.92	0.00	0.00	2150.96	73.80	0.12	67089.80	0.00	0.00	1196.29	1196.29	68286.08			
घटाएं : अमर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0	0	0	130.06	0	0	130.06	0.00	0.00	0.02	0.02	130.08			
निवल/Net	64864.92	0.00	0.00	2020.90	73.80	0.12	66959.74	0.00	0.00	1196.27	1196.27	68156.01			
बिक्री के लिए उपलब्ध / Available for Sale															
सकल/ Gross	25910.07	0.00	1086.25	1385.95	0.00	1346.84	29729.12	0.00	0.00	1031.37	1031.37	30760.48			
घटाएं : मूल्यहास तथा अमर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	191.19	0.00	673.14	427.14	0.00	748.24	2039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.70			
निवल/Net	25718.89	0.00	413.12	958.81	0.00	598.61	27717.54	0.00	0.00	1031.37	1031.37	28720.78			
Held for Trading															
सकल/Gross	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91			
घटाएं : मूल्यहास तथा अमर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
निवल/Net	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91			
कुल निवेश / Total Investments	90649.09	0.00	1086.25	3536.90	73.80	1346.96	96693.00	0.00	0.00	2227.65	2227.65	98920.66			
घटाएं : अमर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	673.14	296.75	0.00	0.00	969.89	0.00	0.00	0.02	0.02	969.91			
घटाएं : मूल्यहास तथा अमर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	191.19	0.00	0.00	260.44	0.00	748.24	1199.87	0.00	0.00	1.77	1.77	1201.64			
निवल/Net	90457.90	0.00	413.12	2979.71	73.80	598.73	94523.25	0.00	0.00	2225.86	2225.86	96749.11			

As on 31.03.2021

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India						कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India		
परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity													
सकल/Gross	62937.02	0.00	0.00	3011.15	18.24	0.19	65966.60	0.00	0.00	1587.20	1587.20	67553.80	
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	143.95	0.00	0.00	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	143.95	
निवल/Net	62937.02	0.00	0.00	2867.20	18.24	0.19	65822.65	0.00	0.00	1587.20	1587.20	67409.85	
बिक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale													
सकल/ Gross	23708.12	0.00	1028.17	1253.47	0.00	1454.81	27444.58	0.00	0.00	746.97	746.97	28191.55	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	169.25	0.00	689.12	390.10	0.00	518.61	1767.09	0.00	0.00	141.28	141.28	1908.37	
निवल/Net	23538.87	0.00	339.06	863.37	0.00	936.20	25677.49	0.00	0.00	605.69	605.69	26283.18	
Held for Trading													
सकल/Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल/Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल निवेश / Total Investments	86645.15	0.00	1028.17	4264.62	18.24	1455.00	93411.19	0.00	0.00	2334.17	2334.17	95745.36	
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments		0.00	518.20	259.72	0.00	0.00	777.92	0.00	0.00	79.93	79.93	777.93	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	169.25		170.92	274.33	0.00	518.61	1133.12	0.00	0.00	141.28	141.28	1274.40	
निवल/Net	86475.90	0.00	339.06	3730.57	18.24	936.39	91500.14	0.00	0.00	2192.89	2192.89	93693.03	

बी/ब) मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व के प्रावधानों का संचलन / Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	गत वर्ष/ Previous Year
i)	निवेश पर मूल्यहास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1274.41	983.12
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	379.63	299.63
	(ग)/(c) घटाएं : बट्टे खाते /वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less: Write off / write back of excess provisions during the year	456.54	7.50
	(घ)/(d) विनिमय अन्तर / Exchange Difference	4.14	-0.84
	(इ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	1201.64	1274.41
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन / Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	0.00	0.00
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि / Add: Amount transferred during the year	559.31	0.00
	(ग)/(c) घटाएं: आहरण / Less: Drawdown	0.00	0.00
	(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	559.31	0.00
iii)	एफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अन्तिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अन्तिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	1.90%	0.00

सी) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

डी) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

(i) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश -

c) Sale and transfers to/from HTM category:

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one-time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

d) Non-SLR Investment Portfolio:

(i) Non performing Non-SLR investments -

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2022	31.03.2021
प्रारंभिक शेष / Opening balance	933.40	1186.84
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year since 1st April,2021	269.13	17.99
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	149.22	270.58
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	8.39	-0.84
अंतिम शेष / Closing balance	1061.71	933.41
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	941.77	918.75

ii) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
		चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
क/अ)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	23924.88	25072.02	23808.01	24599.42	0.80	1.13	21611.22	22456.15	18425.40	18426.39
ख/ब)	वित्तीय संस्थाएं / FIs	902.76	1416.49	897.25	825.24	897.25	760.00	5.50	5.50	155.22	305.50
ग/क)	बैंक / Banks	29.33	29.09	29.33	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ/द)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1281.31	1276.27	203.37	211.72	197.41	362.41	1083.60	1042.34	863.55	990.99
ड/े)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध* Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates*	73.80	18.24	73.80	18.24	0.00	0.00	73.80	18.24	73.80	18.24
च/फ)	अन्य /Others	1310.05	1413.31	1310.05	1413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1310.05	1413.31
छ/ग)	घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	770.87	918.75	0.00	0.00	0.02	140.83	0.02	140.83	0.02	140.83
	योग / Total	26751.26	28306.67	26321.81	27097.02	1095.44	982.71	22774.10	23381.40	20828.00	21013.60

ड/े) रेपो लेनदेन / Repo transactions (in face value terms):

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2022 को As on 31 st March 2022
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	शून्य/Nil	1,528.58	88.28	
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	—	—	—	—
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	—	—	—	—
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	शून्य/Nil	12,082.00	884.20	
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	—	—	—	—
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	—	—	—	—

के अनुसार 31.03.2022

4. आस्ति गुणवत्ता :
क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

	मानक			अनर्जक			कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल	
<p>सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ</p> <p>प्रारंभिक जमा राशि जोड़ें: वर्ष के दौरान योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां अंतिम शेष राशि</p> <p>* सकल एनपीए में कमी का कारण: i) उन्नयन छद्म ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते iv) विट्टु (iii) के अलावा बड़े खाते डालना</p> <p>प्रावधान (excluding Floating Provisions)</p> <p>धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेजाले गए ऋण धारित प्रावधानों का अंतिम जमशेष</p> <p>निवल अनर्जक संपत्तियाँ</p> <p>प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती अंतिम जमा शेष</p> <p>व्यवमान प्रावधान</p> <p>प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान व्यवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष</p> <p>तकनीकी बड़े खाते तथा उनपर किए गए वसूली</p> <p>तकनीकी/अधिशेष बड़े खातों का प्रारंभिक जमाशेष जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिशेष बड़े खाते घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/अधिशेष बड़े खातों में वसूली अंतिम जमशेष</p>	<p>107052.84</p> <p>119539.91</p> <p>478.14</p> <p>818.06</p>			<p>11351.97</p> <p>6122.62</p> <p>7237.16</p> <p>10237.43</p> <p>2087.08</p> <p>1298.85</p> <p>3667.96</p> <p>183.27</p> <p>6049.78</p> <p>3827.41</p> <p>3851.23</p> <p>6025.96</p> <p>4389.51</p> <p>2322.56</p> <p>3396.29</p> <p>3315.78</p>	<p>118404.81</p> <p>129777.34</p> <p>6557.92</p> <p>6844.02</p> <p>70.46</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>70.46</p> <p>26501.85</p> <p>3667.96</p> <p>1654.97</p> <p>28514.84</p>		

	अनर्जक				कुल
	मानक	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	
<p>सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तित्वों प्रारंभिक जमा राशि जोड़ें: वर्ष के दौरान योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां अंतिम शेष राशि *सकल एनपीए में कमी का कारण: i) उन्मयन छद्म ii) वसूली (उन्मयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते iv) बिंदु (iii) के अलावा बड़े खाते खलना</p> <p>प्रावधान (excluding Floating Provisions) धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोध</p> <p>निवल अनर्जक संपत्तियां प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती अंतिम जमा शेष</p> <p>स्वमान प्रावधान प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान स्वमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष</p> <p>तकनीकी बड़े खाते तथा अनपर किए गए वसूली तकनीकी/अधिश बड़े खातों का प्रारंभिक जमोष जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिश बड़े खाते घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ अधिश बड़े खातों में वसूली अंतिम जमशोध</p>	<p>95679.50</p> <p>107052.84</p>			<p>कुल अनर्जक अग्रिम</p> <p>19281.95 3102.06 11032.04 11351.97 453.35 1168.30 9174.28 236.12 12693.35 2766.82 9410.39 6049.78 5510.66 342.26 1463.41 4389.51</p>	<p>कुल</p> <p>114961.45 118404.81 13186.57 6527.92 70.46 0.00 0.00 70.46 18620.88 9174.27 1293.30 26501.85</p>

4. Asset Quality:
a) Classification of advances and provisions held

As on 31.03.2022

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	Standard			Non-Performing			Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances		
Gross Standard Advances and NPAs							
Opening Balance	107052.84				11351.97		118404.81
Add: Additions during the year					6122.62		
Less: Reductions during the year					7237.16		
Closing balance	119539.91				10237.43		129777.34
* Reductions in Gross NPAs due to:							
i) Up gradation					2087.08		
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1298.85		
iii) Technical/ Prudential Write-offs					3667.96		
iv) Write-offs other than those under (iii) above					183.27		
Provisions (excluding Floating Provisions)							
Opening balance of provisions held	478.14				6049.78		6557.92
Add: Fresh provisions made during the year					3827.41		
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3851.23		
Closing balance of provisions held	818.06				6025.96		6844.02
Net NPAs							
Opening Balance					4389.51		
Add: Fresh additions during the year					2322.56		
Less: Reductions during the year					3396.29		
Closing Balance					3315.78		
Floating Provisions							
Opening Balance						70.46	
Add: Additional provisions made during the year						0.00	
Less: Amount drawn down during the year						0.00	
Closing balance of floating provisions						70.46	
Technical write-offs and the recoveries made thereon							
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						26501.85	
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						3667.96	
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1654.97	
Closing balance						28514.84	

	Non-Performing				Total
	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	
	Total Standard Advances			Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs					
Opening Balance	95679.50			19281.95	114961.45
Add: Additions during the year				3102.06	
Less: Reductions during the year				11032.04	
Closing balance	107052.84			11351.97	118404.81
*Reductions in Gross NPAs due to:					
i) Up gradation				453.35	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)				1168.30	
iii) Technical/ Prudential Write-offs				9174.28	
iv) Write-offs other than those under (iii) above				236.12	
Provisions (excluding Floating Provisions)					
Opening balance of provisions held	493.22			12693.35	13186.57
Add: Fresh provisions made during the year				2766.82	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans				9410.39	
Closing balance of provisions held	478.14			6049.78	6527.92
Net NPAs					
Opening Balance				5510.66	
Add: Fresh additions during the year				342.26	
Less: Reductions during the year				1463.41	
Closing Balance				4389.51	
Floating Provisions					
Opening Balance					70.46
Add: Additional provisions made during the year					0.00
Less: Amount drawn down during the year					0.00
Closing balance of floating provisions					70.46
Technical write-offs and the recoveries made thereon					
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					18620.88
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					9174.27
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					1293.30
Closing balance					26501.85

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
सकल अनर्जक अस्ति से सकल अग्रिम / Gross NPA to Gross Advances	7.89	9.59
निवल अनर्जक अस्ति से निवल अग्रिम / Net NPA to Net Advances	2.70	3.94
प्रावधान व्याप्ति अनुपात / Provision coverage ratio	91.44%	88.40%

B) Sector-wise Advances and Gross NPAs:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/Current Year (31.03.2022)			पिछले वर्ष/Previous Year (31.03.2021)		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित)/ Priority Sector(excluding RIDF)						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	18835.30	3913.10	20.78%	18031.10	4071.03	22.58%
ख)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	1641.06	227.45	13.86%	2141.29	443.86	20.73%
ग/घ)	सेवा क्षेत्र/Services	22787.55	2371.60	10.41%	22506.83	2403.85	10.68%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	12885.17	367.05	2.85%	11154.40	353.00	3.16%
	उप-योग / Sub-total (i)	56149.08	6879.19	12.25%	53833.62	7271.74	13.51%
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ख/ब)	उद्योग/Industry	28164.86	1107.22	3.93%	22189.10	346.84	6.07%
ग/घ)	सेवा क्षेत्र/Services	25363.27	1874.40	7.39%	25197.62	2208.17	8.76%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	20100.13	376.62	1.87%	17184.47	525.22	3.06%
	उप-योग / Sub-total (ii)	73628.26	3358.24	4.56%	64571.19	4080.23	6.32%
	कुल/Total (I + ii)	129777.34	10237.43	7.89%	118404.81	11351.97	9.59%

सी/घ) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
कुल आस्तियां/Total Assets	18919.88	15282.25
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	718.59	826.99
कुल राजस्व/Total revenue	218.18	492.79

घ) समाधान योजना एवं नवीनीकरण विवरण

- 1) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर आरबीआई के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार बैंक के पास 10 खातों में कुल रु. 702.32 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है।
- 2) आरबीआई के परिपत्र डीओआर.सं. बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार जिन खातों में समाधान अवधि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, उनमें शामिल खातों की संख्या और राशि का विवरण।

d) Particulars of resolution plan and restructuring

1. In accordance with RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets, Bank holds additional provision of Rs.702.32 Crore in 10 accounts.
2. As per RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated 17th April 2020, details of the number of accounts and the amount involved in those accounts where Resolution Period was extended for the year ended 31st March, 2022.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की संख्या जिनमें समाधान अवधि बढ़ाई गई थी / No. of accounts in which resolution period was extended	2
शामिल राशि / Amount involved	862.21

ङ) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश संख्या डीओआर.एसीसी. आरईसी.नं.45/21.04.2018/2021-22, दिनांक 30.08.2021 (15.11.2021 को अद्यतित) के अनुसार वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर, बैंकों को विचलन का खुलासा करना चाहिए, यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं:-

- i) इसकी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों के आकलन हेतु संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना, और
- ii) अपने पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल अनर्जक आस्तियों में संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल अनर्जक आस्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक किया जाना।

जैसा कि उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट किया गया है कि बैंक में विचलन निर्धारित सीमा के अंदर हों। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

च) ऋण अन्तरण प्रकृतिकरण

ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 29.09.2021 के तहत 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

e) Divergence in Asset Classification and Provisioning:

As per RBI Master Direction No DOR.ACC.REC.No.45/21.04.2018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 15.11.2021) on financial statements-presentation and disclosures, divergence in the asset classification and provisioning, banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

- i) the additional provisioning for NPAs assessed by Reserve Bank of India as part of its supervisory process, exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and
- ii) the additional Gross NPAs identified by the Reserve Bank of India as part of its supervisory process exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the bank as specified above. Hence, no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2021.

f) Disclosure of transfer of loan exposures:

Details of loans transferred/acquired during the financial year ended on 31.03.2022 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated 29.09.2021 are given below:-

i) बैंक ने एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण नहीं किया है। हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है :-

i) Bank has not acquired loans classified as NPA. The details of Non-Performing Assets (NPAs) transferred are as under:

Particulars (all amounts in ₹ crore except number of accounts)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
खातों की संख्या / No: of accounts हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	1	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवधि	176.53	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	0	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer) कुल प्रतिफल राशि	176.53	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Aggregate consideration पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	55.64	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	103.26	शून्य/NIL	शून्य/NIL

ii) बैंक ने विशेष वर्णित खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण नहीं किया है।
iii) बैंक ने किसी भी ऋण को चूक में हस्तांतरण नहीं किया है। समनुदेशन के माध्यम से चूक के रूप से नहीं प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

ii) Bank has not acquired and transferred loans classified as Special Mention Account (SMA).
iii) Bank has not transferred any loans in default. The details of loans not in default acquired through assignment is given below:

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान During Financial Year ended on 31.03.2022
अधिग्रहित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये में)	
Aggregate amount of loans acquired (Rs. in crore)	2023.43
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में)	
Weighted average residual maturity (in months)	53.09
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में)	
Weighted average holding period by originator (in months)	17.00
लाभकारी आर्थिक हितों का प्रतिधारण	
Retention of beneficial economic interest	10%
मूर्त जमानत व्याप्ति	
Tangible security coverage	216.00%
मूल्यांकित ऋणों का रेटिंग के आधार पर वितरण*	
Rating wise distribution of rated loans*	शून्य/NIL*

* अर्जित ऋणों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से संबंधित होते हैं।

* Loans acquired are not rated as these relate to non-corporate borrowers.

iv) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार केडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरण: -

iv) Details of the distribution of the SRs held across various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2022:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	वही लागत (राशि करोड़ में) Book Cost (amount in crores)
आरआर/RR1	80.69
आरआर/RR2	161.89
आरआर/RR3	124.02
आरआर/RR4	224.81
आरआर/RR5	88.40
एनआर/NR3	43.84
एनआर/NR4	22.45
एनआर/NR5	42.85
एनआर/NR6	514.11
आहरित/Withdrawn	6.99
कुल/Grand Total	1310.04

छ) कपट खाते :

g)Fraud accounts :

विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या/ Number of frauds reported	114	379
शामिल राशि (₹ करोड़)/ Amount involved in fraud (₹ crore)	611.53	3336.96
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)/ Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	518.22	3277.65
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ज) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 06.08.2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और 05.05.2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए संकल्प ढाँचा के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण निम्नलिखित है:-

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular dated 06.08.2020 (Resolution Framework 1.0) and 05.05.2021 (Resolution Framework 2.0) are given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर-पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year (A)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट व्यक्ति / Corporate Persons*	553.98	553.98	0.00	0.00	0.00
एमएसएमई / MSME's#	25.94	1.64	0.00	0.28	27.90
अन्य / Others	0.00	0	0.00	0.00	0.00
कुल / Total	579.92	555.62	0.00	0.28	27.90
* दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 3(7) में विश्लेषित यथा *As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

* कॉर्पोरेट व्यक्ति में, केवल एक खाता फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है। इसे एनपीए में डाउनग्रेड किया गया है।

* In Corporate Person, only one account held is Future Retail Ltd. The same is downgraded to NPA.

दिसंबर तिमाही के दौरान नए खाते को जोड़ने और बकाया राशि में परिवर्तन के कारण एमएसएमई खाते में अंतर है।

Difference in MSME account is due to addition of new account during the December quarter and change in the balance outstanding.

5. ऋण/Exposure:

क) स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

विवरण/Category	2021-22	2020-21
i) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure		
क) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी		
(a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	20669.27 12289.69	18657.38 9076.54
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space land acquisition development and construction etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	608.73	645.27
(सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश -		
(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	-	-
i. आवासीय / Residential	-	-
ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा /Commercial Real Estate.	-	-
ii) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	6348.49	4610.58
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण / Total Exposure to Real Estate Sector	27626.49	23913.23

ख/ब पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2021-22	2020-21
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	360.39	194.80
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	--	--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	--	--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	--	--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	192.09	17.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	--	--
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	--	--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	--	--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	--	--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	39.71	44.49
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	592.19	256.29

सी/स) जोखिम श्रेणीवार कट्टी एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2022	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2022	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2021	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2021
महत्वहीन/Insignificant	13144.84	9.8094	9749.7900	7.2671
कम/Low	10639.60	8.1611	10524.9100	11.7125
मामूली रूप से कम/ Moderate Low	5.31	0.0000	191.2500	0.0000
संतुलित /Moderate	11.62	0.0000	16.0900	0.0000
माध्यम उच्च/ Moderate High	4.36	0.0000	0.0000	0.0000
उच्च /High	0.31	0.0000	0.0000	0.0000
अत्यंत उच्च / Very High	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
कुल/Total	23806.04	17.9705	20482.04	18.9796

डी/द अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार/ As at 31 st March 2022	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार/ As at 31 st March 2021
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	20303.36	15005.00
क) उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है a) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	0	0
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	N/A	N/A

ड) अंतः समूह एक्सपोजर - शून्य

च) फैक्ट्रिंग एक्सपोजर - शून्य

छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर युक्त निकायों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) हेतु 31.03.2022 को ₹ 24.97 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

e) Intra-group exposures - Nil

f) Factoring Exposures – Nil

g) Unhedged foreign currency exposure

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 24.97 lacs as on 31.03.2022 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

मार्च-22 को समाप्त तिमाही के लिए पूंजी आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर वृद्धिशील प्रावधान: रु. 24.97 लाख।

बैंक द्वारा धारित पूंजी (जिसमें वृद्धिशील प्रावधान 80 बीपीएस या अधिक के बराबर है): रु. 2.55 करोड़।

Incremental Provisioning on Unhedged Foreign Currency Exposure for Quarter Ended March-22: Rs. 24.97 Lakh.

Capital Held by Bank (wherein incremental provisioning is equal to 80 bps or more): Rs. 2.55 Crore.

6. जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण एवं एनपीए /Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

क) जमा राशियों का संकेंद्रण/Concentration of deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2022 (Current Year)	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2021 (Previous Year)
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां Total deposits of the twenty largest depositors	25720.19	20285.06
कुल जमा राशियों के % के अनुपात में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	11.48%	9.85%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year 2021-22	पिछले वर्ष/ Previous Year 2020-21
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total advances to twenty largest borrowers	27676.08	21489.88
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत/ Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	21.33%	17.00%

ग) ऋण का संकेंद्रण

c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year 2021-22	पिछले वर्ष/Previous Year 2020-21
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	30427.22	24917.32
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	18.31%	13.53%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

d) Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2021-22	2020-21
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर Total Exposure to top twenty NPA accounts	2286.60	2549.61
सकल एनपीए में से शीर्ष बीस एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत। Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	22.33%	22.46%

7. व्युत्पन्न / Derivatives

क/अ) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward rate agreement/Interest rate swap

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2021-22	2020-21
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	3340.78	4770.79
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	18.08	26.95
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपाश्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	-13.02	7.55

ब) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2021-22	2020-21
i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii)	दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2022(instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

1) गुणात्मक प्रकटीकरण

1) Qualitative disclosures-

- i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

- ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:

- i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

(vi) ब्याज दर अदला- बदली (स्वैप) हेतु अन्य प्रकटीकरण :

बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों एवं देयताओं पर नियत से अस्थिर और अस्थिर से नियत ब्याज दर स्वैप का कार्य किया है। यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उपर्युक्त आईआरएस पर आय का नुकसान रु. 18.08 करोड़ होगा। आईआरएस लेनदेन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई संकेद्रण नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है और एक्सपोजर की अनुमति सीमा के भीतर है।

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

(vi) Other Disclosures for Interest Rate Swaps:

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs. 18.08 Cr, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

II) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures-

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No. Particulars	2021-2022		2020-2021	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
क)/a) बचाव के लिए / For Hedging	8017.25	920.00	61483.20	920.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए / For Trading	120118.90	2420.78	शून्य/Nil	3,850.79
2 मार्केड टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions [1]				
क)/a) आस्ति (+) / Assets (+)	6.20	-13.02	162.63	7.55
ख)/b) देयता (-) / Liabilities (-)	18.85	0.00	26.70	0.00
3 ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure	367.37	18.08	465.70	26.95
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100।पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर / On hedging derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	3.34	लागू नहीं/NA	-10.92
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	-37.51	लागू नहीं/NA	-68.25
ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर / Trading derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	3.97	लागू नहीं/NA	6.59
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	4.16	लागू नहीं/NA	8.51
5 वर्ष के दौरान 100।पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
क) / a) बचाव-व्यवस्था पर- / On hedging				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	-15.35	लागू नहीं/NA	-35.28
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-38.43	लागू नहीं/NA	-67.67
ख)/b) क्रय-विक्रय पर / On trading				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	4.05	लागू नहीं/NA	7.41
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	3.93	लागू नहीं/NA	7.84

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹18.08 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹26.95 करोड़) होगा।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfill their obligation will be Rs. 18.08 crores for F.Y. 2021-22 (Rs. 26.95 crores for the F.Y. 2020-21)

सी) क्रेडिट चूक विनिमय

बैंक का दिनांक 31.03.2022 को क्रेडिट चूक विनिमय पर कोई एक्सपोजर नहीं है।

c) Credit default swaps

Bank has no exposure on Credit Default Swap as on 31.03.2022.

8. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

8. Disclosures relating to securitisation

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2022	मार्च 31/ Mar 31 2021
1. प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य /Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ब) तुलनपत्र पर एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
4. एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
i) Exposure to own securitisations		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others		
ii) Exposure to third party securitisations		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बी/ब) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
i) Exposure to own securitisations		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others		
ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations		
● पहला नुकसान/First loss		
● अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
5. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
6. नकदी सहायता, प्रतिभूतिकरण के उपरान्त अस्तित्व-शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2022	मार्च 31/ Mar 31 2021
7. प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention per cent in bracket as of total value of facility provided. ए/अ) भुगतान की गई राशि/Amount paid बी/ब) चुकोती प्राप्त/Repayment received सी/स) बकाया राशि/Outstanding amount	शून्य/NIL	शून्य/NIL
8. पूर्व में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	शून्य/NIL	शून्य/NIL
9. समान अंतर्निहित आसित पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL
10. निवेशकों की शिकायतें/Investor complaints ए/अ) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;/Directly/Indirectly received and; बी/ब) बकाया शिकायतें/Complaints outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

9. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंड के अनुसार समेकित किया जाना है)

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Bank has not sponsored any SPVs.

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF Fund)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	409.14	303.65
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	93.99	108.19
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	3.19	2.70
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	499.94	409.14

11. शिकायतों का प्रकटन

ए) बैंक को ग्राहकों और ओम्बड्समैन के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	231	517
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	16220	18385
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	16421	18671
	3.1 उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	00	00
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	30	231
	ओम्बड्समैन कार्यालय से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	ओम्बड्समैन से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	1949	2543
	5.1. मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1702	4126
	5.2 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	247	124
	5.3 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	00	02
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या (अपील किए गये के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

नोट : संपोषणीय शिकायतें ओम्बड्समैन योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /

Top Five Grounds of Complaints by the bank from Customers

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष/Current Year 2021-22*					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	54	5877	-7.49%	7	0
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	31	2564	4.95%	5	0
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	23	2141	-40.35%	2	0
ऋण एवं अग्रिम/ Loans and advances	33	1562	-11.85%	3	0
शाखा आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का अनुपालन / Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc	16	1180	-12.72%	4	0
अन्य / Others	74	2896	0.70%	9	0
अन्य / Total	231	16220	-11.78%	30	0

**ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /
Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers**

शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
विगत वर्ष/Previous Year 2020-21*					
असफल इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (एटीएम/ इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/पीओएस) / Failed Electronic Transactions (ATM/ Internet Banking/ Mobile Banking/ POS)	163	7369	-13.89%	57	11
जमा खाता से संबंधित / Deposit Account Related	42	1778	-2.01%	25	0
प्रौद्योगिकी से संबंधित (एटीएम/कोर बैंकिंग/ इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग) / Technology Related (ATM/Core Banking/ Internet Banking/ Mobile Banking)	48	1708	-1.24%	16	2
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances Related	49	1525	1.32%	31	5
शाखा में ग्राहक सेवा / Customer Service at Branch	50	964	-1.08%	11	0
अन्य / Others	165	5041	-3.39%	91	5
अन्य / Total	517	18385	-20.30%	231	23

* वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शिकायतों का वर्गीकरण आरबीआई परिपत्र के अनुसार किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शिकायतों का वर्गीकरण बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के आधार पर किया गया है।

*Note: For FY 2021-22 complaints have been classified/categorised as per RBI Circular. For FY 2020-21 complaints were classified/categorised as per Bank's Complaint Redressal Module.

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशोषित जुर्माने का प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47(ए)(1)(सी) के साथ पठित धारा 51 और 46(4)(i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार दंड लगाया है: -

- मुद्रा तिजोरी के परिचालन के लिए रु. 34,99,825/- (चौतीस लाख निम्नानुसार दंड लगाया है): -
- मुद्रा तिजोरी के परिचालन के अलावा अन्य के लिए दंड राशि रु. 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) है।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

कार्यपालक निदेशक/ प्रबंध निदेशक को स्वीकार्य वेतन और भत्ते डीएफएस से प्राप्त होते हैं और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के आलोक में हैं।

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) कारोबार अनुपात

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय/ Interest Income as a percentage to Working Funds	5.5	5.59
ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजैतर आय/ Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.14	1.44
iii) जमा मूल्य / Cost of Deposits	3.81	4.29
iv) निवल ब्याज मार्जिन /Net Interest Margin	2.55	2.58
v) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.75	1.46
vi) आस्तियों पर आय / Return on Assets	0.33	0.06
vii) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (deposits plus advances) per employee(in ₹ crore)	16.33	14.7
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (in ₹ crore)	4.13	0.66

बी) बैंकाश्योरेंस से कारोबार :

बैंक, बैंकाश्योरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एवं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बैंकाश्योरेंस नॉन-लाइफ के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एवं फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्योरेंस कारोबार से आय के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

For the financial year 2021-22, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with section 51 and 46(4)(i) of The Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty as under:-

- For Currency Chest Operations Rs 34,99,825/- (Rupees Thirty Four Lakh Ninety Nine Thousand Eight Hundred Twenty Five only).
- The penalty amount for other than currency chest operations is Rs. 1,25,000/- (Rupees One Lakh twenty-five thousand only).

13. Disclosures on remuneration

The pay and allowances admissible to ED/MD is as received from DFS and in light of Government decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission.

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

b) Bancassurance business:

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India and SBI Life Insurance Co Ltd for Bancassurance Life and The Oriental Insurance Co. Ltd and Future Generali India Insurance Co Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं./Sl. No.	कारोबार का प्रकार / Type of Business	2021-22	2020-21
1	लाइफ/Life	15.51	9.64
2	नॉन-लाइफ/Non-Life	8.68	6.88
3	म्यूचुअल फंड/Mutual Fund	0.15	0.08

b) मार्केटिंग और वितरण/Marketing and distribution:

मैसर्स फिनविजार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (फिसडम) के माध्यम से म्यूचुअल फंड के डिजिटल वितरण के माध्यम से परामर्श (रेफेरल) कमीशन अर्जित किया।

Referral Commission earned via digital distribution of Mutual Funds through M/s Finwizard Technology Pvt Ltd (FISDOM).

विवरण/Particulars	2021-22	2020-21
अर्जित कमीशन /Commission Earned	0.09	-

यूको-एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से अर्जित क्रेडिट कार्ड कमीशन Credit Card Commission earned through usage of UCO-SBI Co-Branded Credit Card				
विवरण/Particular	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22		वित्तीय वर्ष/FY 2020-21	
निर्गत कार्डों की संख्या Number of Cards issued	63243		10031	
अर्जित कमीशन Commission Earned	*मूल कमीशन (₹) Base Commission(Rs)* 259.52	*मूल कमीशन (₹) Base Commission(Rs) 46.71	*मूल कमीशन (₹) Base Commission(Rs) 10.05	*मूल कमीशन (₹) Base Commission(Rs) 1.81

*प्राप्य में शामिल- ₹98.13 लाख (जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के लिए मूल कमीशन)

*Receivable included-Rs 98.13 L (Base Commission for Quarter Jan-March 2022)

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पीएलएससी-कृषि खरीद: ₹. 3000 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पीएलएससी-सामान्य बिक्री: ₹. 1600 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पीएलएससी-सूक्ष्म बिक्री: ₹. 3400 करोड़

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

- Total PSLC- Agriculture purchase in FY 2021-22: Rs. 3000 Crore
- Total PSLC- General sell in FY 2021-22: Rs. 1600 Crore
- Total PSLC- Micro Sell in FY 2021-22: Rs. 3400 Crore

इ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

e) Provisions and contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

लाभ और हानि खाते में नामे (डेबिट) किया गया प्रावधान Provision debited to Profit and Loss Account	चातू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision towards NPI	206.72	158.39
एनपीए के प्रति प्रावधान /Provision towards NPA	3800.06	2759.79
आयकर के लिए किया गया प्रावधान/Provision made towards Income Tax	2.89	433.29
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय:-/Other Provisions and Contingencies :-		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	337.93	-14.74
निवेश पर मूल्यहास का प्रावधान /Provision for depreciation on Investment	313.68	296.09
कानूनी मामले/आकस्मिक व्यय/धोखाधड़ी/Legal Cases / Contingencies/Frauds	0.04	-3.56
उचित मूल्य में कमी /Diminution in Fair Value	3.67	-14.70
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets	817.71	-675.81
बकाया वेतन संशोधन /Arrear Wage Revision	0	102.74
विविध प्रावधान /Miscellaneous Provision	1295.56	2528.87

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एसएस) पृष्ठभूमि का कार्यान्वयन

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (IND AS)

पृष्ठभूमि:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एसएस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईमेल दिनांक 8 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति को तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण और 31 मार्च के लिए पूर्ण वर्षीय प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।)

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019. RBI vide email dated 8th August 2021 decided to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, Banks are advised to submit proforma Ind AS based financial statements for the half year ending September 30 and full year proforma Ind AS based financial statements for March 31.

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की कार्यनीति:

बैंक ने कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में आईएनडी एएस की तकनीकी आवयकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रिया बदलावों, कारोबार प्रभाव, संसाधनों के आकलन एवं परियोजना प्रबंधन की आयोजना के लिए आईएनडी एएस संचालन समिति गठित किया है।

बैंक ने अपने भीतर ही आईएनडी एएस कार्यदल भी गठित किया है जो आईएनडी एएस संस्थापन परियोजना पर काम करेगा जिसमें भांति भांति के कार्य करनेवाले विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने त्रैमासिक आधार पर ईक्विटी और लाभ परिवर्तनों को समायोजित कराते हुए प्रोफॉर्मा आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है। पिछले जीएपी आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हुए 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ माह की स्थिति के अनुसार इसे अंतिम बार 26 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया गया।

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान /Payment of DICGC Insurance Premium	254.41	214.44
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया/Arrears in payment of DICGC premium	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

आईबीए के संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण बैंक ने 560.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के माध्यम से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उक्त अतिरिक्त देयता में परिशोधन करने की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 290 करोड़ रुपये के प्रावधानों को मान्यता दी है (31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया) और शेष 270.49 करोड़ रुपये के अपरिशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

i) एमएसएमई पुनर्रचित खाते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना पर आरबीआई सर्कुलर क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 and DOR. No. BO.BC/4/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार है:

पुनर्रचित खातों की संख्या / No. of Accounts Restructured	Outstanding as on 31.03.2022
33,757	1,672.65

(राशि करोड़ ₹ में) / (Rs. in Crores)

Strategy of IND AS Implementation:

Bank has constituted IND AS steering committee headed by Executive Director to plan the IND AS technical requirements, System & Process Changes, Business Impact, evaluation of Resources and project management.

Bank has also constituted IND AS working group within the bank who will be working on IND AS implantation project which comprises of officers from cross functional department.

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on quarterly basis and last submitted on November 30, 2021 for the half year ended September, 2021 compared with the previous GAAP figures.

g) Payment of DICGC Insurance Premium Strategic Planning

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

h) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

Bank has estimated the additional liability of Rs.560.49 crore on account of revision in family pension as per IBA joint noted dated 11.11.2020. However, RBI vide their circular RBI/2021-22/105/DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 has permitted to amortise the said additional liabilities over the period not exceeding five years, beginning with financial year ending 31st March, 2022. Accordingly, Banks has recognised provisions of Rs. 290 crore during the year ended 31st March, 2022 (no provision made during the quarter ended 31st March, 2022) and the balance unamortized expenses of Rs. 270.49 crore has been carried forward.

i) MSME Restructured Accounts:

In accordance with the RBI Cir. No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 and RBI circular DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Micro, Small and Medium Enterprises(MSME) sector - Restructuring of Advances", the details of MSME restructured accounts under the scheme as on 31st March, 2022 are as under:

झ) आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यायगत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती हैं तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

ख) आयकर विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग एवं आयकर, टीडीएस, शास्ति, ब्याज एवं ब्याज कर हेतु ट्रेसेस (आय कर की वेबसाइट) में प्रदर्शित मांग राशि ₹16.10 करोड़ (₹37.58 करोड़) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है; प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं।

य) कोविड-19 नियामक पैकेज:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल- मई, 2020 की कालावधि में देशव्यापी तालाबंदी हुई, जिसने आर्थिक गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित किया। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में लॉक डाउन के उपायों में ढील के कारण आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार हुआ और सामान्य स्थिति की ओर प्रगति हुई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, भारत ने कोविड-19 महामारी की दो और लहरें देखीं और देश के कुछ हिस्सों में स्थानीय / क्षेत्रीय लॉक डाउन उपायों को फिर से लागू किया। वर्तमान में, कोविड -19 के मामलों में धीरे-धीरे कमी आ रही है और भारत सहित दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था में पुनर्जीवन देखा जा रहा है। बैंक ने कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर खुद को तैयार किया है।

कोविड-19 महामारी के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आकस्मिक प्रावधान के तहत रु. 1000 करोड़ (31.03.2021) के लिए रु. 350 करोड़, 31.03.2022 तिमाही के दौरान रु. 65 करोड़ को प्रतिवर्त किया गया। का प्रावधान किया है।

ल) पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक के पेंशन संबंधी प्रावधान

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस-15 'कर्मचारी लाभ' के तहत स्टाफ पेंशन योजना के अधीन मेसर्स पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक के पारिवारिक पेंशनभोगी सहित सेवारत कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए रु.161.83 करोड़ का लेखा-जोखा किया गया। 'बीमांकित' देयता और अगली चार तिमाहियों में समान अनुपात में देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।

15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

j) Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax Department and demand displayed at TRACES (Income Tax Website) on account of Income Tax, TDS, Penalty, Interest amounting to Rs. 16.10 Crore (Rs. 37.58 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities.

k) COVID- 19 Regulatory Package:

During the Financial year 2020-21, the Covid-19 pandemic resulted in nation-wide lockdown during April-May 2020 which substantially impacted economic activity. The subsequent easing of lock down measures led to gradual improvements in economic activity and progress towards normalcy from second half of FY 2021. In FY 2021-22, India witnessed two more waves of Covid-19 pandemic and the re-imposition of localized/regional lock down measures in certain parts of the country. At present, there has been a gradual lowering of Covid-19 cases and the countries around the world are witnessing a revival in their economies including India. Bank has geared itself on all fronts to meet the challenges imposed by Covid-19.

Considering the likely impact of Covid-19 pandemic, Bank is holding Covid-19 related provisions of Rs.1000 crore (Rs.350 crore as on 31.03.2021, Rs. 65 crore reversed during the quarter March-2022) as contingency provision as on 31st March,2022.

l) Provision for Pension relating to Paschim Banga Gramin Bank

The "Actuarial" liability of Rs. 161.83 crore has been accounted towards serving employees and pensioner including family pensioner of Associate M/s Paschim Banga Grameen Bank under Staff Pension Scheme, as required under the AS-15 "Employee Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and amortization of liabilities will be made in equal proportion in next four quarters.

15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

अनुलग्नक II / Annexure II
पार्ट बी / Part B

लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मर्दे तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मर्द' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 11 के अनुसार दी गई है।

3 एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

i) क) एकीकृत विदेशी परिचालन : प्रतिनिधि कार्यालय, तेहरान, ईरान

ख) गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन: सिंगापुर केंद्र और हांगकांग केंद्र

ii) गैर-एकीकृत केंद्र के लिए विनिमय दरें

एसजीडी	55.6275
एचकेडी	9.6400

iii) लेखाबंदी दर

एसजीडी	55.9700
एचकेडी	9.6800

iv) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित (एफसीटीआर)

बैंक ने लाभ और हानि खाते में विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी है।

Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2022 as compared to those followed in the previous financial year 2021-22.

2. Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per accounting policy No. 11 of Schedule -17.

3. AS-11: The Effects of changes in foreign Exchange Rates:

i) a) Intergral Foreign Operations : Representative Office, Tehran, Iran

b) Non - Integral Foreign Operations: Singapore Centre & Hong Kong Centre

ii) Exchange rates for Non - Integral Centre

SGD	55.6275
HKD	9.6400

iii) Closing Rate

SGD	55.9700
HKD	9.6800

iv) Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)

Bank has not recognized in profit and loss account the proportionate exchange gains or losses held in foreign currency translation reserve on repatriation of profits from overseas operations.

4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व Revenue	7099.39	8758.87	5926.35	4605.74	5013.99	4767.12	42.43	34.59	18082.15	18166.42
परिणाम Result	2938.66	4289.79	-697.74	-2162.76	-532.99	-2237.10	42.43	34.59	1750.37	-75.45
अनावंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									4797.43	5420.62
आयकर Income Tax									820.60	-242.52
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									929.76	167.03
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	129332.88	125915.59	75050.09	62388.94	62846.54	64561.76	429.75	379.90	267659.26	253246.19
अनावंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									267659.26	253246.19
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	114969.29	113313.95	83101.35	68763.87	69588.61	71168.37	0.00	0.00	267659.26	253246.19
अनावंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									267659.26	253246.19

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष/ Current Year 2021-22	पिछला वर्ष/ Previous Year 2020-21	चालू वर्ष/ Current Year 2021-22	पिछला वर्ष/ Previous Year 2020-21	चालू वर्ष/ Current Year 2021-22	पिछला वर्ष/ Previous Year 2020-21
राजस्व/Revenue	17863.97	17673.62	218.18	492.79	18082.15	18166.41
आस्तियां/Assets	248739.37	237963.94	18919.88	15282.25	267659.26	253246.19

5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कर्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री ए. के. गोयल (01.04.2021 - 31.12.2021)

श्री सोमा शंकर प्रसाद (01.01.2022 - 31.03.2022)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री अजय व्यास (01.04.2021 - 31.03.2022)

श्री इशराक अली खान (01.04.2021 - 31.03.2022)

5. Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD) & CEO

Shri A. K. Goel (01.04.2021 - 31.12.2021)

Shri Soma Sankara Prasad (01.01.2022 - 31.03.2022)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Ajay Vyas (01.04.2021 - 31.03.2022)

Shri Ishraq Ali Khan (01.04.2021 - 31.03.2022)

प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कर्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मर्दे/ Items	Amount (during the FY 21-22)	As on 31.03.2022
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Soma Sankara Prasad (MD & CEO)	01.01.2022 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive	8.09	-
		Reimbursements	0.28	-
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	-
श्री ए. के. गोयल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri A. K. Goel (MD & CEO)	01.04.2021 से/to 31.12.2021	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive	26.77	-
		Reimbursements	4.04	-
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	26,500 shares
श्री ए. के. गोयल के रिश्तेदार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Relatives of Shri A. K. Goel MD & CEO	01.04.2021 से/to 31.12.2021	यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	1,300 shares
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas ED	01.04.2021 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive	29.78	-
		Reimbursements	9.93	-
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	-
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan ED	01.04.2021 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive	28.24	-
		Reimbursements	5.39	-
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	-	-

नोट: एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

Note: In terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

सी) सहयोगी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है, दिनांक 31.03.2022 तक इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

आरआरबी की पूंजी की स्थिति

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की दिनांक 31.03.2022 को कुल पूंजी 489.82 करोड़ रुपये की थी, जिसमें भारत सरकार से 244.91 करोड़ रुपये, यूको बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में) से 198.56 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 46.35 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरआरबी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को कुल जमा राशि 5.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 6252.47 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2022 तक 7.77 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल अग्रिम 3439.51 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। सीडी अनुपात 31.03.2022 को 55.01% है जो 31.03.2021 को 54.09% था।

सकल एनपीए 31.03.2022 को 358.24 करोड़ रुपये है जो 31.03.2021 को 412.77 करोड़ रुपये था। सकल एनपीए से सकल अग्रिम 31.03.2022 को 10.42% रहा है जबकि 31.03.2021 को यह 12.93% था। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2022 को 4.74% है जो 31.03.2021 को 8.50% था।

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक ने 31.03.2021 को 133 करोड़ रुपये के परिचालन लाभ की तुलना में 31.03.2022 को 26.62 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ अर्जित किया है।

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक ने 31.03.2021 को 61 करोड़ रुपये की निवल हानि की तुलना में 31.03.2022 को 99.55 करोड़ रुपये का निवल हानि दर्ज की है, जिससे संघित हानि 31.03.2021 को 304.90 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2022 को 444.85 करोड़ रुपये हो गयी है। पेंशन के प्रावधान के कारण निवल हानि हुई है। आरआरबी ने परिचालन लाभ दर्ज किया गया है। परिचालन लाभ में गिरावट काफी हद तक सितंबर, 2021 से कार्य व्यय के लिए जिम्मेदार पेंशन देयता कोष निधि के प्रावधानों के कारण है। आरबीआई और नाबार्ड द्वारा निर्धारित नई लेखा प्रक्रिया के अनुसार, पेंशन देयता कोष निधि जिसे सितंबर, 2021 तक प्रावधान के रूप में दिखाया गया था, को कार्य व्यय शीर्ष में लिया गया था जिससे परिचालन लाभ में 106.38 करोड़ रुपये की कमी आई।

6. एएस-21 और 23 की प्रयोज्यता :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 के अनुसार बनाये गये हैं

7. अमूर्त आस्तियां (एएस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्तिक की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

c) Associates:

Regional Rural Bank (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2022.

Capital position of RRB

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2022 stood at Rs.489.82 Crores comprising Rs.244.91 Crore from Govt. of India, Rs.198.56 Crore from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs.46.35 crore from West Bengal State Govt.

Performance of RRBs as under during 2021-22

Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.6252.47 crore as on 31.03.2022, registering growth of 5.96 percent. Total advance reached a level of Rs.3439.51 crore with an annual growth of 7.77 percent as on 31.03.2022. CD ratio stood at 55.01% on 31.03.2022 as against 54.09% on 31.03.2021.

The gross NPA stood at Rs.358.24 crore as on 31.03.2022 vis-a-vis Rs. 412.77 crore as on 31.03.2021. Gross NPA to Gross Advance stood at 10.42% as on 31.03.2022 as against 12.93% as of 31.03.2021. The net NPA ratio of the RRB stood at 4.74% as on 31.03.2022 as against 8.50% as of 31.03.2021.

Paschim Banga Gramin Bank has earned an operating profit of Rs.26.62 crore as on 31.03.2022 as compared to operating profit of Rs. 133 Crore as on 31.03.2021.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net loss of Rs.99.55 crore as on 31.03.2022 as compared to net loss of Rs.61 Crore as on 31.03.2021, thereby increasing accumulated loss from Rs. 304.90 crore as on 31.03.2021 to Rs. 444.85 Crore as on 31.03.2022. The net loss is on account of provision for pension, through the RRB has recorded operating Profit. The dip in operating profit is largely due to pension liability corpus fund provisions accounted for working expenses from September, 2021 onwards. As per the new accounting process prescribed by RBI and NABARD, the pension liability corpus fund which was shown as provision till September, 2021 was taken in working expenses head which reduced the operating profit by Rs. 106.38 Crore.

6. Applicability Of AS- 21 and 23:

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21-" Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-"Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the ICAI.

The financial statement of the associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March 2022.

7. Intangible Assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2022

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. Sl. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	56.94	55.14
2	घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरुद्ध Net Block at the beginning of the year	-	-
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	39.14	13.56
5	घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	13.31	11.69
6	योग/Total	82.77	57.01
7	घटाएं: अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	44.13	30.75
8	घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	-	-
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	38.64	26.26

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2022

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	30.75	21.49
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	30.75	21.49
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	-
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	26.69	20.95
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	13.31	11.69
16 अंतिम शेष/Closing Balance	44.13	30.75

8. आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9. एस-24, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, असतत परिचालन-एस 24 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

10. एस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

- बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।
- लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवयक लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मान्यता प्राप्त

8. Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9. APPLICABILITY OF AS- 24, 27.

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS-24 - Discontinuing Operations and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

10. AS - 15 -Employee Benefits (Revised):

- The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.
- The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit

रोजगार पूर्व लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है: -

& Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:-

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

Defined Benefit Schemes:

(ए) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(a) Changes in the present value of the obligations

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	8053.46	7555.51	784.57	822.38	640.19	530.63	40.91	37.11	16.92	12.06	1.50	2.56
ब्याज लागत Interest Cost	522.74	456.33	50.34	50.36	46.42	36.93	2.96	2.58	1.23	0.84	0.11	0.18
चालू सेवा लागत Current Service Cost	299.23	340.68	59.03	57.53	124.04	53.43	0	0	3.85	2.94	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	1128.50	983.22	180.50	197.70	0	0	0	0	0	0	0	0
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	945.41	684.16	4.83	52.00	161.57	19.20	1.88	1.22	(5.23)	1.08	0.51	(1.24)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	8692.34	8053.46	7182.71	784.57	649.08	640.19	41.99	40.91	16.77	16.92	2.12	1.50

(ब) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2022	पेंशन/ Pension 2021	उपदान/ Gratuity 2022	उपदान/ Gratuity 2021
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	7867.97	7340.01	732.88	767.15
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	612.91	550.50	57.09	53.39
नियोक्ता अंशदान /Employer's contribution	1194.45	990.80	78.73	114.15
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	1128.50	983.22	180.50	197.70
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	(29.09)	(30.12)	9.62	(4.12)
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	8517.74	7867.97	697.81	732.87

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	8692.34	8053.46	718.27	784.57	649.08	640.19	41.99	40.91	16.77	16.92	2.12	2.56
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	8517.74	7867.97	697.81	732.87	647.21	732.87	40.91	40.86	15.92	15.62	1.50	(1.06)
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताए/आस्ति Net Liability /Asset recognized in Balance Sheet	174.60	185.49	20.46	51.70	1.87	92.68	1.08	0.05	0.85	1.30	0.62	1.50

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन		उपदान		छुट्टी का नकदीकरण		एलएफसी/एलटीसी		बीमारी छुट्टी		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा		
	Pension		Gratuity		Leave Encashment		LFC/LTC		Sick Leave		Medical Benefits to Directors		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)	299.23	340.68	59.03	57.53	124.04	53.43	0	0	3.85	2.94	0	0	
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)	522.75	456.33	50.34	50.36	46.41	36.93	2.96	2.58	1.23	0.84	0.11	0.18	
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)	612.92	550.50	57.09	53.39	0	0	0	0	0	0	0	0	
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)	(974.50)	714.28	4.79	56.12	161.57	19.20	1.88	1.22	5.23	1.08	0.51	(1.24)	
राशि /Amount (A+B-C+D)	1183.56	960.79	47.49	110.62	8.88	109.57	1.08	3.80	(0.15)	4.86	0.62	-1.06	
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss during the FY 2021-22	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 (A)	1153.56	864.84	47.49	110.62	8.88	109.56	1.08	3.80	(0.15)	4.86	0.62	-1.06
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution (B)	30.00	95.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction, (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल/Total (A+B+C)	1183.56	960.79	47.49	110.62	8.88	109.56	1.08	3.80	(0.15)	4.86	0.62	-1.06

विवरण Particulars	निधि/ FUNDED				अनिधि/ UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	(945.41)	684.16	(4.83)	52.00	161.57	19.20	1.88	1.22	5.23	1.08	0.51	(1.24)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(29.09)	(30.12)	9.62	(4.12)	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	(974.50)	714.28	4.79	56.12	161.57	19.20	1.88	1.22	5.23	1.08	0.51	(1.24)
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	(974.50)	714.28	4.79	56.12	161.57	19.20	1.88	1.22	5.23	1.08	0.51	(1.24)

निवेश के ब्योरे :

- क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%
 ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

- a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%
 b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियाँ Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियाँ एन्युटी कांट्रैक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
कुल/Total	100.00%

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 से 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	6.98% (पेंशन हेतु/For Pension) 7.25% (उपदान हेतु/For Gratuity)
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	7.79% (पेंशन हेतु/For Pension) 7.79% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	औसतन 21 वर्ष (उपदान)/21 Years on an average (Gratuity) औसतन 8 वर्ष (पेंशन)/8 Years on an average (Pension)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन-(एएस-20) / Earnings Per Share (EPS)- (AS-20): :

	As on 31.3.2022	As on 31.3.2021
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	894.92	145.68
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	11955958176	9918340622
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	11637754887	9918340622
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	0.77	0.15

12. आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹817.71 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020-21 ₹675.81 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the year net amount of ₹ 817.71 Crore (₹ 675.81 has been recognized Crore for FY 2020-21) has been recognized as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	8277.94	9574.09
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	226.81	223.71
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	0.00	0.00
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	0.00	0.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	285.49	167.08
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	--	--
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	80.49	73.01
योग:/TOTAL :	9220.18	10037.89

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योग:/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	9220.18	10037.89

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में इस विकल्प के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी है।

13. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank is currently in the process of evaluating this option and continues to recognize the taxes on income for the year ended 31st March, 2022 as per the earlier provisions of the Income Tax Act, 1961.

13. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्यों

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूको बैंक ('बैंक') के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक समेकित तुलन-पत्र और उस समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें शामिल हैं:

- यूको बैंक (बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, जिनका लेखा परीक्षण सभी चार सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों अर्थात् हमारे द्वारा किया गया है।
- एक सहयोगी (पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित की गई है।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और बैंक के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी और सहयोगी के लेखा परीक्षित वित्तीय पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, जैसा कि बैंक प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रावधानों के लिए आवश्यक जानकारी देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ('आरबीआई दिशानिर्देश') को आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2022 को बैंक के समेकित लाभ की उनकी समेकित स्थिति, और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

3. अभिमत का आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्व को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की उत्तरदायित्व में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित है।

4. ध्यान देने योग्य बातें

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- हम कोविड- 19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के संबंध में वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट सं. 14 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक का वित्तीय प्रदर्शन भविष्य पर निर्भर है। बैंक निरंतर आधार पर सामना कर रही चुनौतियों से संबंधित स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस-15 'कर्मचारी लाभ' के तहत स्टाफ पेंशन योजना के कारण आवश्यक सहयोगी समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 14(1) में 161.83 करोड़ की निर्धारित 'बीमांकिक' देयता और अगली चार तिमाहियों में समान अनुपात में शेष देनदारियों का परिशोधन किया गया है।

इन मामलों से संबंधित हमारी अवधारणा में संशोधन नहीं है।

5. मूल लेखा परीक्षा मामले

मूल लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशागत निर्णय में चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्व के थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी समग्र लेखा परीक्षा तथा उसपर अपना अभिमत बनाने के क्रम में बरता गया है तथा इन मामलों पर हम अलग से अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते। नीचे दिए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज करने के लिए हमने उसे मूल लेखा परीक्षा मामला माना है:

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले डेटा और नियंत्रणों का प्रवासन: वर्ष के दौरान, बैंक ने फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में प्रवासन किया है। बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज या स्वतंत्र रूप से काम करने पर अत्यधिक निर्भर करती है।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं: - हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और पहचान और रिपोर्ट /विवरणों और परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से उत्पन्न अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के अभिकल्प और परिचालन प्रभावीलता को सत्यापित करना, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है। लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं में शामिल हैं: क) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण वातावरण, सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों और डेटा प्रवासन दृष्टिकोण की समझ प्राप्त की।

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय

हमारे संकेन्द्रित क्षेत्र उस तर्क से संबंधित हैं जो सिस्टम में फीड किया गया है, स्थानांतरित किए गए आंकड़ों की सटीकता, डेटा की पवित्रता और विवसनीयता, अभिगम प्रबंधन और कर्तव्यों का विसंयोजन। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डेटा में परिवर्तन उपयुक्त, अधिकृत, शुद्ध और निगरानी किए जाते हैं, ताकि सिस्टम सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट / रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी उत्पन्न कर सके जिसका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।

बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में उत्पन्न करती हैं और विविध और जटिल लेनदेन को संसाधित करती हैं जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। एक जोखिम है कि स्वचालित लेखा प्रक्रियाओं और संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को सटीक रूप से डिजाइन और प्रभावी ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।

अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान अग्रिमों के अंतर्गत

खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक देट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हुई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है।

क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।

निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान

निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया

ख) उपयोगकर्ता और एप्लिकेशन नियंत्रण, परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण और डेटा बैकअप से संबंधित आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण करना।

ग) जहाँ हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने अयांत्रिक क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे प्रणाली और अन्य सूचना 'स्रोतों' के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे नमूना आकार को बढ़ाया।

घ) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षाओं के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता;

ङ) जहाँ कहीं भी उपलब्ध कराया गया है, बाहरी विक्रेता निरीक्षण रिपोर्टों पर निर्भरता।

हमारे परिणाम:

प्रणाली से आगत/निर्गम आंकड़ों की लगातार कमियों को नियंत्रित करने के लिए तथा इसकी प्रभावकारिता के लिए तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

हम सुझाव देते हैं कि बैंक अपनी प्रभावीलता को मजबूत करने के लिए फिनेकल 10 में स्थानांतरण के बाद आईएस लेखा-परीक्षा करें।

हमने आस्ति वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई।

हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं जांच की।

वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है।

निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और टोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं। हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों

की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।

जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया।

हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया;

उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना

बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था :

- कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन।
- विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रूढ़िगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन।
- सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ।
- जहां कहीं उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणों के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

6. अन्य बातें

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में एक (01) सहयोगी के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है, जिसका वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद 34.84 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि को दर्शाता है, जैसा कि वित्तीय परिणाम/ वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है। अन्य वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है, और हमारी राय पूरी तरह से उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है और इसे प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह तुलनात्मक जानकारी समेकन के उद्देश्य से तैयार की गई है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

7. समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी,

या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताना होगा।

8. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व और उन पर अभिशासन का दायित्व

बैंक का निदोदक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदान और बैंक और उसके सहयोगी के समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं। जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। संबंधित निदेशक मंडल बैंक और उसके सहयोगी इसके लिए उत्तरदायी हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, बैंक के संबंधित निदेशक मंडल और उसके सहयोगी, बैंक और उसके सहयोगी से संबंधित जो तथ्य लागू हो, उन्हें प्रकट करना है। यह एक संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी हैं। जब तक प्रबंधन बैंक और उसके सहयोगी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने नहीं चाहता है, तो ऐसा करने के अतिरिक्त कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बैंक और उसके सहयोगी के संबंधित निदेशक मंडल भी बैंक और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं।

9. वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एएसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने से समर्थ हों।

इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं। हम यह भी कहते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेजेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन किया जा सके, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्रावकलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाना।
- लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करना तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताना। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चयता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकती हैं।
- प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।
- भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।
- जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में बातचीत करते हैं।
- जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के अग्र बनाई गई वह समेकित विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।

- जो गवर्नेस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमें किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

10. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

समेकित बैलेंस शीट और समेकित लाभ और हानि खाते का विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है :

उक्त पैराग्राफ में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यक्षीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
- ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 001311 सी

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 000846 सी

(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011
यूडीआईएन: 22071011AIXVMF6910

(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609
यूडीआईएन: 22051609AIXXWP4906

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार,
पंजीकरण सं. 304013 ई

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
यूडीआईएन: 22058553AIXUQM9904

(सीए अमिय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254
यूडीआईएन: 22005254AIXUXI3126

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of UCO Bank (the "Bank") & its associate ("together referred to as Group"), which comprises the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2022, and the consolidated Statement of Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated financial statements") which includes:
 - i) Audited Financial Statements of UCO Bank (the Bank), which have been audited by all the four Statutory Central Auditors i.e. by us.
 - ii) Audited Financial Statements of one associate (Paschim Banga Gramin Bank) audited by other Auditor.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on consideration of reports of the other auditors on separate audited financial statement/ financial information of Bank and audited financials of associate as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statement give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

3. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

4. Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

- i) Note No. 14(k) of Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements regarding impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and Bank's financial performance is dependent on future development. Bank is evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced.
- ii) Note No. 14(l) of Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements regarding ascertained "Actuarial" liability of Rs. 161.83 crore on account of Staff Pension Scheme, as required under the AS-15 "Employee Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and amortization of balance liabilities in equal proportion in next four quarters.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

5. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
<p>Information Technology (IT), Migration of Data and controls impacting financial Reporting:</p> <p>During the year, the Bank has migrated from Finacle 7 to Finacle 10. The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.</p> <p>Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, accuracy of migrated data, sanctity and reliability of the data,</p>	<p>Our audit approach included: -</p> <p>Our audit procedures includes assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis.</p> <p>The audit procedures included:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment, IT policies and data migration approach during the audit period.

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
<p>access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.</p> <p>The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.</p>	<p>b) Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup.</p> <p>c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidences.</p> <p>d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;</p> <p>e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.</p> <p>Our Result: The system needs to be strengthened for its efficacy to control persisting deficiencies of input/output data from the system. We suggest bank to conduct IS Audit post migration to Finacle 10 to strengthen its efficacy & controls.</p>
<p>Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances</p> <p>Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances.</p> <p>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS).The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.</p> <p>In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:</p> <p>We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software.</p> <p>Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank.</p>
<p>Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments</p> <p>Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.</p> <p>These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.</p> <p>We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;</p>

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc, for determining fair value of these investments;

For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security.

We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision there against;

In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions.

Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt

The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.

Our audit procedure in response to this key Audit Matter included

- Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings.
- Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases.
- Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation.
- Analysis of opinion received from the experts where ever available.
- Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.

6. Other Matters

The accompanying Consolidated Financial Statements includes the audited financial statements and other financial information, in respect of one (01) associate whose financial reflect net loss after tax of Rs. 34.84 crore for the year ended 31st March, 2022, as considered in the consolidated financial statements whose financial results/financial statements, other financial information have been audited by their independent auditor whose audit report have been furnished by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the said auditor. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

The comparative financial statement for the year ended 31st March 2021 has not been audited by us and same has been prepared by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these comparative information has been prepared for the purpose of the consolidation.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

7. Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor's report, and Directors' Report, including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

8. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank and its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the Bank and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, respective Board of Directors of the Bank and its associate is responsible for assessing the ability of the Bank and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank and its associate or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of directors of the Bank and its associate are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Bank and its associate.

9. Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Bank and its associate to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

10. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:

- We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
- The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement

For KHANDELWAL KAKANI & CO

Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(CA SANTOSH DESHMUKH)

Partner
Membership No. 071011
UDIN: 22071011AIXVMF6910

For R GOPAL & ASSOCIATES

Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(CA G D AGARWALA)

Partner
Membership No. 051609
UDIN: 22051609AIXXWP4906

For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP

Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(CA SANDEEP AGRAWAL)

Partner
Membership No. 058553
UDIN: 22058553AIXUQM9904

For GHOSHAL & GHOSAL

Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)

Partner
Membership No. 005254
UDIN: 22005254AIXUXI3126

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated: 13-05-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
A. Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	17155229	(1062898)
समायोजन /Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	1649552	1344161
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	5204065	1377032
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान /Provision for non-performing assets	38000598	27340267
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	3379266	110245
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items	(4799318)	20942959
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि /(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(5173)	209586
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on subordinated debt (treated separately)	2769807	2760234
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(94324)	(92857)
टियर-II बाँडों से प्राप्त ब्याज (इसे अलग माना गया)		
Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)	0	(4525)
उप-योग/Sub-total	63259702	52924203
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
	63259702	52924203
समायोजन/Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(35764167)	(29004890)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(152299245)	(129143147)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	19195368	22274657
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(5149280)	(12541835)
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	181535039	127159509
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(26790802)	(7447540)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	43986615	24220958
Net Cash Flow from Operating Activities (A)	43986615	24220958
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
B. Cash flow from investing activities :		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(2160186)	(1458648)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	67731	(183947)
प्राप्त लाभांश/Dividend Received	94324	92857
टियर-II बाँडों से प्राप्त ब्याज/Interest received from Tier-II Bonds	0	4525
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)	(1998131)	(1545213)
Net cash flow from investing activities (B)	(1998131)	(1545213)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
 ENDED 31ST MARCH, 2022 (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)
 (000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021
	₹	₹
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/ C. Cash flow from financing activities :		
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential allotment of Equity Shares	20376177	0
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares	5623823	0
भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी (शेयर एप्लिकेशन मुद्रा में रखा गया) Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	(26000000)	26000000
बासेल -III अनुपालित टियर-2 बॉण्ड जारी करना / Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	5000000	0
अपर टियर-2 बॉण्डों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	(10000000)	0
नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	(8595601)	9417537
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(2769807)	(2760234)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	(16365408)	32657303
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ) Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)	25623076	55333048
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन (ई)/ Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation (D)	(145605)	2607807
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ+ई)/ Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C+D)	25477471	57940855

सोमा शंकर प्रसाद
 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
SOMA SANKARA PRASAD
 Managing Director & CEO

श्री इशराक अली खान
 कार्यपालक निदेशक
ISHRAQ ALI KHAN
 Executive Director

डॉ. संजय कुमार
 निदेशक
DR SANJAY KUMAR
 Director

राजेश कुमार
 निदेशक
RAJESH KUMAR
 Director

अर्जन तालुकदार
 निदेशक
ANJAN TALUKDAR
 Director

रवि कुमार अग्रवाल
 निदेशक
RAVI KUMAR AGRAWAL
 Director

के राजीवन नायर
 निदेशक
K RAJIVAN NAIR
 Director

संदीप कुमार बोस
 सहायक महाप्रबंधक
SANDEEP KUMAR BOSE
 Asst. General Manager

शशिकांत कुमार
 महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
 General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
 दिनांक/Dated : 13-05-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2022 (Contd.) (000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021
	₹	₹
क्रमशः 1 अप्रैल 2021 और 2020 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on April 1,2021 & 2020 respectively	236002439	178061584
क्रमशः 31 मार्च 2022 और 2021 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on March 31,2022 & 2021 respectively	261479910	236002439
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	8096269	9234231
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	86357875	58533053
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	141548295	110294300
	236002439	178061584
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9167094	8096269
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	93708375	86357875
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	158604441	141548295
	261479910	236002439

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए संतोष देशमुख)
भागीदार
सदस्यता संख्या 071011
(CA SANTOSH DESHMUKH)
Partner
Membership No. 071011

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए जी डी अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051609
(CA G D AGARWALA)
Partner
Membership No. 051609

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए अमीय कुमार घोषाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 005254
(CA AMIYA KUMAR GHOSHAL)
Partner
Membership No. 005254

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 13-05-2022

लाभांश वितरण दिशानिर्देश /DIVIDEND DISTRIBUTION GUIDELINES

बैंक के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण के समय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करता है:

Bank follows the following guidelines issued by RBI while making payment of Dividend to the shareholders of the Bank:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/451/2005 डीबीओडी/सं बीपी.बीसी 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 4 मई, 2005 के माध्यम से बताया था कि बैंक यदि पूंजी पर्याप्तता, निवल एनपीए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 15 एवं 17 के संबंध में विशेषीकृत पात्रता मानदंडों का अनुपालन करता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अपनी आस्तियों में क्षय, स्टाफ अनुलाभ, लाभ की प्रारक्षितियों में अंतरण आदि के लिए प्रावधान कर के रखता है तो उसे लाभांश की घोषणा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/451/2005 DBOD. NO. BP.BC. 88/21.02.067/2004-05 dated 4th May, 2005 advised that prior approval of Reserve Bank of India is not necessary for declaration of Dividend, if the Bank complies with the specified eligibility criteria regarding capital adequacy, Net NPA, Compliance of provision of Sec. 15 & 17 of Banking Regulation Act, and makes provision for impairment of assets, staff benefits, transfer of profit to reserve etc as per RBI guidelines.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उक्त परिपत्र में आगे कहा है कि लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से ही किया जाए। अधिकतम अनुमत लाभांश पेआउट अनुपात रेंज के लिए मानदंड मैट्रिक्स का जो विवरण नीचे दिया जा रहा है वह भी भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त परिपत्र में विहित है :

RBI in their aforesaid circular have further stipulated that the dividend should be paid out of the current year's profit. The matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend pay-out ratio as detailed below has also been stipulated in the aforesaid RBI circular:

कोटि Category	सीआरएआर /CRAR	निवल एनपीए अनुपात/Net NPA Ratio			
		शून्य Zero	शून्य से अधिक पर 3% से कम More than Zero but less than 3%	3% से लेकर 5% से कम तक From 3% to less than 5%	5% से लेकर 7% से कम तक From 5% to less than 7%
लाभांश पेआउट अनुपात का रेंज (कर के बाद लाभ का %) Range of Dividend Pay out Ratio (% of Profit after Tax)					
क/A	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 11% अथवा उससे अधिक 11% or more for each of last 3 years	40 तक Upto 40	35 तक Upto 35	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15
ख/B	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 10% अथवा उससे अधिक 10% or more for each of last 3 years	35 तक Upto 35	30 तक Upto 30	20 तक Upto 20	10 तक Upto 10
ग/C	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 9% अथवा उससे अधिक 9% or more for each of last 3 years	30 तक Upto 30	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15	5 तक Upto 5
घ/D	चालू वर्ष में 9% अथवा उससे अधिक 9% or more in the current year	10 तक Upto 10		5 तक Upto 5	निरंक NIL

हालांकि, आरबीआई ने अपने परिपत्र डीओआर.एसीसी.आरईसी.7/21.02.067/2021-22 दिनांक 22.04.2021 के माध्यम से बैंकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने का निर्देश दिया है बशर्ते लाभांश की मात्रा ऊपर दिए गए लाभांश भुगतान के अनुपात के अनुसार निर्धारित राशि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

However, RBI vide its circular DOR.ACC.REC.7/21.02.067/2021-22 dated 22.04.2021 instructed banks to pay dividend on equity shares from the profits for the financial year ended March 31, 2021, subject to the quantum of dividend being not more than fifty percent of the amount determined as per the dividend pay-out ratio given above.

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का

बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण

**तालिका डीएफ - 1:
प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार**

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक						
(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:						
निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
पश्चिम बंगा ग्रामिण बैंक	हाँ	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक सहायक संस्था, अतः विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है। निवेश 250% जोखिम भारित है
क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - पश्चिम बंगा ग्रामिण बैंक						
ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :						
ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आरिस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)			
पश्चिम बंगा ग्रामिण बैंक	बैंकिंग	रु. 489.82 करोड़ (यूको बैंक की हिस्सेदारी : 35%)	रु. 6815.81 करोड़			
घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती है:						
अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
ड. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण-चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:						
बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल इक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		

च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध:

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूँजी पर दिनांक 31 मार्च 2022 को कोई प्रतिबन्ध अथवा अवरोध नहीं है

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2022

UCO BANK

**Table DF - 1:
Scope of Application**

Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.						
(i) Qualitative Disclosures:						
Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)	Yes	Equity Method basis as per AS-23 issued by ICAI	No	NA	NA	Entity is Regional Rural Bank, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation. Investment is risk weighted at 250%
a. List of group entities considered for consolidation – Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)						
b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation						
Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	
(ii) Quantitative Disclosures:						
c. List of group entities considered for consolidation						
Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)			
Paschim Banga Gramin Bank	Banking	Rs. 489.82 crore (UCO Bank Share : 35%)	Rs. 6815.81 crore			
d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:						
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies		
NA	NA	NA	NA	NA		
e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:						
Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method		
NA	NA	NA	NA	NA		
f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:						
There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2022.						

तालिका डी एफ - 2
पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूँजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	(₹ करोड़ में)
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता: मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन पोर्टफोलियो प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	8889.30 शून्य
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता: मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण ब्याज दर जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) ईक्विटी जोखिम	1508.09 1317.40 5.82 184.87
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता: बुनियादी सूचक दृष्टिकोण • मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	1622.30 -
(ङ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात : सामान्य ईक्विटी टियर 1 टियर 1 कुल पूँजी अनुपात शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	10.97% 10.97% 13.74% लागू नहीं लागू नहीं

Table DF - 2
Capital Adequacy

Qualitative Disclosures	
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.
Quantitative Disclosures	
	(₹ in crore)
(b)	Capital requirements for Credit Risk : Portfolio subject to Standardized Approach Securitization Exposures
	8889.30 Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk : Standardized Duration Approach Interest Rate Risk Foreign Exchange Risk (including Gold) Equity Risk
	1508.09 1317.40 5.82 184.87
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach • The Standardised Approach (if applicable)
	1622.30 –
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: Common Equity Tier I Tier I Total Capital ratios For the top consolidated group For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)
	10.97% 10.97% 13.74% Not Applicable Not Applicable

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आरिष्ठ प्रबंध नीति के अनुसार किसी आरिष्ठ को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/ अनर्जक आरिष्ठ माना जाता है -

- i. मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
- ii. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
- iii. खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
- iv. अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
- v. दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

- i. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।
- ii. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- i. ऋण जोखिम अधिग्रहण - कार्यनीति एवं नीतियां
- ii. ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
- iii. ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया
- iv. ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख (योजनाबद्ध एवं रिटेल ऋण को छोड़ कर) से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेसन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरें ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाई जाती हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आती हों।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में)		संवितरण	
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क)	कुल सकल ऋण एक्सपोजर	129777.34	9262.57
(ख)	ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
	देशी	115598.38	8719.70
	विदेशी	14178.96	542.87

(राशि ₹ करोड़ में)

ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		
उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	663.41	380.49
क.1 कोयला	33.53	365.54
क.2 अन्य	629.88	14.95
ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख.5)	1,305.42	160.63
ख.1 चीनी	145.59	5.00
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	165.96	42.06
ख.3 चाय	384.19	7.67
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	609.68	105.90
ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू	58.30	0.39
जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	43.83	0.00
घ. वस्त्र (क से च तक)	729.52	57.27
क. सूती वस्त्र	367.92	32.56
ख. जूट	7.18	2.82
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	0.00	0.00
घ. सिल्क	0.00	0.00
ङ. ऊनी	0.00	0.00
च. अन्य	354.42	21.89
घ (अर्थात् कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	0.00	0.00
ङ. चर्म एवं चर्म उत्पाद	24.69	0.01
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	74.68	2.49
छ. कागज एवं कागज उत्पाद	166.94	31.10
ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा	1206.92	11.94
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)	471.18	57.66
झ.1 उर्वरक	37.67	1.24
झ.2 औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स	169.48	12.97
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचाको छोड़कर)	20.01	10.39
झ.4 अन्य	244.01	33.07
ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	151.80	14.08
ट. कांच एवं कांच के सामान	41.25	0.00
ठ. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	247.40	29.64
ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)	2,252.04	458.08
ड.1 लोहा एवं इस्पात	2,104.85	409.93
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	147.19	48.15
ण. समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2)	1,175.23	662.10
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	160.19	124.22
ण.2 अन्य	1015.04	537.89
त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	1.32	0.00
थ. रत्न एवं जेवर	130.71	0.02
द. विनिर्माण	524.32	1066.48
ध. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	12,495.86	1,808.16
क. यातायात (क.1 से क.6)	2,106.74	570.46
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	1904.87	550.74
क.2 बंदरगाह	47.65	19.73
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	154.22	0.00
क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)		

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख. ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	7,214.58	903.98
ख.1 बिजली (उत्पादन)	4020.44	903.98
ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	752.89	0.00
ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	608.14	624.01
ख.1.3 निजी क्षेत्र	2659.41	279.96
ख.2 बिजली (संचारण)	1169.47	0.00
ख.2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	184.23	0.00
ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	972.27	0.00
ख.2.3 निजी क्षेत्र	12.98	0.00
ख.3 बिजली (वितरण)	1968.79	0.00
ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1968.79	0.00
ख.3.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.4 तेल पाईपलाइन	55.89	0.00
ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	0.00	0.00
ख.6 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग. जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	0.00	0.00
ग.1 टोस अपशिष्ट प्रबंध	0.00	0.00
ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाइन	0.00	0.00
ग.3 जलशोधन संयंत्र	0.00	0.00
ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ. संचार (घ.1 से घ.2)	69.20	0.00
घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	0.00	0.00
घ.2 दूरसंचार टॉवर	69.20	0.00
ङ. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से ङ.9)	3105.33	333.72
ङ.1 शिक्षण संस्थाएं (पूँजी स्टॉक)	57.96	9.74
ङ.2 अस्पताल (पूँजी स्टॉक)	34.49	0.02
ङ.3 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	0.00	0.00
ङ.4 औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	2990.79	323.96
ङ.5 उर्वरक (पूँजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6 बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	22.10	0.00
ङ.7 अंतिम बाजार	0.00	0.00
ङ.8 मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9 शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
न. अन्य उद्योग	0.00	0.00
समस्त उद्योग (क से न तक)	21,720.98	4,740.53

घ) परिसंपत्तियों एवं देयताएं की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	सकल अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
१ दिन	3,150	428	-	293	1,755	1,804
२ से ७ दिन तक	4,053	1,595	100	2,851	4,167	4,670
८ से १४ दिन तक	3,284	1,393	-	1,056	1,479	1,428
१५ से ३० दिन तक	7,567	2,492	707	1,834	16,782	16,980
३१ दिन से २ माह तक	9,019	2,726	218	602	16,379	15,488
२ माह से अधिक परंतु ३ माह तक	11,396	3,883	1,024	2,821	5,448	6,486
३ माह से अधिक परंतु ६ माह तक	23,640	7,354	1,657	744	11,379	11,170
६ माह से अधिक परंतु १ वर्ष तक	41,164	16,597	3,082	1,335	26,439	25,636
१ वर्ष से अधिक परंतु ३ वर्ष तक	32,054	15,745	5,165	473	3,576	4,744
३ वर्ष से अधिक परंतु ५ वर्ष तक	18,837	14,564	13,763	-	2,042	1,767
५ वर्ष से अधिक	69,908	63,000	73,327	1,500	2,286	1,824
Total	2,24,073	1,29,777	99,045	13,508	91,732	91,999

च) एनपीए की राशि (सकल)	:	10237.43	करोड़
• अवमानक	:	2282.62	करोड़
• संदिग्ध 1	:	2076.28	करोड़
• संदिग्ध 2	:	2536.22	करोड़
• संदिग्ध 3	:	2677.13	करोड़
• हानि	:	665.18	करोड़
छ) शुद्ध एनपीए	:	3315.78	करोड़
ज) एनपीए अनुपात: -			
• सकल अग्रिम पर सकल एनपीए	:	7.89%	
• शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए	:	2.70%	
झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)			
• प्रारंभिक शेष	:	11351.97	करोड़
• वृद्धि	:	6122.62	करोड़
• कमी	:	7237.16	करोड़
• अंत शेष	:	10237.43	करोड़

झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़

(₹ राशि करोड़ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	विशेष प्रावधान #	सामान्य प्रावधान @
प्रारंभिक शेष	6049.78	478.14
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	3832.69	411.16
बढ़े खाते डालना	3851.23	शून्य
अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते से निकालना	32.63	73.33
विनिमय अंतर	27.35	2.09
अंत शेष	6025.96	818.06

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है

ज) बट्टे डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं

बट्टे डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं (बट्टे डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	— ₹1546.22 करोड़
--	---------------------

ट) अनर्जक निवेशों की राशि	:	1061.72 करोड़
ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि	:	969.89 करोड़
ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़		
• प्रारंभिक शेष	:	1133.59 करोड़
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	:	217.69 करोड़
• बट्टे खाते डालना	:	शून्य
• विनिमय अंतराल	:	--8.83 करोड़
• अतिरिक्त प्रावधानों को वापस खाते में लेना	:	140.78 करोड़
• अंत शेष	:	1201.67 करोड़

ढ) उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	एनपीए	विशेष एवं सामान्य प्रावधान
1	खदान और उत्खनन	19.17	3.36
2	खाद्य प्रसंस्करण	214.13	180.68
3	वस्त्र	42.50	29.39
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	2.50	0.89
5	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	6.90	2.63
6	कागज एवं कागज उत्पाद	1.95	1.03
7	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	0	0
8	रसायन एवं रसायन उत्पाद	32.47	31.50
9	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	25.19	15.35
10	कांच एवं कांच के सामान	0.48	0.48
11	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	18.13	9.90
12	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	74.11	18.66
13	समस्त इंजीनियरिंग	78.90	34.19
14	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	0.93	0.27
15	रत्न एवं आभूषण	3.96	1.70
16	निर्माण	147.37	54.98

ण) भूगोल-वार एनपीए एवं प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
कुल एनपीए	9518.84	718.59	10237.43
एनपीए के लिए प्रावधान	5365.75	660.21	6025.96
मानक अग्रिमों के प्रावधान	743.60	74.46	818.06

Table DF - 3
Credit Risk: General Disclosures for All Banks

Qualitative Disclosure

a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where -

- i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

- i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
- ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

b) Bank's Credit Risk Management Policy:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

- i. Credit Risk acquisition - strategies & policies,
- ii. Credit approval processes.
- iii. Credit Risk monitoring processes.
- iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ₹ 25 lacs (other than Schematic and Retail Loans) and above ₹ 1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

Quantitative disclosures

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures		
	Fund Based	Non Fund Based
a) Total Gross Credit Exposure	129777.34	9262.57
b) Geographical Distribution of Exposure		
Domestic	115598.38	8719.70
Overseas	14178.96	542.87

c) Industry type distribution of Exposures		(Amount in ₹ Cr)	
Industry Name	Exposures		
	Funded	Non-Funded	
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	663.41	380.49	
A.1 Coal	33.53	365.54	
A.2 Others	629.88	14.95	
B. Food Processing (B.1 to B.5)	1,305.42	160.63	
B.1 Sugar	145.59	5.00	
B.2 Edible Oils and Vanaspati	165.96	42.06	
B.3 Tea	384.19	7.67	
B.4 Coffee	0.00	0.00	
B.5 Others	609.68	105.90	
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	58.30	0.39	
Of which Tobacco and tobacco products	43.83	0.00	
D. Textiles (a to f)	729.52	57.27	
a. Cotton	367.92	32.56	
b. Jute	7.18	2.82	
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00	
d. Silk	0.00	0.00	
e. Woolen	0.00	0.00	
f. Others	354.42	21.89	
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00	
E. Leather and Leather products	24.69	0.01	
F. Wood and Wood Products	74.68	2.49	
G. Paper and Paper Products	166.94	31.10	
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1206.92	11.94	
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	471.18	57.66	
I.1 Fertilizers	37.67	1.24	
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	169.48	12.97	
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	20.01	10.39	
I.4 Others	244.01	33.07	
J. Rubber, Plastic and their Products	151.80	14.08	
K. Glass & Glassware	41.25	0.00	
L. Cement and Cement Products	247.40	29.64	
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	2,252.04	458.08	
M.1 Iron and Steel	2,104.85	409.93	
M.2 Other Metal and Metal Products	147.19	48.15	
N. All Engineering (N.1 + N.2)	1,175.23	662.10	
N.1 Electronics	160.19	124.22	
N.2 Others	1015.04	537.89	
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	1.32	0.00	
P. Gems and Jewellery	130.71	0.02	
Q. Construction	524.32	1066.48	
R. Infrastructure (a to d)	12,495.86	1,808.16	
a. Transport (a.1 to a.6)	2,106.74	570.46	
a.1 Roads and Bridges	1904.87	550.74	
a.2 Ports	47.65	19.73	
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00	
a.4 Airport	0.00	0.00	
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	154.22	0.00	
a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)			

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	7,214.58	903.98
b.1 Electricity (Generation)	4020.44	903.98
b.1.1 Central Govt PSUs	752.89	0.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	608.14	624.01
b.1.3 Private Sector	2659.41	279.96
b.2 Electricity (Transmission)	1169.47	0.00
b.2.1 Central Govt PSUs	184.23	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	972.27	0.00
b.2.3 Private Sector	12.98	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	1968.79	0.00
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1968.79	0.00
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00
b.4 Oil pipelines	55.89	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	0.00	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	0.00	0.00
c.1 Solid Waste Management	0.00	0.00
c.2 Water supply pipelines	0.00	0.00
c.3 Water treatment plants	0.00	0.00
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c. 6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	69.20	0.00
d.1 Telecommunication (Fixed network)	0.00	0.00
d.2 Telecommunication towers	69.20	0.00
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	3105.33	333.72
e.1 Education Institutions (capital stock)	57.96	9.74
e.2 Hospitals (capital stock)	34.49	0.02
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	0.00	0.00
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	2990.79	323.96
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	22.10	0
e.7 Terminal markets	0.00	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
T. Other Industries	0.00	0.00
All Industries (A to T)	21,720.98	4,740.53

d) Residual contractual maturity breakdown of assets and Liabilities (₹ in Cr)

Particulars	Deposit	Advance Gross	Investment Gross	Borrowing	Foreign Currency-Asset	Foreign Currency-Liability
1 Day	3,150	428	-	293	1,755	1,804
2-7 days	4,053	1,595	100	2,851	4,167	4,670
8-14 Days	3,284	1,393	-	1,056	1,479	1,428
15-30 Days	7,567	2,492	707	1,834	16,782	16,980
31 days to 2 Month	9,019	2,726	218	602	16,379	15,488
Over 2 Months upto 3 Month	11,396	3,883	1,024	2,821	5,448	6,486
Over 3 Months upto 6 Month	23,640	7,354	1,657	744	11,379	11,170
Over 6 Months upto 1 Year	41,164	16,597	3,082	1,335	26,439	25,636
Over 1 Year upto 3 Year	32,054	15,745	5,165	473	3,576	4,744
Over 3 Year upto 5 Year	18,837	14,564	13,763	-	2,042	1,767
Over 5 Year	69,908	63,000	73,327	1,500	2,286	1,824
Total	2,24,073	1,29,777	99,045	13,508	91,732	91,999

e) Amount of NPAs (Gross)	:	10237.43 Cr
● Substandard	:	2282.62 Cr
● Doubtful 1	:	2076.28 Cr
● Doubtful 2	:	2536.22 Cr
● Doubtful 3	:	2677.13 Cr
● Loss	:	665.18 Cr
f) Net NPAs	:	3315.78 Cr
g) NPA Ratios: -		
● Gross NPAs to gross advances	:	7.89%
● Net NPAs to net advances	:	2.70 %
h) Movement of NPAs (Gross)		
● Opening balance	:	11351.97 Cr
● Additions	:	6122.62 Cr
● Reductions	:	7237.16 Cr
● Closing balance	:	10237.43 Cr

i) Movement of Specific & General Provision

(₹ in Crore)

Movement of provisions	Specific Provisions#	General Provisions@
Opening balance	6049.78	478.14
Provisions made during the period	3832.69	411.16
Write-off	3851.23	NIL
Write-back of excess provisions	32.63	73.33
Exchange difference	27.35	2.09
Closing balance	6025.96	818.06

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement

Write offs that have been booked directly to the income statement	—
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	₹1546.22 crore

k) Amount of Non-Performing Investments:	1061.72 Cr
l) Amount of provisions held for non-performing investments: -	969.89 Cr
m) Movement of provisions for depreciation on investments	
• Opening balance	: 1133.59 Cr
• Provisions made during the period	: 217.69 Cr
• Write-off	: NIL
• Exchange Difference	: -8.83 Cr
• Write-back of excess provisions	: 140.78 Cr
• Closing balance	: 1201.67 Cr

n) Industry wise NPA and provisions

(₹ in Cr.)

Sl. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	19.17	3.36
2	Food Processing	214.13	180.68
3	Textiles	42.50	29.39
4	Leather and Leather products	2.50	0.89
5	Wood and Wood Products	6.90	2.63
6	Paper and Paper Products	1.95	1.03
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	0	0
8	Chemicals and Chemical Products	32.47	31.50
9	Rubber, Plastic and their Products	25.19	15.35
10	Glass & Glassware	0.48	0.48
11	Cement and Cement Products	18.13	9.90
12	Basic Metal and Metal Products	74.11	18.66
13	All Engineering	78.90	34.19
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	0.93	0.27
15	Gems and Jewellery	3.96	1.70
16	Construction	147.37	54.98

o) Geography Wise NPA & Provisions

(₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	9518.84	718.59	10237.43
Provisions for NPA	5365.75	660.21	6025.96
Provisions for Standard Advances	743.60	74.46	818.06

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अधधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

- 1) सीएआरई
- 2) सीआरआईएसआईएल
- 3) इंडिया रेटिंग
- 4) इन्फोमेरिक्स
- 5) आईसीआरए
- 6) बिक्रवर्क
- 7) एसएमईआरए

(अकारादि क्रम से सूचीबद्ध)

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
- उम्पर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1) 100% से कम का जोखिम भार	- ₹1,40,919.78 करोड़
2) 100% जोखिम भार	- ₹11,111.35 करोड़
3) 100% से अधिक का जोखिम भार	- ₹24,015.10 करोड़
4) कटौती	- ₹0.00 करोड़
योग	- ₹1,76,046.22 करोड़

Table DF - 4

Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

Qualitative disclosure:

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) CARE
- 2) CRISIL
- 3) INDIARATINGS
- 4) Infomerics
- 5) ICRA
- 6) Brickwork
- 7) SMERA

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India.

Quantitative disclosure:

Exposure after risk mitigation in standardized approach:

1) Below 100% risk weight	- ₹ 1,40,919.78 Cr.
2) 100% risk weight	- ₹ 11,111.35 Cr.
3) More than 100% risk weight	- ₹24,015.10 Cr.
4) Deduction	- ₹0.00 Cr.
Total	- ₹ 1,76,046.22 Cr.

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यक्षीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि -

- बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।
- बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यक्षीन है।
- बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

- गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तारहित होना चाहिए।
- प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।
- गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।
- योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी:
 - सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;
 - 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।
- संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

(आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आस्ति मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांकनों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

- निर्माण की प्रकृति
- भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती
- किराया से होने वाली आय
- निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि
- भूमि एवं भवन का क्षेत्र
- निर्माण की लागत
- जगह का मूल्य

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

(iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

- शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य
- पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

(iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन

पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :

- (i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
- (ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
- (iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटीयों/म्युचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना
- (iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
- (v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार
- (vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी
- ii) कार्पोरेट गारंटी
- iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹9652.36 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

तालिका डीएफ - 6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

Table DF - 5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative disclosure:

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

- i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
- ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;
- iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

- i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.
- ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.
- iii) Operational requirement for guarantees must be met.
- iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)

Credit protection given by the following entities will be recognized:

- a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;
- b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(b) Policies and processes for collateral valuation and Management

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

Method of valuation of various types of securities:

(i) Valuation of land and building

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

- i) Nature of construction
- ii) Age of the building and its present strength
- iii) Rental yield
- iv) Tax amount assessed/paid
- v) Area of land and building
- vi) Cost of construction
- vii) Value of site

(ii) Valuation of Movable properties:

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) Valuation of shares:

Market value is calculated as below:

- a) Current market price of the share
- b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) Valuation of LIC Policy:

Present surrender value of the policy

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(c) Main types of collateral taken by Bank are -

- i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) Assignment of LIC Policies
- v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) Pledge of NSCs/KVPs

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) Corporate Guarantee
- iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken -

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

Quantitative disclosure:

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- ₹9652.36 Cr.

Table DF - 6

Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

तालिका डीएफ - 7

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. उद्देश्य एवं नीतियां:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

3. संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन:

निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

4. जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

5. जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रूपों से बैंक के भारतीय रूपों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	(₹ करोड़ में)
ब्याज दर जोखिम	1317.40
ईविचटी स्थिति जोखिम	184.87
विदेशी मुद्रा जोखिम	5.82

TABLE DF - 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure:

1. Objective & Policies:

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. Strategies and Processes:

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. Structure and organization of the relevant risk management function:

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Corporate Credit, Finance, Risk Management, International and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	1317.40
Equity Position Risk	184.87
Foreign Exchange Risk	5.82

तालिका डीएफ - 8

परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है –

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है –

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डेक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूँजी रख रहा है। 31.03.2022 की स्थिति को बीआईए के अनुसार पूँजी आवश्यकता ₹1622.31 करोड़ की है।

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy and compliance with bank's established policies and procedures, adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEX for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹1622.31 crores as on 31.03.2022.

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (कमी)	+/- ₹155.73 करोड़
2) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+/- ₹534.35 करोड़

Table DF-9

Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

Quantitative disclosure :

1) Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹155.73 Cr.
2) Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹534.35 Cr.

तालिका डीएफ-10

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक ब्याज पर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्तित्व/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्सपोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	राशि
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	337.71
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेटेड चालू ऋण एक्सपोजर	337.71
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर	337.71

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्सपोजर
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	128136.15	1805.07
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	3340.78	49.85
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	131476.93	1854.92

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

Quantitative Disclosure:

Exposure of Counterparty Credit Risk:

Particulars	₹ in Cr	
	Amount	
Gross positive value of contracts	337.71	
Netting Benefits	0.00	
Netted current credit exposure	337.71	
Collateral held	0.00	
Net derivative credit exposure	337.71	

Item	₹ in Cr	
	Notional Amount	Current Credit Exposure As on 31.03.2022
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	128136.15	1805.07
Single CCY Interest Rate Swaps	3340.78	49.85
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	131476.93	1854.92

तालिका डीएफ - 11

पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण तालिका		राशियां	संदर्भ
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ			
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँजी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	155816.7	
2	प्रतिधारित उपार्जन	967.2	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	56940.0	
4	सीईटी1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)		
6	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी विनियमनकारी समायोजनों से पूर्व	213723.8	
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियमनकारी समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	13541.4	
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	82779.4	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें से: बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)	2705.0	
	26क जिसमें से: असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	2705.0	
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 को कुल नियमनकारी समायोजन	99025.8	
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटीआई) अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत	114698.1	
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	
31	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	<i>जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत</i>		
36	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: नियमनकारी समायोजन	-	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क +41ख)		
	41क जिसमें से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमें से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन	-	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)	-	
45	टियर 1 पूँजी (टी1 = सीईटी +1 एटी 1) (29 - 44) टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान	114698.1	
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	15000.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	<i>जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत</i>		
50	प्रावधान	14021.3	
51	टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व टियर 2 पूँजी: नियमनकारी समायोजन	26731.4	

52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	72.1	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क+56ख) 56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। 56ख जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन	72.1	
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	28949.2	
59	कुल पूँजी (टीसी=टी1 + टी2) (45 + 58)	143647.3	
60	कुल जोखिम भारत आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)	1045190.5	
	60क जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियाँ	772982.6	
	60ख जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियाँ	131137.9	
	60ग जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियाँ	141070.0	
	पूँजी अनुपात एवं वफर		
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.97%	
62	टियर1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.97%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.74%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रिय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें से: पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता		
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रिय अतिरिक्त आवश्यकता		
67	जिसमें से: जी-एसआईवी अतिरिक्त आवश्यकता		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर-1 पूँजी की उपलब्धता (जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
	कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		

Table DF - 11
Composition of Capital

(₹ in million)

Basel III common disclosure template		Amounts	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	155816.7	
2	Retained earnings	967.2	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	56940.0	
4	<i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies¹)</i>		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	213723.8	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	13541.4	
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)		
10	Deferred tax assets	82779.4	
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	2705.0	
	26a <i>of which:</i> Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b <i>of which:</i> Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c <i>of which:</i> Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d <i>of which:</i> Unamortised pension funds expenditures	2705.0	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	99025.8	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	114698.1	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (Share Premium) (31+32)	-	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1		
35	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	-	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
	41a Of which : Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Of which : Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	-	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	-	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	114698.1	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	15000.0	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
50	Provisions	14021.3	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	26731.4	

	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	72.1	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
	56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	72.1	
58	Tier 2 capital (T2)	28949.2	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	143647.3	
60	Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1045190.5	
	60a of which: total credit risk weighted assets	772982.6	
	60b of which: total market risk weighted assets	131137.9	
	60c of which: total operational risk weighted assets	141070.0	
	Capital Ratios & Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.97%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.97%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.74%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	of which: capital conservation buffer requirement		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	of which: G-SIB buffer requirement		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		

तालिका डीएफ – 12
पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	पूँजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूँजी आरक्षित एवं अधिक निधि अल्प संख्य ब्याज शेयर एप्लीकेशन राशी कुल पूँजी	119559.6 116375.4 235935.0	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंक जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)	2240729.0 46551.0 2194178.0	
iii	उधार जिसमें से : भा.रि. बैंक से जिसमें से : बैंकों से जिसमें से : अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर) जिसमें से : पूँजीगत लिखत	135081.4 00.000 69124.0 59032.6 6924.8 25000.0	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	66094.8	
कुल		2677840.2	
ख	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	102875.5 158604.4	
ii	निवेश : जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	968738.0 712055.0 00.0 4131.1 244579.0 1985.6 5987.3	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1227844.1 20522.9 1207321.2	
iv	अचल आस्ति	33349.2	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां जिसमें से : अन्य	186429.0 92201.8 94227.2	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
कुल आस्तियां		2677840.2	

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि शेयर एप्लीकेशन राशि अल्पसंख्य ब्याज कुल पूंजी	119559.6 119559.6 0.00 116375.4 0.00 235935.0	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंकों से जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	2240729.0 46551.0 2194178.0	
iii	उधार जिसमें से : भा.रि. बैंक से जिसमें से : बैंकों से जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें) जिसमें से : पूंजीगत लिखत	135081.4 00.000 69124.0 59032.6 6924.8 25000.0	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी कुल	66094.8 2677840.2	
ख	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	102875.5 158604.4	
ii	निवेश जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋण-पत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	968738.0 712055.0 00.0 4131.1 244579.0 1985.6 5987.3	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1227844.1 20522.9 1207321.2	
iv	अचल आस्तियां	33349.2	
v	अन्य आस्तियां	186429.0	
	जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से : साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां अन्य	 92201.8 94227.2	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	2677840.2	

सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

		(₹ मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	155816.7	
2	प्रतिधारित आमदनी	967.2	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	56940.0	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी	213723.8	
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	13541.4	
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		
9	आस्थगित कर आस्तियां	82779.4	

Table DF – 12
Composition of Capital – Reconciliation Requirements

Step - 1

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital Reserves & Surplus Minority Interest Share Application Money Total Capital	119559.6 116375.4 235935.0	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	2240729.0 46551.0 2194178.0	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & agencies <i>of which:</i> Others (Outside India) <i>of which:</i> Capital instruments	135081.4 00.000 69124.0 59032.6 6924.8 25000.0	
iv	Other liabilities & provisions Total	66094.8 2677840.2	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India Balance with banks and money at call and short notice	102875.5 158604.4	
ii	Investments: <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	968738.0 712055.0 00.0 4131.1 244579.0 1985.6 5987.3	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	1227844.1 20522.9 1207321.2	
iv	Fixed assets	33349.2	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>of which:</i> Deferred tax assets <i>of which:</i> Others	186429.0 92201.8 94227.2	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	2677840.2	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital <i>of which:</i> Amount eligible for CET1 <i>of which:</i> Amount eligible for AT1 Reserves & Surplus Share Application Money Minority Interest Total Capital	119559.6 119559.6 0.00 116375.4 0.00 235935.0	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	2240729.0 46551.0 2194178.0	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & & agencies <i>of which:</i> Others (Outside India) <i>of which:</i> Capital instruments	135081.4 00.000 69124.0 59032.6 6924.8 25000.0	
iv	Other liabilities & provisions <i>of which:</i> DTLs related to goodwill <i>of which:</i> DTLs related to intangible assets Total	66094.8 2677840.2	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	102875.5	
	Balance with banks and money at call and short notice	158604.4	
ii	Investments <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	968738.0 712055.0 00.000 4131.1 244579.0 1985.6 5987.3	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	1227844.1 20522.9 1207321.2	
iv	Fixed assets	33349.2	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>Out of which:</i> Goodwill Other intangibles (excluding MSRs) Deferred tax assets Others	186429.0 92201.8 94227.2	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	2677840.2	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		(₹in million)	
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	155816.7	
2	Retained earnings	967.2	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	56940.0	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	213728.8	
7	Prudential valuation adjustments	13541.4	
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Deferred tax assets	82779.4	

तालिका डीएफ - 13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

लिखत : इक्विटी शेयर		
1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए01018
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं विनियमनकारी आवश्यकताएँ
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	इक्विटी — कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	119559.58
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/डिविडेंड</i>	लागू नहीं डिविडेंड
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.00% शृंखला XII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09185
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम विनियमनकारी उपचार	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II बांड
8	विनियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	0.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2012
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूल परिपक्वता तिथि	28.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.00%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.644% शृंखला II

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08054 INE691A08054
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.06.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	28.06.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.644% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बांडों को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी: क) निर्णय कि स्थायी रूप से बड़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.71% शृंखला III

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचानकर्ता)	आईएनई 691ए 08062 INE691A08062
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	17.12.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	17.12.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.71% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉण्डों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी: क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -III बांड 8.51% शृंखला IV

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08070 INE691A08070
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	4000
9	लिखत का सममूल्य	10 मिलियन
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	22.03.2022
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	22.03.2032
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.03.2027
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.51% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	<p>भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर “प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर” नामक ट्रिगर का समय आने पर बांडों को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी:</p> <p>क) निर्णय कि स्थायी रूप से बड़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और</p> <p>ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।</p>

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -III बांड 8.51% शृंखला V

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08088 INE691A08088
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	1000
9	लिखत का सममूल्य	10 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2022
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	31.03.2032
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2027
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.51% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बांडों को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी: क) निर्णय कि स्थायी रूप से बड़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

INSTRUMENT: Equity Shares		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	<i>Regulatory treatment</i>	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity - common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	119559.58
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09185
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2012
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08054
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.06.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.06.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.644% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and

	b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32 If write-down, full or partial	Full
33 If write-down, permanent or temporary	Permanent
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36 Non-compliant transitioned features	No
37 If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08062
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	17.12.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	17.12.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable	Every Year
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.71% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:

		<p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p> <p>b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.</p>
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-III Bonds 8.51% Series IV

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08070
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4000 .00
9	Par value of instrument	10 million per Bond
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	22.03.2022
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.03.2032
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22.03.27
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.51% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p>

	b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32 If write-down, full or partial	Full
33 If write-down, permanent or temporary	Permanent
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36 Non-compliant transitioned features	No
37 If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-III Bonds 8.51% Series V

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08088
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1000 .00
9	Par value of instrument	10 million per Bond
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	31.03.2022
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31.03.2032
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2027
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.51% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p>

	b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32 If write-down, full or partial	Full
33 If write-down, permanent or temporary	Permanent
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36 Non-compliant transitioned features	No
37 If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

तालिका डीएफ - 14
नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयर: असंचयी
2	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 9.00% शृंखला XII (आईएनई691ए09185)	जारी प्रमात्रा: ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख: 28.12.2012, प्रतिदान की तारीख: 28.12.2022, सम मूल्य: ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.00%, 28 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.644% शृंखला II (आईएनई691ए08054)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 28.06.2019, प्रतिदान की तारीख: 28.06.2029, सम मूल्य: ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.644%, 28 जून. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 9.71% शृंखला III (आई एन ई 691ए 08062)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 17.12.2019, प्रतिदान की तारीख: 17.12.2029, सम मूल्य: ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.71%, 17 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.51% शृंखला IV (आई एन ई 691ए 08070)	जारी प्रमात्रा: ₹400 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.03.2022, प्रतिदान की तारीख: 22.03.2032, सम मूल्य: ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: 22.03.2027 ब्याज दर और आवृत्ति: 8.51%, 22 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.51% शृंखला V (आई एन ई 691ए 08088)	जारी प्रमात्रा: ₹100 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.03.2022, प्रतिदान की तारीख: 31.03.2032, सम मूल्य: ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: 31.03.2027 ब्याज दर और आवृत्ति: 8.51%, 31 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।

तालिका डीएफ - 15
पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

Table DF - 14
Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII (INE691A09185)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 28.12.2012, Date of Redemption: 28.12.2022, Par Value: 10 Lakhs, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.00%, Yearly on 28th December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
3.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II (INE691A08054)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 28.06.2019, Date of Redemption: 28.06.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.644%, Yearly on 28th June. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
4.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III (INE691A08062)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 17.12.2019, Date of Redemption: 17.12.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.71%, Yearly on 17th Dec. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
5.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series IV(INE691A08070)	Issue Size: 400 Crore, Date of Allotment: 22.03.2022, Date of Redemption: 22.03.2032, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 22.03.2027. Rate of Interest and frequency: 8.51%, Yearly on 22nd March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
6.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series V(INE691A08088)	Issue Size: 100 Crore, Date of Allotment: 31.03.2022, Date of Redemption: 31.03.2032, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 31.03.2027. Rate of Interest and frequency: 8.51%, Yearly on 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

Table DF - 15
Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable to Nationalised Banks.

तालिका डीएफ-16:

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही स्थितियों का प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित(एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्केट-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इक्विटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर "पूँजी आरक्षित निधि" में विनियोजित किया जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) निवेशों का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य (उचित मूल्य से तत्त्वतः भिन्न हो तो)
अनुद्धृत	198.56	198.56	लागू नहीं
उद्धृत	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं

ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहायक, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।		198.56 0.00

ग. लाभ/हानि विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्रियों और परिसमापनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

इक्विटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारत जोखिम दर /@ 250%	44.68
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।	भारत जोखिम दर /@ 150%	0.00

Table DF - 16

Disclosure for Banking Book Positions

QUALITATIVE DISCLOSURES

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

A. Value of Investments

(₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	198.56	198.56	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

B. Types and Nature of Investments

(₹ in crore)

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		198.56
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.		0.00

C. Gain/ Loss Statement

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

D. Capital Requirement for Banking Book

(₹ in crore)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	44.68
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.00

तालिका डीएफ- 17:
लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना

क्र.सं.	निवेश	राशि (₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	26,77,840.16
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु समायोजन परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर कार्रवाई से रहित	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	18,549.01
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	-
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात्, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर्स की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	68,364.96
7	अन्य समायोजन	(92,201.80)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	26,72,552.33

तालिका डीएफ-18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
	तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोजर	
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित, लेकिन संपार्श्विक सहित)	26,77,840.15
2.	(बासेल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ)	(92201.80)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोजर (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	25,85,638.35
	व्युत्पन्न एक्सपोजर	
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिस्थापन लागत(यानी योग्य नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	3,376.98
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	15,172.03
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्श्विक व्युत्पन्नों के लिए ग्राँस-अप, जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	
7.	(व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कटौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	18,549.01
प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र		
12.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए)	0.00
13.	सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00
14.	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति 12 से लेकर 15 का कुल योग)	0.00
तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र		
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	1,78,011.73
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(1,09,646.77)
19.	तुलन पत्र से इतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	68364.96
पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र		
20.	टियर 1 पूँजी	114698.10
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)	26,72,552.33
लीवरेज अनुपात		
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	4.29%

Table DF - 17

Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure

Sr No	Particulars	Amount (₹ in Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	26,77,840.16
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	18,549.01
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	68,364.96
7	Other adjustments	(92,201.80)
8	Leverage ratio exposure	26,72,552.33

Table DF - 18

Leverage ratio common disclosure template

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
	On-Balance sheet exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	26,77,840.15
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(92201.80)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	25,85,638.35
	Derivative exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	3,376.98
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	15,172.03
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	18,549.01
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	-
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1,78,011.73
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(1,09,646.77)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 1	68364.96
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	114698.10
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	26,72,552.33
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	4.29%

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

U are our Future...
are our Strength...
are our Inspiration...
made us turn 79 years today

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



You made our story
a **complete success.**

www.ucobank.com

Toll Free Help Line No: 1800 103 0123

यूको बैंक  **UCO BANK**
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव


UCO BANK

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

Azadi ka
अमृत महोत्सव 

75 Years of India's Independence



Website: www.ucobank.com | Toll Free No.: 1800 103 0123

यूको बैंक  **UCO BANK**
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust